सामाजिक विज्ञान

भाग-2

(इतिहास और नागरिक शास्त्र)
(दसवीं कक्षा के लिए)

Z7Z9S5

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर

© पंजाब सरकार

संस्करण : 2025-26...................... 4,891 प्रतियाँ

All rights, including those of translation, reproduction
and annotation etc., are reserved by the
Punjab Government

कोआर्डिनेटर

इतिहास : श्रीमती सीमा चावला, विषय विशेषज्ञ, पं.एस.ई.बी., साहिबजादा अजीत सिंह नगर

नागरिक शास्त्र : स. रामिन्द्र जीत सिंह वासु, सहायक सचिव, पं.एस.ई.बी., साहिबजादा अजीत सिंह नगर

चेतावनी

1. कोई भी एजेंसी-होल्डर अधिक पैसे लेने के उदेश्य से पाठ्य-पुस्तकों पर जिल्दबन्दी नहीं कर सकता। (एजेंसी-होल्डरों के साथ हुए समझौते की धारा नं. 7 के अनुसार)
2. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों को जाली और नकली प्रकाशन (पाठ्य-पुस्तकों) की छपाई, प्रकाशन, स्टॉक करना, जमाखोरी या बिक्री आदि करना भारतीय दंड प्रणाली के अन्तर्गत गैरकानूनी जुर्म है।
   (पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तकें बोर्ड के 'वाटर मारक' वाले कागज़ के ऊपर ही मुद्रित की जाती हैं)

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

सचिव, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन फेज़-8, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर 160062 द्वारा प्रकाशित एवं मंगत राम प्रिंटिंग प्रैस जालंधर द्वारा मुद्रित

प्रस्तावना

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह पुस्तक भी इसी प्रयास के अन्तर्गत कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए तैयार की गई है। पाठ्य पुस्तक के आकार और विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए दो भागों में प्रकाशित किया गया है। पहले भाग में भूगोल और अर्थशास्त्र शामिल हैं, जबकि दूसरे भाग में इतिहास (पंजाब का इतिहास) और नागरिक शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। पुस्तक में सामाजिक दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक व्यवहार को सचेत रूप से समझने में सक्षम बनाना और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, भूगोलिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है।

पंजाब राज्य के छात्रों की वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा विषयवस्तु को अधिक प्रासंगिक और रोचक बनाने के लिए मानसिक स्तर के अनुसार चित्र और अभ्यास दिए गए हैं। छात्रों को स्व-अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु पाठ्यक्रम आधारित गतिविधियों को भी इस पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है जो पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा से गतिविधि-आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पुस्तक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और छात्रों को शैक्षणिक दृष्टि से एक नई दिशा प्रदान करने का एक प्रयास है।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड इस पुस्तक को तैयार करने वाली पाठ्यपुस्तक विषय समिति के समर्पित प्रयासों की सराहना करता है। इसके साथ ही पाठ्यपुस्तक में अकादमिक संशोधन हेतु शिक्षकों एवं विद्वानों से प्राप्त होने वाले सुझावों का भी स्वागत करता है।

चेयरमैन,

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड।

'ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ' ਪੰਜਾਬ।

पाठ्य-पुस्तक रचना कमेटी

इतिहास

लेखक : स. सुल्लखन सिंह मीत

संशोधक : 1. स. हरी सिंह बोपाराए
2. स. बलकार सिंह
3. डा. जागीर सिंह

अनुवादक : आशा शर्मा

समीक्षा समिति : 1. डा. नवजोत कौर, रिटा. प्रिंसीपल, गुरू गोबिन्द सिंह खालसा कालेज, चण्डीगढ़
2. डा. बूटा सिंह सेखों, सहायक डायरेक्टर, एस.सी.ई.आर.टी स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब
3. स. करनैल सिंह, लैक्चरार इतिहास, स.सी.सै. स्कूल फतेहगढ़ छन्ना, पटियाला
4. सुश्री परविन्दर कौर, लैक्चरार इतिहास, स.सी.सै. कोटला बजवाड़ा, फतेहगढ़ साहिब
5. स. बलजिन्दर सिंह, लैक्चरार इतिहास, स.सी.सै. स्कूल दुबली, तरनतारन
6. स. सुखजिन्दर सिंह, स.वि. मास्टर, स.मि. स्कूल रामपुर, फतेहगढ़ साहिब

नागरिक शास्त्र

लेखक : परमिंदर सिंह, लैक्चरार, स (कं). सी. सै स्कूल, शहणा (बरनाला)
शिव सिंह, लैक्चरार, स. सी. सै. स्कूल, चौवास जखेपल (संगरूर)
धरमिंदर सिंह, सहायक प्रोफैसर, राजिंद्रा कॉलेज, बठिंडा
लखवीर सिंह, सहायक प्रोफैसर, नेहरू मैमो. कॉलेज, मानसा

संशोधक : शिव सिंह कनकवाल, ऐम. ए, ऐम. फिल., जे. आर. ऐफ. (राजनीति शास्त्र)
धरमिंदर सिंह बनेरा, ऐम. ए, ऐम. फिल., जे. आर. ऐफ. (राजनीति शास्त्र)
लखवीर सिंह कनसूहा, ऐम. ए, ऐम. ऐड, जे. आर. ऐफ. (राजनीति शास्त्र)

अनुवादक : श्रीमति ललिता, हिन्दी मिस्ट्रैस, स. सी. सै. स्कूल जोधपुर चीमा (बरनाला)
श्रीमति अरुणा डोगरा शर्मा, सैक्टर 68 ऐस. ए. ऐस. नगर (मोहाली)

विषय सूची

क्रम न.	पाठ	पन्ना न.
	इतिहास	
1.	पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं तथा उनका इसके इतिहास पर प्रभाव	2
2.	श्री गुरू नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था	8
3.	श्री गुरू नानव देव जी तथा उनकी शिक्षाएँ	16
4.	श्री गुरू अंगद देव जी से लेकर श्री गुरू तेग बहादुर जी तक सिक्ख गुरूओं कै योगदान	24
5.	श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी का जीवन, खालसा का सृजन युद्ध तथा उनका व्यक्तित्व	42
6.	बाबा बंदा सिंह बहादुर तथा सिक्ख मिसलें	58
7.	महाराजा रणजीत सिंह : प्रारंम्भिक जीवन, प्राप्तियाँ तथा अंग्रेज़ों से सम्बंध	70
8.	अंग्रेज़ों और सिक्खों के युद्ध और पंजाब पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य	85
9.	स्वतंत्रता संघर्ष में पंजाब का योगदान	98
	नागरिक शास्त्र	
1.	लोकतंत्र : गतिविधि और कार्य संचालन	111
2.	लोकतंत्र : राजनीतिक सत्ता में भागीदारी/सत्ता में साझेदारी	130
3.	लोकतंत्र में मुकाबला और टकराव	146
4.	लोकतंत्र : परिणाम/प्राप्तीयाँ (उपलब्धियाँ)	165
5.	अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्थाएँ : भारत की भूमिका	183

इतिहास भाग

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਜੰਮੂ
ਕਾਂਗੜਾ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ
ਜਲੰਧਰ
ਫਿਲੌਰ
ਕਸੂਰ
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ
ਰੋਪੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੁਲਤਾਨ
ਜੀਂਦ
ਰਿਆਸਤ
ਦਿੱਲੀ
ਬਹਾਵਲਪੁਰ

अध्याय-1

पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं तथा उनका इसके इतिहास पर प्रभाव

(PHYSICAL FEATURES OF THE PUNJAB AND THEIR INFLUENCE ON ITS HISTORY)

'पंजाब' फारसी के दो शब्दों - 'पंज' तथा 'आब' के मेल से बना है। इसका अर्थ है-पाँच पानीयों अर्थात् पाँच नदियों की धरती। ये पाँच नदियां है-सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और जेहलम। पंजाब भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 1947 में भारत का बंटवारा होने पर पंजाब दो भागों में बांटा गया। इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान बना दिया गया। पंजाब का पूर्वी भाग वर्तमान भारतीय गणराज्य का उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त बन गया है। पाकिस्तानी पंजाब को पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। भारतीय पंजाब जिसे कि 'पूर्वी पंजाब' कहा जाता है, में ब्यास, सतलुज व रावी नदियां ही रह गई हैं। रावी नदी पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों से होकर बहती है तथा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है। वैसे यह नाम 'पंजाब' इतना सर्वप्रिय है कि दोनों पंजाब के लोग आज भी अपने-अपने हिस्से में आए पंजाब को 'पश्चिमी' या 'पूर्वी' कहने की बजाए 'पंजाब' ही कहते हैं। हम इस पुस्तक में यमुना तथा सिंधु नदी के मध्य पुरातन पंजाब के बारे में पढ़ेंगे।

1. पंजाब के नाम में परिवर्तन

(Changes in the Name of Punjab)

पंजाब के नाम विभिन्न कालों में अलग-अलग, रहे हैं। वैदिक काल में पंजाब की धरती को पाँच नदियों की धरती नहीं, बल्कि सात नदियों की धरती कहा जाता था। उस समय पाँच नदियों के साथ-साथ सीमान्त पश्चिम में सिंध (सिंधु) नदी तथा सीमान्त पूर्व में सरस्वती नदी (जोकि आजकल सूख चुकी है) का वर्णन भी वैदिक साहित्य में मिलता है। इसलिए इन सात नदियों द्वारा घेरा गया सारा मैदान 'सप्त सिंधु' कहलाता था। रामायण तथा महाभारत के काल में पंजाब को 'पंचनद' कहा जाता था। कई बार इसे 'ब्रह्मवर्त' भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकारों ने पंजाब का नाम यूनानी भाषा में पैंटापोटामिया (Pentapotamia) भाव पांच नदियों की धरती दिया है। कुछ समय के लिए एक बहादुर कबीले 'टक्की' के नाम पर पंजाब का नाम 'टक्की' भी प्रचलित रहा है। सिन्ध (सिंधु नदी) व ब्यास नदी के बीच की धरती तथा पहाड़ों की तलहटी से 'पंचनद' तक के इलाके को चीनी सैलानी हयूनसांग ने 'सेकिया' का नाम दिया है। तुर्कों के आगमन से फ़ारसी भाषा के प्रभाव से इस प्रदेश का नाम 'पंजाब' पड़ा।

2. विभिन्न कालों में पंजाब की सीमाएं

(Boundaries of the Punjab in Differ Times)

पंजाब की सीमाएं भी अक्सर बदलती रही हैं। ऋग्वेद द्वारा बताए गए पंजाब में वह सारे इलाके शामिल थे जिन्हें सिंधु, जेहलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज तथा सरस्वती नदियां सींचती थीं। मौर्य तथा कुशाण काल में पंजाब की पश्चिमी सीमा हिन्दुकुश के पहाड़ों तक चली गई थी तथा तक्षशिला उसका एक हिस्सा बन गया था। हिन्दी-बाखत्री तथा हिन्दी-पारथी राजाओं के अधीन पंजाब एक अलग राज्य रहा तथा इसकी राजधानी साकला (सियालकोट) थी। इस काल में पंजाब की सीमा वर्तमान अफगानिस्तान के साथ लगती थी। दिल्ली-सल्तनत के समय पंजाब के लाहौर-प्रान्त की सीमाएँ पेशावर तक थीं। मुग़ल-काल में पंजाब दो प्रान्तों-लाहौर व मुलतान में बंट

गया। महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब की पूर्वी सीमा सतलुज नदी थी तथा पश्चिमी सीमा दर्रा ख़ैबर थी। जिसकी राजधानी लाहौर थी। इस प्रकार, सतलुज व यमुना के मध्य स्थित मैदान पंजाब से अलग होकर अंग्रेज़ों के प्रभाव में हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के बाद पंजाब की सीमाओं में एक बार फिर भारी बदलाव आया अंग्रेज़ों ने 1857 ई० के भारतीय विद्रोह के बाद दिल्ली तक के इलाके भी इसमें शामिल कर लिए। 1901 ई० में लार्ड कर्जन (Lord Curzon) ने पंजाब की सिन्ध नदी के आगे के इलाकों को अलग करके एक नया राज्य 'उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत (North West frontier province) बना दिया। 1911 ई० में वाइसराय लार्ड हार्डिंग (Lord Harding) ने दिल्ली को भारत की राजधानी बना कर पंजाब से अलग कर दिया। पर सबसे महत्त्वपूर्ण बंटवारा 1947 ई० में भारत से अंग्रेज़ी शासन की समाप्ति पर हुआ, जब पंजाब के दो भागों-पूर्वी व पश्चिमी-पंजाब में बांटा गया। परिणामस्वरूप पंजाब की मुस्लिम बहुसंख्या वाले ज़िले पाकिस्तान को मिल गए। पंजाब के कुल 29 ज़िलों में से 13 ज़िले भारतीय पंजाब के हिस्से में आए। 1956 ई० में राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मालवा की रियासतों को भंग करके पंजाब के साथ मिला दिया गया। पहली नवम्बर 1966 ई० में भाषा के आधार पर पुनर्गठन के कारण पंजाब का क्षेत्र फिर सीमित हो गया। पंजाब का फिर विभाजन करके पंजाब और हरियाणा प्रांत बना दिए गए। पंजाब का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। पंजाब में उस समय के ज़िले अमृतसर, जालन्धर, रोपड़ (अब रूपनगर), कपूरथला, गुरदासपुर, होशियारपुर, फ़िरोज़पुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर (जींद के अतिरिक्त) तथा बठिण्डा ही रह गए। ज़िला रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल तथा तहसील अम्बाला तथा तहसील जींद भी हरियाणा में चले गए। शिमला तथा तहसील ऊना व ज़िला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिए गए। पंजाब की राजधानी पहाड़ों के तलहटी इलाके चण्डीगढ़ में बनाई गई। इस तरह से आज तक के पंजाब का क्षेत्रफल बहुत कम रह गया।

3. पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं

(Physical features of Punjab)

पंजाब जिसके इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं-सिंधु नदी तथा यमुना नदी के मध्य धरती का एक तिकोना टुकड़ा है। उसके उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊँची पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में राजस्थान तथा सिंध के विशाल मरुस्थल हैं। पूर्व में यमुना नदी तथा पश्चिम में सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियाँ हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से पंजाब को तीन भागों में बांटा जा सकता है :-

(क) हिमालय तथा उसकी उत्तर-पश्चिमी शाखाऐं

(ख) उप-पहाड़ी क्षेत्र (पहाड़ की तलहटी के क्षेत्र)

(ग) मैदानी-क्षेत्र।

(क) हिमालय तथा उसकी उत्तरी-पश्चिमी शाखाऐं

(Himalaya and it's North-Western hills)

हिमालय की पहाड़ियाँ पंजाब में शृंखला-बद्ध हैं। इनमें कई घाटियाँ (वादियाँ) भी हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है। ये देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दीवार का काम करती हैं। इन पहाड़ियों की ऊँचाई में समरसता नहीं है, इसलिए इन्हें इनकी ऊँचाई के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है- महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा बाहरी हिमालय।

महान हिमालय पहाड़ियों की शृंखला पूर्व में नेपाल तथा तिब्बत की तरफ चली जाती है। पश्चिम की तरफ भी इसे महान-हिमालय पहाडियां ही कहा जाता है। यह पंजाब के लाहौल स्पीति तथा कांगड़ा ज़िले के इलाकों को कश्मीर से अलग करती है। इन पहाड़ी इलाकों में कुल्लू की सुन्दर वादी तथा रोहतांग दर्रा है। इस की ऊँचाई लगभग

5851 मीटर से लेकर 6718 मीटर के मध्य है। ये पहाड़ियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं।

मध्य हिमालय को आमतौर पर पांगी पहाड़ियों की श्रृंखला कहा जाता है। ये पहाड़ियां रोहतांग दर्रे से शुरू होकर, चंबा में से निकलती हुई चिनाब तथा रावी नदियों की घाटियों को अलग करती है। इन पहाड़ियों की ऊँचाई लगभग 2155 मीटर है।

बाहरी हिमालय की पहाड़ियां मध्य हिमालय की पहाड़ियों के बराबर ही चलती हैं। ये पहाड़ियाँ चम्बा तथा धर्मशाला के बीच से गुज़रती हुई कश्मीर से रावलपिंडी, जेहलम तथा गुजरात ज़िलों के इलाकों में जा निकलती हैं। इन पहाड़ियों की ऊँचाई लगभग 923 मीटर है। इन पहाड़ियों को 'धौलाधार की पहाड़ियां' भी कहा जाता है।

हिमालय की पश्चिमी पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में कई दर्रे (Passes) है, जिनमें से ख़ैबर, कुर्रम, टोची, बोलान तथा गोमल प्रसिद्ध हैं। इन दर्रों द्वारा पंजाब (भारत) के सम्बन्ध मध्य-एशिया से बने। दर्रा ख़ैबर के द्वारा ही सारे पश्चिमी आक्रमणकारी पंजाब में आए।

हिमालय की पहाड़ियों के लाभ (Advantages of the Himalayas)

हिमालय बहुत ऊँचा पर्वत है। इसकी चोटियाँ सदा ही बर्फ से ढकी रहती हैं। यही कारण है कि पंजाब की नदियों में सारा साल पानी बहता रहता है। परिणामस्वरूप पंजाब की धरती उपजाऊ है। पंजाब की धरती उपजाऊ होने के कारण यहाँ के निवासी आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं।

हिमालय पर्वत पर घने जंगल मिलते हैं। इन जंगलों से जड़ी बूटियाँ तथा लकड़ी प्राप्त की जाती है, जोकि पंजाब की आर्थिक आवस्था को मजबूत बनाती है। इस पर्वत पर जमी हुई बर्फ तथा घने जंगल दुश्मन को रोकते हैं। पंजाब की उत्तरी सीमा पर यह पर्वत प्रहरी का काम करता है।

मौनसून पवनें हिमालय पर्वत से टकरा कर बारिश करती हैं। यदि पंजाब के उत्तर में यह पर्वत न होता तो पंजाब एक शुष्क तथा ठंडा इलाका बन कर रह जाता। यहाँ की खेती तब नाममात्र की ही होती।

हिमालय पर्वत के अस्तित्व के कारण पंजाब के पास सुन्दर पर्यटन स्थल-शिमला, मनाली, चैल, सोलन आदि (वर्तमान हिमाचल प्रदेश के शहर) हैं। यहाँ देश-विदेश से पर्यटक आते हैं जिससे पंजाब की आर्थिक हालत और मज़बूत होती रही है।

हिमालय की पश्चिमी पहाड़ियों-सुलेमान तथा किरथार के दर्रे भी पंजाब के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इन पहाड़ी-दर्रों के द्वारा ही आवागमन होता रहा है। इन दर्रों के द्वारा ही हमारा व्यापार, कला तथा संस्कृति प्रफुल्लित हुई है। इसलिए हिमायल की ये पहाड़ियां पंजाब की जान हैं।

(ख) उप-पहाड़ी क्षेत्र
(The Sub-Mountain Region)

हिमालय पर्वत के साथ-साथ दक्षिण में शिवालिक तथा कसौली की पहाड़ियों के संकीर्ण इलाके को पंजाब के 'उप-पहाड़ी' क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की ऊँचाई 308 मीटर से लेकर 923 मीटर तक है। इसमें जेहलम का पूर्वी इलाका, रोपड़-अम्बाला का उत्तरी इलाका, कांगड़ा की निचली पहाड़ियाँ, होशियारपुर तथा गुरदासपुर ज़िलों का उत्तरी भाग, गुजरात ज़िले का पब्बी क्षेत्र तथा सियालकोट ज़िले के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। इसकी मिट्टी रेतीली व पथरीली है। इसलिए यह क्षेत्र न तो उपजाऊ है तथा न ही यहाँ की आबादी घनी है. इस क्षेत्र की मुख्य फसलें मक्की, चावल तथा गेहूँ आदि हैं।

(ग) मैदानी क्षेत्र
(The Plains)

अगर पंजाब की धरती को समग्र रूप से देखा जाए तो यह लगातार नीचे की ओर जाता हुआ मैदान दिखाई देगा। पंजाब की धरती को दो भागों में बांटा गया है– 'पूर्वी मैदान' व 'पश्चिमी मैदान'। यमुना तथा रावी के मध्य वाले भाग को 'पूर्वी मैदान' कहते हैं। यह इलाका अधिक उपजाऊ है। यहाँ की आबादी भी घनी है। रावी तथा सिंध के मध्य वाले भाग को 'पश्चिमी मैदान' कहते हैं। यह क्षेत्र उतना खुशहाल नहीं, जितना कि पूर्वी मैदान का क्षेत्र।

अकबर के समय से दो नदियों के मध्य भाग को 'दोआब' कहा जाने लगा। इस प्रकार पंजाब पाँच दोआबों में बंट गया। इन दोआबों की विशेषता यह है कि प्रत्येक दोआबे का नाम उसकी दो नदियों के नामों के पहले अक्षर के मेल से बनता है। पंजाब के निम्नलिखित पाँच दोआब आज भी प्रचलित हैं :-

1. दोआब सिंध सागर (Doab Sindh Sagar) : इस दोआबे में सिंध (सिंधु) नदी तथा जेहलम नदी के मध्य का इलाका आता है। यह इलाका ज्यादा उपजाऊ नहीं है। रावलपिंडी तथा अटक इस दोआब के प्रसिद्ध नगर है।

2. दोआब चज (Doab Chaj) : चिनाब नदी तथा जेहलम नदी के बीच वाले इलाके का नाम दोआब चज है। यह दोआबा, दोआब सिंध सागर से अधिक उपजाऊ है। गुजरात, भेरा तथा शाहपुर इस इलाके के प्रसिद्ध नगर हैं।

3. दोआब रचना (Doab Rachna) : यह दोआबा रावी नदी तथा चिनाब नदी के मध्य है। यह काफी उपजाऊ है। सियालकोट, गुजरांवाला, शेखूपुरा आदि इस के प्रसिद्ध नगर हैं।

4. दोआब बारी (Doab Bari) : यह दोआबा ब्यास नदी तथा रावी नदी के बीच स्थित है। इस दोआबे की ज़मीन पंजाब की शेष धरती से अधिक उपजाऊ है। पंजाब के मध्य में होने के कारण इसे 'माझा' भी कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को 'मझैल' कहा जाता है। पंजाब के बड़े व प्रसिद्ध शहर–लाहौर तथा अमृतसर इसी दोआबे में आते हैं।

5. दोआब बिस्त जालन्धर (Doab Bist Jalandhar) : सतलुज नदी तथा ब्यास नदी के मध्य वाले इलाके को दोआब बिस्त जालन्धर कहते हैं। यह इलाका वैसे भी 'दोआबा' के नाम से प्रसिद्ध है। इस की धरती बहुत उपजाऊ है। जालन्धर, होशियारपुर, कपूरथला आदि इस दोआबा के प्रसिद्ध नगर हैं।

उपरोक्त पाँच दोआबों के अतिरिक्त सतलुज तथा यमुना के बीच फैला हुआ एक मैदानी भाग है। यह मैदान लम्बा, चौड़ा व उपजाऊ है। सतलुज नदी तथा घग्गर नदी के बीच के इलाके को 'मालवा' कहते हैं। इसमें पटियाला, रूपनगर, सरहिंद, लुधियाना, फिरोज़पुर, अम्बाला, बठिंडा आदि प्रसिद्ध नगर आते हैं। इस इलाके के निवासियों को 'मलवई' कहा जाता है।

इस मैदान का वह भाग जो घग्गर नदी व यमुना नदी के मध्य है, को 'बांगर' कहा जाता है। इस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल थानेसर, रोहतक आदि प्रसिद्ध नगर हैं।

पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का उसके इतिहास पर प्रभाव
(Influence of the Physical Features of Punjab on It's History)

1. पंजाब भारत का प्रवेश द्वार (Punjab as a Gateway to India) : पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का इसके इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे भारत का प्रवेश द्वार बना दिया है। पंजाब के उत्तर-पश्चिम में हिमालय पर्वत एक स्थिर दीवार का काम करता है। इसलिए पश्चिम की तरफ से आने वाले सभी आक्रमणकारी (यूरोपियनों को छोड़कर) इसी रास्ते से भारत में अपने भाग्य को आज़माने के लिए आए। दर्रा ख़ैबर भारत में प्रवेश करने का सीधा रास्ता था तथा इसे आसानी से पार किया जा सकता था। सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियों के दर्रों के रास्ते मध्य एशिया से सिकन्दर (326 ई० पू०) से लेकर शाह ज़मान (1798 ई०) तक सारे

विदेशी हमलावर पंजाब के द्वारा भारत पर आक्रमण करते रहे। परिणामस्वरूप पंजाबियों को सबसे अधिक आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि भारत की बहुत सी महत्त्वपूर्ण लड़ाइयां-तराई (तरावड़ी) की दोनों लड़ाईयां तथा पानीपत के तीनों युद्ध इसी धरती पर लड़ी गईं। इस तरह से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पंजाब को मुख्यत: विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार होना पड़ा।

2. पंजाब की नदियों का प्रभाव (Effects of the rivers of Punjab) : पंजाब की नदियों ने इसके इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। ये नदियां लगभग सारा वर्ष बहती हैं, जिस कारण ये प्राँतों के बीच सीमा का काम करते हैं। सतलुज नदी अंग्रेज़ों तथा महाराजा रणजीत सिंह के राज्यों के बीच में सीमा का काम करता रहा है। आज भी रावी नदी का कुछ भाग हिन्द-पाक सीमा का काम देता है। कई बार नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्होंने आक्रमणकारियों को रोकने का काम भी किया है। नदियों के द्वारा व्यापार होता था। उन्होंने पंजाब के व्यापार में वृद्धि करके उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया।

3. पंजाब-वासियों के स्वभाव पर प्रभाव (Effects on the temperament of the Punjabis) : पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं ने यहां की केवल राजनीतिक परिस्थिति को ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति को भी प्रभावित किया है। पंजाबियों को सदा ही उत्तर-पश्चिमी सीमा से हमलों का डर रहता था। इसलिए वे सदैव हथियारबंद रहते थे। परिणामस्वरूप पंजाबी लड़ाकू तथा बहादुर बन गए। इसीलिए भारत की एकता, स्वतन्त्रता तथा उन्नति पंजाबियों के बल पर ही निर्भर रही है। विदेशी आक्रमणकारियों के सम्पर्क में आने के कारण पंजाबी उनकी सुरुचियों को ग्रहण कर गये तथा वह दूसरे लोगों से सदैव आगे ही रहे।

4. पंजाब अधिकतर विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन रहा (Mostly the Punjab remained under the Foreign Rulers) : जब भी किसी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत को जीतने की योजना बनाई, उसे पहले पंजाब को ही अपना निशाना बनाया। इसलिए जितने भी आक्रमणकारी उत्तर-पश्चिमी सीमा से भारत में आए, उन्होंने सबसे पहले पंजाब पर ही अपना अधिकार स्थापित किया। सिकन्दर, कुशाण तथा हूण राज्यों की स्थापना यहीं पर हुई। भौगोलिक स्थिति के कारण ही पंजाब लगभग 150 वर्ष तक गज़नी राज्य का भाग रहा। अहमद शाह अब्दाली तथा शाह ज़मान पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर इसे अफगान देश में मिलाने की कोशिश करते रहे। पंजाब की भौगोलिक स्थिति के कारण ही अंग्रेज़ पंजाब में सबसे बाद में पहुँचे क्योंकि वे भारत में दक्षिण-पूर्व की तरफ से दाखिल हुए थे।

अभ्यास

(क) नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15) शब्दों) में लिखें :-

1. 'पंजाब' शब्द किस भाषा के शब्द-जोड़ से बना है ? इसके अर्थ भी लिखें।
2. भारत के बंटवारे का पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा ?
3. पंजाब को 'सप्तसिंधु' किस काल में कहा जाता था तथा क्यों ?
4. हिमालय की पश्चिमी पहाड़ी-शृंखला में स्थित चार दर्रों के नाम लिखिए।
5. अगर पंजाब के उत्तर में हिमालय न होता तो यह कैसा इलाका होता ?
6. 'दोआब' शब्द का क्या अर्थ है ?
7. सतलुज नदी तथा घग्गर नदी के बीच के इलाके को क्या कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं ?

8. दोआब बिस्त का यह नाम क्यों पड़ा ? इसके किन्हीं दो प्रसिद्ध शहरों के नाम लिखिए।

9. दोआब बारी को 'माझा' क्यों कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं ?

(ख) नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में लिखिए :-

1. हिमालय की पहाड़ियों के मुख्य लाभ लिखें।
2. किन्हीं तीन दोआबों का संक्षिप्त वर्णन करो।
3. पंजाब की नदियों ने इसके इतिहास पर क्या प्रभाव डाला है ?
4. विभिन्न कालों में पंजाब की सीमाओं की जानकारी दीजिए।
5. पंजाब के इतिहास को हिमालय पर्वत ने किस तरह से प्रभावित किया ?

(ग) नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखें :-

1. हिमालय तथा उत्तरी-पश्चिमी पहाड़ियों का वर्णन करो।
2. पंजाब के मैदानी क्षेत्र का वर्णन कीजिए।

******

अध्याय-2

श्री गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था
(Political and Social Conditions of Punjab Before Sri Guru Nanak Dev Ji)

श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ई० में हुआ। उनके जीवन-काल से पहले के पंजाब की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ के शासक कमज़ोर तथा परस्पर फूट के शिकार थे। पंजाब पर विदेशी (बाहरी) आक्रमण हो रहे थे। उस समय के शासकों में धार्मिक कट्टरता थी। हिन्दू समाज कई जातियों व उपजातियों में बंटा हुआ था। महिलाओं की अवस्था बड़ी दयनीय थी। लोग सदाचार को भूल चुके थे तथा वे व्यर्थ के भ्रमों में फंसे हुए थे।

राजनीतिक अवस्था
(Political Condition)

लोधी सुलतानों के अधीन का पंजाब (Punjab under the Lodhi sultans)

1. बहलोल खाँ लोधी (Behlol Khan Lodhi 1451 ई० – 1489 ई०) : दिल्ली का सम्राट बनने के उपरान्त बहलोल खाँ लोधी ने तातार खाँ (Tatar Khan) को पंजाब का तथा शहज़ादा निज़ाम खाँ (सिकन्दर लोधी) को सरहिंद का नाज़िम बनाया। बहलोल लोधी ने शेख यूसुफ को मुलतान का नाज़िम नियुक्त करने का फैसला किया और तातार खाँ तथा अपने पुत्र बारबक शाह को उसकी सहायता के लिए मुलतान जाने का हुक्म दिया। पर हुसैन ने शाही फौजों को परास्त कर दिया। इस प्रकार दक्षिणी पंजाब का उप-प्रान्त बहलोल लोधी के हाथों से निकल गया। मुलतान की स्वतंत्रता से प्रेरित होकर पंजाब के नाज़िम तातार खाँ ने भी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। बहलोल लोधी ने तातार खाँ को सजा देने के लिए अपने पुत्र निजाम खाँ (सिकन्दर लोधी) को भेजा। निजाम खाँ ने तातार खाँ को करारी हार दी। पंजाब में फिर से लोधी राज्य स्थापित हो गया।

2. सिकन्दर लोधी (Sikander Lodhi 1489 ई० – 1517 ई०) : बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकन्दर लोधी दिल्ली का बादशाह बना। वह लोधी वंश का सबसे प्रसिद्ध बादशाह माना जाता है। उसने अपने राज्य-प्रबन्ध को केन्द्रित किया तथा अपने सरदारों व जागीरदारों पर पूरा नियन्त्रण रखा। उसने केन्द्रीय पंजाब का निज़ाम दौलत खाँ लोधी को नियुक्त किया। उसके प्रान्त की सीमाएं भेरा (सरगोधा) से लेकर सरहिंद तक थीं। दीपालपुर भी पंजाब का एक शक्तिशाली उप-प्रान्त था। पर दोआबा चज में गखड़ों का बोलबाला था। इन सभी शासकों में से दौलत खाँ लोधी का पद ऊँचा था, क्योंकि सिकन्दर लोधी उसे लोधियों के कबीलों के चार मुख्य सरदारों में से एक मानता था। दिल्ली का लोधी सम्राट् उनसे कर वसूल करता था तथा वह उनके स्थानीय प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करता था ताकि उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त होने के कारण कहीं वे विदेशी शासकों से सांठ-गांठ न कर लें। इस तरह से सिकन्दर लोधी के समय पंजाब लोधी साम्राज्य का नाममात्र का ही भाग था। सिकन्दर लोधी प्रजा की शिकायतों को दूर करना अपना फर्ज़ समझता था। उसका फर्ज़ तथा इन्साफ़ केवल मुसलमानों तक सीमित था। वह हिन्दुओं से घृणा करता था। उसने हिन्दु देवी-देवताओं की कई मूर्तियों तथा मन्दिरों को तोडा।

3. इब्राहिम लोधी (Ibrahim Lodhi 1517 ई० – 1526 ई०) : सिकन्दर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहीम लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह मेहनती व ईमानदार था, परन्तु वह अपने शासन-काल में बुरी तरह से

असफल रहा।

चाहे वह स्वयं पठान था, परन्तु वह पठानों के स्वभाव तथा आचरण को अच्छी तरह से नहीं समझ सका। उसने अपने पिता तथा दादा की नीति को छोड़ कर पठानों में कड़ा अनुशासन स्थापित करना चाहा। पठान स्वभाव से ही प्रजातांत्रिक (Democratic) थे, इसलिए वे बादशाह को एक सरदार से ज्यादा नहीं मानते थे। उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। परिणामस्वरूप भेरा से लेकर बिहार तक इब्राहिम का राज्य केवल नाममात्र का ही रह गया।

पंजाब लोधी राज्य का एक सूबा था। उस समय का पंजाब एक संगठित राज्य नहीं था। वह लाहौर तथा मुलतान-दो सूबों में बंटा हुआ था। पंजाब का सूबा आगे छोटे-छोटे परगनों में बंटा हुआ था, जैसे सरहिंद, सुलतानपुर तथा दीपालपुर। ये परगने कभी-कभी सीधे दिल्ली के बादशाह के अधीन होते थे।

दौलत खाँ लोधी तथा पंजाब 1500-1526 ई.
(Daulat Khan Lodhi and Punjab 1500-1526 A.D.)

सिकन्दर लोधी ने तातार खाँ को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। उसकी मौत के बाद उसका बेटा दौलत खाँ लोधी पंजाब का सूबेदार बना जितनी देर तक सिकन्दर लोधी ज़िन्दा रहा, दौलत खाँ उसका पूरा वफादार रहा, पर सिकन्दर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी के कठोर, शक्की तथा घमंडी स्वभाव के कारण दौलत खाँ लोधी उससे घृणा करता था। उसने सुलतान के व्यवहार को देख कर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का मन बना लिया। उसने इब्रहिम लोधी के खिलाफ योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों आलम खाँ (इब्राहिम लोधी का चाचा) भी दिल्ली का तख्त प्राप्त करने की इच्छा रखता था। परिणामस्वरूप वह दौलत खाँ लोधी से सांठ-गाँठ करने लग गया।

जब इब्राहिम लोधी को दौलत खाँ लोधी तथा आलम खाँ की सरगर्मियों का पता चला तो उसने दौलत खाँ लोधी को दिल्ली में तलब किया। वह स्वयं तो दिल्ली न गया, पर उसने अपने छोटे पुत्र दिलावर खां को दिल्ली भेज दिया।

दिलावर खाँ के दिल्ली पहुँचने पर इब्राहिम लोधी ने उसे बन्दी बना लिया। पर वह जल्दी ही बच कर लाहौर पहुंच गया। इस पर दौलत खाँ लोधी को विश्वास हो गया कि इब्राहिम लोधी उसे अवश्य ही सजा देगा। परिणामस्वरूप उसने इब्राहिम लोधी को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली से अपना सम्बन्ध तोड़ कर कोई अन्य विकल्प (ढंग) ढूंढना शुरू कर दिया।

दौलत खाँ लोधी का बाबर से गठजोड़
(Alliance between Daulat Khan Lodhi and Babur)

1519 ई० में काबुल के शासक ज़हीर-उद-दीन बाबर ने पंजाब पर हमला किया। बाबर ने पहले बजौर पर विजय प्राप्त की। साथ ही उसने 'भेरा' पर भी कब्जा कर लिया। इन विजयों से उत्साहित होकर बाबर ने अपने एक दूत-मुल्ला मुर्शीद को इब्राहिम लोधी के पास भेजा। दौलत खाँ लोधी ने बाबर के दूत को लाहौर में ही रोक लिया। बाबर हिन्दू बेग को अपने जीते हुए इलाकों का प्रबन्ध सौंप कर स्वयं वापस काबुल चला गया। कुछ समय बाद ही भेरा के लोगों ने बगावत करके हिन्दू बेग को वहाँ से भगा दिया। इस कार्यवाही से चिढ़ कर बाबर ने सितम्बर 1519 ई० को फिर से पंजाब पर आक्रमण कर दिया। भेरा आदि के इलाके फिर से जीतने के बाद बाबर ने सियालकोट भी जीत लिया। यहाँ से बाबर सय्यदपुर (ऐमनाबाद) की ओर बढ़ा। वहाँ की रक्षक सेना ने बाबर की आक्रमणकारी फौज का डट कर मुकाबला किया। अंतत: बाबर की जीत हुई। रक्षक सेना कत्ल कर दी गई। सय्यदपुर की जनता के साथ भी निर्दयी व्यवहार किया गया। कई लोगों को दास बना लिया गया। श्री गुरु नानक देव जी को भी कैद कर लिया गया। उन्होंने इन अत्याचारों का वर्णन अपनी वाणी में किया है।

1520–24 ई० में दौलत खां लोधी ने केन्द्रीय पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने का फैसला कर लिया। परिणामस्वरूप इब्राहिम लोधी उसके और भी विरुद्ध हो गया। इब्राहिम लोधी ने मौका मिलते ही दौलत खाँ लोधी को सबक सिखा कर पंजाब को पुन: लोधी साम्राज्य में मिलाने का फैसला कर लिया। परिणामस्वरूप दौलत खाँ लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खाँ को बाबर के पास काबुल भेज दिया तथा उसे पंजाब पर आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी ने दौलत खाँ लोधी के विरुद्ध अपनी सेना से चढ़ाई कर दी। दौलतखाँ लोधी की हार हुई। बाबर बिना किसी रोक-टोक के 1524 ई० में लाहौर के निकट जा पहुँचा। यहाँ पर इब्राहिम लोधी की फौजों ने बिहार खाँ के अधीन बाबर को रोकने की कोशिश की, पर बाबर ने उसे हरा दिया। बाबर का लाहौर पर कब्जा हो गया। फिर उसने जालन्धर तथा दीपालपुर पर भी आसानी से कब्जा कर लिया। दौलत खां लोधी को यह आशा थी कि बाबर उन इलाकों पर कब्जा करके उनका अधिकार उसे सौंप देगा तथा स्वयं वापस काबुल चला जाएगा। पर बाबर ने उसे जालन्धर तथा सुलतानपुर के इलाके ही दिए। इस पर दौलत खाँ लोधी ने बगावत कर दी, परन्तु हार गया तथा पहाड़ों में जा छिपा। बाबर ने सुलतानपुर का इलाका दिलावर खाँ (दौलत खाँ के बेटे) को दे दिया। दीपालपुर उसने आलम खाँ (इब्राहिम लोधी के चाचा) को दे दिया। लाहौर को उसने अपने प्रतिनिधि अब्दुल अज़ीज को दे दिया। बाबर वापस काबुल चला गया। उसे यह अनुभव हो गया था कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अधिक तैयारी की ज़रूरत थी।

आलम खाँ और पंजाब
(Alam Khan and Punjab)

इब्राहिम लोधी के बुरे व्यवहार के कारण अफगान सरदार उससे नाराज़ थे। अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने आलम खाँ को दिल्ली का शासक बनाने की योजना बनाई। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बाबर की सहायता लेने का फैसला किया। परन्तु 1524 ई० में अपने जीते हुए इलाकों का प्रबन्ध करके बाबर काबुल गया ही था कि दौलत खाँ लोधी ने अपनी सेनाएँ इकट्ठी करके अब्दुल अज़ीज से लाहौर छीन लिया। उसके उपरान्त उसने सुलतानपुर में से दिलावर खाँ को निकाल कर दीपालपुर में आलम खाँ को भी हरा दिया। आलम खाँ काबुल में बाबर की शरण में चला गया। फिर दौलत खाँ लोधी ने सियालकोट पर हमला किया, पर वह असफल रहा। दौलत खां की बढ़ रही शक्ति को समाप्त करने के लिए तथा बाबर की सेना को पंजाब में से निकालने के लिए इब्राहिम लोधी ने फिर अपनी सेना भेजी। दौलतखाँ लोधी ने उस सेना को करारी हार दी। परिणाम स्वरूप केन्द्रीय पंजाब में दौलत खाँ लोधी का स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया।

आलम खाँ ने काबुल पहुँच कर बाबर से सन्धि कर ली। उस सन्धि की शर्तें थीं-

(1) बाबर आलम खाँ को दिल्ली का राज्य प्राप्त करने के लिए सैन्य सहायता देगा।

(2) आलम खाँ पंजाब के सभी इलाकों पर कानूनी तौर पर बाबर का अधिकार स्वीकार करेगा।

इसके उपरान्त आलम खाँ के सहायता देने के लिए बाबर ने पंजाब के मुग़ल शासकों के नाम फरमान भी भेजे।

पर जब आलम खाँ लाहौर पहुँचा तो यहाँ मुगल शासकों की जगह दौलत खाँ लोधी का राज्य स्थापित था। आलम खां बड़ा दुखी हुआ। उसकी भावनाओं को समझते हुए दौलत खाँ लोधी ने आलम खाँ को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता देने की पेशकश की। आलम खाँ ने उसकी पेशकश मान ली। इस प्रकार वह दौलत खाँ लोधी के साथ मिल गया। उसकी सहायता से आलम खाँ ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। इब्राहिम लोधी की सेनाओं ने उसे करारी हार दी। परिणामस्वरूप आलम खाँ के पंजाब का या दिल्ली का राज्य प्राप्त करने के सपने सदा के लिए मिट्टी में मिल गए।

बाबर की पंजाब की विजय
(Babur's Conquest of the Punjab)

बाबर नवम्बर, 1525 ई० में 12,000 सैनिकों के साथ काबुल से पंजाब की तरफ बढ़ा। बाबर ने सबसे पहले दौलत खाँ लोधी को दण्ड देने का फैसला किया। जब उसे बाबर की बुरी नीयत का पता चला तो दौलतखाँ लोधी, अपने पुत्र गाजी खां समेत लौहार से भाग गया। अंतत: दौलत खाँ लोधी ने बाबर के समक्ष हथियार डाल दिए।

यहाँ से बाबर पंजाब के उप-प्रान्त सरहिन्द की ओर बढ़ा। उसने सबसे पहले अम्बाला जीता। हाँसी, हिसार-फिरोजा जीतने के लिए उसने अपने पुत्र हुंमायूँ को भेजा। बाबर स्वयं पानीपत जीतने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ा। पानीपत पहुँच कर उसने अपना डेरा लगाया। दिल्ली का सुलतान इब्राहिम लोधी भी उसका मुकाबला करने के लिए 1,00,000 सेना लेकर आगे बढ़ा। उसकी सेना चार भागों में बंटी हुई थी-आगे रहने वाली सैनिक टुकड़ी, केन्द्रीय सेना तथा दाएँ व बाएँ की सेनाएँ। सेना के आगे लगभग 5,000 हाथी थे।

उधर बाबर ने अपनी सेना के आगे 700 बैलगाड़ियाँ खड़ी कीं। उसने उन बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बाँध दिया। बैलगाड़ियों के पीछे तोपखाना था। तोपों के पीछे अगुआ सैनिक टुकड़ी तथा केन्द्रीय सेना थी। दाएँ तथा बाएँ तुलुगमा थे। सबसे पीछे बहुत सी घुड़सवार सेना छिपा कर रखी हुई थी।

बाबर एक सप्ताह चुपचाप बैठा रहा। 21 अप्रैल, 1526 ई० को पहले इब्राहिम लोधी की फौज ने हमला किया। वह सेना बाबर की बैलगाड़ियों के पास पहुँच कर रुक गई। बाबर के तोपखाने ने गोलाबारी शुरू कर दी। इब्राहिम लोधी के हाथियों ने घायल होकर पीछे मुड़ कर अपनी ही फौज को कुचल डाला। बाबर के तुलुगमा दलों ने दाईं तथा बाईं तरफ से आगे बढ़ कर पीछे से शत्रु को घेर लिया। इब्राहिम लोधी तथा उसके 15,000 सैनिक मारे गए। बाबर को पंजाब पर पूर्ण विजय प्राप्त हुई।

सामाजिक अवस्था
(Social Condition)

श्री गुरू नानक देव जी से पहले का समाज मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ था-मुस्लिम समाज तथा हिन्दु समाज।

1. मुस्लिम समाज :

(क) मुसलमानों की सामाजिक दशा: श्री गुरु नानक देव जी से पूर्व पंजाब में मुसलमान शासकों की सरकार थी। इसलिए मुस्लमान सरकार में उच्च से उच्चतर पदवी प्राप्त कर सकते थे। उनसे आदरपूर्वक व्यवहार होता था। सरकारी न्याय उनके पक्ष में होता था।

उस समय का मुस्लिम समाज चार श्रेणियों में बंटा हुआ था-अमीर तथा सरदार, उलेमा व सैय्यद, मध्य श्रेणी व गुलाम.

(i) **अमीर तथा सरदार** (Amirs and Sardars) :- ये ऊँची श्रेणी के लोग थे। इन्हें ऊँची पदवियाँ मिली हुई थीं। इन्हें ऊँचे खिताब भी प्राप्त थे। सरदारों को 'इक्ता' अर्थात् इलाका दिया जाता था। उस इलाके के भूमि-कर (लगान) को वे स्वयं वसूल करते थे। वह पैसा वे अपनी ज़रूरतों पर ही खर्च करते थे।

सरदारों का काम मुहिमों में भाग लेना था। ये लोग आपसी लड़ाइयों में भी व्यस्त रहते थे। इनकी रुचि दिल्ली सरकार से स्वतन्त्र रहने की होती थी। स्थानीय प्रबन्ध में ये लोग रुचि नहीं लेते थे।

ये बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहते थे। ये कई-कई शादियां करवाते थे। ये मर्द व औरतों को गुलाम बनाते थे। अमीर होने के कारण ये लोग विलासप्रिय तथा दुराचारी थे। इस वर्ग का जीवन-स्तर बहुत ऊँचा था।

(ii) **उलेमा तथा सैय्यद** (Ulema and Sayyids) : मुसलमानों की धार्मिक श्रेणी भी आगे उप-श्रेणियों में बंटी हुई थी। उलेमा मुस्लिम धार्मिक वर्ग के नेता थे। वे लोग अरबी तथा धार्मिक साहित्य के विद्वान होते थे।

उलेमाओं के अतिरिक्त एक श्रेणी सय्यदों की भी थी। वे स्वयं को हजरत मुहम्मद की सुपुत्री बीबी फातिमा की सन्तान मानते थे। इनका समाज में काफी सम्मान होता था। उपर्युक्त दोनों वर्गों के लोगों को मुस्लिम कानून के विद्वान तथा धार्मिक नेता माना जाता था। शेख, मुल्ला तथा काज़ी भी धार्मिक श्रेणी में आते थे। ये लोग भी इस्लामी कानून के विद्वान थे। उन्हें भी इस्लाम के धार्मिक नेता माना जाता था। ये लोगों के अज्ञान का पूरा लाभ उठाते थे। काज़ियों को न्याय करने का कार्य दिया हुआ था। इन में से कई काज़ी लालची थे।

(iii) **मध्यम वर्ग** (Middle Class) : इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी, सिपाही छोटे व्यापारी तथा किसान आते थे। इनकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी। इनमें से सरकारी पदों पर आसीन लोगों का सामाजिक स्तर ऊँचा माना जाता था।

(iv) **गुलाम** (Slaves) : मुस्लिम समाज में सबसे नीचा दर्जा हाथ से काम करने वाले-(जुलाहे, कुम्हार, मज़दूर) गुलामों तथा खुसरों (हिजड़े) आदि का था। लड़ाई के मैदान में हारे हुए शत्रुओं को बंदी बनाकर भी गुलाम बनाया जाता था। इन्हें दूसरे देशों से भी लाया जाता था। हिजड़े गुलामों को बेगमों की खिदमत करने के लिए रनिवासों में रखा जाता था। कई गुलाम औरतें अमीरों तथा सरदारों के मन-बहलाने का साधन होती थी। इन लोगों को भर-पेट खाना मिल जाता था। उनकी सामाजिक अवस्था उनके मालिकों के स्वभाव पर निर्भर करती थी। गुलाम अपनी बहादुरी व चतुराई दिखा कर ऊँची पदवी प्राप्त कर सकते थे या गुलामी से छुटकारा पा सकते थे।

(ख) भोजन (Food) : मुस्लिम समाज में अमीरों, सरदारों, सय्यदों, शेखों, मुल्लाओं तथा काज़ी लोगों का भोजन बहुत तैलीय (मक्खन वाला) होता था। उनके भोजन में मिर्च-मसाले का प्रयोग बहुत किया जाता था। पुलाव व कोरमा उनका मन-पसंद भोजन था। मीठे पकवानों में हलवा तथा शरबत बहुत प्रचलित थे।

उस समय के मुस्लिम समाज में नशीली वस्तुओं का प्रयोग आम बात थी। साधारण मुसलमान माँसाहारी थे। गेहूँ की रोटी तथा भुना हुआ मांस उनका नित्य-भोजन था। यह भोजन बाज़ारों में भी मिल जाता था। मुसलमान जो हाथ से काम करने वाले थे उनमें खाने के साथ लस्सी (छाछ) पीने का आम रिवाज़ था।

(ग) मुसलमानों का पहरावा (Dress of the Muslims) : उच्च वर्गीय मुसलमानों का पहरावा भड़कीला व बहूमूल्य होता था। उनके कपड़े रेशमी तथा बढ़िया सूत के होते थे। अमीर लोग तुर्रेदार पगड़ी पहनते ते। पगड़ी को 'चीरा' भी कहा जाता था।

शाही गुलाम कमरबंद पहनते थे। अपनी जेब में वे रूमाल रखते थे। वे लाल जूता पहनते थे। उनके सिर पर साधारण सी पगड़ी होती थी।

धार्मिक वर्ग के लोग सूती कपड़े (Linen) पहनते थे। वे सात-गज लम्बी पगड़ी पहनते थे। पीठ के पीछे उस पगड़ी का पल्ला लटकता रहता था। वे आम लोगों में प्रचलित कमीज तथा पायजामा भी पहनते थे। वे जुराबे व जूते भी पहनते थे। सूफी लोग खुला चोगा पहनते थे।

मुसलमान औरतें जम्पर, घागरा तथा उसके नीचे तंग पायजामा पहनती थीं। पर्दे के लिए बुर्के का प्रयोग किया जाता था। उच्च वर्ग की औरतें आम तौर पर दास-दासियों के झुरमुटों से घिरी हुई बंद डोलियों में आती-जाती थीं।

(घ) आभूषण (Ornaments) : ऊंची श्रेणी के लोग अपनी उंगलियों में चांदी या सोने की अंगूठियाँ पहनते थे। वे मोती-माणिक तथा कीमती पत्थर भी पहनते थे। वे सोने-चाँदी के आभूषण पहनते थे।

(ङ) मनोरंजन के साधन (Amusements) : सरदारों व अमीरों की चौगान, चौपड़, घुडसवारी तथा घुडदौड़ आदि मन-पसन्द खेले थीं। नृत्य देखना व संगीत सुनना अमीर लोगों का शौक था। 'चौपड़' का खेल अमीर

व गरीब दोनों में प्रचलित था। साधारण व्यक्ति मौसमी त्योहार तथा धार्मिक यात्रा करके मनोरंजन कर लेता था।

(च) अंध विश्वास व अज्ञानता (Superstition and Ignorance) : माल व धन के बढ़ने से मुसलमानों में अंधविश्वास भी बढ़ गए। लोग जादू-टोने, तावीज़ तथा करामातों में विश्वास करते थे। कदम-कदम पर शुभ-अशुभ का विचार किया जाता था। लोगों में अज्ञानता का ज़ोर था।

(छ) महिलाओं की स्थिति (Condition of Women) : मुस्लिम समाज में महिलाओं को कोई सम्मानयोग्य स्थान प्राप्त नहीं था। अमीरों तथा सरदारों की हवेलियों में स्त्रियों के 'हरम' होते थे। इन स्त्रियों की सेवा के लिए दासियाँ तथा रखैलें रखी जाती थीं। उस समय पर्दे का रिवाज आम था। साधारण मुसलमान घरों में स्त्रियों के रहने के लिए पर्देदार अलग स्थान बना होता था। उस स्थान को 'जनान खाना' कहा जाता था। इन घरों की स्त्रियाँ बुर्का पहन कर ही बाहर निकलती थी। ग्रामीण मुसलमानों में सख्त पर्दे की प्रथा नहीं थी।

2. हिंदु समाजः

(क) हिन्दुओं की सामाजिक दशा (Social Conditions of the Hindus): श्री गुरु नानक देव जी से पहले हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था बहुत बुरी थी। उन्हें 'जिमी' समझा जाता था। उन्हें 'जज़िया' तथा तीर्थ यात्रा-कर भी देने पड़ते थे। लगान लेने के लिए हिन्दुओं पर बहुत सख्ती की जाती थी। उस सख्ती से बचने के लिए हिन्दू लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता था या उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता था। इस तरह हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिलती थी। परिणामस्वरूप उस समय के हिन्दुओं की सामाजिक दशा बड़ी शोचनीय थी।

(i) **जाति-पाति** (Caste System) :- उस समय का हिन्दू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्रों में बंटा हुआ था। इन जातियों के अतिरिक्त और भी उपजातियाँ पैदा हो चुकी थीं। ब्राह्मण समाज के प्रति अपना कर्त्तव्य भूल कर स्वार्थी बन गए थे। इसलिए वह तत्कालीन शासकों की खुशामद करके अपनी श्रेणी को सुरक्षित रखते थे। ब्राह्मणों ने हिन्दू लोगों को वहमों, भ्रमों तथा आडम्बरों में फंसा दिया था। वे धर्म के नाम पर पैसा बनाने में लगे हुए थे। वे छुआछूत कर प्रचार भी करते थे। हिन्दुओं की जातियों व उपजातियों में आपसी सम्बन्ध नहीं थे। उनके रस्म-रिवाज़ अलग-अलग थे।

वैश्य तथा क्षत्रियों की हालत ठीक थी। शूद्रों की अवस्था बड़ी दयनीय थी। उनकी बस्तियाँ गाँवों से बाहर बसाई जाती थी। उनके लिए तीर्थों तथा मन्दिरों के दरवाज़े बंद थे। किसी शूद्र के ब्राह्मण या उच्च जाति के व्यक्ति से छू जाने को गुनाह समझा जाता था। उस काल के हिन्दू समाज में शुद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी।

(ख) भोजन (Food) : हिन्दुओं का भोदन सादा तथा वैष्णो (शाकाहारी) होता था। साधारण हिन्दू के भोजन में दालें, सब्जियां, गेहूँ, चावल, दूध-दही तथा घी मुख्य थे। वे लोग रोटी के अलावा खिचड़ी खाने के शौकीन भी थे। वे लस्सी का प्रयोग भी करते थे। रसोई की पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता था।

हिन्दू लोग मांस खाने को धार्मिक नियमों की अवहेलना करना समझते थे। नीची जातियों के लोग मांस खाते थे, पर वह मांस उनके प्रतिदिन का भाग नहीं था। वे लोग शराब, चरस, अफीम तथा भांग आदि का सेवन भी करते थे।

(ग) पहरावा (Dress) : हिन्दुओं का पहरावा मुसलमानों से अलग था। वे धोती व कुर्ता पहनते थे। सिर पर वे पगड़ी बाँधते थे। गाँव के या गरीब लोग लंगोटी बांध कर गुजारा कर लेते थे। ऊँचे घरानों के लोग रेशमी तथा रंगदार कपड़े पहनते थे। अधिकतर लोग खादी के कपड़े पहनते थे।

हिन्दू औरतें आम तौर पर सलवार, कमीज़, दुपट्टा आदि का प्रयोग करती थीं। वे साड़ी भी पहनती थीं। ग्रामीण औरतें एक पल्ले की धोती ही पहनती थीं। साधारण लोग पैरों में जूता नहीं पहनते थे। ब्राह्मण माथे पर तिलक, जो कि जाति-चिह्न माना जाता था, लगाया करते थे। वे सुनहरे बार्डर वाली धोती पहना करते थे। साधु तथा योगी बिछाने के लिए हिरन की खाल रखते थे। वे लंगोट पहन कर रखते थे। वे सिर मुंडा कर तथा कानों में बड़े-बड़े बाले पहन कर घूमते-फिरते थे। उनके हाथ में एक कमंडल (कासा) हुआ करता था।

(घ) मनोरंजन (Amusement) : उस समय के हिन्दुओं के आर्थिक साधन तुच्छ थे। हाथ से काम करने के कारण उन्हें खाली समय नहीं मिलता था। इसलिए उनके मनोरंजन के साधन भी कम थे। वे नाच गाना, कुश्तियाँ, पशु पक्षियों की लडाईयाँ तथा जुआ खेल कर अपना मनोरंजन करते थे तथा मौसमी त्योहारों को मना कर दिल-बहलाव करते थे।

(ङ) अंधविश्वास व अज्ञानता (Superstition and Ignorance) : उस काल के हिन्दुओं में अशिक्षा तथा अज्ञानता थी। इसलिए वे लोग झूठे रिवाज़ों व भ्रमों में फंसे हुए थे। वे देवी-देवताओं को खुश करने के लिए अमूल्य कुर्बानी (बलि) देते थे। वे लोग जादू-टोने, तावीज़ व करामातों आदि में विश्वास रखते थे।

(च) महिलाओं की दशा (Position of Women) : श्री गुरु नानक देव जी से पहले समाज में स्त्री की दशा बड़ी दयनीय थी। लड़की के जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता था। कई लोग जन्म लेते ही कन्या को मार डालते थे। लड़की की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी। एक पति की एक से अधिक कर पत्नियां भी होती थी। उस समय 'सती' जैसी कुप्रथा भी प्रचलित थी। जिसके अनुसार पति की चिता पर पत्नी को जिन्दा ही जल जाना पड़ता था।

औरत के लिए उसका ससुराल ही योग्य - स्थान समझा जाता था। चार दीवारी के अन्दर रहना ही स्त्री के लिए उचित समझा जाता था। बाहर जाते समय उसे पर्दा करना पड़ता था। उस समय नारी-शिक्षा का प्रसार बहुत कम था।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखिए :-

1. बहलोल खां लोधी कौन था ?
2. इब्राहिम लोधी के किन्हीं दो अवगुणों का वर्णन कीजिए।
3. बाबर को पंजाब पर जीत कब प्राप्त हुई तथा इस लड़ाई में उसने किसे हराया ?
4. मुस्लिम समाज कौन-कौन सी श्रेणियों में बंटा हुआ था ?
5. उलेमा के बारे में आप क्या जानते हो ?
6. मुस्लिम तथा हिन्दू समाज के भोजन में क्या फर्क था ?
7. सय्यद कौन थे ?
8. मुस्लिम-मध्य श्रेणी का वर्णन करो।
9. मुसलमान स्त्रियों के पहरावे का वर्णन करो।
10. मुसलमानों के मनोरंजन के साधनों का वर्णन करो।

(ख)   निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30-50 शब्दों में लिखें :-

1. सिकन्दर लोधी की धार्मिक नीति का वर्णन करो।
2. सिकन्दर लोधी के राज्य-प्रबन्ध का वर्णन करो।
3. इब्राहिम लोधी के समय हुए विद्रोहों का वर्णन करो।
4. दिलावर खां लोधी दिल्ली क्यों गया ? इब्राहिम लोधी ने उसके साथ क्या बर्ताव किया ?
5. बाबर के सय्यदपुर पर आक्रमण का वर्णन करो।
6. बाबर के 1524 ई० के हमले का हाल लिखो।
7. आलम खां ने पंजाब को हथियाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए ?
8. पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी तथा बाबर की फौज की योजना का वर्णन कीजिए।
9. अमीरों तथा सरदारों के बारे में एक नोट लिखें।
10. मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के बारे में लिखें।
11. गुलाम-श्रेणी का वर्णन कीजिए।
12. मुसलमान लोग क्या खाते-पीते थे ?
13. मुसलमानों के पहरावे के बारे में लिखिए।
14. मुस्लिम समाज में महिलाओं की दशा का वर्णन करो।
15. श्री गुरु नानक साहिब के काल से पहले की जाति-पाति अवस्था के बारे में लिखे।

(ग)   निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100-120 शब्दों में लिखिए :-

1. श्री गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक अवस्था का वर्णन करो।
2. बाबर की पंजाब पर विजय का वर्णन करो।

******

अध्याय-3

श्री गुरु नानक देव जी तथा उनकी शिक्षाएँ
(Sri Guru Nanak Dev Ji and his Teachings)

(क) जन्म तथा माता-पिता (Birth and Parentage) : श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोय की तलवंडी गाँव में हुआ, जोकि आजकल पाकिस्तान में है। अब इस जगह को श्री ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1469 ई. में हुआ, परन्तु यह कार्तिक मास की पूर्णिमा (अक्तूबर-नवम्बर में) को मनाया जाता है। गुरु जी की माता का नाम तृप्ता जी था, जोकि धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। गुरु जी के पिता का नाम मेहता कालू जी था, जोकि पटवारी थे। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम नानकी जी था।

(ख) बाल्य-अवस्था तथा शिक्षा (Childhood and Education) : बचपन में गुरू नानक देव असाधारण तथा गम्भीर किस्म के बालक थे। वे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेलने-कूदने में बहुत कम रुचि रखते थे। वे अपने साथियों के साथ ईश्वर की महिमा का ही बखान करते थे। वे अपने घर से रोटी-कपड़ा आदि लाकर गरीबों में बांट दिया करते थे।

श्री गुरु नानक देव जी को सात वर्ष की अवस्था में पंडित गोपाल की पाठशाला में भेजा गया। पाठशाला में दो सालों में इन्होंने देवनागरी तथा गणित की शिक्षा प्राप्त की। गुरु नानक देव जी की जन्म-साखियाँ बताती है कि उन्होंने पंडित को ईश्वर सम्बन्धी सवाल पूछ कर आश्चर्य में डाल दिया। इसके उपरान्त गुरु जी को संस्कृत पढ़ने के लिए पंडित बृज लाल के पास भेजा गया। और फ़ारसी पढ़ने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भेजा गया।

(ग) जनेऊ की रस्म (Ceremony of the Sacred Thread) : अभी श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा चल ही रही थी कि उनके माता-पिता ने पुरातन सनातनी रीति-रिवाजों के अनुसार उन्हें जनेऊ पहनाना चाहा। उस रस्म को पूरा करने के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया। उस विशेष रस्म के लिए सगे-संबंधियों को भी बुलाया गया। प्रारम्भिक मंत्र पढ़ने से पहले पंडित हरदयाल ने गुरु जी को अपने सामने बैठाया और जनेऊ पहनने को कहा। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने जनेऊ पहनने से इन्कार कर दिया। उन्होंने सूत के बने धागे के जनेऊ की नहीं, बल्कि सद्गुणों के धागे से बने जनेऊ की मांग की। इस भावना को गुरु जी ने बाणी में प्रकट किया है :

> दया कपाह संतोख सूतु जतु गंढी सतु वटु।।
>
> एह जनेऊ जीआ का हई त पांडे घतु।। आसा दी वार (पृ: 471)

(घ) श्री गुरु नानक जी के विभिन्न व्यवसाय (Various Occupations of Sri Guru Nanak Dev Ji) : श्री गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक विद्या में बड़ी रुचि रखते थे। तलवंडी के पास जंगलों में आमतौर पर पीर-फ़कीर आते रहते थे। इस तरह उन संतों, पीरों व फकीरों की संगति ने गुरु नानक जी को आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करने का सुअवसर प्रदान किया। गुरु जी उन पीरों-फ़कीरों व संतों की संगति में रहते। वे उनसे विचार विमर्श भी करते। गाँव पहुँचने पर वे गाँव के लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसाद बांटते थे। गुरु नानक देव जी के पिता को यह सब अजीब लगता। श्री गुरु नानक देव जी के सांसारिक व्यवहार के प्रति उपेक्षा देख कर कालू जी उदास रहने लगे। फिर

गुरु जी की रुचियों में बदलाव लाने के लिए मेहता कालू जी ने उन्हें घर की भैंसें चराने का काम सौंप दिया। गुरु जी पशुओं को खेतों की तरफ ले तो जाते पर उनका ध्यान न रखते। वह अपना ध्यान ईश्वर में लगा लेते। भैंसें खेतों को उजाड़ देतीं। मेहता कालू को इस बारे में कई उलाहने मिलते। उन उलाहनों से तंग आकर मेहता कालू जी ने गुरु जी को खेती का काम संभाल दिया। गुरु जी ने उस काम में भी कोई दिलचस्पी न दिखाई। हार कर, मेहता कालू जी ने गुरु जी को व्यापार में लगाना चाहा। मेहता कालू जी ने उन्हें कुछ रकम देकर चुहड़काना नगर मंडी में सच्चा तथा लाभ वाला सौदा करने को कहा। उनकी छोटी उम्र होने के कारण उनके साथ भाई बाला को भेज गया। उन्हें रास्ते में फ़कीरों को रोटी खिला दी। जब वे खाली हाथ घर लौटे तो मेहता जी बड़े दुखी हुए। जब उन्होंने रकम का हिसाब मांगा तो गुरु जी ने सच बता दिया। इस घटना को 'सच्चा सौदा' कहा जाता है।

(ङ) श्री गुरु नानक देव जी का ब्याह (Marriage of Guru Nanak Dev Ji) : श्री गुरु नानक देव हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहते। उनका मन बदलने के लिए मेहता जी ने उनकी शादी करने का निश्चय किया। उनकी शादी बटाला (ज़िला गुरदासपुर) के निवासी मूलचन्द जी की बेटी बीबी सुलक्खनी जी से कर दी गई। बीबी सुलक्खनी जी ने दो पुत्रों-श्रीचन्द तथा लक्ष्मीदास को जन्म दिया। पर गुरु साहिब गृहस्थ जीवन में पड़ कर भी अपने रास्ते से पीछे न हटे। वे सुबह उठकर परमात्मा का जप करते ताथा साधु-संतों की संगति करते।

(च) सुलतानपुर लोधी में नौकरी (Service at Sultanpur Lodhi) : मेहता कालू जी के स्थान बदलने के लिए श्री गुरु नानक देव जी को 1486-87 ई० में सुलतानपुर लोधी में भेज दिया। गुरु जी वहाँ अपने बहनोई (बीबी नानकी के पति) जै राम के पास रहने लगे। गुरु जी को फ़ारसी तथा गणित का ज्ञान तो था। इसलिए जै राम की सिफारिश पर सुलतानपुर लोधी के फौज़दार दौलत खां ने गुरु जी को सरकारी मोदी खाने (अनाज का भंडार) में भंडारी की नौकरी दिला दी। वे अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते। फिर भी उनके खिलाफ़ शिकायत की गई। जब मोदीखाने की जांच की गई तो हिसाब-किताब ठीक निकला।

श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ अपनी पत्नी बीबी सुलखनी जी को भी बुला लिया। वह वहाँ सादा तथा पवित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। वह सुबह शहर के साथ बहती वेंई नदी में स्नान करते, परमात्मा के नाम का स्मरण करते तथा अपनी आय का कुछ भाग ज़रूरतमंदों को दान करते।

(छ) ज्ञान-प्राप्ति (Enlightenment) : जन्म-साखियों के अनुसार श्री गुरु नानक देव साहिब प्रतिदिन की तरह वेंई नदी पर स्नान करने गए। वे तीन दिन तक घर वापस न पहुँचे। इस पर सुलतानपुर लोधी में गुरु जी के वेंई नदी में डूब जाने की अफ़वाह फैल गई। श्री गुरू नानक देव जी के सगे सम्बन्धी तथा अन्य सज्जन चिन्ता में डूब गए। लोग तरह-तरह की बातें भी बनाने लगे। श्री गुरु नानक देव जी को तीन दिन समाधि में लीन रहकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि उन्हें 1499 ई० में ज्ञान की प्राप्ति हुई।

ज्ञान-प्राप्ति के बाद जब श्री गुरु नानक देव जी सुलतानपुर लोधी वापस पहुँचे तो वे चुप थे। जब उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने केवल यह कहा - 'न कोई हिन्दू न मुसलमान।' जब दौलत खाँ, ब्राह्मणों तथा काज़ियों ने इस वाक्य का अर्थ पूछा तो गुरु साहिब ने कहा कि हिन्दू व मुसलमान दोनों ही अपने-अपने धर्मों के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। उन्होने यह भी कहा कि हिन्दू व मुसलमानों में कोई फर्क नहीं तथा वे एक समान हैं। उन्होंने इन महत्त्वपूर्ण शब्दों से अपने संदेश को शुरू किया। उन्होंने अपना अगला जीवन ज्ञान-प्रचार में व्यतीत कर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर लम्बी उदासियां (यात्राएँ) शुरू कर दीं।

श्री गुरु नानक साहिब की उदासियाँ (यात्राएँ)

(Udasis or Travels of Guru Nanak Dev Ji)

ज्ञान प्राप्ति के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने उदासियां (यात्राएँ) प्रारम्भ कीं, परन्तु इनके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भटकी हुई मानवता को जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाना था। व्यर्थ के रीति-रिवाज़ों तथा कर्म-कांडों का खंडन

करना भी उनका उद्देश्य था। ऐसे समय में गुरु नानक जी ने अपने दिव्य-ज्ञान की ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए देश-विदेश की यात्राएं कीं। इन उदासियों (यात्रायों) का वर्णन इस प्रकार है :

1. पहली उदासी (1499-1510) (First Udasi) : श्री गुरु नानक साहिब की पहली उदासी लगभग 1499 ई० में आरम्भ हुई, जिसमें वे भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी इलाके में गये। इस यात्रा के समय भाई मरदाना उनका साथी था। वह गुरु जी का रबाबी भी था। इस उदासी के समय वे निम्नलिखित स्थानों पर गए :-

सुलतानपुर लोधी से चल कर सबसे पहले वे सय्यदपुर (ऐमनाबाद) गए। वहाँ गुरु जी ने लालो नामक बढ़ई को अपना श्रद्धालु बनाया। वहाँ पर उन्होंने मलिक भागो का भोजन अस्वीकार किया क्योंकि उसका अन्न व धन रिश्वत तथा धोखेबाज़ी से इकट्ठा किया हुआ था।

सय्यदपुर से गुरु जी तुलम्बा पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात सज्जन नामक ठग से हुई। वह स्वयं को धर्मात्मा कहलाता था। पर काम ठगी के करता था। वह गुरु जी की बाणी तथा व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सदा-सदा के लिए ठगी का धन्धा छोड़ दिया। वह गुरु जी का सेवक बन गया। इस तरह से उसकी अपराध की सराय ईश्वर की उपासना का घर बन गई.

तुलम्बा से श्री गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। उस समय सूर्यग्रहण लगा हुआ था। वहाँ पर एकत्र हुए लोगों को गुरु जी ने यह उपदेश दिया कि सूर्य ग्रहण तथा चन्द्र ग्रहण सम्बन्धी अंधविश्वासों को नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति व शुभ कर्म करने चाहिए। क्योंकि यही वास्तविक धर्म है।

कुरुक्षेत्र से गुरु जी पानीपत पहुँचे। पानीपत से गुरु जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से वे हरिद्वार पहुँचे। यहाँ गुरु जी ने देखा कि सवेर होते ही लोग सूर्य की तरफ मुँह करके अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे। गुरु जी ने लोगों के इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए उलटी तरफ पानी देना शुरू कर दिया। लोगों के पूछने पर गुरु जी ने कहा कि वे पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। जब लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया तो गुरु जी ने उपदेश दिया कि यदि मेरा पानी कुछ मीलों दूर नहीं जा सकता तो आपका पानी करोड़ों मील दूर पूर्वजों तक कैसे जा सकता है ? परिणामस्वरूप वहाँ के बहुत से ब्राह्मण गुरु जी से बड़े प्रभावित हुए।

हरिद्वार के बाद गुरु जी केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ आदि स्थानों से होते हुए गोरखमता जा पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात गोरखनाथ के अनुयायियों से हुई। गुरु जी ने उनको उपदेश दिया कि कानों में मुद्राएं पहनने से, शरीर पर राख (भस्म) लगाने से, हाथ में डंडा पकड़ने से, सिर मुंडाने से तथा संसार त्यागने से मोक्ष नहीं प्राप्त होता। योगी लोग गुरु जी से बड़े प्रभावित हुए तथा गोरखमता का नाम 'नानकमता' पड़ गया।

गोरखमता से चल कर गुरु जी बनारस पहुँचे। यहाँ उनकी मुलाकात पंडित चतुरदास से हुई। वह भी गुरु जी के उपदेशों से बड़ा प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप चतुरदास तथा उसके शिष्य गुरु जी के अनुयायी बन गए।

बनारस से चल कर गुरु जी बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 'गया' पहुँचे। यहाँ उन्होंने अपने विचारों से प्रभावित करके बहुत से लोगों को अपना श्रद्धालु बनाया।

यहाँ से वह पटना तथा हाजीपुर भी गए तथा लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया।

श्री गुरु नानक देव जी बिहार तथा बंगाल होते हुए आसाम पहुँचे। 'धुबरी' के स्थान पर उनकी मुलाकात संत शंकर देव से हुई।

यहाँ से गुरु जी कामरूप (आसाम) पहुँचे यहाँ पर गुरु जी ने एक जादूगरनी को उपदेश दिया कि सच्ची सुन्दरता तो सच्चरित्र में ही है।

श्री गुरु नानक देव जी गुवाहटी व शिलांग होते हुए सिलहट पहुँचे। वहाँ पर उनका मेल संत शेख जलाल से हुआ। वह भी गुरु जी के प्रवचनों से बड़ा प्रभावित हुआ।

यहां से गुरु जी ढाका पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने विभिन्न धर्मों के मुखियों से भेंट कीं।

ढाका से कटक होते हुए गुरु जी उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी पहुँचे। पुरी के मन्दिर में उन्होंने बहुत से लोगों को विष्णु जी की मूर्ति पूजा व आरती करते देखा। वहाँ पर गुरु जी ने उपदेश दिया कि मूर्ति पूजा बेकार है। ईश्वर सर्वव्यापाक है। प्रकृति की तरफ से उस सर्वव्यापक ईश्वर की हर समय आरती होती रहती है।

2. दूसरी उदासी (1510-1515) (Second Udasi) : दूसरी उदासी में श्री गुरु नानक देव जी दक्षिण की तरफ गए। वे गुंटूर, कांचीपुरम, त्रिचन्नापल्ली, नागापट्टम, रामेश्वरम, त्रिवेन्द्रम होते हुए लंका पहुँचे। लंका के जाफना इलाके में गुरु जी के आगमन के प्रमाण मिलते हैं। लंका का राजा शिवनाभ या शिवनाथ गुरु जी के व्यक्तित्व तथा वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। वह गुरु जी का शिष्य बन गया। लंका की रानी तथा अन्य बहुत से लोग भी उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने झंडा बाढ़ी नाम के एक श्रद्धालु को ईश्वर का प्रचार करने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया।

लंका से वापस आते समय गुरु जी कुछ दिन पेन्नार, बीदर, उज्जैन, अजमेर, मथुरा, रिवाड़ी, हिसार, तख्तूपुरा (मोगा) होते हुये पाकपट्टन पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकत शेख फ़रीद के दसवें उत्तराधिकारी शेख ब्रह्म या शेख इब्राहिम के साथ हुई। वह सूफी संत गुरु जी के विचार सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ। पाकपट्टन से दीपालपुर होते हुए गुरु जी सुलतानपुर लोधी पहुँचे।

3. तीसरी उदासी (1515-1517) (Third Udasi) : कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने के बाद 1515 ई० में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी उदासी (यात्रा) आरम्भ की। इस बार वे उत्तर की तरफ गए। इस यात्रा में उनका साथ हसु नामक एक लुहार तथा सीहा नाम के छींबे ने दिया इस यात्रा के दौरान गुरु जी निम्नलिखित स्थानों पर गए।

जालन्धर तथा होशियारपुर के इलाकों में से गुजरते हुए गुरु जी ने आधुनिक हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। वहाँ पर सबसे पहले उनकी मुलाकात पीर बुड्डन शाह से हुई। वह पीर गुरु जी का अनुयायी बन गया। वहाँ पर गुरु जी बिलासपुर, मंडी, सुकेत, रवालसर, ज्वाला जी, कांगड़ा, कुल्लू तथा स्पीति के स्थानों पर गए तथा वहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के लोगों को अपना श्रद्धालु बनाया।

स्पीति घाटी पार करके श्री गुरु नानक देव जी ने तिब्बत में प्रवेश किया। यहाँ से वे मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत पर पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने बहुत से सिद्ध योगियों से मुलाकात की। गुरु जी ने उनको उपदेश दिया कि वे पहाड़ों पर बैठने की बजाय मैदानों में जाकर अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे लोगों को ज्ञान दें।

कैलाश पर्वत के बाद गुरु जी लद्दाख गए। वहाँ पर उनके अब भी बहुत से श्रद्धालु थे, जिन्होंने उनकी याद में एक गुरुद्वारे का निर्माण किया।

सकारदू तथा कारगिल होते हुए गुरु जी कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में भी गए. इसके बाद वह पहलगाँव तथा मटन नामक स्थानों पर गए। मटन में उनकी मुलाकात पंडित ब्रह्मदास से हुई जो वेदों व शास्त्रों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। गुरु जी ने उसे उपदेश दिया कि केवल शास्त्रों के पढ़ लेने मात्र से ही मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। यहाँ से गुरु जी बारामूला, अनंतनाग तथा श्रीनगर भी गए।

जेहलम तथा चिनाब नदियों को पार करने के बाद गुरु नानक देव जी सियालकोट पहुँचे। वहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रवचनों से अपने श्रद्धालुओं को प्रभावित किया। वहां से वे अपने निवास स्थान करतारपुर चले गए।

4. चौथी उदासी (1517-1521) (Fourth Udasi) : 1517 ई० में गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी उदासी (यात्रा) आरम्भ की। इस बार उन्होंने एक मुस्लिम हाजी वाला नीला पहरावा धारण किया इस बार वे पश्चिमी एशिया की तरफ गए। भाई मरदाना भी उनके साथ था।

इस उदासी का आरम्भ गुरु जी ने पाकपट्टन से किया। शेख ब्रह्म को मिलने के उपरान्त वे मुलतान पहुँचे।

यहाँ पर उनकी मुलाकात प्रसिद्ध सूफी संत शेख बहाऊद्दीन से हुई जो गुरु जी के विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ।

गुरु जी उच्च सखर, मियानी तथा हिंगलाज के स्थानों पर प्रचार करते हुए समुद्री रास्ते से मक्का (हज़रत मुहम्मद का जन्म स्थान) पहुँचे। वहाँ पर गुरु जी काबे की तरफ पाँव करके सो गए। इस पर वहां के काज़ी रुकनद्दीन ने एतराज प्रकट किया तो गुरु जी ने काजी को बड़े प्यार से कहा-आप मेरे पाँव उठा पर उस तरफ कर दें, जिधर अल्लाह नहीं है। यह सुनकर काज़ी को ज्ञान हुआ कि अल्लाह केवल मक्का में ही नहीं बल्कि सर्वव्यापक है।

मक्का के बाद गुरु जी मदीना पहुँचे। यहां पर हज़रत मुहम्मद की कब्र बनी हुई है। गुरु जी ने यहाँ इमाम आजिम खाँ से धार्मिक विषय पर बातचीत की। वहाँ पर अन्य बहुत से लोग भी गुरु जी से प्रभावित हुए।

मदीना की यात्रा के बाद गुरु जी बगदाद पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात शेख बहलोल से हुई। वह उनकी वाणी से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गया। शहर से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित शेख बहलोल के मकबरे पर अरबी भाषा में अंकित शब्दों से गुरु जी के बगदाद जाने की पुष्टि होती है।

बगदाद से गुरु जी ईरान तथा कंधार होते हुए काबुल पहुँचे। काबुल में उस समय बाबर (मुगल बादशाह) का राज्य था। यहाँ पर गुरु जी ने अपने उपदेशों का प्रचार किया। गुरु जी ने वहाँ भी बहुत से लोगों को प्रभावित किया।

काबुल से दर्रा खैबर पार करके श्री गुरु नानक देव जी पेशावर, हसन अब्दाल तथा गुजरात आदि स्थानों से होते हुए सय्यदपुर पहुँचे। उस समय सय्यदपुर पर बाबर ने आक्रमण किया हुआ था। इस आक्रमण के समय बाबर ने वहाँ के लोगों पर बड़े अत्याचार किए तथा बहुत से लोगों को बंदी बना लिया था। श्री गुरु नानक देव जी भी उन बंदियों में से एक थे। जब बाबर को इस बात का पता चला तो वह स्वयं गुरु जी को मिलने के लिए गया। वह गुरु जी के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। गुरु जी को तो उसने रिहा किया ही, साथ ही उसने अन्य लोगों को भी आज़ाद कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बाबर के इस आक्रमण की अति निन्दा की है।

1521 ई० में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी अन्तिम उदासी (यात्रा) पूर्ण की। इस के बाद वे पंजाब में करतारपुर के आस-पास ही यात्राएं करते रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 साल करतारपुर में अपने परिवार के साथ एक आदर्श गृहस्थी के रूप में ही बिताए।

श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में (1522-39 ई०) (Sri Guru Nanak Dev ji at Kartarpur 1522-39 A.D.): 1522 ई० में गुरु जी अपने परिवार समेत करतारपुर में बस गए। वे अपने अन्तिम समय तक वही रहे। इस दौरान गुरु जी ने अपने उपदेशों को निश्चित रूप दिया। उन्होंने 'वार-मल्हार' 'वार-माझ' 'वार आसा' 'जपुजी', 'ओंकार', 'पट्टी', थित, 'बारह-माहा' आदि बाणियों की रचना की। गुरु साहिब ने वहाँ 'संगत' तथा 'पंगत' की नींव रखी थी, जिस से मनुष्य जाति में पाया जाने वाला ऊँच-नीच का भेदभाव मिट गया। गुरु साहिब ने इन वर्षों में आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने की आध्यात्मिक युक्ति दिखाई। जब गुरु साहिब ने महसूस किया कि उनका अन्तिम समय निकट आ रहा है तो उन्होंने भाई लहना को सबसे योग्य समझते हुये उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।

श्री गुरु नानक देव जी 22 सितम्बर 1539 ई० में ज्योति-ज्योत समा गए। उस समय वे हिन्दुओं और मुसलमानों में एक समान प्रिय थे। उनको अब तक बाबा नानक शाह, फकीर, 'हिन्दू का गुरु, मुसलमान का पीर' के नाम से याद किया जाता है।

श्री गुरु नानक देव जी के परमात्मा के बारे में विचार (Concept of God):

श्री गुरु नानक देव जी को परमात्मा में अटल विश्वास था। जपुजी साहिब के आरम्भ में दिए गए मूल मंत्र-एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभऊ निरवैर अकाल मूरति अजूनी सैभंग गुरु प्रसादि में परमात्मा के सम्बन्ध में उनके विचारों का सार मिलता है जो इस प्रकार है:

(क) परमात्मा एक है (God is one) : श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की एकता का प्रचार किया। उनके विचारानुसार परमात्मा सब देवी-देवताओं से भी ऊपर है। उनके अनुसार परमात्मा एक है।

(ख) परमात्मा सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है (God is Omnipotent and Omnipresent) : श्री गुरु नानक देव जी विचारानुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है। उसको किसी मन्दिर या मस्जिद में कैद नहीं किया जा सकता। वह संसार के हर जीव में रहता है। गुरु जी के मतानुसार ईश्वर के निर्गुण व सगुण दोनों रूप हैं।

(ग) परमात्मा महान् तथा सर्वोच्च है (God is Great and Supreme) : श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा महान् एवं सर्वोच्च है। उसकी महानता तथा सर्वोच्चता का वर्णन करना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं। बहुत से लोगों ने परमात्मा की महानता व सर्वोच्चता के गीत गाए, हज़ारों पुस्तकों में परमात्मा की महानता तथा सर्वोच्चता की चर्चा की गई है, पर फिर भी उसकी महानता व सर्वोच्चता का वर्णन नहीं किया जा सका। यह केवल अपनी वास्तविक महानता स्वयं ही जानता है। वह अकाल मूरति है।

(घ) परमात्मा निराकार है (God is Formless) : श्री गुरु नानक देव जी के मतानुसार परमात्मा निराकार है। परमात्मा का कोई रंग रूप या आकार नहीं। इसलिए उसकी मूर्ति बना कर उसकी पूजा नहीं की जा सकती।

(ङ) परमात्मा दयालु है (God is merciful) : श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा बहुत दयालु है। वे अपने भक्तों की केवल देखभाल ही नहीं करता, बल्कि उनको जीवन की आवश्यक वस्तुएँ भी प्रदान करता है। श्री गुरु नानक देव जी का मत है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वह उसी की देन है।

श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ
(Teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji)

श्री गुरु नानक देव जी ने किसी गूढ़ दर्शन का प्रचार नहीं बल्कि शुभ व्यावहारिक एवं धार्मिक जीवन से जुड़ी अपनी शिक्षाओं को सीधे और सरल ढंग से बताया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए जन-साधारण की भाषा का प्रयोग किया। उनकी शिक्षाएँ जीवन की सच्चाई से संबंध रखती हैं। उनके उपदेशों का सार यह है कि मनुष्य को संसार में रहते हुए सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेना चाहिए तथा अच्छे काम करने चाहिए। उनकी शिक्षाओं का वर्णन इस प्रकार है :

(i) परमात्मा के हुक्म का महत्त्व (Importance of the Hukam (Order) of God) : श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के हुक्म को बड़ा महत्त्व दिया है। उनके अनुसार सृष्टि का प्रत्येक कार्य उसी परमात्मा के हुक्म से होता है। हमें ईश्वर के किये हुए को मीठा मानना चाहिए। वे 'जपुजी' साहिब में लिखते हैं कि जो मनुष्य परमात्मा के हुक्म को मानता है, वह पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है।

(ii) नाम का जप (Recitation of the Naam) : श्री गुरु नानक देव जी ने नाम के स्मरण पर बहुत ज़ोर दिया। उनके अनुसार नाम जपने से मनुष्य का मन परमात्मा के रंग में रंगकर पवित्र हो जाता है तथा उसे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। उनके अनुसार जैसे शरीर व कपड़े की मैल उतारने के लिए साबुन व पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही मन की मैल उतारने के लिए नाम की ज़रूरत होती है। नाम का जप ही संसार के दु:खों का इलाज है।

(iii) आत्म-समर्पण या अहम का त्याग (Self Surrender or Surrender of Ego) : श्री गुरु नानक देव जी ने आत्म-त्याग या अहम् के त्याग पर बड़ा ज़ोर दिया। उनके अनुसार ईश्वर की करुणा व दया प्राप्त करने के लिए आत्म-समर्पण तथा आत्म-निरीक्षण की बहुत ज़रूरत है। वे कहते हैं कि- (आप गवाइए, तां सहु पाईये) जो लोग आत्म-समर्पण नहीं करते या अपना अहं नहीं त्यागते-उन्हें भगवान् की कृपा-दृष्टि प्राप्त नहीं होती।

(iv) गुरु की ज़रूरत (Need of the Guru) : श्री गुरु नानक देव जी के विचारानुसार परमात्मा की प्राप्ति गुरु की सहायता बिना असंभव है। गुरु के बिना गहन अंधकार (गुरु बिनु घोर अंधार) है। गुरु एक नाव के समान है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मंज़िल पर पहुँचता है। गुरु जी शब्द को ही गुरु मानते हैं।

(v) कर्म-सिद्धांत में विश्वास (Faith in the Theory of Karma) : गुरु नानक देव जी कर्म-सिद्धांत में विश्वास रकते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही बार-बार जन्म लेता तथा मरता है। गुरु जी ने लोगों को उपदेश दिया कि वे सच्चे मन से नाम का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें ताकि मरने के उपरान्त उनकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सके।

(vi) भ्रातृत्व में विश्वास (Belief in Brotherhood) : श्री गुरु नानक देव जी ने भ्रातृ-भाव तथा विश्व-बन्धुत्व का प्रचार किया। उनका कहना था कि संसार के सभी मनुष्य भाई-भाई हैं। वे यह भी कहते थे कि मनुष्यों को परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। उन्होंने अपने उपदेश-न कोई हिन्दू, न कोई मुसलमान-अर्थात् हिन्दू-मुसलमान एक समान हैं- से शुरू किए थे।

(vii) सदाचार पर ज़ोर (Emphasis on Morality) : श्री गुरु नानक देव जी प्रभु-भक्ति के साथ-साथ सदाचार के नियमों पर भी ज़ोर देते थे। वे अपने अनुयायियों को पवित्र जीवन व्यतीत करने, सच बोलने, चोरी न करने, ईमानदारी से रोटी-रोज़ी कमाने, किसी का दिल न दुखाने तथा जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए कहते थे। उनके विचारनुसार जो मनुष्य सदाचारी नहीं है, वह परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं बन सकता।

(viii) सच खंड (Sach Khand) : श्री गुरु नानक देव जी सच खंड की प्राप्ति में विश्वास करते थे। उनके अनुसार सच खंड उस मानसिक अवस्था को कहते हैं जिसमें सुख व दु:ख का, पुरुष तथा स्त्री का, आशा व निराशा का, हँसने तथा रोने का तथा ऊँच व नीच सबका भेद भाव मिट जाता है। इस तरह से आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में घुल-मिल जाती है।

(ix) तपस्या में अविश्वास (Disbelief in Penance) : श्री गुरु नानक देव जी संसार को छोड़ कर जंगलों तथा पहाड़ी गुफाओं में जाकर तपस्या करने के पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे कि मनुष्य को लोगों मे रहते हुए मोह-माया को त्याग कर 'अहम्' का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को लोगों में इस तरह से रहना चाहिए-जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। गुरु जी ने अपने अन्तिम समय में करतारपुर में रह कर, एक आदर्श गृहस्थी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने अनुयायियों के लिए आदर्श उदाहरण पेश किया।

(x) जात-पाति का खंडन (Condemnation of the Caste System) : हिन्दू समाज चार मुख्य जातियों-ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्व तथा शूद्र तथा अनेक उपजातियों में बंटा हुआ था। ऊँची जातियों के लोग निम्न जातियों के लोगों से नफरत करते थे। वे उनके साथ मेल-मिलाप भी नहीं रखते थे, पर गुरु जी सब लोगों को एक समान समझते थे। उनके लिए हिन्दू-मुसलमान, छोटे-बड़े सब बराबर थे। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा तथा छुआछूत का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने 'लंगर' तथा 'पंगत' की परम्परा स्थापित करके छुआछूत की बुराई को खत्म किया।

(xi) खोखले रीति-रिवाज़ों की निन्दा (Condemnation of Rituals) : श्री गुरु नानक देव जी ने समाज में प्रचलित खोखले रीति-रिवाजों तथा पांखडों का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का कड़े शब्दों में विरोध किया। उनके अनुसार परमात्मा की मूर्तियाँ बना कर उनकी पूजा करना बेकार है। उन्होंने यज्ञ तथा बलि की प्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने तीर्थ-यात्रा, व्रत, जंगल में जाकर तपस्या करने, सूर्य को पानी देना आदि

का भी विरोध किया। उनके अनुसार सभी आडम्बरों को छोड़कर, सत्य संतोष तथा क्षमा आदि सद्‌गुणों को अपनाना चाहिए।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखिए :-

1. किस घटना को 'सच्चा सौदा' का नाम दिया गया है ?
2. श्री गुरु नानक देव जी की पत्नी कहाँ की रहने वाली थी ? उनके पुत्रों का नाम लिखिए।
3. श्री गुरु नानक देव जी ने ज्ञान-प्राप्ति के बाद क्या शब्द कहे तथा उनका क्या भाव था ?
4. सुलतानपुर में श्री गुरु नानक देव जी ने किसके पास क्या काम किया ?
5. श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित किन्हीं चार वाणियों के नाम लिखो ?
6. श्री गुरु नानक देव जी ने कुरुक्षेत्र में क्या उपदेश दिए ?
7. गोरखमता में श्री गुरुनानक जी ने सिद्धों तथा जोगियों को क्या उपदेश दिया था ?
8. श्री गुरु नानक देव जी के मतानुसार परमात्मा कैसा है ?
9. श्री गुरु नानक देव जी कैसा जनेऊ चाहते थे ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में लिखो :-

1. श्री गुरु नानक देव जी के परमात्मा सम्बन्धी विचारों का संक्षेप में वर्णन करो।
2. श्री गुरु नानक देव जी दूसरी उदासी (यात्रा) के समय कहाँ-कहाँ गए थे ?
3. श्री गुरु नानक देव जी की जनेऊ की रस्म का वर्णन करो।
4. श्री गुरु नानक देव जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में क्या-क्या व्यवसाय अपनाए थे ?
5. श्री गुरु नानक देव जी पहली-उदासी (यात्रा) के समय कौन-कौन से स्थानों पर गए थे ?
6. श्री गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासी (यात्रा) के महत्त्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताओ।
7. श्री गुरु नानक देव जी द्वारा करतारपुर में बिताए गए जीवन का ब्यौरा दीजिए।

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखिए-

1. श्री गुरु नानक देव जी की किन्ही छः शिक्षाओं के बारे में लिखें।
2. श्री गुरु नानक देव जी की पहली उदासी (यात्रा) के बारे में विस्तार से लिखिए।
3. श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के बारे में प्रकाश डालिए।
4. श्री गुरु नानक देव जी के सुलतानपुर लोधी में बिताए गये समय का वर्णन कीजिए।
5. श्री गुरु नानक देव जी के प्रारम्भिक जीवन का वर्णन कीजिए।
6. श्री गुरु नानक देव जी के ईश्वर के बारे में विचारों का वर्णन करो।

******

अध्याय-4

श्री गुरु अंगद देव जी से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी तक सिक्ख गुरुओं का योगदान
(Contribution of Sikh Gurus Form Sri Guru Angad Dev ji to Sri Guru Teg Bahadur Ji)

श्री गुरु अंगद देव जी से लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी तक सिक्ख धर्म का अति प्रसार हुआ। इस काल के गुरुओं के समय गुरुमुखी लिपि प्रचलित हुई। गुरु साहिब ने 'संगत' तथा 'पंगत' संस्था को मज़बूत किया। इसी समय दौरान 'मंजी-प्रथा' की संपादन भी हुई, नए रीति-रिवाज स्थापित हुए, नए शहरों तथा नए तीर्थ-स्थानों की स्थापना हुई। इस के साथ-साथ ही 'मंसद-प्रथा' भी अस्तित्व में आई तथा गुरु ग्रन्थ साहिब का सम्पादन तथा स्थापना हुई। सभी गुरुओं का योगदान निम्नलिखित है :-

श्री गुरु अंगद देव जी का योगदान (1539 ई० - 1552 ई०)
(Contribution of Sri Guru Angad Dev Ji)

1539 ई० में श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहना की सेवा देख कर उनको अपनी गुरु गद्दी सौंप दी। उन्होंने भाई लहणा का नाम बदल कर 'अंगद' रख दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए जो महान् कार्य किए उन महान् कार्यो का वर्णन इस प्रकार है :-

(क) गुरुमुखी लिपि में सुधार (Improvement in Gurumakhi Script) **:** उस समय पंजाब में बहुत सी लिपियां प्रचलित थीं। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु साहिब की रचनाओं को शब्द रूप देने के लिए पंजाबी लिपि को सुधारा तथा उसे 'गुरुमुखी' का नाम दिया। गुरु साहिब ने पंजाबी लिपि के प्रचार के लिए 'बाल-बोध' भी तैयार किया। इस तरह से गुरुमुखी लिपि का सुधार तथा प्रचार करना वास्तव में ही श्री गुरु अंगद देव जी का एक महान् कार्य था।

(ख) श्री गुरु नानक देव जी की बाणी का संकलन (Compilation of the Hymns of Sri Guru Nanak Dev Ji) **:** श्री गुरु अंगद देव जी का दूसरा महान् कार्य श्री गुरु नानक देव जी की बाणी को इकट्ठा करना था। अपनी बाणी का बहुत सा भाग तो श्री गुरु नानक देव जी अपने जोति-जोत समा जाने से पहले ही उन्हें संभाल गए थे। जो बाणी अन्य व्यक्तियों के पास थी, श्री गुरु अंगद जी ने उसे संकलित करके उसकी संभाल की।

(ग) लंगर-प्रथा (Langer System) **:** श्री गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को श्री गुरु अंगद देव जी ने आगे बढ़ाया। लंगर समूह संगतों के लिए बिना किसी भेद-भाव के उपलब्ध था। श्री गुरु अंगद साहिब की धर्म-पत्नी 'माता खीवी जी' लंगर सेवा स्वयं करती थीं। इस प्रथा से गुरु-घर की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई।

(घ) उदासी सम्प्रदाय का खंडन (Condemnation of Udasi Sect) **:** श्री गुरु नानक देव जी के देहावसान के बाद उनके बड़े सुपुत्र श्री चन्द जी ने उदासी सम्प्रदाय चलाया। इस मत के अनुसार ब्रह्मचर्य जीवन और त्याग की भावना पर अधिक बल दिया जाता था। परन्तु सिक्ख धर्म में त्याग का कोई स्थान नहीं है। इस पर श्री गुरु अंगद देव जी ने कहा कि जो सिक्ख त्याग में विश्वास करता है, वह सिक्ख नहीं है। श्री गुरु अंगद देव जी की और से ऐसा करना और कहना उस समय बहुत आवश्यक था। यदि गुरु जी उस समय इस ओर ध्यान न देते तो सिक्ख धीरे-

धीरे पुन: हिन्दू धर्म में ही मिल जाते।

(ङ) संगत प्रथा (Sangat System) **:** श्री गुरु अंगद देव जी प्रतिदिन सुबह के समय खडूर साहिब में धार्मिक सभा करते थे। इसमें वे सिक्खों को निश्चित् नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का आदेश देते। वे प्रत्येक सिक्ख को नाम अपने और नैतिक सिद्धान्तों का पालन करने की शिक्षा देते। वे प्रत्येक सिक्ख को ईमानदारी से काम करने और पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाते हुए समाज की सेवा करने पर बल देते। परिणामस्वरूप आम लोग सिक्ख धर्म की ओर आकर्षित होने लगे।

(च) शारीरिक व्यायाम करने की शिक्षा (Physical Training to the Sikhs) **:** श्री गुरु अंगद देव जी सिक्खों को केवल मन और आत्मा से बलवान नहीं करते थे बल्कि उन्हें, शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने खडूर साहिब में एक अखाड़े की स्थापना की। वहाँ वे अपने सिक्खों को व्यायाम करवाते थे। इस कार्य से उनके उत्तराधिकारी (श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब जी और श्री गुरु गोबिन्द सिंह) के लिए सिक्खों में से ताकतवर पुरुषों की सेना का निर्माण करना आसान हो गया था।

(छ) श्री गुरु अंगद देव जी की बाणी (Hymns of Guru Angad Dev Ji) **:** श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की बाणी ही एकत्रित नहीं की बल्कि स्वयं भी 62 श्लोकों की रचना की। श्री गुरु नानक देव जी की बाणी के साथ-साथ श्री गुरु अंगद देव जी की बाणी को श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया।

(ज) जन्म-साखी का संकलन (Compilation of Janam Sakhi) **:** श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी की जन्म-साखी का संकलन किया। इसे 'भाई बाला की जन्म-साखी कहा जाता है। पर बहुत से इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके विचार के अनुसार जन्म साखी की भाषा श्री गुरु अंगद देव जी के समय की नहीं है।

(झ) गोइँदवाल साहिब की स्थापना (Foundation of Goindwal Sahib) **:** श्री गुरु अंगद देव जी ने 1546 ई० में गोइंदवाल की स्थापना की। गुरु साहिब ने इस कार्य की देखभाल के लिए विश्वासपात्र सिक्ख भाई अमरदास जी (श्री गुरु अमरदास जी) को भेजा। फलस्वरूप गोइंदवाल साहिब के निर्माण के लिए वह नगर सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान बन गया। यहाँ पर दूर-दूर से सिक्ख आने लगे।

1552 ई० में ज्योति-जोत समा जाने से पहले श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने श्रद्धालु सिक्ख भाई अमरदास को गुरु-गद्दी सौंप दी। जो बाद में श्री गुरु अमरदास जी के नाम से जाने गये। 29 मार्च, 1552 ई० को श्री गुरु अंगद देव जी ज्योति-ज्योत समा गए।

श्री गुरु अमरदास जी का योगदान (1552-1574 ई०)
(Contribution of Sri Guru Amardas Ji)

1552 ई० में तीसरे गुरु श्री अमरदास जी गुरु-गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी उम्र 73 वर्ष थी। चाहे उन्हें अन्य कई संकटों (रुकावटों) का सामना करना पड़ा था। फिर भी उन्होंने पूर्व-गुरुओं द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं को स्थिर तथा शक्तिशाली बनाया। उन्होंने अन्य कई प्रशंसनीय कार्य किए, जिनका वर्णन इस प्रकार है:-

(क) गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण (Construction of Baoli at Goindwal) **:** श्री गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल साहिब में बाऊली (एक जल-स्त्रोत) की नींव रखी। श्री गुरु अमरदास जी ने उस बाऊली का निर्माण-कार्य 1559 ई० को पूरा किया। इस बाऊली की 84 सीढ़ियाँ बनाई गई। गुरु अमरदास जी ने कहा कि जो कोई सिक्ख प्रत्येक सीढ़ी पर सच्चे मन से जपुजी साहिब का पाठ करके 84 वीं सीढ़ी पर स्नान करेगा, उसकी चौरासी-योनि कट जाएंगी अर्थात वह 84 योनियों के चक्कर से छूट जाएगा। परिणामस्वरूप यहाँ पर सिक्खों का एक

स्वतन्त्र तीर्थ-स्थान बन गया। उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी भी मिलने लगा।

(ख) लंगर-प्रथा का विस्तार (Expansion of the Langer System) : लंगर संस्था, जिसे श्री गुरु नानक देव जी ने आरम्भ किया था, श्री गुरु अंगद देव जी ने उसे ज़ारी रखा। श्री गुरु अमरदास जी के समय में भी यह प्रथा विस्तृत रूप से जारी रही। उनके लंगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को बिना किसी भेद-बाव के एक ही पंगत में बैठ कर इकट्ठे लंगर छकना पड़ता था। गुरु जी की आज्ञानुसार लंगर किए बगैर कोई भी उन्हें नहीं मिल सकता था। मुगल सम्राट अकबर तथा हरीपुर के राजा को भी गुरु साहिब को मिलने से पहले लंगर में से भोजन छकना पड़ा था। इस तरह से यह संस्था सिक्ख धर्म के प्रचार का एक शक्तिशाली साधन सिद्ध हुई।

(ग) शब्दों का संग्रह तथा संगठन (Compilation and Composition of Hymns) : श्री गुरु नानक देव जी की बाणी को श्री गुरु अंगद देव जी ने इकट्ठा किया। परन्तु वह काम पूरा नहीं हुआ था। श्री गुरु अमरदास जी ने उस काम को जारी रखा। उन्होंने स्वयं भी 907 शब्दों (Hymns) की रचना की। उन्होंने अनेक भक्तों के श्लोक व भजन भी इककट्ठे किए। इस तरह श्री गुरु अमरदास जी के समय सिक्खों के महान् ग्रंथ आदि गुरु ग्रन्थ साहिब के लिए काफी सामग्री इकट्ठी हो गई थी।

(घ) मंजी-प्रथा (Manji System) : श्री गुरु अमरदास जी के समय तक सिक्खों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। परिणामस्वरूप पंजाब के शेष स्थानों पर फैले हुए सारे सिक्खों को व्यक्तिगत रूप से उपदेश देना गुरु जी के लिए बहुत कठिन हो गया था। इस लिए श्री गुरु अमरदास जी ने सिक्खों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 'मंजी-प्रथा' की स्थापना की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को 22 हिस्सों में बांटा। प्रत्येक भाग को 'मंजी' कहा जाने लगा। गुरु जी ने प्रत्येक 'मंजी' के लिए एक प्रभावशाली सिक्ख नियुक्त किया। उस सिक्ख का काम अपने इलाके में गुरु साहिब के उपदेशों का प्रचार करना था। वह सिक्खों से भेंटे लेकर गुरु साहिब के पास पहुँचाता था। क्योंकि वह सिक्ख मंजी पर बैठ कर लोगों को उपदेश देते थे, इसलिए धर्म प्रचार की इस प्रथा को 'मंजी-प्रथा' कहा जाने लगा। इस प्रथा से श्री गुरु अमरदास जी के समय में सिक्ख धर्म का बहुत विस्तार हुआ।

(ङ) सिक्खों को उदासियों से अलग करना (Separation of Sikhs from the Udasis): श्री गुरु अंगद देव जी ने बाबा श्रीचन्द के उदासी मत का खंडन किया। फिर भी उदासियों का बल कम नहीं हुआ था। इस पर गुरु अमरदास जी ने हिम्मत, साहस तथा सजगता से काम लेते हुए सिक्खों को स्पष्ट रूप से समझाया कि उदासियों के त्याग का सिद्धान्त श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों के विरुद्ध है। उन्होंने सिक्खों को पत्रों या हुक्मनामों द्वारा भी समझाया कि उदासी मत के त्याग के सिद्धांत को मानने वाले गुरु के सिक्ख नहीं हो सकते। परिणामस्वरूप सिक्खों ने उदासियों तथा उनके त्याग-सिद्धान्त से अपने सम्बन्ध तोड़ लिए। वे लोग गुरु जी के हुक्म अनुसार गृहस्थी जीवन व्यतीत करने लगे तथा नाम का जप करने लगे। इस प्रकार श्री गुरु अमरदास जी ने सिक्ख परम्परा को विलक्षणता प्रदान की।

(क) सामाजिक सुधार (Social Reforms) : श्री गुरु अमरदास उच्च कोटि के समाज-सुधारक थे। श्री गुरु नानक देव जी ने समाज में प्रचलित कुप्रथाओं का खंडन किया था। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा आरम्भ किए सामाजिक कार्य को और आगे बढ़ाया, पर सदियों से चले आ रहे सामाजिक नियमों, विश्वासों, रीति-रिवाज़ों में बदलाव लाना बड़ा कठिन कार्य था। इस कठिन कार्य को करने का गुरु जी ने बीड़ा उठाया। उनका वास्तविक उद्देश्य सिक्खों को व्यर्थ के आडम्बरों तथा रीति-रिवाज़ों से छुटकारा दिलवाना था। वे हिन्दू-सिक्खों में परस्पर प्यार की भावना को जागृत करना चाहते थे। इसके लिए जो सुधार उन्होंने किए, उनका वर्णन इस प्रकार है :-

(i) जाति-पाति के भेदभाव तथा छुआछूत का विरोध (Condemnation of Caste System and Untouchability) : श्री गुरु अमरदास जी ने अपने शब्दों में जातीय भेदभाव तथा छुआछूत का विरोध किया। वे कहते थे कि जाति का अभिमान करने वाले लोग मूर्ख तथा गंवार हैं। उन्होंने जाति-पाति तथा छुआछूत को दूर करने के लिए यह आज्ञा दे रखी थी कि जो कोई भी व्यक्ति उनके दर्शन करने के लिए आता है। उसे जाति-पाति

का अभिमान छोड़ कर सब लोगों के साथ एक ही पंगत में बैठ कर लंगर छकना पड़ेगा. वह यह भी नहीं पूछेगा कि लंगर किसके हाथों से तैयार हुआ है।

(ii) सती-प्रथा की भर्त्सना (Prohibition of Sati) : हिन्दू समाज में सदियों से यह रिवाज चला आ रहा था कि पति की चिता के ऊपर उसकी विधवा को जीते जी जलना पड़ेगा। श्री गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उस नारी को सती नहीं कहा जा सकता जो अपने पति की चिता पर जल जाती है। वास्तव में सती वही नारी है जो पति के वियोग से उत्पन्न दुख तथा पीड़ा को सहन करती है।

(iii) पर्दा-प्रथा का विरोध (Prohibition of Parda Pratha) : मध्यकाल में स्त्रियाँ आम तौर पर घर की चार दीवारी में ही बंद रहती थीं। वे पुरुषों के सामने घूंघट निकाल कर या बुर्का पहन कर जाती थीं। पर्दे की प्रथा औरत के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी। श्री गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा की मनाही कर दी। उन्होंने औरतों को बिना पर्दा किए लंगर की सेवा करने तथा संगत में बैठने का हुक्म दिया।

(iv) नशीली वस्तुओं का विरोध (Prohibition of Intoxicants) : शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन मध्य-कालीन समाज की एक बहुत बड़ी बुराई थी। श्री गुरु अमरदास जी ने ज़ोरदार शब्दों में नशीली वस्तुओं के सेवन का खण्डन किया। उन्होंने सिक्खों को भी इस बुराई से दूर रहने का हुक्म दिया।

(v) नए तीर्थ-स्थान की स्थापना (New Place of Pilgrimage) : श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल में बाऊली साहिब (जल-स्त्रोत) का निर्माण करके सिक्खों को एक नया तीर्थ स्थान दिया।

यह तीर्थ स्थान हिन्दू तीर्थ स्थानों से अलग किस्म का था

(1) यह सिक्खों के सामूहिक-परिश्रम से बना था।

(2) इसमें पुजारी की ज़रूरत नहीं थी।

(3) यहां किसी देवी-देवता की पूजा नहीं की जाती थी।

(4) यहां पर बाऊली की 84 सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां इस बात का प्रतीक है कि यहां पर 84 बार जपुजी साहिब का जाप करके मनुष्य को अपनी 84 लाख योनियों (जन्म-मरण के चक्कर) से छुटकारा मिल जाता है।

(5) गुरु साहिब तथा तीर्थ स्थान एक ही शहर में होने के कारण सिक्खों के लिए इसका महत्त्व और भी बढ़ गया।

(vi) त्यौहार मनाने का नया ढंग (New Mode of Celebrating Festivals) : श्री गुरु अमरदास जी ने सिक्खों को वैशाखी, माघी तथा दीवाली के त्यौहार नए ही ढंग से मनाने को कहा। इन तीनों त्यौहारों के मौकों पर गुरु-स्थान पर जाना होता था। गुरु अमरदास जी के काल में ये त्यौहार गोइंदवाल में मनाए जाते थे। त्यौहारों को इस ढंग से मनाए जाने में गुरु साहिब का उद्देश्य अपने सिक्खों में भ्रातृ-भाव तथा एकता को बढ़ाना था। इससे सिक्ख धर्म का प्रचार व प्रसार भी हुआ।

(vii) मृत्यु, जन्म तथा शादी सम्बन्धी रीतियों में सुधार (Simplification of Death, Birth and Marriage Ceremonies) : श्री गुरु अमरदास जी ने हिन्दुओं में प्रचलित मृत्यु, जन्म तथा विवाह सम्बन्धी उलझावपूर्ण रीतियों व रस्मों में भी सुधार किया। गुरु साहिब ने सिक्खों को हुक्म दिया कि मृत्यु के समय ईश्वर की स्तुति तथा भक्ति के शब्दों का गायन करना चाहिए।

गुरु जी ने विवाह सम्बन्धी रीतियों में भी सुधार किया। श्री गुरु अमरदास जी ने 'आनंद' नामक बाणी की रचना की। गुरु जी ने सिक्खों को आज्ञा दी कि वे जन्म, विवाह तथा खुशी के अन्य अवसरों पर 'आनंद साहिब' का पाठ करें।

इस तरह गुरु जी के सुधारों के फलस्वरूप सिक्खों ने व्यर्थ तथा उलझावपूर्ण रीति-रिवाज़ों को त्याग दिया। परिणामस्वरूप सिक्ख हिन्दुओं से अलग होने लगे।

सम्राट अकबर का गोइंदवाल में आगमन (Akbar's visit of Goindwal) **:** श्री गुरु अमरदास जी के गुरु काल की एक महत्वपूर्ण घटना मुगल सम्राट अकबर का गोइंदवाल आना था। गुरु अमरदास जी की आध्यात्मिक महानता को देखते हुए वह गुरु जी के दर्शन करने आया। चित्तौड़ की जीत (1567 ई.) के बाद वह गोइंदवाल पहुंचा। लंगर-संस्था के नियमों के अनुसार उसने पहले पंगत में बैठ कर लंगर छका। वह गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। इससे गुरु जी की प्रतिष्ठा तथा मान-सम्मान में बहुत बढ़ोतरी हुई। गुरु जी के कहने पर ही अकबर ने यात्रियों का यात्रा कर माफ कर दिया था। उनके कहने पर ही अकबर ने एक वर्ष के लिए किसानों का भूमि कर भी माफ कर दिया था। परिणाम स्वरूप वे लोग गुरु जी के श्रद्धालु बन गए। अकबर ने गुरु जी की बेटी बीबी भानी को ज़मीन भी दी थी।

उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Applicant of Successor) **:** श्री गुरु अमरदास जी 95 वर्ष की आयु तक सिक्खों का मार्ग-दर्शन करते रहे। 1574 ई० में अपने ज्योति-ज्योत समाने से पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया। अपने दोनों पुत्रों-मोहन तथा मोहरी को छोड़ कर अपने दामाद भाई जेठा जी को गुरु-गद्दी के अधिक योग्य समझते हुए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह श्री गुरु रामदास जी के नाम से सिक्खों के चौथे गुरु बने.

श्री गुरु रामदास जी का योगदान (1574 ई० - 1581 ई०)
(Contribution of Sri Guru Ram Das Ji)

चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी 1574 ई० से 1581 ई० तक गुरु रहे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने सिक्ख धर्म के विकास में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(क) रामदासपुर-अमृतसर की स्थापना (Foundation of Ramdaspura-Amritsar) **:** श्री गुरु रामदास जी की सिक्ख धर्म को सब से महान् देन रामदासपुर (अमृतसर) शहर की नींव रखना था। पर इस तीर्थ स्थान को स्थापित करने का विचार पहले गुरु अमरदास जी के मन में आया था। मुगल सम्राट अकबर ने गुरु जी की बेटी बीबी भानी को कुछ गाँवों की भूमि दी थी। गुरु जी ने सिक्खों की सभा में अपने दामाद रामदास जी को यह धरती सौंप दी तथा वहां संतोखसर तथा अमृतसर नामक दो सरोवरों की खुदाई का काम आरम्भ करवा दिया।

गुरु-गद्दी पर बैठने के बाद श्री गुरु रामदास जी स्वयं उस स्थान पर रहने लगे। उन्होंने श्रद्धालु सिक्खों तथा व्यापारियों को भी हुक्म दिया कि वे भी वहाँ जाकर रहें तथा व्यापार करें। धीरे-धीरे अमृतसर सरोवर के चारों तरफ बहुत से लोग बस गए। कई प्रकार की वस्तुओं की दुकानें भी खुल गईं। परिणामस्वरूप 'गुरु का बाज़ार' नामक बाज़ार बन गया। इसके साथ ही एक शहर भी अस्तित्व में आ गया, जिसे 'गुरु चक', 'चक गुरु रामदास', 'रामदासपुर' आदि नामों से बुलाया जाने लगा। बाद में 'अमृतसर सरोवर' के नाम पर ही इसका नाम अमृतसर पड़ गया।

इस नगर की स्थापना से सिख सम्प्रदाय के विकास में निस्संदेह बड़ी सहायता मिली। सिक्खों को एक तीर्थ-स्थान मिल गया। इस शहर के रूप में सिक्खों को एक व्यापारिक केन्द्र मिल गया।

(ख) मसंद प्रथा का आरम्भ (Beginning of Masand System) **:** अमृतसर तथा संतोखसर सरोवरों की खुदाई तथा रामदासपुर या अमृतसर शहर के निर्माण-कार्य के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी। इसलिए श्री गुरु रामदास जी ने अपने कुछ श्रद्धालु सिक्खों को धन इकट्ठा करने के लिए कई स्थानों पर भेजा। उन सिक्खों को मसंद कहा जाने लगा। सिक्खों से धन इकट्ठा करते समय व लोग सिक्ख धर्म का प्रचार भी करते थे। इस तरह से मसंद प्रथा के फलस्वरूप सिख धर्म का बहुत प्रचार हुआ तथा कई ग़ैर-सिक्खों ने भी सिक्ख मत को अपना

लिया।

(ग) सिक्खों तथा उदासियों में समझौता (Reconciliation between the Sikhs and Udasis) : श्री गुरु रामदास जी की बढ़ती हुई ख्याति को देख कर उदासी मत के संचालक बाबा श्रीचन्द जी श्री गुरु रामदास जी को मिलने के लिए गए। उनके बीच महत्त्वपूर्ण वार्तालाप भी हुआ। बाबा श्रीचन्द जी गुरु रामदास जी की विनम्रता तथा उत्तम गुणों से बहुत प्रभावित हुए। अंत में उन्होंने मान लिया कि गुरु साहिब अपने उत्तम गुणों के कारण ही गुरुगद्दी के वास्तविक अधिकारी हैं। परिणामस्वरूप उदासियों ने सिक्खों का विरोध करना छोड़ दिया।

(घ) सिक्ख धर्म के विकास के लिए अन्य कार्य (Other Measures for the Development of Sikhism) : श्री गुरु रामदास जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए अन्य कई महान् कार्य भी किए। उनके समय में 'संगत', 'पंगत', 'मंजी प्रथा' आदि प्रथाएँ पहले की तरह ही समुचित रूप से काम करती रहीं। समाज में सुधार करने के लिए श्री गुरु रामदास जी ने शादी-विवाह की रीतियों के सम्बन्ध में 'लावाँ' की रचना की। उन्होंने विवाह के समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले शब्दों-घोड़ियों की रचना भी की एवं सिक्खों को हुक्म दिया कि वे इन रचनाओं को विवाह के समय अमली जामा भी पहनाएं। गुरु जी ने 679 शब्दों की रचना भी की।

(ङ) श्री गुरु रामदास जी के मुगल सम्राट अकबर से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध (Friendly relations of Sri Guru Ram Das with Mughal Emperor Akbar) : जितनी देर तक श्री गुरु रामदास जी गुरु गद्दी पर सुशोभित रहे, उनके मुगल सम्राट अकबर से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने रहे। एक बार पंजाब में वस्तुओं के दाम गिर गए। परिणामस्वरूप कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जब गुरु जी ने अकबर को इस बारे में बताया तो उसने पंजाब के किसानों का एक साल का भूमि-कर माफ कर दिया। इससे गुरु साहिब की प्रतिष्ठा तथा मान-सम्मान में बहुत बढ़ोतरी हुई तथा बहुत से हिन्दू तथा मुसलमानों ने सिक्ख धर्म को अपना लिया।

(च) गुरुगद्दी का पैतृक-उत्तराधिकार का सिद्धांत (Rule for Hereditary Succession to Guru Gaddhi) : पहले तीन गुरुओं में से किसी भी गुरु ने अपना उत्तराधिकारी अपनी संतान में से नहीं नियुक्त किया था। पर श्री गुरु रामदास जी ने अपने पुत्रों में से सबसे छोटे तथा योग्य पुत्र अर्जुन देव जी को गुरु-गद्दी सौंपी।

यह भी भूलना नहीं चाहिए कि वंशानुगत होने के साथ-साथ गुरु-पद का आधार गुण व योग्यता ही रहा।

श्री गुरु अर्जुन देव जी का योगदान (1581 ई० - 1606ई०)
(Contribution of Sri Guru Arjan Dev Ji)

पांचवें गुरु अर्जुन देव जी 1581 ई० से 1606 ई० तक गुरु-गद्दी पर विराजमान रहे। चाहे उन्हें अपने बड़े भाई पृथी चंद तथा हिन्दू और मुसलमान कट्टरपंथियों का ज़ोरदार विरोध सहना पड़ा, फिर भी उनके काल में सिक्ख धर्म के विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका वर्णन इस प्रकार है :-

1. श्री गुरु रामदास जी द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों को सम्पूर्णता दी (Completion of the works of Guru Ram Das) : श्री गुरु रामदास जी ने रामदासपुर (अमृतसर) की नींव रखी। उन्होंने वहाँ अमृतसर तथा संतोखसर नाम दो सरोवरों की खुदाई का काम भी शुरु किया था, पर वे उन कार्यों को पूरा नहीं कर सके। श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने अमृतसर तथा संतोखसर सरोवर के निर्माण का कार्य पूरा किया। उन्होंने भाई बुड्ढा जी की सहायता से अमृतसर शहर के निर्माण का कार्य भी पूरा किया।

2. श्री हरिमन्दिर साहिब का निर्माण (Construction of Harimandir Sahib) : श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर सरोवर के बीच 1588 ई० 'श्री हरिमंदिर साहिब' का निर्माण-कार्य करवाया। ऐसा माना जाता है कि श्री हरिमंदिर साहिब की नींव का पत्थर 1589 ई० में सूफी फकीर, मियां मीर ने रखा। श्री हरिमंदिर साहिब के दरवाज़े चारों दिशाओं में रखे गए, भाव यह कि यह मन्दिर चारों जातियों तथा चारों दिशाओं से आने वाले लोगों के

लिए खुला था। श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण भाई बुड्ढा जी तथा भाई गुरदास जी की देख-रेख में हुआ जो 1601 ई० में पूरा हुआ। सितम्बर 1604 ई० में श्री हरिमंदिर साहिब में आदि ग्रन्थ साहिब की स्थापना कर दी गई। भाई बुड्ढा जी को वहाँ का पहला ग्रन्थी बनाया गया था।

अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण सिक्ख धर्म की दृढ़ता-पूर्वक स्थापना के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था। इससे सिक्खों को हिन्दू तीर्थ-स्थानों की यात्रा करने की ज़रूरत न रही। अमृतसर सिक्खों का 'मक्का' तथा 'गंग-बनारस' बन गया।

3. शहरों की स्थापना (Foundation of some Cities) : अमृतसर के अतिरिक्त श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने 1590 ई० में रावी तथा ब्यास नदियों के मध्य बसे हुए शहर तरनतारन की स्थापना की। इस शहर की ज़मीन गुरु जी ने 'खारा' गाँव के लोगों से खरीद कर एक सरोवर की खुदाई का काम आरम्भ करवा दिया। इस सरोवर का नाम 'तरनतारन' रखा गया, जिस का भाव यह था कि इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति संसार के भव-सागर से पार हो जाता है। धीरे-धीरे उस सरोवर के इर्द-गिर्द एक शहर बस गया जो सिक्खों का एक और तीर्थ-स्थान बन गया।

तरनतारन की स्थापना के फलस्वरूप माझे के बहुत से जाटों ने सिक्ख धर्म को अपना लिया जो बाद में अच्छे योद्धा सिद्ध हुए।

तरनतारन के निर्माण के बाद श्री गुरु अर्जुन देव जी ने जालन्धर के निकट 1593 ई० में एक और शहर की नींव रखी जिसका नाम 'करतारपुर' या 'ईश्वर का शहर' रखा। गुरु जी ने यहाँ एक कुआँ भी खुदवाया जिस का नाम 'गंगसर' रखा। परिणामस्वरूप यह शहर जालन्धर दोआब में सिक्ख धर्म के प्रचार का केन्द्र बन गया।

श्री गुरु अर्जुन देव जी के यहाँ काफी देर के बाद हरगोबिंद जी ने 1595 ई० में जन्म लिया। इसलिए गुरु जी ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में ब्यास नदी के किनारे, अपने बेटे के नाम पर हरगोबिंदपुर नामक शहर की नींव रखी।

श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने अमृतसर के पास पश्चिम की तरफ कुछ मीलों की दूरी पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए छः रहटों वाला एक कुआँ खुदवाया। धीरे-धीरे उसके इर्द-गिर्द एक शहर बस गया जिसे आजकल 'छहरटा' कहा जाता है।

4. लाहौर में बाऊली (जल-स्त्रोत) का निर्माण (Construction of Baoli at Lahore) : श्री गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के श्रद्धालुओं की प्रार्थना पर लाहौर यात्रा की। वहाँ पर वह 'डब्बी बाज़ार' में ठहरे तथा उन्होंने एक बाऊली के निर्माण की योजना बनाई। उस बाऊली के निर्माण के बाद वह बाऊली भी सिक्खों का एक तीर्थ-स्थान बन गई।

5. मसंद प्रथा का संगठन तथा विकास (Organisation and Development of Masand System) : श्री गुरु अर्जुन देव जी ने मसंद प्रथा को ठीक ढंग से संगठित तथा विकसित किया। उनके काल में सिक्खों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने सिक्ख धर्म के विकास के लिए हरमंदिर साहिब, संतोखसर, तरनतारन, करतारपुर, हरगोबिंदपुर आदि की स्थापना की थी। इन कार्यों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। लंगर प्रथा को चलाने के लिए भी धन की ज़रूरत थी। सिक्ख संगतों से चढ़ावे के रूप में पर्याप्त तथा निश्चित रूप में धन प्राप्त नहीं होता था। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी ने मसंद-प्रथा का पुनर्गठन किया। इस संस्था के लिए जो नियम बनाए गए, वे इस प्रकार से हैं :-

1. प्रत्येक सिख 'दसवंध' अर्थात् अपनी आय का दसवां भाग गुरु के नाम पर भेंट करेगा।
2. दसवंध इकट्ठा करने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्थापित किए गए। वे इकट्ठा किया गया धन वैशाखी के दिन अमृतसर में 'गुरु की गोलक' में जमा करवाएंगे।

3. जिस इलाके में धन इकट्ठा करने के लिए मसंद स्वयं नहीं जा सकेंगे, वहाँ पर वे अपना प्रतिनिधि भेजेंगे जिसे 'मसंदिया' या संगतिया कहा जाता था।

4. धन एकत्र करने के साथ-साथ मसंद सिक्ख धर्म का प्रचार भी करेंगे।

मसंद प्रथा सिक्ख धर्म के विकास के लिए अति महत्त्वपूर्ण प्रथा सिद्ध हुई। इसके फलस्वरूप गुरु साहिब को निश्चित रूप में धन प्राप्त होने लगा जिसे गुरु साहिब सिक्ख धर्म के संगठन तथा विकास सम्बन्धी अपनी योजनाओं को असली रूप दे सके। मसंद-प्रथा ने सिक्ख धर्म के प्रचार तथा प्रसार में प्रशंसनीय योगदान दिया। मसंद-प्रथा सिक्खों को संगठित करने में बड़ी सहायक हुई। इससे गुरु जी की प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि में भी बढ़ोत्तरी हुई.

6. आदि ग्रंथ का संकलन (Compilation of Adi Granth) : श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय तक सिक्खों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। दूर-दूर के सिक्खों के लिए गुरु जी के पास पहुँचना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त कई अन्य लोगों ने सिक्ख गुरुओं के नाम से अपनी बाणी रचना शुरु कर दी थी। इसलिए सिक्खों को गुरुओं की सम्पूर्ण, शुद्ध तथा प्रमाणिक बाणी का ज्ञान करवाने के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी ने 'आदि ग्रंथ' के संकलन की आवश्यकता को अनुभव किया। गुरु जी ने स्वयं गोइंदवाल जाकर श्री गुरु अमरदास जी के सुपुत्र बाबा मोहन से पहले गुरुओं की बाणी प्राप्त की। उस बाणी में श्री गुरु नानक देव जी के 974, श्री गुरु अंगददेव जी के 62, श्री गुरु अमरदास जी के 907 तथा श्री गुरु रामदास जी के 679 शब्द थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कई संतों तथा भक्तों जैसे कबीर, नामदेव, फ़रीद आदि की बाणी इकट्ठी की। सारी सामग्री एकत्रित करने के उपरान्त श्री गुरु अर्जुन देव जी ने रामसर सरोवर के किनारे, एकांत तथा रमणीय स्थान पर आदि ग्रंथ के संकलन का महान् कार्य आरम्भ किया। श्री गुरु अर्जुन देव जी लिखवाते गए तथा भाई गुरदास जी लिखते गए। कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 1604 ई० में आदि ग्रन्थ के संकलन का काम सम्पूर्ण हुआ। इस ग्रन्थ में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने 2218 शब्दों को भी शामिल किया।

आदि ग्रंथ का संकलन श्री गुरु अर्जुन देव जी का सिक्ख धर्म के विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण तथा महान् कार्य था। इससे सिक्खों को अपना पवित्र धार्मिक ग्रन्थ प्राप्त हो गया।

7. घोड़ों के व्यापार को उत्साहित करना (Encouragement to Horse-Trade) : श्री गुरु अर्जुन देव जी चाहते थे कि उनके सिक्ख सम्पन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत करें। इस लिए उन्होंने अपने सिक्खों को व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने सिक्खों को विशेष रूप से कहा कि वे सिंध नदी पार करके घोड़ों का व्यापार करें। घोड़ों के व्यापार से सिक्ख धनी हो गए तथा गुरु के खज़ाने में भी धन की बढ़ौत्तरी हुई। इससे श्री गुरु हरगोबिंद जी तथा श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के समय कुशल खालसा सेना तैयार हो गई।

8. सामाजिक सुधार (Social Reform) : श्री गुरु अमरदास जी की तरह श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भी विधवा-विवाह के पक्ष में प्रचार किया। अपने पूर्व-अधिकारियों की तरह उन्होंने भी 'संगत' तथा 'पंगत' संस्थाओं को जारी रखा। गुरु जी ने अपने सिक्खों को शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करने से मना किया। गुरु अर्जुन देव जी ने तरनतारन में कोढ़ियों (Lepers) के लिए एक अलग बस्ती की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कोढ़ियों के लिए निशुल्क भोजन, वस्त्र तथा दवाईयों का भी प्रबन्ध किया गया।

9. सिक्ख धर्म का प्रचार (Preaching of Sikhism) : सिक्ख धर्म के प्रचार के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी ने माझे के इलाके की यात्रा की। सबसे पहले उन्होंने खडूर साहिब, गोइंदवाल और सरहाली की यात्रा की। अपने एक सिक्ख के निमन्त्रण पर वह भैणी साहिब में गये। उस सिक्ख की पत्नी द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन छककर गुरु जी ने भैणी गाँव का नाम चोहला रख दिया। यहाँ से गुरु जी खानपुर गये। यहाँ से वे खारा नामक गाँव में गये। इसी गाँव की भूमि पर गुरु जी ने तरनतारन नामक गाँव बसाया। यहाँ से वे जालन्धर की ओर गये और उन्होंने करतारपुर की स्थापना की। गुरु जी ने गोइंदवाल, खेमकरन, चूनीयाँ, लाहौर, डेरा बाबा नामक आदि स्थानों की यात्रा की। गुरु जी ने प्रत्येक स्थान पर धर्म का प्रचार किया और बहुत से लोगों को सिक्ख बनाया।

10. श्री गुरु अर्जुन देव जी के सम्राट अकबर से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध (Guru Arjun Dev's friendly relations with Akbar) : श्री गुरु अमरदास जी तथा गुरु रामदास जी की तरह श्री गुरु अर्जुन देव जी के संबंध भी सम्राट अकबर से मित्रतापूर्ण ही रहे। पृथीचंद, ब्राह्मणों तथा कट्टरपंथी मुसलमानों ने बार-बार मुगल सम्राट अकबर को गुरु साहिब के विरुद्ध भड़काने की कोशिशें की, पर उदार सम्राट अकबर ने उनकी एक न सुनी। बल्कि अकबर ने गुरु जी की सिफारिश पर पंजाब के किसानों का एक वर्ष का भूमि-कर माफ़ कर दिया। इससे गुरु जी पंजाब के किसानों के प्रिय पात्र बन गए तथा सिक्खों की संख्या में भी वृद्धि हुई।

11. सिक्ख धर्म के लिए आत्म-बलिदान (Self Sacrifice for Sikhism) : दो मुगल बादशाह-अकबर तथा जहांगीर श्री गुरु अर्जुन देव जी के समकालीन थे। चूंकि गुरुओं के उपदेशों का उद्देश्य जाति-पाति, ऊँच-नीच, अंध-विश्वास तथा धार्मिक कट्टरता से रहित समाज की स्थापना करना था, इसलिए अकबर गुरुओं को पसंद करता था। पर जहाँगीर श्री गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती हुई ख्याति को पसंद नहीं करता था। उसे इस बात का गुस्सा भी था कि हिन्दुओं के साथ-साथ कई मुसलमान भी गुरु जी से प्रभावित हो रहे थे। कुछ समय पश्चात् शहज़ादा खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब शाही सेनाओं ने खुसरो का पीछा किया तो वह भाग कर पंजाब आ गया तथा गुरु जी से मिला। इस पर जहांगीर ने जो पहले ही गुरु अर्जुन देव जी के विरुद्ध कार्यवाही करने का बहाना ढूंढ रहा था। विद्रोही खुसरो की सहायता करने के अपराध में गुरु जी पर दो लाख रुपयों का जुर्माना कर दिया। गुरु जी ने इस जुर्माने को अनुचित मानते हुए इसे अदा करने से इन्कार कर दिया। इस पर उनको शारीरिक यातनाएँ देकर 1606 ई० में शहीद कर दिया गया।

श्री गुरु हरगोबिंद जी का योगदान (1606ई० - 1644 ई०)
(Contribution of Sri Guru Hargobind Ji)

श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद 1606 ई० में छठे गुरू श्री गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु-गद्दी संभाली। आपने 1644 ई० तक उस गद्दी पर रह कर सिक्ख धर्म के विकास के लिए भरपूर यत्न किए। आपने 'मीरी-पीरी' की नीति को अपना कर डरी हुई सिक्ख जाति में फिर से निडरता तथा आत्मविश्वास पैदा किया। आपने 'अकाल-तख्त' साहिब का निर्माण करवा के सिक्खों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ दुनियावी (व्यावहारिक) शिक्षा देना भी आरम्भ किया। आपने जगह-जगह जाकर सिक्ख धर्म के प्रचार व विकास के लिए कार्य किया, जिसका वर्णन इस प्रकार है:-

(क) श्री गुरु हरगोबिंद जी की नई नीति
(New Policy of Sri Guru Hargobind Ji)

1. मीरी तथा पीरी की दो तलवारें धारण करना (Adoption of two Swords-Miri and Piri) : श्री गुरु हरगोबिंद जी से पहले सब गुरुओं ने सिक्खों का केवल आध्यात्मिक मार्ग-दर्शन ही किया था, परन्तु श्री गुरु हरगोबिंद जी ने समय के महत्त्व को समझते हुए सिखों में निडरता तथा आत्म-विश्वास की भावना को जगाने के लिए 'मीरी' तथा 'पीरी' - दोनों शक्तियों का प्रयोग किया। मीरी की तलवार उनका सांसारिक विषयों में मार्ग-दर्शन करती थी तथा 'पीरी' की तलवार धार्मिक मार्ग-दर्शन का प्रतीक है। इस घटना ने सिक्ख इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

2. राजसी चिह्नों को अपनाना (Adoption of Royal Symbols) : श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सेली (ऊन की माला) छोड़ कर दो तलवारें धारण कर लीं। उन्होंने अपने मस्तक पर शाही ढंग से कलगी सजाई। उन्होंने 52 अंगरक्षक भी रखे, जिससे उनके राजसी ठाठ में और भी बढ़ोत्तरी हुई। लोग उन्हें 'सच्चा पताशाह' कहने लगे।

3. गुरु साहिब को घोड़ों तथा शस्त्रों (हथियारों) की भेंट (Offerings of Horses and Arms to the Guru) : श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने सिक्खों तथा मसंदों को संदेश भेज दिए कि वे सिक्खों से धन की जगह घोड़े तथा शस्त्र भेंट स्वरूप प्राप्त करें। गुरु साहिब की आज्ञा का हू-ब-हू पालन किया गया। परिणामस्वरूप

गुरु जी के पास बड़ी संख्या में घोड़े तथा शस्त्र इकट्ठे होने लगे। जिससे सिक्ख-सेना का निर्माण सुगम हो गया।

4. सिक्ख सेना का संगठन (Organisation of Sikh Army) : श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के पास जहां 52 अंगरक्षक थे, वहीं पर माझा, दोआबा तथा मालवा के नौजवानों ने भी गुरु जी की सेवा करना स्वीकार कर लिया। गुरु जी ने उनको एक-एक घोड़ा तथा एक-एक शस्त्र दिया। उन्होंने पांच सौ सिक्खों को आगे पांच जत्थों में बांट दिया। इन जत्थों के जत्थेदार थे- बिधिचंद, पीराना, जेठा, पैड़ा तथा लंगाह। उन्होंने बिना किसी जाति-भेद के अपनी सेना में पठानों को भी भर्ती किया, जिनका सेनानायक पैंदा खाँ था।

5. गुरु साहिब की दिनचर्या में परिवर्तन (Change in the Daily Life of Guru Ji) : श्री गुरु हरगोबिन्द सहिब सुबह सवेरे उठते। स्नान करते तथा शाही ढंग से सज कर लंगर में जाते, जहां उनकी देखरेख में सभी सैनिक तथा सिक्खों को लंगर कराया जाता। भोजन के पश्चात् गुरु जी थोड़े समय के लिए आराम करते। उसके बाद वह अपने सेवकों, शिकारी कुत्तों तथा बाज के साथ शिकार के लिए जाते।

उन्होंने सिक्खों में नया उत्साह भरने के लिए अपने दरबार के अब्दुल तथा नत्था मल्ल ढाडियों को वीर-रस की वारें (गाथाएं) गाने के लिए कहा। गुरु साहिब ने एक विशेष संगीत मंडली भी स्थापित की जो रात को ढोलक की धुन तथा मशालों की रोशनी से हरि-मन्दिर साहिब की परिक्रमा करते हुए ऊँचे सुर में जोशीले शब्दों का गायन करती।

6. अकाल तख्त का निर्माण (Construction of Akal Takhat) : श्री गुरु हरगोबिन्द साहिब ने हरिमंदिर साहिब के सामने पश्चिम की तरफ 'अकाल तख्त' का निर्माण करवाया। उसके अन्दर 12 फुट ऊँचे चबूतरे का निर्माण करवाया, जो राजाओं-महाराजाओं के सिंहासनों जैसा था। हरिमंदिर साहिब में गुरु जी धार्मिक शिक्षा देते थे तथा उस चबूतरे पर बैठ कर वे उनको राजनीति की शिक्षा देते थे। वहीं पर वे अपने सैनिकों को शस्त्र बांटते तथा ढाडियों के वीर-रस की जोशीली वारें अथवा गीत सुनवाते। यहीं पर वह सिक्खों को इनाम भी देते तथा सजाएं भी सुनाते। अकाल तख्त के निकट ही वह अखाड़े में सिक्खों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते। अकाल तख्त का निर्माण मुगल बादशाहों की शक्ति को मानों एक चुनौती थी।

7. अमृतसर की किलाबंदी (Fortification of Amritsar) : श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने अमृतसर की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ दीवार का निर्माण करवाया। उन्होंने शहर में 'लोहगढ़' नामक किले का निर्माण भी करवाया। उस किले में आवश्यकतानुसार सैनिक सामान भी रखा गया।

इस तरह गुरु साहिब के इन कार्यों के कारण श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद निराश हुए सिक्खों को पुनर्जीवन मिला।

(ख) श्री गुरु हरगोबिंद जी द्वारा सिख धर्म के प्रचार तथा संगठन के लिए किए अन्य कार्य। (Other Measures of Sri Guru Hargobind for Preaching and Consolidation of Sikhism)

अक्तूबर 1627 ई० में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ (फरवरी 1628ई०) मुगल बादशाह बना। शाहजहां के साथ गुरु जी के सम्बन्ध-बिगड़ गए तथा उन्हें उससे अमृतसर, लहिरा तथा करतारपुर की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने लड़ाइयों के अतिरिक्त सिक्ख धर्म के प्रचार तथा संगठन के लिए अन्य कई महान् कार्य भी किए। उनका वर्णन इस प्रकार है :-

1. श्री गुरु हरगोबिंद जी का कीरतपुर साहिब में निवास (Guru Hargobind's Settlement at Kiratpur Sahib) : कहलूर के राजा कल्याण चंद, जो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब का भक्त था, ने उनके कुछ ज़मीन भेंट की। उसी धरती पर गुरु साहिब ने कीरतपुर साहिब शहर का निर्माण करवाया। 1635 ई० में गुरु जी ने इस शहर में निवास कर लिया। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दस वर्ष यहीं पर धर्म का प्रचार करते हुए व्यतीत किए।

2. श्री गुरु हरगोबिंद जी की धार्मिक यात्राएँ (Religious Travels of Guru Hargobind Ji) : ग्वालियर के किले से रिहा होने के बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के मुगल सम्राट जहांगीर से सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हो गए। इस समय गुरु जी ने धर्म प्रचार के लिए यात्राएँ की। सबसे पहले वे अमृतसर से चलकर लाहौर आए। वहाँ पर आप ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की स्मृति में गुरुद्वारा डेरा साहिब बनवाया। लाहौर से गुरु जी गुजरांवाला, भिंबर (गुजरात) होते हुए कश्मीर पहुँचे। यहाँ पर आपने 'संगत' की स्थापना भी की तथा भाई सेवा दास जी को उस संगत का मुखिया नियुक्त किया।

श्री गुरु हरगोबिंद जी ननकाना साहिब भी गए। वहाँ से लौट कर, कुछ समय अमृतसर में बिता कर वे उत्तरप्रदेश में नानकमते (गोरखमता) भी गए गुरु जी ने कुछ समय वहाँ रह कर सिक्ख धर्म का प्रचार किया तथा श्री गुरु नानक देव जी के काल दौरान स्थापित हुई संगत को पुनर्जीवित किया। वहाँ से वापस लौटते समय गुरु जी पंजाब के मालवा क्षेत्र में भी गए। तख्तूपुरा डरौली भाई (फिरोजपुर) में कुछ समय ठहर कर गुरु जी पुन- अमृतसर लौट आए।

3. अलग-अलग स्थानों पर धर्म-प्रचारकों को भेजना (Guru Sent Sikh Missionaries to Various Places) : श्री गुरु हरगोबिंद जी 1635 ई० तक युद्धों में व्यस्त रहे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र बाबा गुरुदित्ता जी को सिक्ख धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए नियुक्त किया। बाबा गुरुदित्ता ने सिक्ख धर्म के प्रचार के लिए चार मुख्य प्रचारक-अलमस्त, फूल गौडा तथा बलु हसना-नियुक्त किए। फलसवरूप अलमस्त ने नानकमता तथा ढाका में, गौडा तथा फूल ने दोआबा तथा मालवा के इलाके में, बल्लू हसना ने कश्मीर, हजारा तथा पोठोहार में सिक्ख धर्म का प्रचार किया। इन प्रचारकों के अतिरिक्त श्री गुरु हरगोबिंद जी ने भाई बिधिचंद को बंगाल में तथा भाई गुरदास को काबुल तथा उसके पश्चात् बनारस में धर्म-प्रचार के लिए भेजा।

4. श्री हरराय जी को उत्तराधिकारी नियुक्त करना (Guru Har Rai appointed as Successor) : जब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने देखा कि उनका अंतिम समय निकट आ रहा है तो उन्होंने अपने पौत्र हरराय (बाबा गुरदित्ता के छोटे पुत्र) को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

श्री गुरु हरराय जी का योगदान (1644 ई० - 1661 ई०)
(Contribution of Sri Guru Har Rai Ji)

श्री गुरु हरगोबिंद जी के ज्योति-ज्योत समाने के बाद सातवें गुरु श्री गुरु हरराय जी ने गुरु गद्दी संभाली। वह स्वभाव से ही शान्तिप्रिय तथा कोमल व्यक्ति थे। उन्होंने सिक्ख धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए निम्नलिखित कार्य किए :-

1. सिक्ख धर्म का प्रचार (Preaching of Sikh Religion) : श्री गुरु हरराय जी ने अपने गुरु काल का अधिकतर समय कीरतपुर में ही व्यतीत किया। उनके समय में बहुत से लोगों ने सिक्ख धर्म में प्रवेश किया। उनमें से भक्त गिर, भाई संगतिया तथा भाई गोंदा के नाम प्रसिद्ध हैं। गुरु जी ने संगतिया का नाम भाई फेरू रख दिया। उसे केन्द्रीय पंजाब के लाहौर, कसूर, चूनीयां, आदि इलाकों का प्रचारक स्थापित किया। इसी तरह से भाई पंजाब, भाई भगत, भाई भूदड़ को मालवा में प्रचार करने तथा संगतों को स्थापित करे के लिए भेजा।

श्री गुरु हरराय जी स्वयं भी धार्मिक यात्राओं पर गए। वे पहले करतारपुर में जाकर ठहरे। वहाँ से वह मुकन्दपुर (जालन्धर) गए। मुकन्दपुर से वे दोसांझ गए। कुछ समय वहाँ ठहर कर वह मालवा पहुँचे।

2. श्री गुरु हरराय जी का फूल को वरदान (Sri Guru Har Rai Blessed Phul) : अपने प्रचार दौरों के समय मालवा के एक गाँव नथाना (बठिंडा) में काला तथा कर्मचन्द (दो भाई) भी गुरु जी के दर्शनों को आया करते थे। एक दिन काला अपने दो भतीजों संदली तथा फूल को भी साथ ले आया। उनमें से फूल गुरु साहिब के सामने अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। जब गुरु जी ने काले से इसका अर्थ पूछा तो उसने बताया कि फूल गूंगा है

तथा वह पेट पर हाथ फेर कर बताना चाहता है कि वह भूखा है। इस पर गुरु जी ने फूल को वरदान दिया कि वह बहुत महान्-प्रसिद्ध तथा धनवान् व्यक्ति बनेगा। उसकी सन्तानों के घोड़े यमुना का पानी पीएंगे। वे कई पीढ़ियों तक राज्य भी करेंगे। जितनी सेवा वे गुरु की करेंगे, उतना ही उनका सम्मान बढ़ेगा। गुरु जी का वर ठीक निकला। पटियाला, नाभा तथा जींद आदि रियासतों के राजा फूल की सन्तान में से ही थे।

3. दारा शिकोह की सहायता (Help to Dara Shikoh) : 1658 ई० में मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में औरंगज़ेब विजयी रहा। सामुगढ़ के युद्ध में (1658ई०) हारने के बाद दारा शिकोह पंजाब की ओर भाग खड़ा हुआ। उसके गुरु हरराय से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे क्योंकि वह स्वयं उदार धार्मिक विचारों वाला मुसलमान था। इसीलिए वह पहले भी कई बार गुरु जी के दर्शनों के लिए आया था। परास्त होने के बाद वह श्री गुरु हरराय जी की सहायता पाने के लिए उनसे मिला। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया।

4. औरंगज़ेब का श्री गुरु हरराय जी को दिल्ली बुलाना (Guru Har Rai Called to Delhi by Aurangzeb) : राजगद्दी संभालने के बाद बादशाह औरंगज़ेब ने श्री गुरु हर राय जी को दिल्ली बुलाया। एक तो वह उनकी तरफ से दारा शिकोह को दी गई सहायता के बारे में पूछना चाहता था दूसरा यह पूछना चाहता था कि कहीं सिक्ख धर्म मुस्लिम धर्म के खिलाफ तो नहीं। गुरु जी ने स्वयं दिल्ली जाने की जगह अपने 14-15 वर्ष के बड़े पुत्र, रामराय को भेजा। औरंगजेब ने उससे, 'आसा-दी-वार' में दिए गए श्लोक-

मिट्टी मुसलमान की पेड़ै पई कुम्हिआर।।

घड़ि भांडे इटा कीआ जलदी करे पुकार।।

में से मुसलमान, शब्द का स्पष्टीकरण मांगा। रामराय ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि इस श्लोक में मुसलमान शब्द ग़लती से लिखा गया है, इसकी जगह असली शब्द बेईमान है। इस उत्तर से मुगल सम्राट् औरंगजेब की तो तसल्ली हो गई, पर श्री गुरु हरराय जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने रामराय को अपने सामने न आने का आदेश दिया।

5. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Appointment of Successor) : क्योंकि रामराय ने औरंगजेब के सामने श्री गुरु नानक देव जी की वाणी बदल कर कायरता दिखाई थी। इसलिए श्री गुरु हरराय जी उससे नाराज़ हो गए। रामराय ने चाहे कीरतपुर पहुँच कर गुरु जी से क्षमा मांगी, पर गुरु हरराय जी प्रसन्न न हुए। गुरु जी ने इस घटना के पश्चात् अपने छोटे तथा पाँच साल के बेटे हरकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।

श्री गुरु हरकृष्ण जी का योगदान (1661 ई० - 1664 ई०)
(Contribution of Sri Guru Harkishan Ji)

अक्तूबर 1661 ई० में आठवें श्री गुरु हरकृष्ण जी गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी उम्र 5 साल 3 महीने की थी। बाल अवस्था में गुरु बनने के कारण उन्हें 'बाल - गुरु' कहा जाता है। वह 30 मार्च 1664 ई० तक गुरु रहे। इस थोड़े से समय में ही उन्होंने सिक्ख धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए निम्नलिखित महान् कार्य किए :-

1. रामराय का विरोध (Opposition of Ram Rai) : रामराय अपने छोटे भाई श्री गुरु हरकृष्ण जी का गुरु-गद्दी पर बैठना सहन न कर सका। उसने बहुत से स्वार्थी तथा भ्रष्ट मसंदों से सांठ-गांठ कर के स्वयं को गुरु घोषित कर दिया। पर सिक्खों ने रामराय को गुरु मानने से इन्कार कर दिया क्योंकि गुरु हरकृष्ण आदेशानुसार सिक्ख धर्म का प्रचार व प्रसार कर रहे थे। इस पर निराश होकर रामराय दिल्ली चला गया। उसने औरंगजेब के सामने अपने भाई (गुरु हरकृष्ण जी) की शिकायत की तथा गुरु गद्दी पर अपना अधिकार जताया। औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण का झगड़ा मिटाने का फैसला किया।

2. औरंगजेब का गुरु हरकृष्ण को दिल्ली बुलाना (Guru Harkrishan Ji called to delhi by Aurangzeb) : औरंगजेब कूटनीति की कला में बड़ा निपुण था। वह दोनों भाइयों (रामराय तथा श्री गुरु हरकृष्ण जी) की आपसी फूट का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहता था। इसलिए उसने श्री गुरु हरकृष्ण को दिल्ली पहुँचने का संदेश भेजा। बाल गुरु 1664 ई० में कीरतपुर से अपनी माता तथा कुछ सिक्खों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। क्योंकि वे प्रत्येक मार्ग पर सिख धर्म का प्रचार व प्रसार करते गए थे, इसलिए उनके साथ हज़ारों की तादाद में और भी संगते मिल गईं।

3. श्री गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली में (Sri Guru Harkishan at Delhi) : रास्ते में सिक्ख धर्म का प्रचार करते हुए श्री गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली पहुँच गए। वे राजा जयसिंह के बंगले में ठहरे। राजा जयसिंह ने गुरु जी की सूझ-बूझ देखने के लिए अपनी महारानी को बहुत सी दासियों के बीच में जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, बिठा दिया। फिर गुरु जी को कहा गया कि वे महारानी की गोद में बैठें। बालगुरु ने सभी-औरतों के चेहरों के ध्यान से देखा। अंत में वह महारानी को पहचान कर उसकी गोदी में जा बैठे। जयसिंह गुरु जी की इस सूझ-बूझ से बहुत प्रभावित हुआ। इस स्थान पर आजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब बना हुआ है।

ज्योति-ज्योत समाना (Immersed In Eternal Light) : दिल्ली में निवास के समय से ही गुरु जी को चेचक ने जकड़ लिया तथा वह तेज़ बुखार के उपरान्त ज्योति-ज्योत समा गए। अपने ज्योति-ज्योत समा जाने से पहले पाँच पैसे तथा एक नारियल मंगवा लिया। उन वस्तुओं को पकड़ कर, उन्होंने तीन बार घुमाया तथा साथ ही कहा, 'बाबा बकाला' इन शब्दों का भावार्थ-यह था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गाँव, (अमृतसर) में है तथा वे उनके दादा हैं।

श्री गुरु हरकृष्ण जी 30 मार्च, 1664 ई० को ज्योति-ज्योत समा गए।

श्री गुरु तेग बहादुर जी का योगदान (1664 ई० - 1675 ई०)
(Contribution of Sri Guru Tegh Bahadur Ji)

मार्च 1664 ई में दिल्ली में श्री गुरु हरकृष्ण जी ने अपने ज्योति-ज्योत समा जाने से पहले दो शब्द कहे थे- बाबा बकाला। इसलिए 11 अगस्त 1664 ई० को दरगाह मल तथा अन्य कई व्यक्ति श्री गुरु हरकृष्ण जी की तरफ से भेजे गए नारियल तथा पाँच पैसे लेकर बकाला पहुँचे। उन्होंने वे पाँच पैसे तथा नारियल तेग बहादुर जी (जो बकाला में भौरे में रह कर भक्ति करते थे) के आगे रख कर उनको श्री गुरु हरकृष्ण जी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई गुरदित्ता जी (बाबा बुड्डा जी के सुपुत्र) जो वहां उपस्थित थे, ने उनके माथे पर तिलक लगाया। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 1664-1675 ई० तक गुरु गद्दी संभाली। इस काल दौरान उन्होंने सिक्ख धर्म के प्रचार के लिए जो काम किए, उनका वर्णन इस प्रकार है

श्री गुरु तेग बहादुर जी की यात्राएं
(Travels of Sri Guru Tegh Bahadur Ji)

गुरु गद्दी पर बैठने के कुछ समय उपरान्त ही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों में सत्य तथा प्रेम का संदेश पहुँचाने के लिए स्थान-स्थान की यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने पंजाब, बंगाल तथा आसाम तक लगभग सारे उत्तरी बारत की यात्रा की। उनकी यात्राओं का उद्देश्य सिक्ख धर्म का प्रचार करना तथा मानव-मात्र का कल्याण करना था।

1. अमृतसर (Amritsar) : बकाला से मक्खन शाह, दरगाह मल आदि सिक्खों को साथ लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी सबसे पहले अमतृसर पहुँचे। वे वहां 22 नवम्बर 1664 ई० को पहुँचे। उन दिनों हरिमंदिर साहिब पर मेहरबान के पुत्र हरजी मीना (पृथी चंद की पोता) का अधिकार था। अमृतसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के वहाँ

पहुँचने का समाचार सुन कर उसने हरिमंदिर साहिब के सभी दरवाज़े, बंद करवा दिए। गुरु साहिब हरिमन्दिर साहिब के दर्शन न कर सके। गुर साहिब जहाँ ठहरे, उस स्थान को 'थम्म साहिब' या 'थड़ा साहिब' कहा जाता है।

2. वल्ला (Walla) : कुछ श्रद्धालु सिक्खों तथा हरीयां (Hariyan) नामक स्त्री के निमन्त्रण पर श्री गुरु तेग बहादुर अमृतसर से तकरीबन 6 किलोमीटर स्थित वल्ला नामक गाँव में चले गए। वल्ला गाँव में स्त्रियों ने गुरु जी को लंगर-पानी छकाया तथा उनका सम्मान भी किया। उन्होंने हरिमंदिर साहिब के 'मंसदों' की तरफ से उन के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी।

3. घूके वाली या गुरु का बाग (Ghukewali or Guru Ka Bagh) : वल्ला से चल कर श्री गुरु तेग बहादुर उत्तर-पश्चिम की तरफ घूकेवाली गाँव में पहुँचे। वहां पर वह भाई घूका (गाँव का संस्थापक) के पुत्र लालचंद के घर ठहरे। उस गाँव में बहुत से पेड़ व हरयिाली देख कर गुरु जी ने उस गांव का नाम 'गुरु का बाग' रख दिया। उन्होंने वहाँ के लोगों की ज़रूरत के अनुभव करते हुए एक कुआँ भी खुदवाया।

4. श्री गुरु तेग बहादुर जी माझा के अन्य स्थानों में भी गए (Sri Guru Tegh Bahadur Visited some other places of Majha) : घूकेवाली से गुरु जी माझा प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भी गए। वे खडूर साहिब, गोईंदवाल तथा तरनतारन भी गए, जहां बहुत से सिक्ख उनके दर्शनों के लिए आए। वहां से वे खेमकरन पहुँचे। वहां पर चौधरी रघपत राय ने गुरु जी को एक घोड़ी भेंट की।

5. बकाला (Bakala) : खेमकरन से श्री गुरु तेग बहादुर जी बकाला में पहुँचे। वहाँ के कई लोग गुरु जी से ईर्ष्या की भावना रखते थे। इसलिए गुरु जी ने बकाला को छोड़ने का फैसला कर लिया तथा कीरतपुर जाकर धर्म का प्रचार करने लगे। पर वहां उन्हें धीर मल ने चैन से न रहने दिया। उन्होंने कीरतपुर को छोड़ने का भी मन बना लिया।

6. बिलासपुर (Bilaspur) : श्री गुरु तेग बहादुर जी अभी कीरतपुर में ही थे कि बिलासपुर के राजा दीपचंद की मौत हो गई। वे वहां से बिलासपुर गए तथा राजा की 'क्रिया' की रस्म में शामिल हुए। स्वर्गीय राजा दीपचंद की पत्नी जलाल देवी ने गुरु साहिब का हार्दिक स्वागत किया तथा उनको ठहरने की सभी सुविधाएं प्रदान कीं।

7. चक्क नानकी की नींव (Foundation of Chak Nanaki) : श्री गुरु तेग बहादुर जी जब बिलासपुर में ही ते तो उन्होंने रानी चंदा को कीरतपुर छोड़ने के बारे में बताया तथा कीरतपुर के पास एक नया शहर बसाने की अपनी योजना के बारे में भी बताया। गुरु जी ने रानी को 500 रुपए देकर वह ज़मीन 19 जून, 1665 ई० को खरीद ली तथा उस भूमि पर नये नगर की नींव रखी गई जिसका नाम 'चक्क नानकी' रखा गया।

पूर्व भारत के अन्य स्थानों की यात्राएँ

8. सैफ़ाबाद (Saifabad) : अगस्त 1665 ई० को श्री गुरु तेग बहादुर जी रोपड़, बनूड़ तथा राजपुरा होते हुए सैफाबाद पहुँचे। वहाँ का मनसबदार नवाब सैफ-ऊ-द्दीन स्वयं उदार धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। जब उसे गुरु जी के पहुँचने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह स्वयं आगे आया। वह गुरु जी तथा उनके साथियों को महलों में ले गया। वहाँ पर गुरु जी कुछ दिन रहे तथा उन्होंने वहाँ पर सिक्ख धर्म का प्रचार भी किया। यहाँ पर गुरुद्वारा बहादुरगढ़ (पटियाला) स्थापित है।

9. कैथल (Kaithal) : सैफाबाद से चल कर श्री गुरु तेग बहादुर जी कैथल पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक गरीब बढ़ई मिला। वह गुरु जी को अपने घर ले गया। माता गुजरी जी का बढ़ई की पत्नी ने स्वागत किया। वहाँ पर 'संगत' की गई। कैथल से श्री गुरु तेग बहादुर जी कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। रास्ते में पेहोवा में वे उन धार्मिक स्थानों पर गए जिनको पहले (पूर्व) गुरुओं के सम्मान में सिक्खों ने बनाया था।

10. कुरुक्षेत्र (Kurukushetra) : बरना से होते हुए गुरु जी व उनके साथी कुरुक्षेत्र पहुँचे। यह शहर योगियों, संतों, ब्राह्मणों का शहर था। यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अमर दास जी तथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा स्थापित किए गुरुद्वारों में वे अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करने गए। कुरुक्षेत्र से चल कर गुरु तेग बहादुर जी बानीबदरपुर, कड़मानकपुर होते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में राजपूत राजा राम सिंह को मिलने के बाद वह पूर्वी भारत की यात्रा के लिए चल पड़े। मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस, ससराम तथा गया से पटना पहुँचे।

11. पटना (Patna) : मई 1666 ई० के अंत में श्री गुरु तेग बहादुर जी पटना पहुँचे। जून से लेकर सितम्बर तक गुरु जी पटना में ही रहे। प्रतिदिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु गुरु जी के दर्शन करने तथा उपदेश सुनने के लिए आते। उस समय गुरु जी की पत्नी माता गुजरी गर्भवती थी। उन्हें पटना छोड़ कर गुरु जी ने ढाका की यात्रा करने का फैसला किया।

12. श्री गुरु तेग बहादुर ढाका में (Sri Guru Tegh Bahadur at Dhaka) : पटना से 1666 ई० में अक्तूबर के मध्य में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ढाका (वर्तमान बंगला देश की राजधानी) पहुँचे। उस समय ढाका भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। उन दिनों ढाका सिक्ख धर्म के प्रचार का केन्द्र भी था। ढाके में दो प्रकार की संगतें थी जो कि एक उदासी महापुरुष ने स्थापित की थी। इस गुरुद्वारे में भाई नत्था उदासियों का मुखिया था। दूसरी संगत भाई बलाकी दास के अधीन थी। वह बंगाल की सभी संगतों का प्रमुख मसंद था। उन्होंने गुरु जी का स्वागत किया तथा हार्दिक अभिनन्दन भी किया।

22 दिसम्बर 1666 ई० को पटना में गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। यह शुभ समाचार श्री गुरु तेग बहादुर जी को ढाका में ही मिला।

13. श्री गुरु तेग बहादुर जी की बंगाल की यात्राएँ (Other Travels of Sri Guru Tegh Bahadur In Bengal) : श्री गुरु तेग बहादुर जी ने राजा राम सिंह के सहयोग से बंगाल के कई क्षेत्रों का दौरा किया। वे सिलहट, दक्षिण की तरफ चिटगाँव तथा सोनद्वीप भी गए। वहाँ से वे अगरतला होने हुए कौमीला, लक्सम, दौलतगंज, सीताकुंड तथा हाथाजरी गए। 1667 ई० के अंत में वे चिटगाँव गए। वहाँ पर उन्होंने सिक्ख धर्म का एक केन्द्र खोला।

14. धुबरी (Dhubri) : आसाम के अहोम शासक चक्रध्वज सिंह ने मुगलों को गुवाहटी में से निकलने को मजबूर कर दिया था। औरंगजेब ने राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना वहाँ भेजी। उसे श्री गुरु तेग बहादुर की विनय करके उन्हें साथ चलने के लिए मना लिया।

1669 ई० के आरम्भ में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने धूबड़ी में अपना पड़ाव डाला। उधर राजा राम सिंह ने मुगल सेना सहित आगे बढ़ कर रंगमती में पड़ाव डाल लिया। अहोम सेना ने मुगल सेना का डटकर सामना किया। अंत में गुरु साहिब ने राजा राम सिंह तथा चक्रध्वज सिंह में समझौता करवा दिया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। शीघ्र ही गुरु साहिब ने वापसी की तैयारी कर ली।

आसाम से श्री गुरु तेग बहादुर जी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से होते हुए दिल्ली पहुँचे। वहाँ से वे रोहतक, कुरुक्षेत्र, पेहोवा आदि स्थानों से होते हुए लखनौर पहुँचे।

लखनौर से गुरु तेग बहादुर बकाला होते हुए चक्क नानकी पहुँचे। इस समय तक उस नगर में काफी भवनों का निर्माण हो चुका था। इसलिए गुरु साहिब अपने परिवार समेत वहीं बस गए।

पंजाब के मालवा तथा बांगर प्रदेश की यात्राएँ
(Travels in Malwa and Bangar Regions of Punjab)

1672-73 ई० के आरम्भ में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने मालवा तथा बांगर प्रदेश में सिक्ख धर्म का प्रचार व प्रसार करने का मन बनाया। वे इस कार्य के लिए मालवा तथा बांगर प्रदेश में लगभग दो वर्ष रहे। वे जहां भी गए, वहाँ आज भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा मौजूद है। इस इलाके में जो दौरे गुरु साहिब ने किए, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

चक्क नानकी से चल कर गुरु जी फिर दूसरी बार सैफाबाद गए। सैफ-उद-दीन ने उनका फिर बड़ा मान-सम्मान किया। सैफाबाद से श्री गुरु तेग बहादुर जी पटियाला गए। आजकल के दु:ख-निवारण गुरुद्वारा वाले स्थान पर उन्होंने अपने चरण रखे। वहाँ से वे मोती बाग वाले गुरुद्वारे साहिब वाली जगह पर पहुँचे। पटियाला से गुरु तेग बहादुर जी मूलोवाल गाँव में गए। वहाँ पर पानी की बड़ी कमी थी। वहाँ पर उन्होंने कुआँ खुदवाया। मूलोवाल से वे गाँव सेखों में गए। वे सेखों से ढिलवाँ, खीवा, समऊँ, तीखी, खियाला, मौड़, तलवंडी साबो, बठिंडा तथा धमधान पहुँचे। इन पिछड़े हुए गाँवों के लोगों के दु:ख-तकलीफों को दूर करने के उन्होंने यत्न किए। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हज़ारों लोग उनके श्रद्धालु बन गए।

गुरु साहिब की शहादत
(Martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur)

श्री गुरु तेग बहादुर जी मालवे के गाँवों की यात्रा के बाद आनंदपुर साहिब चले गए। गुरु तेग बहादुर के पास कश्मीरी पंडितों ने फरियाद की कि औरंगजेब की आज्ञा से उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। उनकी प्रार्थना सुन कर गुरु जी ने आत्म-बलिदान करने का निश्चय कर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। गुरु साहिब ने इस्लाम धर्म को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर 11 नवंबर 1675 ई० को दिल्ली के चाँदनी चौक में उन्हें शहीद कर दिया गया।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखो।

1. भाई लहना किस गुरु साहिब का पहला नाम था ?
2. लंगर-प्रथा से क्या भाव है ?
3. गोईंदवाल साहिब में बाऊली (जल स्त्रोत) की नींव किस गुरु ने रखी थी ?
4. अकबर कौन से गुरु साहिब को मिलने गोईंदवाल साहिब आया ?
5. मसंद प्रथा के उद्देश्य लिखिए।
6. सिक्खों के चौथे गुरु कौन थे तथा उन्होंने कौन सा शहर बसाया ?
7. हरिमंदिर साहिब की नींव कब तथा किसने रखी ?
8. हरिमंदिर साहिब के दरवाजे चारों दिशाओं में रखने से क्या भाव है ?
9. श्री गुरु अर्जुन देव जी द्वारा स्थापित किए गए चार शहरों के नाम लिखिए।
10. 'दसवंध' से क्या भाव है ?

11. 'आदि ग्रंथ' का संकलन क्यों किया गया ?

12. श्री गुरु अंगद देव जी संगत प्रथा के द्वारा सिक्खों के क्या उपदेश देते थे ?

13. श्री गुरु अंगद देव जी की लंगर-प्रथा के बारे में जानकारी दो ?

14. श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा अखाडे की स्थापना के बारे में लिखिए।

15. गोईंदवाल साहिब के बारे में आप क्या जानते हो ?

16. श्री गुरु अमरदास जी के जाति-पाति के बारे में विचार बताओ ?

17. सती-प्रथा के बारे में श्री गुरु अमरदास जी के क्या विचार थे ?

18. श्री गुरु अमरदास जी ने जन्म, विवाह तथा मृत्यु सम्बन्धी रीतियों में क्या सुधार किए ?

19. रामदासपुर या अमृतसर की स्थापना की महत्ता बताइए ?

20. लाहौर की बाऊली (जलस्त्रोत) के बारे में जानकारी दीजिए।

21. श्री गुरु अर्जुन देव जी के समाज-सुधार के कोई दो काम लिखो।

22. श्री गुरु अर्जुन देव जी के समाज-सुधार के कोई दो काम लिखो।

23. श्री गुरु अर्जुन देव जी तथा अकबर के सम्बन्धों का वर्णन करो।

24. जहांगीर श्री गुरु अर्जुन देव जी को क्यों शहीद करना चाहता था ?

25. मीरी तथा पीरी की तलवारों की विशेषताएं बताएं।

26. अमृतसर की किलाबंदी के बारे में श्री गुरु हरगोबिंद जी ने क्या किया ?

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में लिखिए :-

1. गोईंदवाल साहिब की बाऊली (जलस्त्रोत) का वर्णन करो।
2. मंजी-प्रथा से क्या भाव है तथा इसका क्या उद्देश्य था ?
3. श्री गुरु अमरदास जी ने सिक्खों को उदासी मत से कैसे अलग किया ?
4. श्री गुरु अमरदास जी ने विवाह की रस्मों में क्या सुधार किए ?
5. आनंद साहिब के बारे में लिखो।
6. रामदासपुर या अमृतसर की स्थापना का वर्णन करो।
7. श्री हरिमंदिर साहिब के बारे में जानकारी दीजिए।
8. तरनतारन साहिब के बारे में आप क्या जानते हो ?
9. मसंद-प्रथा से सिख धर्म को क्या लाभ हुए ?
10. श्री गुरु हरगोबिंद जी के रोज़ाना जीवन के बारे में लिखें।
11. अकाल तख्त के बारे में आप क्या जानते हैं ?
12. श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा सिक्ख धर्म के विकास के लिए किए गए किन्हीं चार कार्यों पर प्रकाश डालिए।

13. मसंद प्रथा सिख धर्म के विकास के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हुई ?

14. श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत पर एक नोट लिखिए।

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखिए-

1. श्री गुरु अंगद देव जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए क्या योगदान दिया ?
2. श्री गुरु अमरदास जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए क्या-क्या कार्य किए ?
3. श्री गुरु अमरदास जी द्वारा किये गये सुधारों का वर्णन करो।
4. श्री गुरु रामदास जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए क्या यत्न किए ?
5. श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए क्या योगदान दिया ?
6. मसंद-प्रथा के आरम्भ, विकास तथा लाभों का वर्णन करो।
7. श्री गुरु हरगोबिंद जी की नई नीति का वर्णन करो।
8. नई नीति के अतिरिक्त श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए अन्य क्या कार्य किए ?
9. सिक्ख धर्म के विकास के लिए श्री गुरु हरराय जी के कामों का वर्णन करो।
10. श्री गुरु हरकृष्ण जी ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए क्या योगदान दिया ?
11. श्री गुरु तेग बहादुर जी की मालवा-यात्रा का वर्णन करो।

******

अध्याय-5

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का जीवन, खालसा का सृजन, तथा उनका व्यक्तित्व
(Sri Guru Gobind Singh Ji'S Life, Creation of Khalsa and His Personality)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी सिक्खों के दसवें तथा सिक्ख धर्म के अंतिम देहधारी गुरु हुए हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने सिक्ख धर्म की स्थापना का कार्य किया था। उनके आठ उत्तराधिकारों ने धीरे-धीरे सिक्ख धर्म का प्रचार व प्रसार किया। पर उस कार्य को सम्पूर्ण करने वाले श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ही थे। उन्होंने 1699 ई० में खालसा की स्थापना कर के सिक्ख मत को अन्तिम रूप दिया। उन्होंने सिक्खों में विशेष दिलेरी, बहादुरी तथा एकता की भावना उत्पन्न कर दी। सीमित साधनों तथा बहुत थोड़े सिक्ख-सैनिकों की सहायता से उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के अत्याचारों का विरोध किया। ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने गुरु-परम्परा का अंत करते हुए गुरु की शक्ति गुरु ग्रन्थ साहिब को अर्पित की। इसीलिए उनमें एक ही समय में आध्यात्मिक नेता, उच्च कोटि का संगठन-कर्त्ता, जन्म-सिद्ध सेनानायक, प्रतिभाशाली विद्वान तथा उत्तम सुधारक के गुण विद्यमान थे। उनके जीवन, खालसा का सृजन, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ तथा उनके व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार है :-

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का जीवन (1666 ई० - 1708 ई०)
(Life of Sri Guru Gobind Singh Ji)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने पिता को शहादत के लिए स्वयं भेजा। उन्होंने बहादुर सैनिकों का सृजन करके तथा खालसा को सजा कर मुग़ल साम्राज्य से टक्कर ली। उन्होंने उत्तम साहित्य की रचना की। उनका सारा जीवन संघर्षपूर्ण रहा।

(क) जन्म तथा माता-पिता (Birth and Parentage) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्म 22 दिसम्बर 1666 ई० में पटना (बिहार की राजधानी) में हुआ। उनकी माता का नाम गुजरी जी था। वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते पुत्र थे।

जिस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी भारत के पूर्वी प्रदेशों की यात्रा कर रहे थे, उस समय माता गुजरी जी अपने शेष परिवार के साथ पटना में ठहरी हुई थीं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदेश अनुसार ही नवजात बालक का नाम गोबिन्द दास रखा गया। कुछ समय पश्चात् उन्हें गोबिन्द राय भी कहा जाने लगा।

(ख) पटना में बचपन (Childhood in Patna) : गोबिन्द राय जी ने अपने जीवन के प्रारम्भिक पाँच वर्ष पटना में ही बिताए। बचपन में वे ऐसे खेल खेलते थे, जिनसे यह पता चलता था कि एक दिन वे महान् धार्मिक नेता बनेंगे। वे अपने साथियों की दौड़ें तथा कुश्तियाँ करवाया करते थे। वे स्वयं भी उन खेलों में भाग लिया करते थे। वे अपने साथी बच्चों को दो हिस्सों में बांट कर उनसे नकली युद्ध भी करवाया करते थे। वे अपने साथियों के झगड़े का निपटारा करने के लिए अदालत भी लगाया करते थे। गोबिन्द राय जी के दर्शन करके घुड़ाम (पटियाला) के एक मुस्लिम फ़कीर, सय्यद भीखन शाह ने ये वचन कहे थे कि एक दिन यह बालक महां पैगम्बर बनेगा।

(ग) लखनौर में दस्तार-बंदी की रस्म (Dastar Ceremony in Lakhnaur) : 1671 ई० में गोबिन्द राय जी, उनके माता, दादी तथा अन्य सिक्ख श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज्ञा अनुसार लखनौर पहुँच गए। यहाँ पर बालक गोबिन्द राय की दस्तारबंदी की रस्म पूरी की गई। उनके बड़े मामा मेहरचंद ने उनके सिर पर हरे रंग

की पगड़ी रखी। इस सुअवसर पर बालक गोबिन्द राय जी को सुन्दर कपड़े पहनाए गए तथा हथियार सजाए गए।

(घ) शिक्षा (Education) : 1672 ई० के आरम्भ में श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार सहित चक्क नानकी (आनन्दपुर साहिब) में रहने लगे। साथ ही साथ गोबिन्द राय जी की शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध किया गया। काज़ी पीर मुहम्मद उन्हें फारसी पढ़ाते तथा पंडित हरजस उनको संस्कृत का ज्ञान देते। राजपूत बंजर सिंह ने उनको घुड़सवारी तथा अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। गुरमुखी का ज्ञान उन्होंने भाई साहिब चंद तथा भाई सतिदास से लखनौर में ही लेना शुरू कर दिया था।

(ङ) गुर-गद्दी की प्राप्ति तथा पिता की शहादत (Attainment of Guruship and Marrtydom : मई 1675 ई० में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था (समूह) श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचा। उन्होंने गुरु जी को कश्मीरी पंडितों पर हो रहे मुग़ल अत्याचारों के बारे में बताया। उनकी सारी बात को सुनकर गुरु जी ने कहा कि इस समय किसी महान् पुरुष के बलिदान की ज़रूरत है। यह सुनकर बालक गोबिन्द राय ने कहा कि इस कार्य के लिए आपसे बढ़ कर महान् और कौन हो सकता है ? अपने पुत्र के मुँह से ये शब्द सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया।

श्री गुरु तेग बहादुर जी गोबिन्द राय को गुर-गद्दी सौंपकर अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। रास्ते में मालिकपुर गांव के निकट उन्हें कैद कर लिया गया। 11 नवम्बर 1675 ई० को उन्हें तथा उनके साथियों को दिल्ली के चाँदनी चौक में शहीद कर दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात् भाई जैता (भाई जीवन सिंह रंगरेटा) उनका शीश लेकर कीरतपुर साहिब पहुँचा। श्री गुरु गोबिन्द राय ने उसे सीने से लगाकर कहा- ''रंगरेटे - गुरु के बेटे''। आनन्दपुर साहिब जाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश का संस्कार कर दिया गया।

(च) गुरु साहिब का विवाह (Marriage of Guru Sahib) : कुछ विद्वानों ने श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की तीन पत्नियां-माता जीतो जी, माता सुन्दरी और माता साहिब कौर का उल्लेख किया है। परन्तु कुछ विद्वान इनके एक ही स्त्री के दो विभिन्न नाम मानते हैं, माता जीतो जी का दूसरा नाम माता सुन्दरी और अमृत छकने के बाद तीसरा नाम माता साहिब कौर बताते हैं। परन्तु इस बारे मतभेद मौजूद हैं। गुरु जी के चार पुत्र थे जिन्हें साहिबज़ादे कहा जाता है। उनके नाम हैं - बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा ज़ोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह।

(छ) सेना का संगठन (Organization of Army) : सिक्ख धर्म की रक्षा करने के लिए किरपाल चंद ने गुरु साहिब के लिए सेना का संगठन करना बहुत ज़रूरी समझा। इसलिए उसने गुरु साहिब की तरफ से यह घोषणा कर दी कि जिस सिक्ख के चार पुत्र हों, उनमें से वह दो को गुरु साहिब की सेना में भर्ती करवाए। सिक्खों को यह भी हुक्म दिया गया कि वे अन्य वस्तुओं के स्थान पर उन्हें घोड़े तथा शस्त्र भेंट करें। परिणामस्वरूप शीघ्र ही गुरु साहिब के पास अनगिनत सैनिक तथा युद्ध-सामग्री इकट्ठी हो गई।

(ज) गुरु जी के राजसी चिह्न तथा शानदार दरबार (Royal Symbols and Regal Court of the Guru) : गुरु गोबिन्द राय जी ने भी अपने दादा श्री गुरु हरगोबिन्द जी की तरह राजसी चिह्नों को अपनाया। वे अपनी पगड़ी पर कलगी सजाने लगे। वे राजगद्दी की तरह ऊँचे सिंहासन पर विराजमान होने लगे। वे अपने सिक्खों के दीवान सुन्दर तथा मूल्यवान तम्बुओं में लगाने लगे। उन्होंने साहसी सिंहों के साथ-साथ अपने पास हाथी तथा घोड़े रखने शुरू कर दिए। वे आनन्दपुर के जंगलों में शिकार भी खेलने जाते। उन्होंने 'रणजीत नगाड़ा' भी बनवाया।

(झ) पाऊँटा साहिब में गुरु जी के कार्य (The Guru's activities at Paonta Sahib) : आनन्दपुर साहिब में गुरु साहिब द्वारा की गई कार्यवाहियाँ बिलासपुर के राजा भीमचंद को अच्छी नहीं लगती थीं। इसलिए वह किसी न किसी बहाने गुरु जी से लड़ना चाहता था, पर गुरु जी उससे लड़ कर अपनी सैनिक शक्ति नहीं गंवाना चाहते थे। इसलिए वे नाहन के राजा मेदिनी प्रकाश के निमन्त्रण पर नाहन राज्य में चले गए।

नाहन राज्य में यमुना नदी के किनारे एक सुन्दर एकांत स्थान को चुन लिया। उस स्थान का नाम 'पाऊँटा साहिब' रखा गया, जिसका अर्थ है- 'पैर रखने का स्थान।' गुरु जी ने यहाँ 52 कवि भी रखे। उन्होंने तथा गुरु जी ने

अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा साहित्य में बढ़ौतरी की।

अपने सिक्खों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उन्होंने रामायण तथा महाभारत के अनुवाद भी करवाए। उन्होंने अपने सिक्खों को घुड़सवारी, तीर-कमान तथा तलवार चलाने की शिक्षा भी दी। गुरु साहिब ने सढौरा के पीर बुद्ध शाह के कहने पर 500 पठानों की सेना को भी अपनी सेना में मिला लिया।

(ञ) खालसा की स्थापना से पहले की लड़ाइयाँ (Battles of Pre-Khalsa Period) : खालसा की स्थापना से पहले श्री गुरु गोबिन्द राय जी को 1688 ई० में भंगाणी का युद्ध लड़ना पड़ा। उस युद्ध में गुरुजी ने राजा फतेह शाह तथा उसके साथियों को हराया। गुरु जी की यह पहली और महत्त्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के बाद गुरु जी फिर से आनन्दपुर साहिब आ गए। उन्होंने वहाँ आनन्दगढ़, लोहगढ़, केसगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक चार किलों का निर्माण करवाया।

जब मुग़ल सम्राट् औरंगज़ेब को दक्षिण में श्री गुरु गोबिंद राय की बढ़ती हुई शक्ति का समाचार मिला तो उसने 1694 ई० में पंजाब के शासकों को हुक्म दिया कि वे गुरु जी के खिलाफ युद्ध छेड़े। कांगड़ा प्रदेश के फौजदार ने अपने पुत्र खाँज़ादा को गुरु जी के खिलाफ भेजा। सिक्खों ने उसे हरा दिया। गुरु साहिब को शानदार विजय प्राप्त हुई।

खाँज़ादा रुस्तम खाँ की असफलता के बाद 1696 ई० के आरम्भ में कांगड़ा प्रदेश के फौजदार ने हुसैन खाँ को गुरु जी के खिलाफ भेजा, पर वह पहाड़ी राजाओं के साथ ही उलझ कर रहा गया। शहज़ादा मुअज्ज़म ने गुरु साहिब तथा पहाड़ी राजाओं की शक्ति को कुचलने के लिए कई यत्न किए। वह पहाड़ी राजाओं को कुचलने में तो सफल हो गया, पर शहज़ादे ने गुरु जी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही न की।

(ट) खालसा की स्थापना (Creation of Khalsa) : वैसाखी वाले दिन 1699 ई० को श्री गुरु गोबिन्द राय जी ने खालसा की स्थापना की। उन्होंने अमृत तैयार करके पाँच प्यारों - भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह तथा भाई साहिब सिंह का चुनाव किया। फिर उन पाँचों प्यारों से अमृत की पान करके अपने व उनके नाम के साथ 'सिंह' शब्द लगाया। फलस्वरूप वे पाँच प्यारे सिंह भी सज गए तथा वे स्वयं भी सिंह सज गये तथा उनका नाम श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी हो गया।

(ठ) उत्तर खालसा काल की लड़ाइयाँ (Battles of Post Khalsa Period) : खालसा की स्थापना के बाद के काल को 'उत्तर खालसा काल' कहा जाता है। इस समय दौरान गुरु जी युद्धों में ही लगे रहे। उन्होंने 1701 ई० में आनन्दपुर साहिब का पहला युद्ध, 1702 ई० में निरमोह का युद्ध, 1702 ई० में ही बसौली का युद्ध, 1704 ई० में आनन्दपुर साहिब का दूसरा युद्ध, शाही टिब्बी का युद्ध, सरसा का युद्ध, 1704 ई० में चमकौर साहिब का युद्ध लड़ा। चमकौर साहिब से निकल कर माछीवाड़ा, दीना आदि स्थानों से होते हुए वे खिदराना (मुक्सतर) पहुँचे तथा वहाँ 1705 ई० में उन्होंने मुगल सेना को हराया।

खिदराना से गुरुजी तलवंडी साबो चले गए। वहाँ से वे दक्षिण की तरफ चले गए।

(ड) गुरु साहिब का ज्योति-ज्योत समा जाना (Immerce in Eternal Light) : गुरु गोबिन्द सिंह जी सितम्बर 1708 ई० में नांदेड (दक्षिण) पहुँचे। उन्होंने माधोदास को बंदा बहादुर के रूप में पंजाब भेजा।

सरहिंद के फौजदार ने दो पठानों को गुरु सहिब की हत्या करने के लिए नांदेड भेजा था। वे कभी-कभी गुरु जी के दरबार में भी जाते। एक दिन शाम को उनमें से एक पठान को उचित अवसर मिल गया। उस समय गुरु जी का निजी सेवक सो गया था। गुरु जी सो रहे थे। उस पठान ने मौका देख कर गुरु साहिब के पेट में अपना छुरा भौंक दिया। एक बार तो यह ज़ख्म ठीक हो गया, बाद में कमान का चिल्ला चढ़ाते समय यह ज़ख्म बिगड़ गया तथा गुरु जी 7 अक्तूबर 1708 ई० को ज्योति-ज्योत समा गए।

(खालसा का सृजन-1699 ई०)

(Creation of Khalsa-1699 A.D.)

1699 ई० को वैशाखी वाले दिन श्री गुरु गोबिन्द राय जी ने खालसा का सृजन किया। सिक्ख परम्परा में इस घटना को बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस घटना या खालसा की स्थापना के पीछे कुछ कारण भी थे।

कारण (Causes)

1. पहले नौ गुरुओं के सिक्ख मत के विकास के लिए किए गए कार्य (Measures for the Development of Sikhism by the previous Nine Gurus) : खालसा के बीज श्री गुरु नानक देव जी ने ही बो दिए थे। उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा व्यर्थ के रीति-रिवाजों का खंडन भी किया। उन्होंने संगत तथा पंगत प्रथा चला कर जाति-प्रथा पर चोट की। उन्होंने उस काल दौरान हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई। श्री गुरु नानक देव जी के बाद के सभी गुरुओं ने उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों को माना। परिणामस्वरूप श्री गुरु गोबिन्द राय जी ने सिक्खों में पाई जाने वाली सभी बुराइयों की दूर करने तथा उनमें हिम्मत, साहस तथा बहादुरी भरने के लिए खालसा का सृजन सिक्ख पहचान के रूप में स्थापित किया।

2. औरंगज़ेब के हिन्दुओं पर अत्याचार (Aurangzeb's Atrocites upon Hindus) : औरंगज़ेब भारत को इस्लाम की भूमि बनाना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने हिन्दुओं पर बहुत अत्याचार किए। उनके पवित्र मन्दिरों का ध्वंस किया गया। उन्हें उच्च सरकारी पदों से निकाल दिया गया। उन पर विशेष कर लगा दिए गए। उनके धार्मिक रीति-रिवाज़ों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। इस तरह से हिन्दुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। पर जहां गुरु जी ने हिन्दुओं की रक्षा करने के लिए अपने पिता का बलिदान दिया, वहीं पर उन्होंने खालसा के रूप में एक शक्तिशाली सेना की भी स्थापना करना चाही।

3. पहाड़ी राजाओं पर निर्भर न रहना (Unreliable Hill Rajas) : खालसा स्थापित करने से पहले श्री गुरु गोबिन्द राय जी ने पहाड़ी राजाओं से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न किए। नादौन के युद्ध (1690 ई०) में उन्होंने मुग़लों के विरुद्ध पहाड़ी राजाओं का साथ दिया था, पर बाद में पहाड़ी राजा मुग़लों के साथ जा मिले। इस पर गुरु जी ने महसूस किया कि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने खालसा की स्थापना की।

4. जाति-प्रथा का बन्धन (Rigid ties of Caste-System) : चाहे श्री गुरु गोबिन्द राय जी के पूर्वाधिकारियों ने जाति-प्रथा का खंडन किया था, परन्तु फिर भी अभी तक सिक्ख समाज में से जाति-प्रथा समाप्त नहीं हुई थी। इसीलिए गुरु साहिब ने जाति प्रथा के बन्धन को खतम करके अलग-अलग जातियों तथा धर्मों में से सिक्खों को लेकर खालसा की स्थापना की।

5. गुरु साहिब के जीवन का उद्देश्य (Mission of The Guru's Life) : श्री गुरु गोबिन्द राय जी अपनी जीवन-कथा 'बचित्तर नाटक' में लिखते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य संसार में धर्म का प्रचार करना, संतों की रक्षा करना तथा अत्याचारियों का विनाश करना है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने खालसा की स्थापना ज़रूरी समझी।

खालसा का जन्म

(Birth of the Khalsa)

1. पाँच-प्यारों का चुनाव (Selection of Five Beloved Ones Panj Piaras) : 1699 ई० को वैशाखी के दिन श्री गुरु गोबिन्द राय जी ने आनन्दपुर साहिब में सभा बुलाई। उस सभा की संख्या लगभग अस्सी हज़ार थी। जब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो गुरु जी ने म्यान में से तलवार निकाल कर ज़ोरदार शब्दों में कहा-क्या तुममें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सके ? गुरु जी ने ये शब्द तीन बार दोहराए। तीसरी बार पर लाहौर-निवासी दया राम ने उठ कर गुरु जी के सामने अपना शीश झुका दिया। गुरु जी उसे पास के

एक तम्बू में ले गए। फिर वे तम्बू से बाहर आए और उन्होंने पहले की तरह ही एक और व्यक्ति का शीश मांगा। इस बार दिल्ली का धर्म दास अपना सिर भेंट करने के लिए आगे आए। गुरु साहिब उसे भी तम्बू में ले गए। इस प्रकार गुरु जी ने पांच बार शीश की मांग की और पांच व्यक्तियों भाई दया राम, भाई धर्म दास, भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद, भाई साहिब चंद ने गुरु जी को अपने सिर भेंट किए। कुछ समय पश्चात् गुरु जी उन पाँचों व्यक्तियों को केसरिया रंग के सुन्दर वस्त्र पहना कर लोगों के बीच में ले आए। उस समय स्वयं भी गुरु जी ने वैसे ही वस्त्र पहने हुए थे। लोग उन पाँचों को देख कर आश्चर्यचकित हुए। गुरु साहिब ने उन्हें 'पाँच-प्यारे' की सामूहिक उपधि दी।

2. खंडे का पाहुल (Khanda Da Pahul) : उपरोक्त घटना के पश्चात् उन्होंने लोहे के बाटे (बड़ा बर्तन) में साफ पानी तथा पताशे डाल कर खंडे से हिलाना सुरू कर दिया। वे खंडे से हिलाने के साथ-साथ 'जपुजी साहिब', 'अनंद साहिब', 'जापु साहिब' 'सवैये' तथा 'चौपाई' का पाठ भी करते गए। इस प्रकार तैयार किया गया अमृत उस बाटे में से पाँचों प्यारों को बारी-बारी से छका दिया गया। गुरु जी ने उन पाँच-प्यारों को 'खालसा' का नाम दिया। उन्होंने उन सभी को अपने नाम के साथ 'सिंह' लगाने के लिए भी कहा।

गुरु साहिब ने भी उन पाँच प्यारों के हाथों से अमृत छका। वे भी गोबिन्द राय से गोबिन्द सिंह बन गए।

3. खालसा के सिद्धान्त (Principal of the Khalsa) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने खालसा के कर्त्तव्यों के बारे में निश्चित् नियमों की घोषणा की। वे नियम इस प्रकार हैं :-

(1) 'खालसा' में प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को 'खंडे (दोधारी तलवार) का पाहुल' सेवन करना पड़ेगा। उसके बाद वह स्वयं को खालसा कहलवाएगा।

(2) प्रत्येक खालसा अपने नाम के साथ 'सिंह' शब्द लगाएगा। खालसा स्त्री अपने नाम के साथ 'कौर' शब्द लगाएगी।

(3) खालसा पाँच 'ककार'-केश, कंघा, कड़ा, कछहरा तथा कृपाण धारण करेगा।

(4) खालसा केवल एक ईश्वर में विश्वास करेगा। वह किसी देवी-देवता तथा मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं करेगा।

(5) वह अमृत-समय (अल्-सुबह) उठ कर, स्नान करके, पाँचों बाणियों-जपुजी साहिब, जापु साहिब, आनन्द साहिब, सवैये तथा चौपाई का पाठ करेगा।

(6) वह मेहनत की कमाई करेगा। वह अपनी नेक कमाई में से धार्मिक कामों के लिए दसवंध (दसवां हिस्सा) भी निकालेगा।

(7) वह जाति-पाति तथा ऊँच-नीच के भेदभाव में विश्वास नहीं करेगा।

(8) वह अस्त्र-शस्त्र धारण करेगा। वह धर्म-युद्ध लड़ने के लिए सदा ही तैयार रहेगा।

(9) वह तम्बाकू तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। वह हलाल किया गया मांस भी नहीं खाएगा।

(10) वह अपने चरित्र को शुद्ध रखेगा तथा नैतिकता का पालना करेगा।

(11) खालसा लोग आपस में मिलते समय 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह'-बुलाएंगे।

खालसा के सृजन के महत्त्व तथा परिणाम
(Significance and Results of the Creation of the Khalsa)

खालसा की संरचना से लोगों के मनों में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया।

1. श्री गुरु नानक देव जी द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यों का पूरा होना (Completion of work begun by Sri Guru Nanak Dev Ji) : श्री गुरु नानक देव जी ने सिक्ख धर्म की नींव रखी थी। उनके सभी उत्तराधिकारियों ने सिक्ख धर्म के विकास के लिए अनेक काम किए। श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने खालसा का सृजन करके अपने पूर्व-अधिकारियों के कार्य को सम्पन्न किया।

2. मसंद-प्रथा का अंत (End of the Masand System) : चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 'मसंद-प्रथा' का आरम्भ किया था। मसंदों ने सिक्ख धर्म के प्रचार तथा प्रसार में निस्संदेह महत्त्वपूर्ण हिस्सा डाला था। पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय तक वे लोग स्वार्थी, लोभी तथा भ्रष्टाचारी हो गए थे। इसलिए श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपने सिंहों को हुक्म दिया कि वे मसंदों से किसी किस्म का सम्बन्ध न रखें। परिणामस्वरूप मसंद-प्रथा समाप्त हो गई।

3. खालसा संगतों का अत्याधिक महत्त्व (Increasing Importance of Khalsa Sangat) : खालसा संगत को 'खंडे का पाहुल' छकाने का अधिकार दिया गया। उनको सिक्खों में न्याय (निर्णय) करने का अधिकार भी दिया गया। परिणामस्वरूप खालसा संगतों का महत्त्व बढ़ गया।

4. सिक्खों की संख्या में बढ़ोतरी (Increase in the Number of the Sikhs) : पहले तो श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपने सिक्खों को अमृत छका कर खालसा बनाया। उसके उपरान्त गुरु साहिब ने यह हुक्म भी दे दिया कि खालसा के कोई पाँच सदस्य भी अमृत छका कर किसी को खालसा में शामिल कर सकते हैं। फलस्वरूप सिक्खों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई।

5. सिक्खों में नई भावना का संचार (Infusion of New Spirit among the Sikhs) : खालसा की स्थापना से सिक्खों में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अमृत छकने के बाद वे स्वयं को 'सिंह' कहलाने लगे। वे जाति-पाति के भेदभाव को भूल गए। 'सिंह' कहलाने के कारण उनमें डर तथा कायरता का कोई अंश न रहा। वे अपना चरित्र भी शुद्ध रखने लगे।

6. मुग़लों का सफलतापूर्वक विरोध (Successful resistance of the Mughals) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने खालसा सजा कर सिक्खों में बहादुरी तथा साहस की भावनाएं भर दीं। परिणामस्वरूप गुरु जी के सिक्खों ने 1699 ई० से 1705 ई० तक मुगलों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध लड़े। गुरु जी ने सीमित साधनों तथा मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शक्तिशाली मुगल सेना का सफलतापूर्वक विरोध किया।

7. गुरु साहिब के पहाड़ी राजाओं से युद्ध (Warfare between the Guru and the Hill Rajas) : खालसा की स्थापना से पहाड़ी राजा भी घबरा गए। विशेष तौर पर बिलासपुर का राजा भीमचंद गुरु साहिब की सैनिक कार्यवाहियों को देख कर बहुत डरा। परिणामस्वरूप उसने अन्य कई पहाड़ी राजाओं से गठजोड़ कर लिया। उन्होंने गुरु साहिब की शक्ति को दबाने का मन बनाया। इस कारण गुरु साहिब को खालसा की सृजन करने के बाद पहाड़ी राजाओं से कई युद्ध करने पड़े।

8. सिक्ख सम्प्रदाय का अलग स्वरूप (Separate form of Sikh Community) : श्री गुरु नानक देव जी ने समय से लेकर श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के काल तक सिक्खों के अपने तीर्थ-स्थान बन गए थे। सिक्खों के अपने पवित्र ग्रन्थ 'आदि ग्रन्थ' का संकलन हो चुका था। उनके दिन-त्योहार तथा रीति-रिवाज़ मनाने की अपनी ही प्रथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं। खालसा की स्थापना से सिक्खों ने पाँच 'ककारों' का पालन करके अपने

बाहरी स्वरूप को भी जन-साधारण से अलग कर लिया। खालसा वर्ग के पुरुष 'सिंह' तथा औरतें 'कौर' बन गई थीं।

9. खालसा ने हिन्दू धर्म को मिटने से बचा लिया (Khalsa saved Hinduism from Extinction) : औरंगज़ेब हिन्दुओं पर अत्याधिक अत्याचार कर रहा था। पंजाब में उसके जुल्म का सामना करने वाला खालसा ही था। खालसा से प्रभावित होकर देश के अन्य राज्यों के लोग भी औरंगज़ेब के अत्याचारों का विरोध करने लगे थे। परिणामस्वरूप हिन्दू धर्म की सब तरफ से रक्षा होने लगी। इस तरह से हिन्दू धर्म मिटने से बच गया।

10. खालसा की स्थापना से अन्ध-विश्वासों का अन्त (Death blow to superstitions) : खालसा अपने सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दुओं के पुराने अन्ध-विश्वास में विश्वास नहीं करता था। इसी तरह से खालसा ने यज्ञ, बलि, व्रत, मूर्ति पूजा तथा अंध-विश्वासों से नाता तोड़ लिया। इस तरह से खालसा ने अंधविश्वासों तथा अज्ञान का अन्त कर दिया।

11. सिक्ख सम्प्रदाय में लोकतांत्रिक तत्त्वों का प्रचलन (Democratic Elements in Sikhism) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने 'पाँच-प्यारों' को अमृत छकाने के बाद स्वयं भी उनके हाथों से अमृत-छका। उन्होंने यह भी हुक्म दिया कि कोई भी पाँच सिंह या संगत अन्य किसी व्यक्ति को अमृत छका सकती है। ज्योति-ज्योत समा जाने से पहले गुरु जी ने गुरु-शक्ति गुरु ग्रन्थ साहिब तथा खालसा में बांट कर लोकतंत्र की स्थापना कर दी। इस तरह गुरु श्री गोबिन्द सिंह जी देश के पहले लोकतांत्रिक हुए।

12. सिक्खों की राजनीतिक शक्ति का उत्थान (Rise of Political Powr of the Sikhs) : खालसा के संगठन से सिक्ख में दिलेरी, बहादुरी, निडरता, हिम्मत तथा आत्म-बलिदान की भावनाएँ जागृत हो उठीं। परिणामस्वरूप सिक्खों ने गुरु साहिब के ज्योति-ज्योत समाज जाने के बाद भी मुग़लों से संघर्ष जारी रखा। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में एक बार तो उन्होंने पंजाब के बहुत से इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर के बाद सिक्खों को बड़े कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने मुग़लों के बाद अफगानों का भी बड़ी हिम्मत, दिलेरी तथा बहादुरी से सामना किया। आखिर में उनके पंजाब के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य (मिसलें) स्थापित हो गए।

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की राजनीतिक तथा धार्मिक अत्याचारों के खिलाफ लड़ाइयाँ
(Battles of Sri Guru Gobind Singh against the Political and Religious Tyranny)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी प्रभु का नाम स्मरण करने वाले एक संत तथा एक महान् सिपाही भी थे। उनकी आध्यात्मिक तथा राजनीतिक गतिविधियां न तो पहाड़ी राजाओं से सहन हुईं तथा न ही उस समय की सरकार से। शासक निर्बलों पर जुल्म करके उनको लड़ने के लिए मजबूर करते ते। इसलिए गुरु जी को विरोधियों से कई लड़ाइयां लड़नी पड़ीं। कुछ लड़ाइयाँ वे हैं जो खालसा की स्थापना से पहले लड़ी गईं, उनको हम पूर्व-खालसा काल की लड़ाइयाँ कहते हैं। जो लड़ाइयाँ खालसा के सृजन के बाद लड़ी गईं, उनको हम उत्तर खालसा काल की लड़ाइयाँ कहते हैं।

पूर्व-खालसा काल की लड़ाइयाँ
(Battles of Pre-Khalsa Period)

(क) भंगाणी का युद्ध (1688 ई० में) (Battle of Bhangani 1688 A.D.) : कहलूर (बिलासपुर) के राजा भीमचंद से झगड़ा होने के कारण श्री गुरु गोबिन्द राय जी पाऊंटा साहिब चले गए थे। वास्तव में वे किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए पाऊंटा साहिब में रुक कर उन्होंने अपनी तथा अपने 52 कवियों की साहित्यिक गतिविधियों को उत्साहित किया। वे साथ ही साथ सैनिक तैयारियां भी करते रहे, क्योंकि उन्हें किसी भी समय पहाड़ी राजाओं का सामना करना पड़ सकता था। 1688ई० में उन्हें भंगाणी की लड़ाई लड़नी पड़ी।

कारण (Causes) : गुरु जी भंगाणी की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, पर पहाड़ी राजाओं ने उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राजा भीम चन्द के पुत्र अजमेर चन्द का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह की पुत्री से हो रहा था। श्री गुरु गोबिन्द राय जी के राजा फतेह शाह से अच्छे सम्बन्ध थे। गुरु जी ने उसकी पुत्री के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे जो भीमचन्द के कहने पर फतेहशाह ने वापिस कर दिये। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राजा भीमचन्द श्री गुरु गोबिन्द राय से बड़ी ईर्ष्या करता था तथा लड़ाई करने का बहाना ढूँढता था। जब उसके पुत्र की बरात गढ़वाल जा रही थी तो पाऊँटा साहिब में उनका सिक्खों से झगड़ा हो गया। राजा भीमचन्द ने बाकी राजाओं से मिलकर गुरु जी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। इसके निम्नलिखित कारण थे :-

(1) श्री गुरु गोबिन्द राय जी की सैनिक गतिविधियों को पहाड़ी राजा अपने लिए खतरा समझते थे।

(2) गुरु जी मूर्ति-पूजा के विरोधी थे, पर पहाड़ी राजा मूर्ति-पूजा में विश्वास करते थे।

(3) गुरु जी ने मुग़ल सेना में से निकाले गए 500 पठानों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। पहाड़ी राजा मुग़ल सरकार के वफादार थे। इसलिए उन्होंने गुरु जी की इस कार्यवाही को ठीक न समझा।

(4) आस-पास के मुग़ल फौजदारों ने पहाड़ी राजाओं को गुरु जी के खिलाफ उकसा दिया था।

(5) गुरु जी के साथ भीमचंद की पुरानी शत्रुता थी।

(6) इस युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि भीमचंद के पुत्र की बरात जो गढ़वाल जा रही थी, को सिक्खों ने पाऊंटा साहिब से गुज़रने न दिया। परिणामस्वरूप पहाड़ी राजाओं ने गुरु जी से युद्ध करने का मन बना लिया।

1947 से पहले का पंजाब
श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के युद्ध

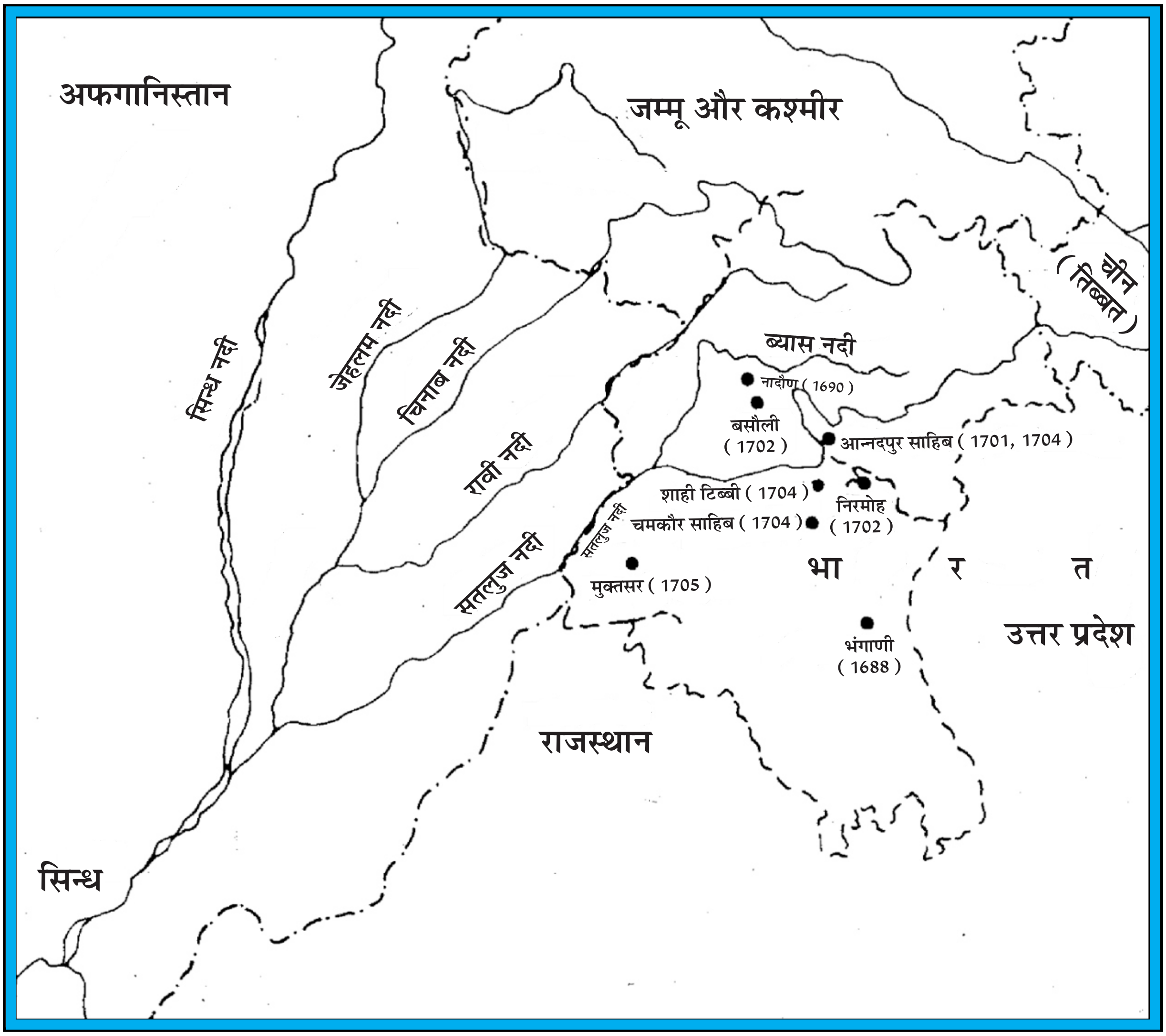

घटनाएँ (Events) : श्री गुरु गोबिन्द राय जी ने पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के लिए भंगाणी नामक स्थान चुना। युद्ध शुरू होते ही गुरु जी की सेना के सढौरा के पीर बुद्ध शाह द्वारा भेजे गये लगभग 500 पठान उनका साथ छोड़ गए थे। पर गुरु जी ने अपने थोड़े से साथियों से भी युद्ध जारी रखा। उस समय सढौरे का पीर बुद्ध शाह अपने चार पुत्रों तथा 700 अनुयायियों के साथ गुरु जी से आ मिला। 22 सितम्बर 1688 ई० को 9 घंटे तक युद्ध चला। गुरु जी ने स्वयं सामने होकर अपनी बहादुरी के करतब दिखाए। इससे सिक्खों का साहस बढ़ गया। परिणामस्वरूप पहाड़ी राजाओं को बहुत सा नुक्सान उठाना पड़ा। वे परास्त होकर भाग गए। अंत में गुरु जी को शानदार विजय प्राप्त हुई।

युद्ध का महत्त्व (Significance of Battle) : भंगाणी की लड़ाई की जीत श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के जीवन की पहली तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जीत थी।

(1) इस विजय से गुरु जी की शक्ति की धाक जम गई।

(2) गुरु जी ने अनुभव किया कि अगर वे अपने अनुयायियों को अच्छी तरह से संगठित कर लें तो वे मुग़लों के अत्याचारों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे।

(3) पहाड़ी राजाओं विशेषकर राजा भीमचन्द ने गुरु जी का विरोध छोड़ कर उनसे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम कर लिये।

(4) गुरु जी पाऊंटा साहिब छोड़ कर फिर से आनन्दपुर में आ बसे।

(5) गुरु साहिब ने भीमचंद की मित्रता का लाभ उठाते हुए आनन्दपुर साहिब में आनन्दगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ तथा फतेहगढ़ नामक चार किलों का निर्माण करवाया।

(ख) नादौन का युद्ध (1690 ई०) (Battle of Nadaun 1690 A.D.) : नादौन की लड़ाई पहाड़ी राजाओं के संघ तथा मुग़लों के मध्य लड़ी गई। इस लड़ाई में गुरु जी ने पहाड़ी राजाओं का साथ दिया था। इसका एक ही कारण था कि गुरु गोबिन्द राय जी से मित्रता स्थापित करने के बाद बिलासपुर के राजा भीमचंद तथा अन्य पहाड़ी राजाओं ने मुग़ल सरकार को वार्षिक कर देना बंद कर दिया। उन राजाओं ने भीमचंद के नेतृत्व में एक संघ बना लिया। पहाड़ी राजाओं की तरफ से कर न देने पर जम्मू के मुग़ल सूबेदार मीयां खाँ ने पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध 1690 ई० में अलिफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस में कांगड़ा के राजा किरपाल चंद ने अलिफ खां का साथ दिया। गुरु साहिब ने राजा राम सिंह तथा पहाड़ी राजाओं के पक्ष में भाग लिया। कांगड़ा से 32 कि.मी. दूर ब्यास नदी के तट पर नादौन नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गुरु साहिब तथा उनके साथी सिक्खों ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया। अलिफ खां हार गया तथा लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ।

नादौन की विजय के बाद भीमचंद ने गुरु साहिब से पूछे बिना ही अलिफ खाँ से समझौता कर लिया। गुरु साहिब को उसके विश्वासघात से बहुत दु:ख हुआ।

(ग) गुरु जी तथा पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध मुग़लों का अभियान (Mughal Expeditions against the Guru and Hill Rajas 1694 A.D.) :

(i) खाँज़ादा रुस्तम खां का अभियान, 1694 ई० (Khanjada Khan's Expedition, 1694 A.D.) : दक्षिण में मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को गुरू गोबिन्द राय जी की बढ़ती हुई शक्ति का पता चला। उसने पंजाब के मुग़ल फौजदारों को हुक्म दिया कि वे गुरु साहिब के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस हुक्म को वास्तविक रूप देने के लिए कांगड़ा प्रवेश के फौजदार दिलावर खां ने अपने पुत्र खाँज़ादा रुस्तम खां के अधीन गुरु साहिब के विरुद्ध सेना भेजी। उसने गुरु जी पर अचानक ही आक्रमण करने के लिए 1694 ई० की सर्दियों की एक रात को अपनी सेना समेत सतलुज को पार किया। सिक्ख पहले ही उससे दो-दो हाथ करने को तैयार थे। उन्होंने दुश्मन पर अभी कुछ गोले ही बरसाए थे कि खाँज़ादा तथा उसके सैनिक भयभीत होकर भाग उठे। इस प्रकार गुरु साहिब को बिना

युद्ध किए ही मुग़लों पर विजय प्राप्त हुई।

(ii) हुसैन खां का अभियान, 1696 ई० (Hussain Khan's Expedition 1696 A.D.) : खाँज़ादा की हार के बाद दिलावर खां ने 1696 ई० के आरम्भ में अपने सबसे बहादुर सैनिक हुसैन खां को आनन्दपुर साहिब पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रास्ते में हुसैन खाँ ने गुलेर तथा जसवान के राजाओं से कर मांगा। उन्होंने कर देने में टाल-मटोल की। उन्होंने हुसैन खां से युद्ध करने का फैसला कर लिया। भीमचंद (बिलासपुर) तथा कृपाल चंद (कांगड़ा) हुसैन खाँ से जा मिले। गुरु जी ने अपने कुछ सिक्खों को हुसैन खां के विरुद्ध भेजा। चाहे वे सारे के सारे ही शहीद हो गए, पर हुसैन खाँ की हार हुई तथा वह भी मारा गया।

हुसैन खाँ की मृत्यु के बाद दिलावर खां ने जुझार सिंह तथा चंदेल राय के नेतृत्व में सेनाएँ भेजीं, परन्तु वे भी आनन्दपुर साहिब में पहुँचने से पहले ही राजा राजसिंह (जसवान) से हार कर भाग गई।

(iii) शाहज़ादा मुअज्ज़म की युद्ध संबंधी कार्यवाही (Prince Muazzam's Expedition) : मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को दक्षिण में मुग़लों की पराजय के समाचार मिल रहे थे। इस पर उसने शाहज़ादा मुअज्ज़म को गुरु साहिब तथा पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध भेजा। उसने लाहौर पहुँच कर मिर्जा बेग के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध भेजी। वह पहाड़ी राजाओं को हार देने में सफल हो गया।

उत्तर-खालसा काल की लड़ाइयां 1699 ई०-1708ई०

(Battles of Post Khalsa Period, 1699 A.D.-1708 A.D.)

खालसा की स्थापना (1699 ई०) से श्री गुरु गोबिन्द सिंह के ज्योति-ज्योत समा जाने (1708 ई०) तक के समय को उत्तर खालसा-काल कहा जाता है। इस काल में गुरु साहिब अधिकतर युद्ध में ही लगे रहे।

(1) आनन्दपुर साहिब का पहला युद्ध (1701 ई०) (First Battle of Anandpur, 1701 A.D.) : खालसा की स्थापना के लगभग दो वर्ष बाद श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी को पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़े। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि खालसा की स्थापना से पहाड़ी राजा घबरा गए थे। खालसा के सिद्धांत भी पहाड़ी राजाओं के धर्म के विरुद्ध थे। इसलिए बिलासपुर के राजा भीमचंद ने कहा कि या तो वे आनन्दपुर साहिब छोड़ दें या फिर जितनी देर तक वे वहाँ रहें, उसका उचित किराया दें। गुरु साहिब ने इस मांग को ठुकरा दिया। परिणामस्वरूप 1701 ई० को भीमचंद तथा अन्य पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने आनन्दपुर साहिब को घेर लिया। गुरु साहिब, साहिबज़ादा अजीत सिंह (14-15 वर्ष) तथा अन्य सिक्खों ने दुश्मन का बहुत नुकसान किया। परिणामस्वरूप निराश होकर पहाड़ी राजाओं ने गुरु जी से समझौता करना चाहा। गुरु साहिब ने जो पहले ही पहाड़ी राजाओं से लड़ना नहीं चाहते थे, उनसे समझौता कर लिया। समझौते की शर्त के अनुसार गुरु जी आनन्दपुर साहिब छोड़ कर कीरतपुर साहिब के पास निरमोह नामक स्थान पर चले गए।

(2) निरमोह का युद्ध 1702 ई० (Battle of Nirmoh, 1702, A.D.) : राजा भीमचंद ने अनुभव किया कि सिक्खों की शक्ति को समाप्त करना असंभव है। उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए उसने मुग़ल सरकार से सहायता की मांग की। परिणामस्वरूप 1702 ई० के आरम्भ में एक तरफ से राजा भीमचंद की सेना तथा दूसरी तरफ से सरहिंद के सूबेदार के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने निरमोह पर आक्रमण कर दिया। आस-पास के गूजरों ने आक्रमणकारियों का साथ दिया। दूसरी तरफ श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी तथा उनके सिक्ख भी युद्ध करे को तैयार थे। सिक्खों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। एक रात तथा एक दिन लड़ाई होती रही। अंत में गुरु जी ने शत्रु की सेना को परास्त कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया।

(3) सतलुज की लड़ाई (1702 ई०) (Battle of Satluj, 1702 A.D.) : चाहे गुरु जी ने निरमोह के युद्ध में जीत प्राप्त कर ली थी, पर फिर भी गुरु जी ने निरमोह छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अभी सतलुज नदी को पार भी नहीं किया था कि दुश्मन की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। गुरु जी की सेना ने दुश्मन

का डट कर सामना किया। लगभग चार घंटे युद्ध चला, उस युद्ध में गुरु जी ही विजयी रहे।

(4) बसौली का युद्ध (1702 ई०) (Battle of Basoli, 1702 A.D.) : सतलुज नदी को पार करके गुरु जी तथा सिक्ख बसौली में चले गए। राजा भीमचंद की सेना ने गुरु जी की सेना का पीछा किया। पर गुरु जी ने उनको फिर से हरा दिया। क्योंकि बसौली तथा जसवान के राजा गुरु जी के मित्र थे, इसलिए भीमचंद ने गुरु जी से समझौता करने से ही लाभ समझा। यह सन्धि 1702 ई० के मध्य में हुई परिणामस्वरूप गुरु जी फिर से आनन्दपुर साहिब में आ ठहरे। इसके पश्चात् दो वर्ष तक गुरु जी को कोई युद्ध न लड़ना पड़ा।

(5) आनन्दपुर साहिब का दूसरा युद्ध (1704 ई०) (Second Battle of Anandpur, 1704 A.D.) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर पहाड़ी राजा फिर उनसे ईर्ष्या करने लगे। उनके द्वारा स्थापित संघ ने गुरु जी को आनन्दपुर साहिब छोड़ कर चले जाने के लिए कहा। जब गुरु जी ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने गुरु जी पर धावा बोल दिया, पर गुरु जी ने उनको परास्त कर वापस जाने को विवश कर दिया।

भीमचंद तथा अन्य पहाड़ी राजाओं ने मुग़ल सरकार से सहायता मांगी। सरहिंद का फौजदार वज़ीर ख़ाँ अपनी सेना लेकर वहां आ गया। वजीर खां, पहाड़ी राजाओं तथा रंगड़ों ने मिलकर गुरु जी पर धावा बोल दिया। सिक्खों ने किले के अन्दर से ही दुश्मन के आक्रमण को असफल बना दिया। फिर दुश्मन ने आनन्दपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया। परिणामस्वरूप सिक्खों के लिए कुछ और समय के लिए युद्ध जारी रखना असंभव हो गया। सिक्खों ने आनन्दपुर साहिब छोड़ जाना चाहा, पर गुरु जी न माने। इसलिए चालीस सिक्ख अपना 'बेदावा' लिख कर गुरु जी का साथ छोड़ गए। अंत में 21 दिसम्बर 1704 ई० को गुरु जी ने आनन्दपुर साहिब को छोड़ दिया।

(6) शाही टिब्बी का युद्ध (Battle of Shahi Tibbi) : जैसे शत्रु को पता चला कि श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने आनन्दपुर साहिब को छोड़ दिया है तो उन्होंने आनन्दपुर साहिब पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने सिक्खों का पीछा भी किया। गुरु जी ने अपने सिक्ख उदय सिंह को हुक्म दिया कि वह दुश्मन को रोके। उसने अपने 50 साथियों के साथ दुश्मन की विशाल सेना का शाही टिब्बी नामक स्थान पर डट कर मुकाबला किया। चाहे वे सारे शहीद हो गए, पर उन्होंने सैंकड़ों शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया।

(7) सरसा की लड़ाई 1704 ई० (Battle of Sarsa 1704 A.D.) : जब गुरु साहिब तथा उनके साथी सरसा नदी पर पहुँचे, तो दुश्मन की सेना उनके करीब पहुँच चुकी थी। गुरु जी ने अपने एक सिक्ख भाई जीवन सिंह रंगरेटा (जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली से लेकर कीरतपुर पहुँचा था तथा जिसका पहला नाम भाई जैता था) को तथा लगभग 100 सिक्खों को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। उन सिक्खों ने दुश्मन का डट कर विरोध किया। उस लड़ाई में दुश्मन का बहुत नुकसान भी हुआ।

उस समय सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी। गुरु जी, उनके सैंकड़ों सिक्ख घोड़ों समेत नदी में कूद पड़े। बहुत से सिक्ख नदी में डूब गए। बहुत सारा अमूल्य साहित्य भी उस नदी में बह गया। इसी भाग-दौड़ में बहुत से सिक्ख तथा गुरु जी के दो छोटे साहिबज़ादे बाबा ज़ोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी उनसे बिछुड़ गए।

(8) चमकौर साहिब का युद्ध (1704 ई०) (Battle of Chamkaur Sahib, 1704 A.D.) : सरसा नदी को पार करने के पश्चात् गुरु गोबिन्द सिंह जी, उनके कुछ सिक्ख तथा उनके बड़े साहिबज़ादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह घनौला तथा कोटला निहंग से होते हुए चमकौर साहिब पहुँच गए। उस समय उनके साथ केवल चालीस सिक्ख थे। उन्होंने वहां पर एक कच्ची गढ़ी में शरण ली। जब उन पर दुश्मन की सेना ने आक्रमण किया, तो उन्होंने उसका डट कर सामना किया। गुरु साहिब के दोनों साहिबज़ादों ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया। अंत में शत्रु का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहादत प्राप्त कर गए। पाँच प्यारों में से तीन प्यारे- भाई साहिब सिंह, भाई

मोहकम सिंह तथा भाई हिम्मत सिंह भी यहीं पर शहादत प्राप्त कर गए। अंत में गुरु जी के सिंहों में से केवल पांच सिंह रह गए। उन्होंने हुक्मनामे के रूप में गुरु जी को चमकौर साहिब छोड़ जाने पर विवश कर दिया। भाई दया सिंह तथा भाई धरम सिंह उनके साथ गढ़ी से बाहर चले गए। शेष सिंह लड़ते-लड़ते वहीं पर शहीद हो गए।

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी माछीवाड़ा, आलमगीर, दीना, कांगड़ आदि स्थानों से होते हुए खिदराने की ढाब की तरफ चले गए।

(9) खिदराणा का युद्ध, (1705 ई०) (Battle of Khidrana, 1705 A.D.) : चमकौर साहिब से चलकर जब श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी खिदराने की ढाब नामक स्थान पर पहुँचे तो उस समय तक उनके साथ असंख्य सिक्ख शामिल हो चुके थे। जो सिंह आनन्दपुर साहिब के युद्ध समय गुरु जी को 'बेदावा' दे गए थे, वे भी वहाँ पहुँच गए। उनके साथ माई भागो विशेष रूप से गुरु जी के पक्ष में लड़ने को वहाँ पहुँची थी। उस समय गुरु जी के पास लगभग 2,000 सिक्ख सैनिक थे।

दूसरी तरफ 10,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर सरहिंद का सूबेदार वज़ीर खां वहां पहुँचा। 1705 ई० में खिदराना की ढाब पर घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी गुरु साहिब तथा उनके साथियों ने अपने अद्वितीय शौर्य का प्रमाण दिया। उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। वहाँ पर पानी की कमी के कारण मुग़लों के लिए लड़ना बड़ा कठिन था। परिणामस्वरूप मुग़लों को हार कर भाग जाना पड़ा। चाहे माई भागो बुरी तरह से घायल हुई तथा उनके बेदावा वाले 40 सिंह भी शहीद हो गए, पर जीत गुरु जी की ही हुई। गुरु जी ने चालीस सिंहों की बहादुरी देख कर उनके मुखिया भाई महा सिंह के सामने उनकी तरफ से दिया गया 'बेदावा' फाड़ दिया। उन सिक्खों को अब इतिहास में 'चालीस मुक्ते' कह कर याद किया जाता है। उनकी याद में ही खिदराने की ढाब का नाम 'मुक्तसर' पड़ गया।

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का व्यक्तित्व
(Personality of Sri Guru Gobind Singh Ji)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी पंजाब के इतिहास में सबसे महान् व्यक्तित्व के मालिक माने जाते हैं। वे उच्च कोटि के मनुष्य, उत्तम संगठनकर्त्ता, बहादुर योद्धा, महान् विद्वान, उच्च कोटि के कवि तथा महान् आध्यात्मिक नेता थे।

(क) मनुष्य के रूप में (As a Man)

1. प्रभावशाली तथा सुन्दर रंगरूप (Impressive and Charming Personality Physique) : देखने में श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी बड़े सुन्दर थे। उनका शरीर गठा हुआ तथा रंग गोरा था। उनका माथा चौड़ा, आँखें बड़ी-बड़ी, पर चमकदार थीं। उनके वस्त्र स्वच्छ व सुन्दर होते थे। वे शस्त्र धारण करके रखते थे। उनकी दस्तार (पगड़ी) पर कलगी लगी रहती थी। उनके हाथ में बाज होता था। इसीलिए उन्हें 'कलगीधर दशमेश' या 'सफेद बाज वाले' कह कर सम्बोधित किया जाता है।

2. दिलेर तथा निडर (Courageous and Fearless) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी बचपन से ही संकटों में घिर गए थे। फिर भी उन्होंने असाधारण साहस, निडरता या आत्म-विश्वास से काम लिया था। उन्होंने पहाड़ी राजाओं तथा मुग़लों से लड़ते हुए अद्‌भुत साहस, बहादुरी तथा निर्भयता का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी भय के औरंगज़ेब को 'जफरनामा' जैसा पत्र लिखा था। गुरु जी ने उस पत्र में सरकार द्वारा निर्दोष, लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों की निंदा की थी तथा मुग़लों के विरुद्ध किए गए युद्धों को उचित ठहराया था।

3. दृढ़ निश्चय वाले (Strong Determination) : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी दृढ़ निश्चय वाले इन्सान थे। उन्होंने नौ सालों की उम्र में ही यह निर्णय ले लिया था कि वे धर्म की रक्षा के लिए मुग़ल सरकार के विरुद्ध युद्ध करेंगे। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। वह अपने निश्चय में अडिग रह कर सफल हुए।

4. बलिदान के मूर्त रूप (Embodiment of Sacrifice) **:** श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए। उन्होंने अपने पिता, चारों पुत्रों, माता तथा अपने प्यारे सिक्खों को कुर्बान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए वे किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहते थे।

5. उच्च नैतिक आचरण (High Moral Character) **:** श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी झूठ तथा धोखाधड़ी से नफरत करते थे। उन्हें धन-दौलत तथा राज्य-भोग का कोई लालच नहीं था। जो पैसा उन्हें भेंट के रूप में मिलता था, उसे धार्मिक कार्यों या गरीब लोगों पर खर्च कर दिया जाता था।

गुरु साहिब लोगों से नम्रतापूर्ण तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। उन्हें किसी किस्म का अहं नहीं था। वे स्वयं को भगवान् का सच्चा सेवक समझते थे।

गुरु जी निर्धन तथा निम्न जाति के लोगों के प्रति विशेष सहानुभूति रखते थे। उन्होंने भाई जैता (जीवन सिंह रंगरेटा) जो कि दिल्ली से गुरु तेग़ बहादुर जी का शीश लेकर कीरतपुर पहुँचा था, 'रंगरेटा गुरु का बेटा' कह कर अपने सीने से लगाया था। उनके पाँच प्यारों में से तीन सिंह निम्न जाति से सम्बन्ध रखते थे।

6. धार्मिक विचारों में उदार तथा सहनशील (Liberal and Tolerent in Religious Views) **:** मुग़ल सम्राट् औरंगज़ेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के पिता गुरु तेग़ बहादुर जी को शहीद कर दिया था, तो भी गुरु गोबिन्द सिंह जी के मन में मुसलमानों के प्रति कोई घृणा नहीं थी। गुरु साहिब के उदार तथा सहनशील होने के कारण ही पीर मुहम्मद, बुद्धू शाह, निहंग खाँ, नबी खां, गनी खां जैसे मुसलमान गुरु जी के निकटवर्ती मित्र थे। गुरु जी की सेना में मुसलमान जवान भी थे।

(ख) कवि तथा विद्वान के रूप में (As A Poet and Scholar)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी को पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत तथा फारसी का पूरा ज्ञान था। इसीलिए वे बढिया गद्य-लेखक होने के साथ-साथ उच्च कोटि के कवि भी थे। यद्यपि उनकी बहुत सी रचनाएं 'सरसा के युद्ध' के बाद सरसा नदी में बह गई थीं। परन्तु फिर भी आज भी उनकी काफी रचनाएं मिलती हैं। 'जापु साहिब', 'बिचित्तर नाटक', 'जफरनामा', 'अकाल उस्तत', 'शस्त्र नाम-माला', 'चंडी दी वार' आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी स्वयं कवि होने के साथ-साथ कवियों की संगति भी बहुत पसंद करते थे। पाऊंटा साहिब में आप के पास 52 कवि थे। तलवंडी साबो में भी उनके पास कई कवि पहुँच गए थे। उनके प्रसिद्ध कवि थे-सेनापत, नंदलाल, उदय राय, अनीराय, सुखेदव, हंसराज, लखन तथा गोपाल।

(ग) संगठनकर्त्ता के रूप में (As an Organiser)

गुरु गोबिन्द सिंह जी एक उत्तम संगठनकर्त्ता थे। इस का सबसे बड़ा प्रमाण गुरु साहिब द्वारा खालसा की स्थापना करने का कार्य है। परिणामस्वरूप निम्न जाति के लोगों को एक नया जीवन मिला। गुरु जी के अनुयायियों में असाधारण उत्साह भरा गया। जिन लोगों ने कभी तलवार की मूठ को हाथ तक नहीं लगाया था, वे उच्च कोटि के योद्धा बन गए।

संगठनकर्त्ता के रूप में श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धान्तों को प्रचलित किया। पाँच प्यारों को अमृत छका कर उन्होंने स्वयं भी उनके हाथों से अमृतपान किया। उन्होंने यह भी कहा-गुरु खालसा में है तथा खालसा गुरु में है।

ज्योति-ज्योत समा जाने से पहले उन्होंने अपने सिक्खों को हुक्म दिया कि उनके बाद श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के सिवाय और कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। वे अपने फैसले गुरु ग्रन्थ साहिब की मौजूदगी में करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ कहीं भी पाँच खालसा इकट्ठे होंगे, मैं उनमें विद्यमान हूंगा। इससे सिद्ध होता है कि गुरु जी लोकतंत्र प्रणाली के संस्थापक थे।

(घ) सेनानायक के रूप में (As a Military General)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी एक बहादुर योद्धा तथा जन्मजात सेनानायक थे। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवार-बाजी तथा तीर अंदाज़ी में निपुणता प्राप्त हो गई थी। पाऊंटा साहिब में रह कर उन्होंने बहादुर सिक्खों की सेना तैयार कर ली थी।

गुरु साहिब के योग्य तथा सफल सेनानायक होने का सबसे बड़ा प्रणाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने जीवन भर अपने सीमित साधनों से ही शक्तिशाली मुग़ल सेना का सफलतापूर्वक सामना किया। चमकौर के युद्ध में तो उनके केवल 40 सिक्खों ने ही मुग़ल सेना की बड़ी संख्या में भगदड़ मचा दी थी।

गुरु गोबिन्द सिंह जी ने प्रत्येक युद्ध में सिक्खों का नेतृत्व किया। वे एक सुयोग्य सेनापति की तरह जानते थे कि दुश्मन से कब, कहाँ तथा कैसे युद्ध करना है। भंगाणी तथा खिदराने की ढाब के युद्धों के साथ ही साथ उन्होंने प्रत्येक युद्ध के लिए उचित स्थान चुना था।

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने स्वयं कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया था। वे अकसर रक्षात्मक युद्ध करते थे। पहाड़ी राजाओं तथा मुग़लों ने कई बार गुरु जी को धोखा दिया, पर गुरु जी ने सदैव अपने वचनों का पालन किया। वास्तव में उन्होंने धर्म-युद्ध ही लड़े।

(ङ) धार्मिक नेता के रूप में (As a Religious Leader)

श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी अपने पूर्वाधिकारियों की तरह सिक्खों के महान धार्मिक नेता तथा गुरु थे। चाहे वे अपने जीवन में सैनिक कार्यों में ही लगे रहे, परन्तु वे युद्ध भी धर्म-युद्ध की तरह लड़े गए। वे अपने सिक्खों को कहते थे-सदैव सर्वोच्च ईश्वर का स्मरण करो। वे यह भी कहते थे कि अपना चरित्र शुद्ध रखो-काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से बचो। यहीं पर बस नहीं, उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह 'जापु साहिब' तथा 'अकाल-उस्तत' आदि धार्मिक रचनाओं का सृजन भी किया। उन्होंने 'आदि ग्रन्थ साहिब' को अंतिम रूप भी दिया। उन्होंने सिक्ख धर्म का प्रचार भी किया।

इस तरह श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी बहुपक्षीय व्यक्तित्व के स्वामी थे।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखो :-

1. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ ? उनके माता-पिता का नाम भी बताओ।
2. बचपन में पटना में गुरु जी क्या-क्या खेल खेलते थे ?
3. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने किस-किस अध्यापक से शिक्षा ली ?
4. कश्मीरी पंडितों की क्या समस्या थी ? श्री गुरु तेग़ बहादुर जी ने उसे कैसे हल किया ?
5. भंगाणी की विजय के बाद श्री गुरु गोबिन्द राय ने कौन-कौन से किले बनवाए ?
6. पाँच-प्यारों के नाम लिखिए।
7. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ज्योति-ज्योत कैसे समाये ?
8. 'खंडे का पाहुल' तैयार करते समय किन-किन बाणियों का पाठ किया जाता है ?
9. खालसा का सृजन कब तथा कहां किया गया ?
10. बिलासपुर के राजा भीमचंद पर खालसा की स्थापना का क्या प्रभाव पड़ा ?
11. नादौन के युद्ध का क्या कारण था ?

12. पूर्व खालसा काल एवं उत्तर खालसा काल से आपका क्या अभिप्राय है ?
13. मुक्तसर का पुराना नाम क्या था ? इसका यह नाम क्यों रखा गया ?
14. 'जफ़रनामा' नामक पत्र गुरु जी ने किसे लिखा था ?
15. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की प्रश्न दो रचनाओं का नाम लिखिए।

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में लिखिए-

1. श्री गुरु गोबिन्द सिंह ने पटना में अपना बचपन कैसे बिताया ?
2. श्री गुरु गोबिन्द सिंह के राजसी चिह्नों का वर्णन करो।
3. खालसा के नियमों का वर्णन करो।
4. भंगाणी के युद्ध के क्या कारण थे ?
5. आनन्दपुर साहिब की दूसरी लड़ाई कब हुई ? इसका संक्षेप में वर्णन करो।
6. चमकौर साहिब की लड़ाई पर नोट लिखें।
7. खिदराना की लड़ाई का वर्णन करो।
8. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के सेनानायक के रूप में व्यक्तित्व का वर्णन करो।

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखो-

1. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं ?
2. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी को खालसा के सृजन की आवश्यकता क्यों पड़ी ?
3. खालसा की स्थापना का क्या महत्त्व था ?
4. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की पूर्व-खालसा काल की लड़ाइयों का वर्णन करो।
5. श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की उत्तर-काल की लड़ाइयों का वर्णन करो।
6. मनुष्य के रूप में आप गुरु गोबिन्द सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं ?
7. चमकौर साहिब तथा खिदराना की लड़ाई का वर्णन करें।

(घ) दिए गए पंजाब के नक्शे पर श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी द्वारा लडी गई लड़ाईयों के कोई चार स्थल दर्शाएं।

******

अध्याय-6

बाबा बंदा सिंह बहादुर तथा सिक्ख मिसलें

Baba Banda Singh Bahadur and Sikh Misls

बाबा बंदा सिंह बहादुर का उत्थान : श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपने ज्योति-ज्योत समाने से पहले सिक्खों को 'गुरु ग्रन्थ साहिब' को ही अपना धार्मिक गुरु मानने का हुक्म दिया था। अपने अन्तिम दिनों में जब गुरु जी दक्षिण में गए तो वहाँ नांदेड़ साहिब में उनकी मुलाकात माधोदास बैरागी से हुई। गुरु जी ने उसे अपना सिंह बना कर उसे गुरबख़्श सिंह नाम दिया। पर माधोदास 'बाबा बंदा सिंह बहादुर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जब बंदा सिंह बहादुर ने गुरु जी के मुख से पंजाब के सिक्खों पर किए जा रहे मुगल सरकार के अत्याचारों के बारे में सुना तो उसे बहुत दुखः हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु श्री तेग बहादुर, माता गुजरी जी तथा साहिबज़ादो की शहादत के बारे में सुना तो उसका खून खौल उठा। इस पर उसने पंजाब जाने के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। वह अत्याचारी मुग़ल कर्मचारियों को उनके गुनाहों की सजा देना चाहता था। उन्होंने बंदा सिंह बहादुर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। गुरु साहिब ने अपनी कमान में से पाँच तीर, एक खंडा तथा एक नगाड़ा उसे अपनी शक्ति के चिह्न के रूप में दिया। उन्होंने पंजाब में बंदा सिंह बहादुर का साथ देने के लिए भाई बिनोद सिंह, भाई काहन सिंह, भाई बाज सिंह, भाई दया सिंह तथा भाई रणसिंह को भी उसके साथ पंजाब जाने का हुक्म दिया। विदा के समय गुरु साहिब ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के सिक्खों के नाम 'हुक्मनामे' भी दिए। उन हुक्मनामों में गुरु जी ने सिक्खों को लिखा कि अब से बंदा सिंह बहादुर उनका राजनैतिक नेता होगा। वे मुग़लों के विरुद्ध धर्म-युद्ध में बंदा सिंह बहादुर का साथ दें।

दिल्ली पहुँचते ही बंदा सिंह बहादुर ने मालवा, दोआबा तथा माझा के सिक्खों के नाम श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के हुक्मनामे भेजे। शीघ्र ही हज़ारों की संख्या में सिक्ख बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में दिल्ली में इकट्ठे हो गए। सेना का संगठन करने के बाद बंदा सिंह बहादुर तथा उनके अनुयायियों ने बड़े उत्साह से अत्याचारी मुग़लों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए पंजाब की तरफ कूच किया।

सोनीपत पर आक्रमण (1708 ई.) (Attack on Sonepat) : दिल्ली से पंजाब की तरफ कूच करते समय बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत पर आक्रमण किया। उस समय चाहे उसके पास केवल 500 सिक्ख ही थे, पर वहाँ का फौजदार सिक्खों की बहादुरी के बारे में सुन कर उनका मुकाबला करने की हिम्मत न कर सका। फौजदार तथा उसकी सेना शहर छोड़ कर भाग गई।

भूणा (कैथल) के शाही खज़ाने की लूट (1708 ई.) (Seizure of Imperial Treasury of Bhoona) : सोनीपत से जब बंदा सिंह बहादुर कैथल के पास पहुँचा तो उसे पता चला कि कुछ मुग़ल सैनिक ज़मीन के कर से इकट्ठा किए मामले (धन) सहित भूणा गाँव में ठहरे हुए हैं। अपनी सैनिक आवश्यकता को सामने रखते हुए बंदा सिंह बहादुर ने भूणा पर धावा बोल दिया। कैथल के फौजदार ने बंदा सिंह बहादुर का सामना करने का निश्चय किया, परन्तु हार गया। बंदा सिंह बहादुर ने मुग़लों से सारा धन छीन लिया।

समाना की जीत (1709 ई.) (Conquest of Samana) : भूणा के बाद बंदा सिंह बहादुर समाना की तरफ बढा। श्री गुरु तेग़ बहादुर जी को शहीद करने वाला जल्लाद सय्यद जलालुद्दीन वहाँ का रहने वाला था। सरहिन्द में गुरु गोबिन्द सिंह जी के छोटे साहिबज़ादों (बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतह सिंह) की हत्या करने वाले

जल्लाद शासल बेग तथा बाशल बेग भी समाना के ही थे। 26नवम्बर, 1709 ई० को सुबह ही बंदा सिंह बहादुर ने समाना पर आक्रमण कर दिया। कई घंटों तक शहर की गलियों में लड़ाई होती रही। लगभग 10,000 मुसलमान सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। सय्यद जलालुद्दीन, शासल बेग तथा बाशल बेग के परिवारों का सफाया कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर को विजय प्राप्त हुई। उसे बहुत सा धन भी मिला। फतह सिंह को समाना के इलाके का शासक नियुक्त किया गया।

घुड़ाम की विजय (1709 ई०) (Conquest of Ghuraam A.D.) : समाना में एक सप्ताह ठहरने के बाद बंदा बहादुर ने घुड़ाम पर धावा बोल दिया। वहाँ के पठानों ने सिक्खों का विरोध किया, पर उन्होंने भाग कर अपनी जान बचाई। घुड़ाम में से भी उन्हें बहुत सा धन तथा माल मिला।

कपूरी पर हमला (Attack on Kapuri) : घुड़ाम के बाद बंदा सिंह बहादुर ठसका, शाहबाद तथा मुस्तफाबाद होते हुए कपूरी पहुँचा। वहाँ का शासक कदमुऊदीम बहुत ही व्यभिचारी था तथा हिन्दुओं पर बहुत अत्याचार करता था। बंदा सिंह बहादुर ने उसे हरा कर मौत के घाट उतार दिया। उसकी हवेली को जला कर राख कर दिया।

सढौरा की विजय (1710 ई०) (Conquest on Sadhaura) : सढौरे का शासक उसमान खाँ हिन्दुओं पर अत्याचार करता था। उसने पीर बुद्ध शाह को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि उसने भंगाणी के युद्ध में गुरु जी की सहायता की थी। इसीलिए बंदा सिंह बहादुर ने सढौरे पर आक्रमण किया था। सिक्खों ने शीघ्र ही उसमान खाँ को हरा दिया। उन्होंने शहर को खूब लूटा। बहुत से हिन्दू तथा सिक्ख किसान जो उसमान खाँ के सताए हुए थे, बंदा सिंह बहादुर की फौज में भर्ती हो गए।

मुखलिसपुर की जीत (1710 ई०) (Conquest of Mukhlispur 1710 A.D.) : सढौरा से चल कर बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसपुर पर धावा कर दिया। उसने उसे सहज ही में जीत कर उस पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ के किले का नाम बदल कर 'लोहगढ़' रख दिया गया। बाद में यह नगर ही बंदा सिंह बहादुर की राजधानी बना।

चप्पड़-चिडी की लड़ाई तथा सरहिंद की जीत-1710 ई. (Battle of Chappar-Chiri and Conquest of Sirhind) : बंदा सिंह बहादुर का असली निशाना सरहिंद था। यहाँ के सूबेदार वज़ीर खाँ ने सारी उम्र गुरु गोबिन्द सिंह जी को तंग किया था। उसने आनन्दपुर साहिब तथा चमकौर साहिब के युद्धों में गुरु जी के खिलाफ फौज भेजी थी। यहीं पर उनके छोटे साहिबज़ादों को नींव में चिनवा दिया गया था। वज़ीर खां ने हज़ारों निर्दोष, सिक्खों तथा हिन्दुओं के खून से अपने हाथ रंगे थे। इसलिए बंदा बहादुर तथा सिक्खों को वजीर खां पर बहुत गुस्सा था। जैसे ही पंजाब में बंदा बहादुर के सरहिंद की तरफ बढ़ने की खबरें पहुँची तो हज़ारों लोग बंदा सिंह बहादुर के झंडे के तले एकत्रित हो गए। सरहिंद के कर्मचारी, सुच्चा नंद का भतीजा भी अपने 1,000 सैनिकों के साथ बंदा सिंह बहादुर की सेना में जा मिला। दूसरी तरफ वजीर खाँ की फौज की गिनती लगभग 20,000 थी। उसकी सेना में घुड़सवारों के अतिरिक्त बंदूकची तथा तोपची व हाथी सवार भी थे।

सरहिंद से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व की तरफ चप्पड़-चिड़ी के स्थान पर 22 मई, 1710 ई० को दोनों सेनाओं का सामना हुआ। घमासान युद्ध हुआ। लूटमार के लिए सिक्खों की फौज के कुछ लोगों ने भागना शुरू कर दिया। सिक्ख सैनिकों के हौसले पस्त करने के लिए सुच्चा नंद का भतीजा भी अपने सैनिकों सहित युद्ध के मैदान से भाग उठा। अपने सैनिकों के हौंसले को बढ़ाने के लिए बंदा सिंह बहादुर स्वयं आगे बढ़ा। सिक्ख बड़े साहस से दुश्मन पर टूट पड़े। फतह सिंह ने वजीर खाँ को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में शत्रु के सैनिक सिक्खों की तलवारों के शिकार बने।

चप्पड़-चिड़ी की विजय की उपरान्त 24 मई, 1710 ई० को बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के किले पर आक्रमण किया। परिणामस्वरूप 500 सिक्ख उस युद्ध के दौरान मारे गए। पर सिक्ख सरहिंद पर कब्जा करने में सफल हो गए। वज़ीर खां के खज़ाने में से लगभग दो करोड़ रुपए सिक्खों के हाथ लगे। सुच्चा नंद तथा अन्य कर्मचारियों के घरों से भी बंदा सिंह बहादुर को बहुत सा धन मिला।

वज़ीर खाँ की लाश को एक पेड़ पर टांग दिया गया। सुच्चानंद जिसने सिक्खों पर अत्याचार करवाए थे, को गिरफ्तार करके उसके नाक में नकेल डाल कर शहर में उसका जुलूस निकाला गया। सिक्ख सैनिकों ने शहर में लूट-मार भी की।

1947 से पहले का पंजाब

बाबा बंदा सिंह बहादुर के महत्वपूर्ण युद्ध

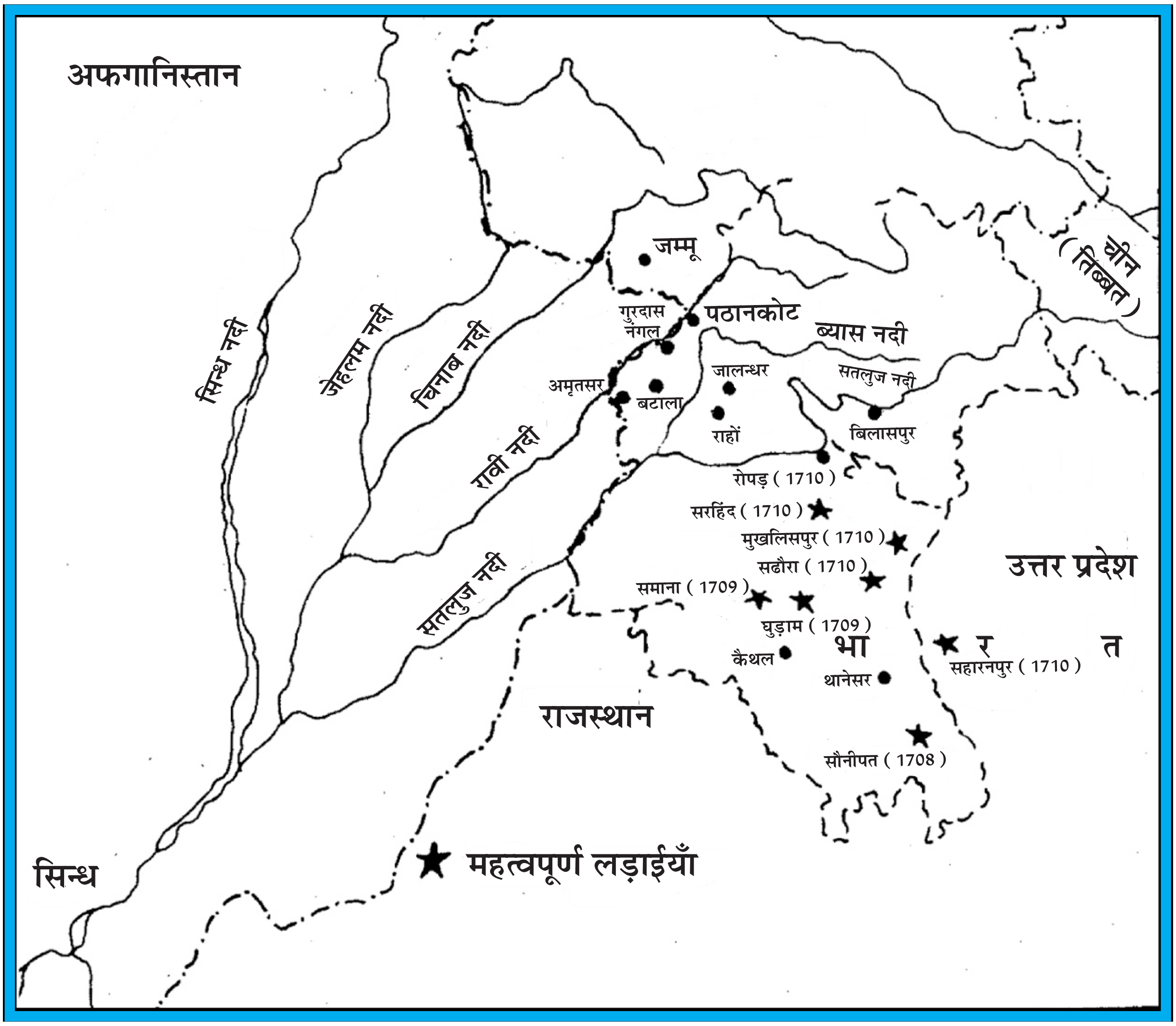

जीते गए इलाकों का राज्य प्रबन्ध
(Administration of the Conquered Territories)

सरहिंद की विजय के बाद बंदा सिंह बहादुर ने बाज सिंह को सरहिंद का शासक नियुक्त किया। आली सिंह को उसकी नायब बनाया गया। फतेह सिंह पहले ही समाना का शासक नियुक्त हो चुका था। राम सिंह तथा बिनोद सिंह को थानेसर के राज्य-प्रबन्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसपुर नामक पहाड़ी स्थान को अपनी राजधानी बनाया। वहां के किले की आवश्यकतानुसार मुरम्मत की गई। उस किले का नाम 'लोहगढ़' रखा गया। बंदा सिंह बहादुर अब वास्तव में हाकिम बन गया था, पर वह नाम से बादशाह नहीं था।

बंदा सिंह बहादुर ने जीते हुए इलाकों में से ज़मींदारी-प्रथा खत्म कर दी। उसने खेतिहरों को धरती का मालिक बनाने का प्रशंसनीय काम किया।

गंगा-यमुना के इलाकों की विजय (Conquest of the Ganga Yamuna Doab) : बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में बहुत से हिन्दू तथा मुसलमान लोगों ने सिक्ख धर्म को अपना लिया था। उनारसा गाँव के निवासी भी सिक्ख बन गए। जलालाबाद का फौजदार जलाल खां यह बरदाश्त न कर सका। उसने वहाँ के बहुत से सिक्खों को कैद कर लिया। कैदी सिक्खों को छुड़ाने के लिए बंदा सिंह बहादुर अपने सैनिकों को लेकर उनारसा की तरफ चल पड़ा।

यमुना नदी को पार करके सिक्खों ने पहले सहारनपुर पर हमला किया। वहाँ का फौजदार अली हामिद खाँ दिल्ली की तरफ भाग गया। उसके कर्मचारियों ने सिक्खों का मुकाबला किया, पर वे हार गए। सिक्खों ने सहारनपुर का नाम बदल कर 'भाग नगर' रख दिया।

सहारनपुर से बंदा सिंह बहादुर ने बेहात की तरफ कूच किया। वहाँ के पीरज़ादे हिन्दुओं पर अत्याचार करते थे। बन्दा सिंह बहादुर ने बहुत से पीरज़ादों को मौत के घाट उतार दिया।

बेहात के उपरान्त बन्दा सिंह बहादुर ने अम्बेता पर आक्रमण किया। वहाँ के पठान बड़े अमीर थे। उन्होंने सिक्खों का कोई विरोध न किया। सिक्खों को वहाँ से बहुत सा धन मिला।

21 जुलाई, 1710 ई० को सिक्खों ने ननौता पर आक्रमण किया। वहाँ के शेखज़ादे, जो तीर चलाने में बड़े निपुण थे, सिक्खों के सामने डट गए। पर उनके 300 शेखज़ादे मारे गए। सिक्खों को विजय प्राप्त हुई।

यहाँ से बंदा सिंह बहादुर ने अपने मुख्य शत्रु उनारसा के जलाल खाँ को अपने दूत द्वारा एक पत्र भेजा। उसने लिखा कि वह कैदी सिक्खों को छोड़ दे तथा साथ ही वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। परन्तु जलालखाँ ने बंदा सिंह बहादुर की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उसने दूत का निरादर भी किया। परिणामस्वरूप बन्दा सिंह बहादुर ने उनारसा पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। सिक्खों को विजय प्राप्त हुई।

जालन्धर दोआब के इलाकों पर कब्जा (Occupation of the Jalandhar Doab) : सरहिंद की जीत के बाद जालन्धर दोआब के सिक्खों ने मुग़ल राज्य को समाप्त करने के लिए शस्त्र उठा लिए। उन्होंने जालन्धर दोआब के मुग़ल कर्मचारियों को ज़बरदस्ती हटा कर उनके स्थान पर सिक्खों की नियुक्ति कर दी। उन्होंने दोआब के फौजदार शम्स खाँ को 'परवाना' भेजा, जिसमें उसे राज्य-प्रबन्ध में सुधार करने के लिए कहा। शम्स खाँ ने सिक्खों के विरुद्ध जेहाद (धर्म-युद्ध) की घोषणा कर दी। परिणामस्वरूप लाखों लोग उसके नेतृत्व में एकत्रित हो गए। उधर सिक्खों ने भी सहायता के लिए बंदा सिंह बहादुर को जलालाबाद में संदेश भेज दिया। सिक्ख शत्रु का सामना करने के लिए राहों (Rahon) में चले गए। 12 अक्तूबर, 1710 ई० को घमासान युद्ध हुआ। सिक्खों को विजय प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप जालन्धर दोआब के सारे इलाके पर सिक्खों का अधिकार हो गया।

अमृतसर, बटाला, कलानौर तथा पठानकोट पर अधिकार (Capture of Amritsar, Batala, Kalanaur and Pathankot) : जालन्धर दोआबे के सिक्खों की तरह इस इलाके के सिक्खों ने भी मुग़ल सरकार से स्वतन्त्र होने के लिए हथियार उठा लिए। लगभग 8,000 सिक्खों ने अमृतसर तथा उसके आस-पास के इलाके पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात् उन्होंने बटाला तथा कलानौर पर भी आक्रमण कर दिया। उन स्थानों के मुग़ल कर्मचारियों को भगा दिया गया। उन प्रदेशों के थानों तथा तहसीलों पर सिक्खों का कब्जा हो गया। बटाला तथा सठियाला के कुछ सिक्खों ने पठानकोट के परगने को भी अपने कब्जे में ले लिया।

मुसलमानों का हैदरी झंडे के तले सिक्खों के विरुद्ध धर्म-युद्ध (The Haidri Flag Crusade) : अपनी विजयों से उत्साहित होकर सिक्खों ने लाहौर पर धावा बोल दिया। लाहौर का सूबेदार सय्यद असलम खाँ दिल छोड़ बैठा। उस समय कट्टरपंथी मुसलमानों ने उसका नेतृत्व किया। उन्होंने हरे रंग का हैदरी झंडा खड़ा कर दिया तथा ज़ेहाद (धर्म-युद्ध) की घोषणा कर दी। उस झंडे के तले बड़ी संख्या में मुसलमान एकत्रित हो गए। उन्होंने सिक्खों के विरुद्ध भरत नामक गाँव (लाहौर) में तथा कोटला बेगम के निकट अपनी सेनाएँ भेजीं। पर मुसलमानों को हारना पड़ा तथा वे वापस लौट गए। परिणामस्वरूप सिक्ख लाहौर से लेकर दिल्ली तक के पंजाब के मालिक बन गए।

बहादुर शाह की सिक्खों के विरुद्ध कार्यवाही
(Bahadur Shah's Measures against the Sikhs)

जब मुग़ल सम्राट बहादुर शाह को पता चला कि सिक्खों ने पंजाब के मुग़ल शासकों में आतंक फैला रखा है तो उसने अपना सारा ध्यान पंजाब पर केन्द्रित कर दिया। वह 27 जून 1710 ई० को अजमेर से पंजाब की तरफ चल पड़ा। उसने दिल्ली तथा अवध के सूबेदारों तथा मुरादाबाद तथा इलाहाबाद के निजामों तथा फौज़दारों को हुक्म दिया कि वे अपनी सेनाओं सहित पंजाब की तरफ कूच करें।

अमीनाबाद की लड़ाई (Battle of Aminabad) : बहादुर शाह ने फिरोज़ खाँ, मेवाती तथा महावत खाँ ने अधीन सिक्खों के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। बिनोद सिंह तथा राम सिंह ने 26 अक्तूबर 1710 ई० को अमीनाबाद (थानेसर तथा तरावड़ी के बीच) में शत्रु का सामना किया। उन्होंने महावत खाँ को पीछे भागने पर मज़बूर कर दिया। पर अंत में शत्रु की बहुत संख्या होने के कारण सिक्खों को हार का मुँह देखना पड़ा। जीवित तथा मृत सिक्खों का बहुत अपमान किया गया। उनकी लाशों को जरनैली सड़क के किनारों पर लटका दिया गया। बहादुर शाह की तरफ से फिरोज़ खाँ मेवाती को सरहिंद की फौजदारी सौंपी गई।

सढौरा की लड़ाई (Battle of Sadhaura) : जब बंदा सिंह बहादुर को सिक्खों की हार की खबर मिली तो उसे अपने सैनिकों समेत दुश्मन पर चढ़ाई कर दी। उस समय मुग़लों की विशाल सेना सढौरा में पड़ाव डाले बैठी थी। 4 दिसम्बर 1710 ई० तो ज्यों ही शत्रु की सेना सही पड़ाव की खोज में निकली तो सिक्खों ने उस पर धावा बोल दिया। सिक्खों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने दुश्मन का बहुत सा नुकसान भी किया, पर शाम को बहुत बड़ी तादाद में शाही सेना शत्रु की सेना में जा मिली। इस पर सिक्खों ने लड़ाई छोड़ दी तथा उन्होंने 'लोहगढ़' किले में शरण ली।

लोहगढ़ का युद्ध (Battle of Lohgarh) : उस समय तक बहादुर शाह भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला किया। उसने सिक्खों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए वज़ीर मुनीम खाँ को किले की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। पर उसने बादशाह के हुक्म की अवहेलना करते हुए 10 दिसम्बर 1710 ई० को लोहगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उसकी नकल करते हुए दूसरे मुग़ल सरदारों ने भी किले पर धावा बोल दिया। सिक्खों ने शत्रु का जम कर मुकाबला किया। दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। पर किले के अन्दर खाद्य-सामग्री की कमी के कारण सिक्खों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए और अधिक समय के लिए लड़ना उनके लिए असंभव हो गया। गुलाब सिंह नामक एक सिक्ख ने बंदा सिंह

बहादुर को किले में से बाहर निकालने के लिए बंदा सिंह बहादुर जैसी पोशाक पहन ली। बंदा सिंह बहादुर तो सिक्ख सैनिकों के साथ बाहर निकल गया, पर वह बंदा सिंह बहादुर की जगह पर जा बैठा। वहाँ से बंदा सिंह बहादुर नाहन की पहाड़ियों की तरफ चला गया।

11 दिसम्बर 1710 ई० को सुबह मुनीम खाँ ने फिर किले पर धावा बोल दिया। शीघ्र ही मुग़लों ने किले पर जीत प्राप्त कर ली। गुलाब सिंह को कत्ल कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर के उनके हाथ ना आने का उन्हें बड़ा दु:ख हुआ। बहादुर शाह ने बंदा सिंह बहादुर का पीछा करने के लिए हमीद खाँ ने नेतृत्व में नाहन की तरफ अपनी सेना भेजी। बहादुर शाह सढौरा, बडौली, रोपड़, होशियारपुर, कलानौर आदि स्थानों से होता हुआ लाहौर जा पहुँचा।

पहाड़ी इलाकों में बंदा सिंह बहादुर की सरगर्मियाँ (Band Bahadur's Activities in the Hills) : पहाड़ों में जाकर बंदा सिंह बहादुर ने सिक्खों के नाम हुक्मनामे भेजे ताकि वे उसे आकर मिलें। थोड़े समय में ही कीरतपुर साहिब में एक बड़ी संख्या में सिक्ख एकत्रित हो गए. सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर ने श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के पुराने दुश्मन बिलासपुर के शासक भीमचंद को एक 'परवाना' भेजा। बंदा सिंह बहादुर ने उसे हार मानने को कहा उसके मना करने पर बंदे ने बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। भीमचंद तथा 1300 सैनिक मारे गए। सिक्कों की जीत हुई.

बंदा सिंह बहादुर की इस जीत से शेष पहाड़ी राजा भयभीत हो गए। उनमें से कई राजाओं ने बंदा सिंह बहादुर को नज़राना देना कुबूल कर लिया। मंडी के राजा सिद्ध सेन ने यह हुक्म मान कर ऐलान कर दिया कि वह सिक्ख गुरुओं का अनुयायी है।

मंडी से बंदा सिंह बहादुर कुल्लू की तरफ बढ़ा। वहाँ के शासक मानसिंह ने किसी चालाकी से उसे कैद कर लिया। पर जल्दी ही बंदा बहादुर उस कैद में से निकलने में सफल हो गया।

कुल्लू से बंदा सिंह बहादुर चम्बा रियासत की तरफ बढ़ा। वहाँ के राजा उदय सिंह ने उसका हार्दिक अभिनन्दन किया। उसने अपने परिवार में से एक लड़की का विवाह भी उससे कर दिया। 1711 ई० के अंत में बंदा सिंह बहादुर के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम अजय सिंह रखा गया।

बहरामपुर की लड़ाई (Battle of Behrampur) : जब बंदा सिंह बहादुर रायपुर तथा बहरामपुर के पहाड़ों में से मैदानी इलाके पर आक्रमण करने के लिए बाहर निकला तो जम्मू के फौजदार बायजीद खां खेशगी ने उस पर हमला कर दिया। 4 जून 1711 ई० को बहरामपुर के निकट लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाज सिंह तथा फतह सिंह ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। परिणामस्वरूप सिक्खों को विजय प्राप्त हुई।

बहरामपुर की जीत के बाद बंदा सिंह बहादुर ने रायपुर, बहिरामपुर, कलानौर तथा बटाला पर आक्रमण किए तथा इन स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया। पर ये विजयें चिर स्थाई न सिद्ध हुईं।

बाबा बंदा सिंह बहादुर को फिर से पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। पर मुग़ल सरकार उसकी शक्ति को कुचलने में असफल रही।

बाबा बंदा सिंह बहादुर का दोबारा ताकत प्राप्त करना (Banda Bahadur re-establishes his Power) : 18फरवरी 1712 ई० में लाहौर में ही मुग़ल सम्राट् बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसके पुत्र जहाँदार को राजगद्दी पर बिठाया गया, पर जल्दी ही उसे गद्दी से उतार कर उसकी जगह फरुखसीयर को भारत का सम्राट् बना दिया गया। इस अवस्था का लाभ उठा कर 1712-13 ई० में बंदा सिंह बहादुर ने सढौरा तथा लोहगढ़ पर फिर से अधिकार कर लिया। उसने लोहगढ़ किले की दोबारा मुरम्मत करवा कर उसे खालसा की राजधानी बना लिया। उसने फिर मुलतान से जालंधर तक तथा लाहौर और जेहलम से लेकर अम्बाला तक के इलाकों पर आक्रमण

किए। उसने अमृतसर में वैशाखी वाले दिन मेले में भाग लिया तथा वहाँ बड़ा दरबार भी लगाया।

फर्रुखसियर की सिक्खों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ (Farrukhsiyar's Measures against the Sikhs) : बादशाह बनने के उपरान्त फर्रुखुसियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुस समद खाँ को हुक्म दिया कि वह सिक्खों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे। सम्राट् ने लाहौर के सूबेदार मुहम्मद अमीन खाँ को दिल्ली बुला कर उसके स्थान पर अब्दुस समद को ही लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। बंदा सिंह बहादुर को कुचलने के मनसूबे से अब्दुस समद खाँ ने अक्तूबर 1713 ई० में सढौरा तथा लोहगड़ किलों पर विजय प्राप्त कर ली।

गुरदास नंगल का युद्ध (Battle of Gurdas Nangal) : 1715 ई० में बंदा सिंह बहादुर ने पहाड़ी इलाके से उतर कर कलानौर तथा बटाला पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। जल्दी ही अब्दुसमद खां के नेतृत्व में मुग़लों ने एक विशाल सेना एकत्रित की तथा बंदा सिंह बहादुर पर चढ़ाई कर दी। उस समय बंदा सिंह बहादुर कोट मिर्जा जान (कलानौर तथा बटाला के बीच) में था। मुग़ल सेना अचानक ही सिक्खों पर टूट पड़ी। सिक्खों ने उनका बड़ी बहादुरी से सामना किया, पर सिक्ख गुरदासनंगल (गुरदासपुर से 6किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ) की तरफ पीछे हट गए। वहाँ पर उन्होंने दुनीचंद की हवेली में शरण ली। दुश्मन को दूर रखने के लिए सिक्खों ने हवेली के चारों तरफ खाई खोद कर उसमें पानी भर दिया। अप्रैल 1715 ई० को मुग़ल सेना ने उस हवेली को घेर लिया। सिक्खों ने उनका डट कर मुकाबला किया। उन्होंने मुग़लों की फौज को भारी नुक्सान पहुँचाया। आठ मास तक यह घेराबंदी ज़ारी रही। अंत में सिक्खों के पास खाद्य-सामग्री खत्म हो गई। कई दिनों तक वे घास, पत्ते, घोड़ों व अन्य पशुओं का मांस खाकर गुज़ारा करते रहे। बिनोद सिंह हवेली छोड़ कर जाना चाहता था, पर बंदा सिंह बहादुर मरते दम तक लड़ना चाहता था। अंत में बिनोद सिंह व उसके साथी गढ़ी को छोड़ गए। परिणामस्वरूप सिक्खों की ताकत कम हो गई। इस हालत में उनके लिए लड़ाई जारी रखना असंभव हो गया। इसलिए 7 दिसम्बर 1715 ई० को आक्रमणकारी हवेली पर अधिकार करने में सफल हो गए। बंदा सिंह बहादुर तथा उसके 700 से अधिक साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी (Martyrdom of Banda Bahadur) : गुरदासनंगल से कैदी बना कर बंदा सिंह बहादुर को लाहौर लाया गया।

कुछ दिन पश्चात् ज़करिया खाँ की देख रेख में बंदा सिंह बहादुर तथा उसके साथियों को दिल्ली भेजा गया।

5 मार्च, 1716 ई० को सिक्ख कैदियों के कत्ल का काम शुरू हुआ । प्रत्येक दिन 100 सिक्ख कैदी शहीद किये जाते। शहीद करने से पहले प्रत्येक सिक्ख को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता। सभी सिक्ख अपने धर्म पर अडिग रहे। अंत में एक सप्ताह में बहुत सारे सिक्ख कैदियों को शहीद कर दिया गया।

बंदा बहादुर तथा उसके बाकी साथियों को लगभग 3 महीने बाद बहुत से अत्याचार करके शहीद कर दिया गया। मुग़ल कर्मचारी बंदा सिंह बहादुर के खजाने के बारे में जानना चाहते थे। जब बंदा सिंर बहादुर ने खजाने के बारे न बताया तो 19 जून 1716 ई० को बंदा सिंह बहादुर और उसके साथियों का दिल्ली के बाजारों में दूसरी बार जुलूस निकाला गया। उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, परन्तु वे टस से मस न हुए। बंदा सिंह बहादुर को अपने पुत्र अजय सिंह का कत्ल करने के लिए कहा परन्तु वह न माना। उसके पुत्र का दिल निकाल कर उसके मुंह में डाल दिया गया परन्तु वह फिर भी अडोल रहा। फिर उसकी आँखे निकाल दी गईं, उसके हाथ-पैर काट दिए गए पर वह फिर भी अडिग रहा। बंदा सिंह बहादुर के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये परन्तु उसने शांत चित्त से अपनी कुर्बानी दे दी।

सिक्ख मिसलें
(The Sikh Misls)

सिक्ख मिसलों की स्थापना धीरे-धीरे बदलते हुए हालातों के अनुसार हुई। 1716 ई० में बन्दा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिक्खों पर अत्याचार होने आरंभ हो गए। पंजाब के मुग़ल शासक अब्दुसमद खाँ, जकरिया खाँ और याहिया खां ने सिक्खों पर बहुत अत्याचार किए। इन अत्याचारों से तंग आकर सिक्खों को अपने जीवन की रक्षा के लिए पहाड़ों और जंगलों में जाकर शरण लेनी पड़ी। यहाँ पर सिक्खों ने अपने छोटे-छोटे जत्थे (दल) बना लिये। ये जत्थे अवसर देखकर मुग़ल फौजों पर हमला कर देते थे। सरकारी खजाने तथा अन्य सामान लूट लेते थे। 1734 ई० में नवाब कपूर सिंह ने सिक्ख शक्ति संगठित करने के उद्देश्य से 'बुड्ढा दल' तथा 'तरुणा दल' नामक दो दलों का संगठन किया। इन जत्थों का अपना अलग-अलग नेता, नगाड़ा तथा झंडा होता था परन्तु वह इकट्ठे लंगर खाते थे।

जकरिया खाँ की मृत्यु के बाद सिक्खों ने अक्तूबर 1745 ई० में 25 जत्थे बना लिए। धीरे-धीरे इन जत्थों की संख्या 65 हो गई। मुग़लों के सिक्खों पर बढ़ रहे अत्याचारों और अहमदशाह अब्दाली के हमलों को देखते हुए नवाब कपूर सिंह ने सिक्खों में अधिक एकता की आवश्यकता महसूस की। इस उद्देश्य से 1748ई० में अमृतसर में वैशाखी वाले दिन दल खालसा की स्थापना की गई। दल खालसा के अधीन 12 जत्थे गठित किए गए। इनको मिसलें कहा जाने लगा, जिनकी संख्या 12 थी।

मिसल शब्द की परिभाषा : 'मिसल' एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ है- बराबर या एक जैसा। इस तरह से मिसल की यह विशेषता थी कि एक मिसल का जत्थेदार तथा उसके पैरोकार आपस में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं मानते थे। सिक्ख धर्म के अनुसार वे एक-दूसरे को बराबर समझते थे।

रणजीत सिंह 1792 ई० में शुकरचकिया मिसल का मालिक बना। उस समय पंजाब में और भी ग्यारह मिसलें थीं। वे अपने-अपने इलाकों में राज्य कर रही थीं। पहले तो वे इकट्ठे होकर अफगानों का सामना करते रहे, पर जब अफगानों का खतरा टल गया तो उनमें एकता न रही। वे सब के सब स्वार्थी तथा लोभी हो गए। वे अपनी-अपनी मिसलों का विस्तार करने में लग गए। वे आपस में ही लड़ने-झगड़ने लगे। रणजीत सिंह के अच्छे-भाग्य से उस समय कोई भी मिसल बहुत ताकतवर नहीं थी। शक्तिशाली मिसलों के वीर योद्धा या तो मर चुके थे, या फिर बूढे हो चुके थे। उस समय कोई भी मिसल वाला रणजीत सिंह से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था।

बारह मिसलों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है :-

1. फैजलपुरिया मिसल (Faizalpuria Misl) : फैज़लपुरिया मिसल सबसे पहले स्थापित हुई थी। इस मिसल का संस्थापक नवाब कपूर सिंह था। उसने सबसे पहले अमृतसर के पास फैजलपुर नामक गाँव पर कब्जा किया। उसने उसका नाम 'सिंहपुर' रखा। इसीलिए इस मिसल को 'सिंहपुरिया' मिसल भी कहा जाता है।

1753 ई० में नवाब कपूर सिंह की मौत के बाद उसका भतीजा ख़ुशहाल सिंह फैज़लपुरिया मिसल का नेता बना। वह एक बहादुर तथा सुयोग्य सरदार था। उसने अपनी मिसल का विस्तार किया था। जालन्धर, नूरपूर, बहरामपुर, पट्टी आदि प्रदेश उसकी मिसल में शामिल थे।

खुशहाल सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बुध सिंह फैज़लपुरिया मिसल का सरदार बना। वह अपने पिता की तरह बहादुर तथा साहसी न था। रणजीत सिंह ने उसे हरा कर उसकी मिसल को अपने राज्य में मिला लिया।

2. भंगी मिसल (Bhangi Misl) : सतलुज दरिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक भंगी मिसल थी। उस इलाके की सभी मिसलों में से वह ताकतवर थी। इस मिसल के क्षेत्र में लाहौर, अमृतसर, गुजरात तथा सियालकोट जैसे महत्त्वपूर्ण शहर आते थे।

रणजीत सिंह के मिसलदार बनने के समय भंगी मिसल पहले जैसी ताकतवर नहीं थी, उस समय उस मिसल

के सरदार गुलाब सिंह तथा साहिब सिंह थे। वे सरदार अयोग्य तथा व्यभिचारी थे। वे भांग व शराब पीने में ही अपना सारा समय बिता देते थे। वे अपनी मिसल के राजप्रबन्ध में बहुत रुचि नहीं लेते थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के शासक शाह ज़मान के आक्रमणों ने भी भंगी-सरदारों को कमज़ोर कर दिया था। जिस कारण इस मिसल का पतन होना शुरू हो गया।

3. आहलूवालिया मिसल (Ahulwalia Misl) : जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय यह मिसल बड़ी शक्तिशाली रही थी। सुलतानपुर लोधी, कपूरथला, होशियारपुर, नूरमहल आदि प्रदेशों पर आहलूवालिया मिसल का अधिकार था। रणजीत सिंह के अच्छे भाग्य से 1783 ई० में उस मिसल के निर्माणकर्त्ता तथा सबसे शक्तिशाली सरदार जस्सासिंह अहलूवालिया की मृत्यु हो गई। 1783 से 1801 ई० तक उस मिसल का नेता भागसिंह था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी फतह सिंह आहलूवालिया बना। रणजीत सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए उससे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम कर लिए। रणजीत सिंह ने उसकी ताकत तथा सेवाओं का अपने राज्य विस्तार के लिए प्रयोग किया।

4. रामगढिया मिसल (Ramgarhia Misl) : रामगढ़िया मिसल पंजाब की सबसे प्रसिद्ध मिसलों में से एक थी। इस मिसल का सबसे ताकतवर सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया था। जिस समय रणजीत सिंह सत्ता में आया तो उस समय तक वह बूढ़ा हो चुका था। 1803 ई० में उसके देहान्त के बाद जोध सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। वह भी एक बहादुर योद्धा तथा योग्य नेता था। उसकी शक्ति को देखते हुए रणजीत सिंह ने उससे मित्रता कर ली। जब तक जोध सिंह ज़िन्दा रहा, रणजीत सिंह ने उससे लड़ाई मोल न ली। श्री हरगोबिन्दपुर, कलानौर, बटाला, कादियां, रियाड़की आदि इलाके उस मिसल के अन्तर्गत आते थे।

5. शुकरचकिया मिसल (Sukerchakiya Misl) : शुकरचकिया मिसल का संस्थापक चढ़त सिंह था। उसने गुजरांवाला, अहमदाबाद, वजीराबाद, जलालपुर गाँव दादन खाँ आदि प्रदेसों पर कब्जा किया था। चढ़त सिंह के बाद उसका पुत्र महासिंह उसका उत्तराधिकारी बना। उसने रसूल नगर (रामनगर), अलीपुर (अकालगढ़) को जीत कर अपनी मिसल का विस्तार किया। उसकी इन विजयों से प्रभावित होकर कई सरदारों ने भंगी मिसल को छोड़ कर महासिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके उपरान्त महासिंह ने मुलतान, बहावलपुर, गाँव भट्टियाँ, शाहीवाल आदि प्रदेशों में से सभी भंगी सरदारों को निकाल दिया। 1792 ई० में महा सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रणजीत सिंह उसका उत्तराधिकारी बना।

6. कन्हैया मिसल (Kanhaiya Misl) : कन्हैया मिसल का संस्थापक जय सिंह कन्हैया था। वह लाहौर से 24 कि.मी. दूर स्थित कान्हा गाँव का रहने वाला था। उस गाँव के नाम पर ही उस मिसल का नाम 'कन्हैया मिसल' पड़ गया। जय सिंह कन्हैया एक बहादुर तथा साहसी योद्धा था। गुरदासपुर, हाजीपुर, मुकेरियां आदि प्रदेशों पर उस मिसल का अधिकार था। रणजीत सिंह के उत्थान के समय जय सिंह कन्हैया तथा उसके पुत्र गुरबखश सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय सदाकौर (रणजीत सिंह की सास) उस मिसल की नेता थीं। वह एक-योग्य व चतुर औरत थी। उसने अपने दामाद रणजीत सिंह (महताब कौर का पति) के राज्य का विस्तार करने में उसकी अद्वितीय सहायता की।

7. फुलकियां मिसल (Phulkian Misl) : फुलकियां मिसल का संस्थापक चौधरी फूल (1627-1689 ई०) था। उस मिसल का पटियाला, नाभा, जींद आदि प्रदेशों पर राज्य स्थापित हुआ। फूल के नाम पर इस मिसल का नाम फुलकियां मिसल पड़ा। इस मिसल के बाबा आला सिंह, अमर सिंह, साहिब सिंह, गजपतसिंह तथा हमीर सिंह जैसे शासक हुए।

8. डल्लेवालिया मिसल (Dallewalia Misl) : डल्लेवालिया मिसल का संस्थापक गुलाब सिंह था। वह डेरा बाबा नानक के निकटवर्ती गाँव डल्लेवाल का रहने वाला था। इसलिए उस मिसल का नाम 'डल्लेवालिया' मिसल पड़ गया। इस मिसल का प्रसिद्ध नेता तारा सिंह घेबा था। इस मिसल के अधीन फिल्लौर, राहों, नकोदर आदि के इलाके शामिल थे।

9. नक्कई मिसल (Nakkai Misl) : नककई मिसल का संस्थापक हीरा सिंह था। अफगान आक्रमणों के कारण पंजाब में हुई गड़बड़ का लाभ उठाते हुए उनके निकट नक्का प्रदेश पर कब्जा कर लिया। नॅक्का प्रदेश के नाम पर ही उस मिसल का नाम 'नक्कई मिसल' पड़ गया।

10. करोड़सिंघिया मिसल (Karorhsinghia Misl) : इस मिसल का संस्थापक करोड़ा सिंह था। उसके नाम पर ही इस मिसल का नाम 'करोड़सिंघिया मिसल' पड़ गया। करोड़ा सिंह गाँव पंजगढ़िया का निवासी था, इस कारण इस मिसल को 'पंजगाढ़िया मिसल' भी कहा जाता है। इस मिसल का प्रसिद्ध नेता करोड़ा सिंह का उत्तराधिकारी बघेल सिंह था। उसने भूंगा, नवांशहर, रुड़का आदि प्रदेश जीत कर अपनी मिसल के अधिकार-क्षेत्र में बढ़ोतरी की। मारकंडा नदी तथा यमुना नदी के बीच के बहुत से इलाके भी इसके अधीन थे। उसने चलौदी (करनाल तथा जगाधरी के बीच) को अपनी राजधानी बनाया।

11. निशानवालिया मिसल (Nishanwalia Misl) : इस मिसल के संस्थापक संगत सिंह तथा मोहर सिंह थे। क्योंकि वह खालसा का निशान साहिब (झंडा) उठाया करते थे, इसलिए इस मिसल का नाम 'निशानवालिया मिसल' पड़ गया। इस मिसल के अधीन अम्बाला तथा शाहबाद मारकंडा के शहर आते थे।

12. शहीद मिसल (Shahid Misl) : इस मिसल का संस्थापक सुद्धा सिंह था। वह तलवंडी साबो का एक महन्त था। उसके बाद इस जत्थे के बाबा दीप सिंह ने दुश्मन से लड़ते शहादत पाई थी। इसलिए इस मिसल का नाम 'शहीद मिसल' पड़ गया। इस मिसल के कर्मसिंह तथा गुरबख्श सिंह ने सतलुज दरिया के पूर्व के कई इलाकों पर अधिकार किया। इस मिसल के बहुत से लोग अकाली (निहंग) थे, इसलिए इस मिसल को निहंग मिसल भी कहा जाता है।

अभ्यास

(क) निम्नलिकित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखो :-

1. हुक्मनामे में गुरु जी ने पंजाब के सिक्खों को क्या आदेश दिए ?
2. बाबा बंदा सिंह बहादुर दक्षिण से पंजाब की तरफ क्यों आया ?
3. समाना पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आक्रमण क्यों किया ?
4. बाबा बंदा सिंह बहादुर की तरफ से भूणा गाँव पर आक्रमण करने का क्या कारण था ?
5. बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सढौरा पर क्यों आक्रमण किया ?
6. बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चप्पड़-चिड़ी तथा सरहिन्द पर क्यों आक्रमण किए ?
7. राहों के युद्ध के क्या कारण थे ?
8. वजीर खां कहाँ का सूबेदार था ? उसका बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ किस स्थान पर युद्ध हुआ ?
9. बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बारे में लिखिए।
10. 'करोड़सिंघिया' मिसल का नाम कैसे पड़ा ?
11. सदा कौर कौन थी ?

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में लिखो-

1. बाबा बंदा सिंह बहादुर तथा श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी की मुलाकात का वर्णन करो।
2. बाबा बंदा सिंह बहादुर की समाना की विजय पर एक नोट लिखिए।
3. चप्पड़-चिड़ी तथा सरहिन्द की लड़ाई का वर्णन करो।
4. गुरदास नंगल के युद्ध का वर्णन करो।
5. सबसे पहली मिसल कौन सी थी ? उसका वर्णन करो।

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखो :-

1. बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रारम्भिक विजयों का वर्णन करो।
2. बहादुर शाह ने बंदा-बहादुर के विरुद्ध जो युद्ध लड़े, उनका वर्णन करो।
3. बाबा बंदा सिंह बहादुर की गंगा-यमुना के इलाके में लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन करो।
4. पंजाब की तीन प्रसिद्ध मिसलों का वर्णन करो।

(घ) पंजाब के दिए गए मानचित्र पर बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा किए गए युद्धों के स्थानों का दर्शाओ।

******

अध्याय-7

महाराजा रणजीत सिंह : प्रारम्भिक जीवन, प्राप्तियाँ तथा अंग्रेज़ों से सम्बन्ध
(Maharaja Ranjit Singh'S Early Life, Achievements, and Anglo-Sikh Relations)

रणजीत सिंह का प्रारम्भिक जीवन
(Early Career of Ranjit Singh)

जन्म (Birth) : रणजीत सिंह का जन्म 13 नवम्बर 1780 ई० में शुकरचकिया मिसल के सरदार महां सिंह के घर हुआ। वह इस मिसल के संस्थापक चढ़त सिंह का पौत्र था। उसकी माता का नाम राज कौर था। वह जींद के सरदार गजपत की बेटी थी। क्योंकि राज कौर का पालन-पोषण पंजाब के मालवा इलाके में हुआ था। इसलिए उसे 'माई मल्वैण' भी कहा जाता था।

बचपन तथा शिक्षा (Childhood and Education) : रणजीत सिंह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसे बचपन में बड़े लाड़-प्यार से पाला गया। जब वह पांच वर्षों का हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुजरांवाला में ही भाई भागू सिंह की धर्मशाला में भेजा गया। परन्तु उसने अन्य सरदारों के बेटों की तरह पढ़ाई-लिखाई में कोई विशेष दिलचस्पी न ली। इसलिए वह अनपढ़ ही रह गया। वह अपना ज्यादातर समय शिकार खेलने, घुड़सवारी करने तथा तलवारवाज़ी सीखने में ही बिताता था। इसीलिए वह बचपन में ही एक अच्छा घुड़सवार, तलवार बाजी में निपुण तथा तीर अंदाज बन गया था।

बचपन मे ही रणजीत सिंह पर चेचक का बड़ा सख्त हमला हुआ। एक बार तो उसके बचने की भी उम्मीद नहीं रही थी। अच्छे भाग्य से रणजीत सिंह कुछ दिनों बाद स्वयं तो ठीक हो गया, पर उसके चेहरे पर चेचक के दाग रह गए। चेचक के कारण ही उसकी बाई आँख भी जाती रही।

बाल योद्धा (Young Warrior) : रणजीत बाल अवस्था में ही शूरवीर योद्धा बन गया था। जब वह दस वर्षों का ही था तो उसने सोहदरा की मुहिम में अपने पिता का साथ दिया। उसने उस मुहिम में न केवल अपने पिता का साथ ही दिया बल्कि अपने पिता के बीमार होने पर शुकरचकिया सेना का नेतृत्व भी किया। उसने दुश्मन की सेना को न केवल हराया बल्कि उसका गोला-बारूद भी लूट लिया।

एक बार रणजीत सिंह शिकार खेलने के बाद अकेला ही घोड़े पर सवार होकर वापस आ रहा था। चट्ठा कबीले के सरदार हशमत खाँ ने उसे देख लिया। हशमत खाँ को कभी महां सिंह ने हराया था। पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए हशमत खां रणजीत सिंह को मारने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब रणजीत सिंह उस झाड़ी के पास से निकला, तो हशमत खां ने उस पर वार किया। रणजीत सिंह ने उस वार को न केवल रोका बल्कि उसने शत्रु पर ऐसा वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हशमत खाँ की मौत के बाद चट्ठों ने रणजीत सिंह का लोहा मान लिया।

विवाह (Marriage) : 1796 ई० में, जब वह 16 साल के करीब था, उसका महिताब कौर के साथ विवाह हो गया। महिताब कौर जय सिंह कन्हैया की पौत्री और गुरबख़्श सिंह की पुत्री थी। रणजीत सिंह की सास सदा कौर बड़ी बहादुर तथा साहसी स्त्री थी।

रणजीत सिंह ने 1798 ई० में नकई मिसल के सरदार रामसिंह की बेटी राज कौर से दूसरी शादी की। चार

वर्षों बाद राज कौर ने खड़क सिंह को जन्म दिया। वह रणजीत सिंह का बड़ा बेटा था। बाद में रणजीत सिंह ने और भी शादियाँ कीं।

राज्य सत्ता की प्राप्ति (Assumption of Political Power) : 1792 ई० में महां सिंह का देहान्त हो गया। उस समय रणजीत सिंह 12 वर्षों का था। नाबालिग होने के कारण राज्य की बागडोर उसकी माता राज कौर के हाथों में आ गई। इसलिए उसने राज्य-प्रबन्ध का सारा काम सरदार लखपात राय के हवाले कर दिया। 1796 ई० में रणजीत सिंह का ब्याह हो गया। परिमाणस्वरूप शुक्करचकिया मिसल के राज-प्रबन्ध में उसकी सास सदा कौर भी दिलचस्पी लेने लगी। इस तरह 1792 ई० से 1797 ई० तक, जब तक रणजीत सिंह नाबालिग रहा, शुक्करचकिया मिसल का राजप्रबन्ध-राज कौर, दीवान लखपत राय तथा सदा कौर के हाथों में रहा। इसलिए इस काल को 'तिकड़ी की सरपरस्ती का काल' भी कहा जाता है।

1797 ई० में जब रणजीत सिंह 17 वर्षों का हुआ तो उसने राज-प्रबन्ध की बागडोर अपने हाथों में ले ली। राज कौर तथा दीवान लखपत राय की मौत हो गई ती। सदा कौर रणजीत सिंह की प्रारम्भिक विजयों में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। रणजीत सिंह ने अपने पिता (महां सिंह) के मामा दल सिंह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया।

रणजीत सिंह की प्रारम्भिक विजयें
(Early Conquests of Ranjit Singh)

1797 ई० में रणजीत सिंह ने शुकरचकिया मिसल की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस समय उसके अधीन केवल गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गाँव दादन खां आदि प्रदेश ही थे। वह इतने थोड़े से इलाके से सन्तुष्ट नहीं था। वह सारे पंजाब को अपने अधीन करना चाहता था। अपने सपने को साकार करने के लिए उसने सिक्ख मिसलों तथा अफगानों के प्रदेशों को जीतने का काम शुरू कर दिया।

लाहौर की जीत, 1799 ई० (Conquest of Lahore 1799 A.D.) : लाहौर के नागरिक भंगी सरदारों के कुशासन से तंग आए हुए थे। उन्हें यह भी पता चला कि कसूर का शासक निजामुद्दीन भी लाहौर पर कब्ज़ा करना चाहता है। इस समय तक रणजीत सिंह अपने शौर्य तथा सूझ-बूझ के कारण काफी प्रसिद्ध हो चुका था। इसलिए लाहौर के प्रमुख नागरिकों ने जिनमें हिन्दु, सिक्ख तथा मुसलमान शामिल थे, रणजीत सिंह को लाहौर पर कब्जा करने के लिए निमन्त्रण भेजा। इस पत्र में भंगी सरदारों की अयोग्यता तथा उनके द्वारा लोगों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया था। उस पत्र में रणजीत सिंह को प्रार्थना की गई थी कि वह लाहौर पर कब्जा करें तथा उन्हें अत्याचारी शासकों से छुटकारा दिलाए। नागरिकों ने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि जब वह लाहौर पर आक्रमण करेगा तो वे लाहौर के किले का दरवाज़ा खोल देंगे। लाहौर के नागरिकों की तरफ से साथ देने का विश्वास मिल जाने पर रणजीत सिंह ने अपनी तैयारी के साथ-साथ सदा कौर को भी तैयार कर लिया।

रणजीत सिंह तथा सदा कौर की सेनाओं ने लाहौर की तरफ कूच किया। लाहौर पहुँचते ही जब वह अपनी सेनाओं के साथ लाहौरी दरवाज़े तक पहुँचा तो नगरवासियों ने दरवाज़ा खोल दिया। रणजीत सिंह की सेना के शहर के अन्दर पहुँच जाने पर भंगी सरदार भयभीत हो गये। साहिब सिंह तथा मोहर सिंह शहर छोड़ कर भाग उठे। चेत सिंह ने स्वयं को किले में बंद कर लिया। किले में रसद-पानी का पूरा प्रबन्ध न होने के कारण उसने अगले ही दिन हथियार डाल दिए। रणजीत सिंह ने तुरन्त किले पर कब्जा कर लिया।

लाहौर की विजय का महत्व (Significance of the Conquest of Lahore) : चाहे लाहौर की जीत रणजीत सिंह की महान् सैनिक सफलता नहीं थी, फिर भी उसके राजनीतिक उत्थान के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी। इस विजय से लाहौर पर भंगी सरदारों का स्वामित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। लाहौर की जीत के परिणामस्वरूप रणजीत सिंह की प्रसिद्धि में बढ़ोतरी हुई। लाहौर शहर पर अधिकार करने से रणजीत सिंह शक्तिशाली सरदार बन गया।

भसीन की लड़ाई (Battle of Bhasin) : रणजीत सिंह के लाहौर जीतने से बाकी के सिक्ख तथा मुसलमान सरदार ईर्ष्या से जल उठे। जस्सा सिंह रामगढ़िया, गुलाब सिंह भंगी, साहिब सिंह भंगी, जोधसिंह तथा निजामुद्दीन ने मिल कर अमृतसर से लाहौर की तरफ कूच किया। लाहौर के पूर्व की तरफ लगभग 16कि.मी. की दूरी पर स्थित भसीन नामक स्थान पर उन्होंने डेरे लगा लिए। पता लगने पर रणजीत सिंह भी अपनी सेना-सहित वहाँ पहुँच गया। दोनों सेनाएं लगभग दो मास तक आमने सामने बैठी रहीं। किसी पक्ष ने भी आक्रमण करने की पहल न की। इसी दौरान जस्सासिंह रामगढ़िया बीमारी के बहाने उस गुट का साथ छोड़ गया। गुलाब सिंह भंगी की अत्याधिक शराब पीने से मौत हो गई। परिणामस्वरूप दूसरे सरदारों की सेनाएँ भी रणक्षेत्र में से भाग उठीं। इस तरह रणजीत सिंह को बिना युद्ध किए ही शानदार जीत प्राप्त हो गई। इस विजय से रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा ही पक्का नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए अन्य शत्रुओ को कुचलने तथा अपने राज्य का विस्तार करने का रास्ता भी साफ हो गया।

रणजीत सिंह का राज्याभिषेक : 12 अप्रैल 1801 ई. को बैसाखी के शुभ अवसर पर रणजीत सिंह का राज्यभिषेक समारोह लाहौर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने अपनी सरकार को 'सरकार-ए-खालसा' का नाम दिया। उन्होंने स्वयं राजमुकुट नहीं पहना। उन्होंने श्री गुरू नानक देव जी और श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के नाम पर सिक्के जारी किये। इमाम बख्श को लाहौर का कोतवाल नियुक्त किया गया। इस प्रकार रणजीत सिंह ने खालसा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया।

1947 से पहले का पंजाब

पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान

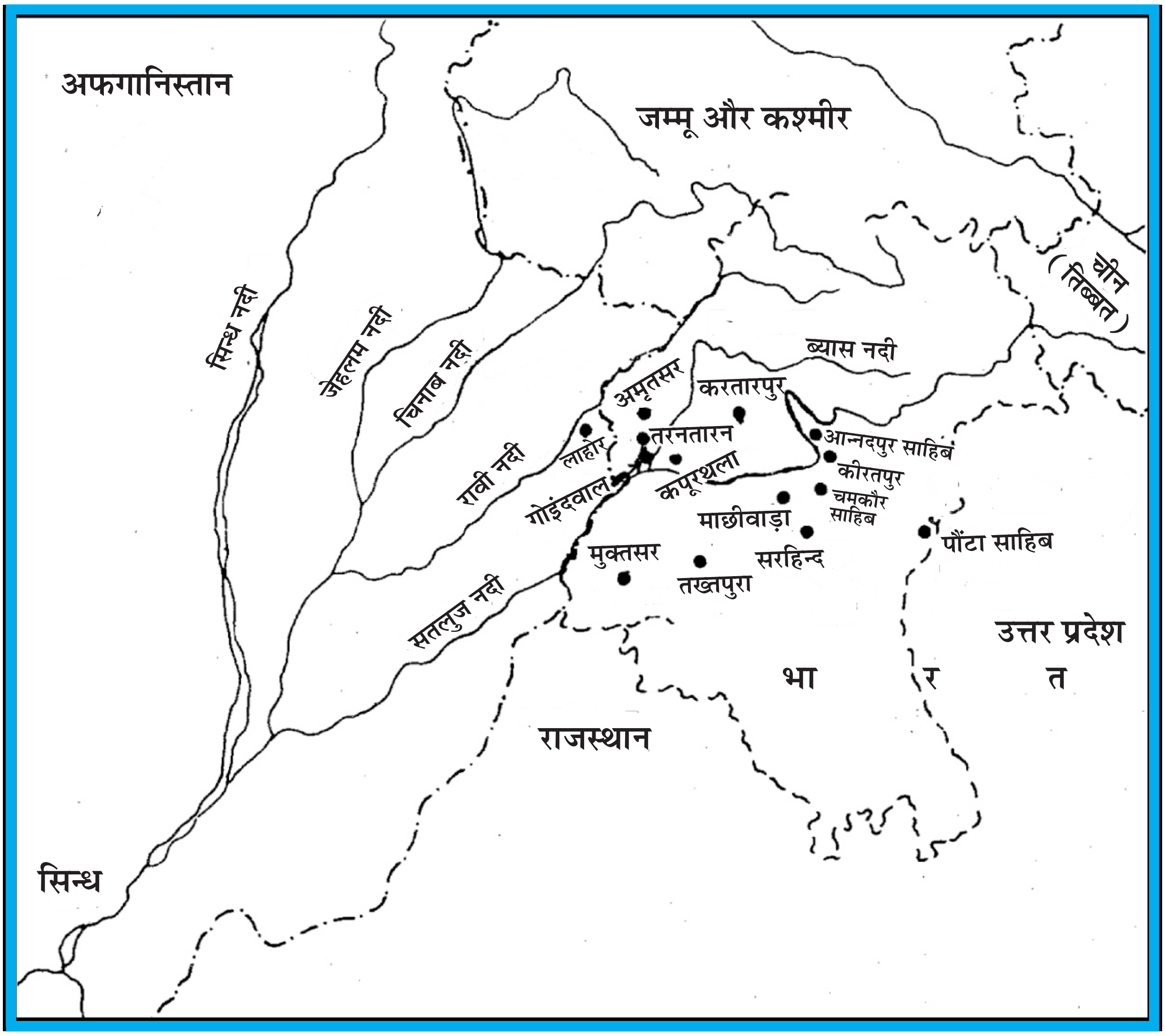

अमृतसर की विजय, 1805 ई० (The Conquest of Amritsar, 1805 A.D.) : गुलाब सिंह भंगी की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र गुरदित्त सिंह अमृतसर का शासक बना। वह नाबालिग था। इस कारण उसके राज की सारी शक्ति उसकी माँ माई सुखां के हाथ में थी।

1805 ई० को महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीतने का बहाना ढूँढ लिया। उसने माई सुखां को संदेश भेजा कि वह जम-ज़मा तोप उसके हवाले कर दे। उसने उससे लोहगढ़ किले की मांग भी की। माई सुखां ने महाराज की मांगों को अस्वीकार कर दिया। महाराज ने जो पहले ही युद्ध के लिए तैयार बैठा था, अमृतसर पर आक्रमण करके लोहगढ़ के किले को घेर लिया। इस मुहिम में सदा कौर तथा फतह सिंह अहलूवालिया ने रणजीत सिंह का साथ दिया। परिणामस्वरूप महाराजा ने अमृतसर तथा लोहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। माई सुखां तथा गुरदित्त सिंह को जीवन-निर्वाह के लिए जागीर दे दी गई। अमृतसर का अकाली फूला सिंह अपने 2000 निहंग साथियों के साथ रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गया।

अमृतसर की लड़ाई का महत्व (Significance of the Conquest of Amritsar) : लाहौर की जीत के बाद महाराजा रणजीत सिंह की सबसे महत्त्वपूर्ण विजय अमृतसर की विजय थी। जहाँ लाहौर पंजाब की राजधानी थी, अमृतसर अब सिक्खों की धार्मिक राजधानी बन गई थी।

अमृतसर की विजय से महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति बढ़ गई। लोहगढ़ का किला उसके लिए बहुमूल्य सिद्ध हुआ। उसे तांबे तथा पीतल की बनी बहुमूल्य जम-जमा तोप भी प्राप्त हुई.

महाराजा को प्रसिद्ध सैनिक अकाली फूला सिंह की सेवाएं प्राप्त हुई। निहंगों के असाधारण साहस तथा बहादुरी के कारण रणजीत सिंह ने कई शानदार विजयें प्राप्त की।

अमृतसर की विजय के परिणामस्वरूप रणजीत सिंह की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। भारत के अंग्रेज़ी शासन में से बहुत से भारतीय उसके राज्य में नौकरी करने के लिए आने लगे। हिन्दुस्तानी मुसलमान तथा यूरोपियन सैनिक, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी को छोड़ दिया था, महाराजा की सेना में शामिल होने लगे।

लाहौर तथा अमृतसर की विजयों के अतिरिक्त रणजीत सिंह ने 1800 ई० से 1811 ई० तक जिन अन्य मिसलों को जीता था, उनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है :-

अकालगढ़ की जीत 1801 ई० (Conquest of Akalgarh 1801 A.D.) : भसीन के युद्ध (1801 ई०) के बाद अकालगढ़ के दल सिंह (रणजीत सिंह के पिता का मामा) तथा गुजरात के साहिब सिंह ने लाहौर पर आक्रमण करने की तैयारियाँ आरंभ कर दीं। जब इस बात का पता रणजीत सिंह को लगा तो उसने अकालगढ़ पर आक्रमण करके दल सिंह को कैद कर लिया बाद में चाहे उसे छोड़ दिया गया, पर वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर रणजीत सिंह ने अकालगढ़ को अपने राज्य में मिला लिया। उसने दलसिंह की विधवा पत्नी को उसके निर्वाह के लिए दो गाँवों की ज़मीन दे दी।

चिनीओट पर कब्जा, 1802 ई० (Conquest of Chiniot 1802 A.D.) : चिनीओट, कर्म सिंह के पुत्र जस्सा सिंह के अधिकार में था। 1802 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने फतह सिंह आहलुवालिया को साथ में लेकर चिनीओट पर आक्रमण कर दिया जस्सा सिंह परास्त होकर भाग उठा। रणजीत सिंह ने चिनीओट को अपने कब्जे में कर लिया। फतह सिंह को उसके हिस्से के तौर पर गाँव भट्टियां तथा धान के इलाके दिए गए।

मालवा क्षेत्र के अभियान

महाराणा रणजीत सिंह का मालवा पर पहला आक्रमण, 1806ई० (First Attack of Maharaj Ranjit Singh on Malwa 1806 A.D.) : 1806 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा के इलाके पर पहला आक्रमण किया। उस आक्रमण का कारण दौलद्धी गाँव था। पटियाला तथा नाभा के राजाओं का इस गाँव को

लेकर झगड़ा था। जींद के शासक भाग सिंह के निमन्त्रण पर महाराजा रणजीत सिंह ने फतह सिंह आहलूवालिया को साथ में लेकर 20,000 सैनिकों के साथ मालवा प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। दौलद्धी को अपने अधीन करके रणजीत सिंह पटियाला की तरफ बढ़ा। पटियाला, नाभा तथा जींद के राजाओं ने महाराजा को नज़राने भेंट किए। लाहौर की तरफ मुड़ते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने लुधियाना, रायकोट, जगराओं आदि इलाकों को जीता।

1807 ई० में महाराजा रणजीत सिंह का मालवा पर दूसरा आक्रमण : पटियाला के राजा साहिब सिंह तथा उसकी पत्नी आस कौर का आपसी झगड़ा उस हमले का कारण था। वह अपनी सेनाओं के साथ पटियाला पहुँचा। उसने साहिब सिंह से नज़राना वसूल किया। उसके पश्चात् उसने नारायणगढ़, बधनी, जीरा, कोटकपूरा आदि इलाके जीते। फिर उसने कैथल, शाहबाद, अम्बाला, कलसिया तथा मलेरकोटला के शासकों ने नज़राने कुबूल किए।

डल्लेवालिया मिसल के इलाकों पर अधिकार 1807 ई० (Conquest of Dallewalia Misl Possessions, 1807 A.D.) : डलेवालिया मिसल का नेता तारा सिंह घेबा था। जब तक वह जिन्दा रहा, महाराजा रणजीत सिंह ने उस मिसल पर अधिकार जमाने का कोई यत्न न किया। 1807 ई० में तारा सिंह घेबा की मृत्यु हो गई। उसकी मौत की खबर सुनते ही महाराजा ने राहों (Rahon) पर आक्रमण कर दिया। तारा सिंह घेबा की विधवा ने रणजीत सिंह का मुकाबला किया पर वह हार गई। महाराजा ने उस मिसल के इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया।

सियालकोट की विजय 1808 ई० (Conquest of Sialkot, 1808 A.D.) : सियालकोट का शासक जीवन सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह ने उसे आज्ञा दी कि वह सियालकोट का इलाका उसे दे दे। उसके इन्कार करने पर महाराजा ने सियालकोट पर आक्रमण कर दिया। जीवन सिंह ने जल्दी ही हथियार डाल दिए। महाराजा ने सियालकोट को अपने राज्य में मिला लिया। उसने जीवन सिंह को उसके निर्वाह के लिए जागीर दे दी।

गुजरात की विजय 1809 ई० (Conquest of Gujarat, 1809 A.D.) : 1809 ई० को साहिब सिंह तथा उसके पुत्र गुलाब सिंह में अनबन हो गई। महाराज रणजीत सिंह ने उस स्थिति का लाभ उठा कर फकीर अजीजुद्दीन के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। कुछ देर तक सामना करने के बाद साहिब सिंह हार गया। फकीर अजीजुद्दीन ने गुजरात शहर तथा उसकी सारी सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया। फ़कीर अजीजुद्दीन के भाई नूरूद्दीन को गुजरात का शासक बना दिया गया।

करोड़सिंघिया मिसल पर अधिकार, 1809 ई० (Annexation of Karorhsinghia Misl Territory, 1809 A.D.) : 1809 ई० में करोड़सिंघिया मिसल के सरदार बघेल सिंह का देहान्त हो गया। उसकी मृत्यु का समाचार मिलते ही महाराजा ने करोडसिघिया मिसल की तरफ अपनी सेना भेज दी। बघेल सिंह की विधवा पत्नियां (राम कौर तथा राज कौर) महाराजा की सेना का सामना अधिक देर तक न कर सकी। परिणामस्वरूप उस मिसल के नवांशहर तथा रूड़का आदि प्रदेश रणजीत सिंह के राज्य में मिल गया।

नक्कई मिसल के इलाकों की जीत 1810 ई० (Conquest of Nakkai Misl Possessions, 1810 A.D.) : 1807 ई० में महाराजा की रानी राज कौर का भतीजा काहन सिंह नक्कई मिसल का सरदार बना। महाराजा ने उसे कई बार अपने राज्य में हाज़िर होने के लिए संदेश भेजा। पर वह सदैव ही महाराजा की आज्ञा की अवहेलना करता रहा। अंत में 1810 ई० में महाराजा ने मोहकम चंद के नेतृत्व में उसके विरुद्ध सेना भेजी। मोहकम चन्द ने जल्दी ही उस मिसल के चूनीयाँ, शरकरपुर, कोट कमालिया आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। काहन सिंह को निर्वाह के लिए 20,000 रु. वार्षिक आय वाली जागीर दे दी गई।

फैज़लपुरिया मिसल के इलाकों पर कब्जा, 1811 ई० (Annexation of Faizalpuria Misl Possessions, 1811 A.D.) : 1811 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने फैज़लपुरिया मिसल के सरदार बुध सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। उसके इन्कार करने पर महाराजा ने मोहकम चंद के नेतृत्व में अपनी

सेना भेजी। फतह सिंह अहलूवालिया तथा जोध सिंह रामगढ़िया ने उसका साथ दिया। बुध सिंह महाराजा की सेना का सामना न कर सका तथा उसने भाग कर अपनी जान बचाई. परिणामस्वरूप उस मिसल के जालन्धर, बहरामपुर, पट्टी आदि इलाकों पर महाराजा ने कब्जा कर लिया।

सिक्ख मिसलों के अन्य क्षेत्रों की विजय
(Conquest of other Territories of the Sikh Misls)

शक्तिशाली मिसलों से मित्रता : रणजीत सिंह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने शक्तिशाली मिसलों से मित्रता कर ली। उनकी सहायता से उसने कमज़ोर मिसलों को अपने अधीन कर लिया।

कन्हैया मिसल के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। 1801 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने फतह सिंह आहलुवालिया से गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरी में मित्रता निभाने का प्रण किया। रणजीत सिंह ने जस्सा सिंह रामगढ़िया से टक्कर न ली। 1803 ई० में उसने जोध सिंह रामगढ़िया से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम कर लिए।

मुस्लिम शासकों के इलाकों की विजय
(Conquest of Muslim Ruler's Territories)

सिक्ख मिसलों को जीतने के साथ-साथ महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ मुसलमान शासकों के इलाकों को भी जीता। उसकी उन विजयों में से महत्त्वपूर्ण विजयों का वर्णन इस प्रकार है :-

कसूर की विजय, 1807 ई० (Conquest of Kasur, 1807 A.D.) : निजामुद्दीन कसूर का शासक था। उसने सिक्खों के विरुद्ध शाह ज़मान की सहायता की थी। वह स्वयं भी लाहौर पर कब्जा करने के स्वपन ले रहा था। 1800 ई० में जब रणजीत सिंह के खिलाफ एक गुट बना, तो वह उसमें शामिल हो गया। परिणामस्वरूप भसीन के युद्ध के बाद 1801 ई० में रणजीत सिंह ने निजामुद्दीन को बुरी तरह से परास्त किया। उसने महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली। 1807 ई० में उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र कुतुबद्दीन कसूर का शासक बना। वह मुलतान के शासक मुज्फर खाँ से सांठ-गांठ करके रणजीत सिंह से स्वतन्त्र हो गया। महाराजा ने विशाल सेना सहित कसूर पर आक्रमण किया तथा वहाँ के किले को घेरा डाल दिया। खाद्य-सामग्री की कमी होने के कारण कुतुबद्दीन ने महाराज के सामने घुटने टेक दिए। महाराजा ने कसूर को अपने राज्य में मिला लिया। कुतुबद्दीन को निर्वाह के लिए ममदोट की जागीर दे दी गई।

झंग की जीत, 1807 ई० (Conquest of Jhang 1807 A.D.) : झंग में सियाल जाति के अहमद खाँ का राज्य था। 1807 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। उसने इन्कार कर दिया। महाराजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। अहमद खां हार गया। उसने महाराजा को 60,000 रु: वर्षिक कर देना स्वीकार कर लिया।

बहावलपुर तथा अखनूर की अधीनता, 1807-1808ई० (Submission of Bahawalpur and Akunur, 1807-1808 A.D) : 1807 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने बहावलपुर पर आक्रमण किया। वहाँ के नवाब बहावल खाँ ने महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली। उसे महाराजा को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया 1808 ई० में अखनूर के शासक आलम खाँ ने भी महाराजा रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली।

खुशाब तथा साहीवाल की विजय, 1810 ई० (Conquest of Khushaab and Sahiwal, 1810 A.D.) : 1810 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने खुशाब पर धावा बोल दिया। वहाँ के शासक जाफर खाँ ने महाराजा के सामने हथियार डाल दिए। महाराजा ने उसे निर्वाह के लिए जागीर बख़्शी।

इसी वर्ष महाराजा ने साहीवाल के शासक फतह खाँ पर आक्रमण किया। उसने मुकाबला तो किया, पर

जल्दी ही हार गया। महाराजा ने उसके निर्वाह के लिए उसे जागीर दी।

पहाड़ी राज्यों की विजय
(Conquest of Hill Territories)

जम्मू की जीत, 1809 ई० (Conquest of Jammu, 1809 A.D.) : सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने 1800 ई० में जम्मू पर आक्रमण किया। जम्मू के शासक ने महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने महाराजा को 20,000 रू० भेंट करके अपनी जान बचाई। 1809 ई० में जम्मू के राजा जय सिंह का देहान्त हो गया। यह समाचार मिलते ही महाराजा रणजीत सिंह ने दीवान भवानी दास के नेतृत्व में जम्मू पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी। सिक्ख सेना को देखते ही स्वर्गीय जय सिंह का परिवार जम्मू छोड़ कर भाग उठा। महाराजा की सेनाओं ने जम्मू पर अधिकार कर लिया। जमादार खुशहाल सिंह को जम्मू का गवर्नर बना दिया गया।

कांगड़ा की विजय, 1809 ई० (Conquest of Kangra 1809 A.D.) : कांगड़ा का राजा संसार चंद कटोच बड़ा महत्वकांक्षी था। उसने जब कहलूर पर आक्रमण किया, तो वहां के राजा ने नेपाल के गोरखों से सहायता मांगी। जल्दी ही वहाँ अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना पहुँच गई। मई 1806 ई० में संसार चंद को महलमोरी के स्थान पर हार का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप संसार चंद ने गोरखों के विरुद्ध महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी। महाराजा ने उसे सहायता देना स्वीकार कर लिया, पर उसके बदले में कांगड़ा के किले की मांग रख दी। संसार चंद ने महाराजा की मांग स्वीकार कर ली। महाराजा ने गोरखों के विरुद्ध मोहकम चंद के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी।

संसार चंद इस चाल से सिक्खों तथा गोरखों की शक्ति को समाप्त कर देना चाहता था। पर अमर सिंह थापा ने जल्दी ही महाराजा का लोहा मान लिया। 24 अगस्त 1809 ई० को महाराजा ने कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया। देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा का गवर्नर बना दिया गया। संसार चंद ने भी महाराजा की ताकत का लोहा मान लिया। इस पर कांगड़ा के किले को छोड़ कर बाकी का इलाका संसार चंद के पास ही रहने दिया गया।

मित्र मिसलों के इलाकों पर कब्जा
(Annexation of the Territories of the Friendly Misls)

महाराजा रणजीत सिंह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने सत्ता में आते ही सभी मिसलों से लोहा लेना ठीक न समझा। उसने शक्तिशाली मिसलों के मिसलदारों से दोस्ती करके कमजोर मिसलों को जीत लिया। जब वह शक्तिशाली हो गया तो उचित अवसर देख कर उसने मित्र मिसलों के इलाके भी जीत लिए।

कन्हैया मिसल (Kanheya Misl) : कन्हैया मिसल महाराजा रणजीत सिंह के ससुराल वालों की मिसल थी। उस मिसल की नेता तथा उसकी सास सदा कौर ने उसकी शक्ति को बढ़ाने में पूरा ज़ोर लगाया था। फिर भी महाराज ने 1811-13 ई० में कन्हैया मिसल के हाजीपुर, मुकेरियां, बटाला आदि इलाके अपने राज्य में शामिल कर लिए। 1821 ई० में महाराजा ने सदाकौर को जेल में डाल दिया। केवल बधनी को छोड़ कर बाकी के सारे इलाके उससे छीन लिए।

रामगढ़िया मिसल (Ramgarhia Misl) : जब तक जोध सिंह रामगढ़िया जिंदा रहा, महाराजा रणजीत सिंह ने उससे मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे। जब 1815 ई० में जोध सिंह का देहान्त हो गया तो महाराजा ने उसके प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया।

आहलुवालिया मिसल (Ahluwalia Misl) : फतह सिंह आहलुवालिया ने महाराजा रणजीत सिंह की विजयों में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। 1825-26 ई० में उनके सम्बन्ध बिगड़ गए. परिणामस्वरूप महाराजा ने

आहलूवालिया मिसल के सतलुज के उत्तर-पश्चिम में स्थित प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया। फतह सिंह ने रणजीत सिंह के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से सहायता प्राप्त करने का यत्न किया, पर उसे सफलता प्राप्त न हुई। 1827 ई० में महाराजा रणजीत सिंह आहलुवालिया की फतह सिंह से सुलह हो गई। 1837 ई० में फतह सिंह की मौत हो गई।

महाराजा रणजीत सिंह की बड़ी विजयें
(Major Conquests of Maharaja Ranjit Singh)

महाराजा रणजीत सिंह की महत्त्वपूर्ण प्राप्ति मुलतान, अटक, डेराजात, कश्मीर तथा पेशावर की विजयें थीं।

मुलतान की जीत, जून, 1818 ई० (Conquest of Multan, June, 1818 A.D.) : मुलतान का इलाका आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने 1802 ई० में मुलतान पर पहला आक्रमण किया। वहाँ के शासक नवाब मुज्जफर खाँ ने महाराजा को नज़राने के रूप में बड़ी रकम देकर वापस भेज दिया।

मुलतान के नवाब ने अपने वायदे के अनुसार जब वार्षिक कर न भेजा, तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 ई० को फिर मुलतान पर आक्रमण कर दिया। पर मराठा सरदार जसवन्त राय होल्कर के अपनी सेना के साथ पंजाब में आने से महाराजा को वापस जाना पड़ा।

1807 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने मुलतान पर तीसरा आक्रमण किया। सिक्ख सेना ने मुलतान के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया। पर बहावलपुर के नवाब बहावलखाँ ने महाराजा तथा नवाब मुज्जफर खाँ में समझौता करवा दिया।

24 फरवरी 1810 ई० को महाराजा की फौज ने मुलतान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। 25 फरवरी को सिक्खों ने मुलतान के किले को भी घेर लिया। पर महाराजा के सिक्ख सैनिकों को नुक्सान होने के तथा मोहकम चंद के बीमार होने से महाराजा को किले का घेरा खत्म करना पड़ा।

1816 ई० में महाराजा ने अकाली फूला सिंह को ससैन्य मुलतान तथा बहावलपुर के शासकों से कर वसूल करने के लिए भेजा। उसने मुलतान के कुछ बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। मुलतान के नवाब ने तुरन्त फूला सिंह से समझौता कर लिया।

1817 ई० में भवानी दास ने मुलतान पर आक्रमण किया। पर उसे सफलता न मिली। जनवरी 1818 ई० को 20,000 सैनिकों के साथ मिसर दीवान चंद ने मुलतान पर आक्रमण कर दिया। नवाब मुज्जपर खाँ 2000 सैनिकों सहित किले के अन्तर चला गया। सिक्ख सैनिकों ने शहर को जीतने के उपरान्त किले को घेरा लिया। फिर घेरा लम्बे समय तक चला। अंत में साधु सिंह अपने साथियों के साथ किले के अन्दर चला गया। परिणामस्वरूप जून 1818 ई० को सिक्खों ने मुलतान को जीत लिया। मुलतान का सिवल-प्रबन्ध सुखदियाल को सौंप दिया गया। सैनिक प्रबन्ध बाज सिंह को सौंप गया। खुशहाल सिंह को मुलतान का पुलिस प्रबन्ध सौंपा गया तथा दीवान सावन मल को मुलतान का सूबेदार नियुक्त किया गया।

मुलतान की विजय से रणजीत सिंह का सम्मान बढ़ा। दूसरी तरफ दक्षिण पंजाब में अफगानों की शक्ति को आघात पहुँचा। डेरा जात तथा बहावलपुर के दाऊद पुत्र भी महाराजा के अधीन हो गए। आर्थिक रूप से भी यह जीत महाराजा के लिए लाभदायक सिद्ध हुई उसके व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस विजय से अन्य क्षेत्रों को जीतने का उत्साह भी महाराजा में बढ़ा।

अटक की विजय, 1813 ई० (Conquest of Attack) 1813 A.D.) : अटक पंजाब के उत्तर-पश्चिम में दरिया सिंध के तट पर स्थित है। मुलतान तथा कश्मीर की तरह अटक भी पहले मुगल साम्राज्य का ही एक अंग था।

1813 ई० में काबुल के वजीर फतह खाँ तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच कश्मीर पर सांझा आक्रमण करते समय एक सन्धि हुई थी कि कश्मीर की विजय उपरान्त फतह खाँ मुलतान की विजय में महाराजा की सहायता करेगा। महाराजा उसके बदले फतह खाँ को अटक को जीतने में सहयोग देगा। पर, कश्मीर को जीतने के बाद फतह खाँ ने संधि की शर्तों की पालना न की। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह खाँ को सबक सिखाने के लिए अटक पर आक्रमण करने की सोची। उससे पहले उसने अपने विदेश मंत्री फकीर अजीज़द्दीन को बात-चीत करने के लिए अटक के शासक जहांदार खाँ के पास भेजा। जहांदार खाँ अटक का किला महाराजा के हवाले करने के लिए मान गया। महाराजा ने इसके बदले में उसे एक लाख रुपए वार्षिक आय की जागीर दे दी।

अटक के किले पर महाराजा के कब्जे को फतह खां बरदाशत ना कर सका। उसने विशाल सेना के साथ अटक की तरफ कूच किया। दूसरी तरफ महाराजा ने भी पूरी तैयारी करके जोधसिंह रामगढिया, हरी सिंह नलुआ तथा दीवान मोहकम चंद जैसे सुयोग्य सेना-नायक अटक की तरफ भेजे। 26 जून, 1813 ई० को हैदरो (हज़रो) के स्थान पर, घमासान युद्धा हुआ। इसे 'छछ का युद्ध' भी कहा जाता है। पहले तो अफगानों का पलड़ा भारी था, परन्तु जीत महाराजा की सेना की ही हुई।

इस युद्ध के परिणामस्वरूप महाराजा रणजीत सिंह का अटक पर पक्का अधिकार हो गया। उसकी शक्ति की धाक भी जम गई. इस जीत के परिणामस्वरूप महाराजा के लिए अफगानों के शेष महत्वपूर्ण प्रदेशों को जीतना सुगम हो गया। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी भारत में अफगान शक्ति को गहरा धक्का लगा।

कश्मीर की विजय 5 जुलाई, 1819 ई० (Conquest of Kashmir, 5 July, 1819 A.D.) : कश्मीर की घाटी, अपनी सुन्दरता के कारण 'पूर्व का स्वर्ग' नाम से प्रसिद्ध थी। महाराजा रणजीत सिंह कश्मीर की सुन्दर घाटी को जीतने का इच्छुक था।

1811-12 ई० में उसने कश्मीर के निकट स्थित भिंबर तथा राजौरी की रियासतों पर अधिकार कर लिया। अब महाराजा आगे बढ़ कर कश्मीर घाटी पर अधिकार करना चाहता था। उसी समय दौरान काबुल के वजीर फतह खाँ बरकजई ने भी कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस पर 1813 ई० को जेहलम नदी के तट पर रोहतास नामक स्थान पर फतह खाँ तथा रणजीत सिंह के मध्य समझौता हो गया कि दोनों पक्षों की सेनाएं इकटठी ही कश्मीर पर आक्रमण करेगी तथा कश्मीर की विजय के उपरान्त काबुल का वजीर फतह खाँ मुलतान की जीत में महाराजा की सहायता करेगा। महाराजा अटक जीतने में फतह खाँ की सहायता करेगा। जीते हुए क्षेत्रों तथा लूट-मार के माल में से तीसरा हिस्सा महाराजा को मिलेगा। समझौते के पश्चात् महाराजा ने दीवान मोहकम चंद के नेतृत्व में 12,000 सैनिक कश्मीर की मुहिम में फतह खां का साथ देने के लिए भेज दिए। पर फतह खां चालाकी से सिक्ख सेनाओं को पीछे ही छोड़ गया। उसने आगे बड़ कर कश्मीर घाटी में प्रवेश कर लिया। कश्मीर के शासक अत्ता मुहम्मद ने शेरगढ़ के स्थान पर शत्रु का सामना किया। पर फतह खाँ ने सिक्खों की सहायता के बगैर ही उसे हरा दिया। इस तरह से फतह खाँ ने महाराजा के साथ हुए समझौते को तोड़ दिया।

जून 1814 ई० को राम दयाल ने सिक्ख सेना की समान संभाल कर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय कश्मीर की सूबेदार आजिम खाँ था। वह फतह खाँ का भाई था। वह सूबेदार तथा योग्य सेनापति था। जब रामदयाल की सेना ने पीर पंजाल के दर्रे को पार करके कश्मीर घाटी में प्रवेश किया, तो आज़िम खाँ ने थकी हुई सिक्ख सेना पर धावा बोल दिया। पर रामदयाल ने बड़ी बहादुरी से शत्रु का सामना किया। अंत में आज़िम खाँ तथा रामदयाल में समझौता हो गया।

1819 ई० में महाराजा रणजीत सिंह को कश्मीर पर विजय प्राप्त करने का उचित अवसर मिल गया। कश्मीर का सूबेदार आज़िम खाँ अफगानिस्तान दरबार के लड़ाई-झगड़ों में हिस्सा लेने के लिए काबुल चला गया था। उसने जबर खाँ को कार्यकारी सूबेदार नियुक्त कर दिया। महाराजा ने इस अवस्था का पूरा लाभ उटाने के लिए मिसर दीवान चंद को 12,000 सैनिकों के साथ कश्मीर को जीतने के लिए भेजा। उसकी सहायता के लिए खड़क सिंह के नेतृत्व में

दूसरा सैनिक दस्ता भेजा गया। महाराजा स्वयं भी तीसरा दस्ता लेकर वज़ीराबाद चला गया। मई से मिसर दीवान चंद ने भिंबर पहुँच कर राजौरी पुंछ तथा पीर पांचाल पर कब्जा कर लिया। पीर पंजाल से मिसर दीवान चंद की सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया। जबर खां ने शोपियाँ (सपीन) नामक स्थान पर सिक्खों का डट कर मुकाबला किया। सिक्ख सेना ने 5 जुलाई, 1819 ई० को श्रीनगर, शेरगढ़ तथा आजिमगढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया। महाराजा ने कश्मीर को सिक्ख राज्य में शामिल कर लेने का ऐलान कर दिया। दीवान मोती राम को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया गया।

कश्मीर की विजय से महाराजा की प्रसिद्धि में बढ़ौतरी हुई. इस जीत से महाराजा को 36 लाख रुपए की वार्षिक आय हुई। इस जीत से महाराज को आर्थिक लाभ तो हुआ ही, पर अफगानों की शक्ति को भी आघात पहुँचा।

डेराजात क्षेत्र की जीत, 1821 ई० (Conquest of Derajat, 1821 A.D.) : मुलतान तथा कश्मीर की विजयों के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने डेरा गाजी खाँ को जीतने का फैसला किया। उस समय वहाँ का शासक हाकम ज़मान खाँ था। महाराजा ने ज़मादार खुशहाल सिंह के नेतृत्व में ज़मान खाँ के विरुद्ध सेना भेजी। इस सेना ने डेरा गाजी खाँ के शासक को हरा कर वहाँ अपना अधिकार कर लिया।

डेरा गाजी खां की जीत के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने डेरा इस्माइल खाँ तथा मानकेरा की तरफ अपना मुँह किया। इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए महाराजा ने 1821 ई० में मिसर दीवान चंद को भेजा। जब वहाँ के शासक अहमद खां ने नज़राना देना चाहा तो मिसल दीवान चंद ने लेने से इन्कार कर दिया तथा आगे बढ़ कर मानकेरा पर अधिकार कर लिया।

पेशावर की विजय, 30 अप्रैल 1837 ई० (Conquest of Peshwar, 30 April, 1837 A.D.) : पंजाब के उत्तर-पश्चिम में सिंध नदी के पार स्थित पेशावर अपनी भूगौलिक स्थिति के कारण सैनिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण प्रदेश था। महाराजा रणजीत सिंह पेशावर के महत्व को समझते हुए उसे जीत कर अपने राज्य में मिलाना चाहता था।

1818 ई० में काबुल के दरबार में झगड़े-फसाद शुरू हो जाने से महाराजा को पेशावर पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। उसने 15 अक्तूबर को अकाली फूला सिंह तथा हरी सिंह नलुआ को साथ लेकर लाहौर से पेशावर की तरफ कूच किया। उसकी सेना का खटक कबीले के लोगों ने विरोध किया। पर सिक्खों ने उनकों हरा कर खैराबाद तथा जहांगीर नामक किलों पर अधिकार कर लिया। फिर सिक्ख सेना पेशावर की तरफ बढ़ी। उस समय पेशावर का शासक यार मुहम्मद खाँ था। वह पेशावर छोड़ कर भाग गया। इस तरह से बिना किसी विरोध के 20 नवम्बर, 1818 ई० को महाराजा ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। पर महाराजा ने अभी पक्के तौर पर पेशावर को अपने अधीन रखना मुनासिब न समझा। उसने अटक के पहले शासक जहांदाद खाँ को पेशावर का सुबेदार बना कर स्वयं लाहौर की तरह मुँह किया।

जब सिक्ख सेना पेशावर से लाहौर चली गई तो यार मुहम्मद फिर से पेशावर पर अपना कब्जा जमाने में सफल हो गया। इस बात का पता चलने पर महाराजा ने राजकुमार, खड़क सिंह तथा मिसर दीवान चंद के नेतृत्व में 12,000 सैनिकों की विशाल सेना पेशावर की तरफ भेजी। यार मुहम्मद ने महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली।

मुहम्मद आज़िम खाँ जो उस समय तक काबुल का वज़ीर बन चुका था, ने यार मुहम्मद खाँ के विरुद्ध पेशावर पर आक्रमण कर दिया। आज़िम खाँ ने जनवरी 1823 ई० में पेशावर पर अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता महाराजा को लगा तो उससे शेर सिंह, दीवान किरपा राम, हरी सिंह नलुआ तथा अतर सिंह के अधीन विशाल सेना पेशावर की तरफ भेजी। आज़िम खाँ ने सिक्खों के खिलाफ 'जेहाद' का नारा लगा दिया। 14 मार्च 1823 ई० को नौशहरा नामक स्थान पर सिक्खों तथा अफगानों में घमासान युद्ध हुआ। इसे 'टिब्बा-टेहरी' का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान अकाली फूला सिंह शहीद हो गया। सिक्खों का उत्साह बढ़ाने के लिए महाराजा आगे बढ़ा। जल्दी

ही सिक्खों को जीत प्राप्त हुई।

1827 ई० से 1831 ई० तक सय्यद अहमद खाँ ने पेशावर तथा उसके आस-पास के प्रदेशों में विद्रोह कर दिया। 1829 में उसने पेशावर पर आक्रमण कर दिया। यार मुहम्मद, जो महाराजा के अधीन था, उसका मुकाबला न कर सका। पर जून, 1830 ई० को हरी सिंह नलुआ ने उसे सिंध नदी के तट पर हराया। सय्यद अहमद जो फिर से शक्ति प्राप्त कर चुका था, मई 1831 ई० में उसे राजकुमार शेर सिंह ने बालाकोट की लड़ाई में परास्त किया। वह मारा गया।

1831 ई० के उपरान्त महाराजा रणजीत सिंह पेशावर को लाहौर राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। उसने हरीसिंह नलुआ तथा राजकुमार नौनिहाल सिंह के नेतृत्व में 9,000 सैनिकों की विशाल सेना, पेशावर की तरफ भेजी। परिणामस्वरूप 6 मई, 1834 ई० को सिक्खों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। महाराजा ने पेशावर को लाहौर राज्य में शामिल करने का ऐलान कर दिया। हरी सिंह नलुआ को पेशावर का सूबेदार नियुक्त किया गया।

उधर काबुल में दोस्त मुहम्मद खाँ ने 1834 ई० को शाह सुजाह को हरा कर सिक्खों से पेशावर वापस लेने का फैसला किया। हरी सिंह नलुआ क्योंकि उस समय जमरौद के किले का निर्माण करवा रहा था, इसलिए यार मुहम्मद ने अपने पुत्र मुहम्मद अकबर के नेतृत्व में 18,000 सैनिकों की सेना सिक्खों के विरुद्ध भेजी। दोनों पक्षों में जम कर लड़ाई हुई। अंत में जीत सिक्खों की हुई।

रणजीत सिंह के राज्य का विस्तार (Extention of Ranjit Singh's Kingdom) : पेशावर की जीत से उत्तर-पश्चिम में महाराजा के राज्य की सीमा सुलेमान पर्वत शृंखलाओं को छूने लगी। उत्तर में उसके राज्य का विस्तार लद्दाख तथा इसकरदू तक था। पूर्व में उसका राज्य सतलुज नदी तक तथा दक्षिण-पश्चिम की तरफ उसका राज्य शिकारपुर तक फैला हुआ ता। महाराजा रणजीत सिंह के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उसके राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,24,000 वर्ग कि.मी. था।

अंग्रेज़ तथा सिक्खों के सम्बन्ध 1809 ई० से लेकर 1839 ई० तक (Anglo-Sikh Relatoins, 1809-1839 A.D.)

वैसे तो रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के सम्बन्ध 1800 ई० में ही शुरू हो गए थे, पर वास्तव में उसके अंग्रेज़ों से सम्बन्ध 1805-06 में आरम्भ हुए। अगले दो वर्षों में रणजीत सिंह ने सतलुज पार के इलाकों पर आक्रमण किए। पर 1809 ई० में अंग्रेज़ों तथा महाराजा के दरम्यान अमृतसर की संधि हो गई। इस सन्धि के अनुसार सतलुज नदी को सीमा मान लिया गया। इससे मालवा की रियासतें अंग्रेज़ों के अधीन चली गई। इस सन्धि के पश्चात् अंग्रेज़ों तथा रणजीत सिंह के मध्य जो सम्बन्ध रहे, उनका वर्णन इस प्रकार है :-

अविश्वास तथा शक, 1809-1812 ई० (Mutual Distrust and Suspicion, 1809-1812 A.D.) : अमृतसर की संधि के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह तथा ब्रिटिश सरकार में सही मायनों में मित्रता न स्थापित हो सकी। लुधियाना में अंग्रजों ने सैनिक चौकी की स्थापना कर ली। उन्होंने वहाँ पोलिटीकल एजेंसी (Political Agency) भी स्थापित कर ली। इससे महाराजा रणजीत सिंह के मन में अंग्रेज़ों के मन्सूबों के बारे में अविश्वास पैदा हो गया।

दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह ने फिल्लौर ने किले में दीवान मोहकम चन्द के नेतृत्व में विशाल सेना एकत्रिक कर ली। इससे अंग्रेज़ों को भी महाराजा की मित्रता पर विश्वास नहीं आता था।

मैत्री भाव तथा स्नेह, 1812-1821 ई० (Friendliness and Cordiality, 1812-1821 A.D.) : 1812 ई० के बाद महाराजा रणजीत सिंह तथा ब्रिटिश सरकार के सम्बन्ध सुधरने लगे। 1812 ई० में महाराजा के राजकुमार खड़क सिंह के विवाह के अवसर पर डेविड औकटरलोनी पहुँचा। विवाह के बाद औकटरलोनी ने लाहौर का किला भी देखा। दूसरा तरफ अंग्रेज़ों ने 1813 ई० में महाराजा को 1000 बन्दूकें भेजीं।

1814-15 ई० में जब हेस्टिंगज ने नेपाल के गोरखों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया तो गोरखों ने महाराजा से सहायता मांगी। महाराजा ने गोरखों के दूत का स्वागत तक न किया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने भी महाराजा के दुश्मनों से कोई सम्बन्ध न रखा।

कुछ समय के लिए दुर्भावना 1822-1835 ई० (Temporary ill-will, 1822 to 1825 A.D.) : 1822 ई० से 1825 तक महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य अनबन जैसी स्थिति रही।

बधनी का प्रश्न (Question of Badhni) : सतलुज नदी के दक्षिण में बंधनी नामक क्षेत्र पर महाराजा की सास, सदा कौर का अधिकार था। 1821 ई० में महाराजा ने सदा कौर के कैद कर लिया तथा उसके इलाकों को अपने अधिकार में कर लिया। क्योंकि बधनी सतलुज के दक्षिण में था तथा वह अंग्रेज़ों के अधिकार में था, इसलिए अंग्रेज़ों ने महाराजा के अधिकार को गलत बताया। उन्होंने अपनी सेना भेज कर महाराजा की सेना को भी वहां से निकाल दिया।

आहलुवालिया प्रदेश की समस्या (Question of Ahluwalia Possessions) : 1825 ई० में फतह सिंह आहलुवालिया, जिसके क्षेत्र सतलुज के दोनों तरफ थे, महाराज से तंग आकर सतलुज पार चला गया। उसने अंग्रेज़ों से रक्षा की मांग की। अंग्रेजों ने सतलुज के दक्षिण वाले इसके इलाके अपने अधीन कर लिए। महाराजा को अंग्रेज़ों की यह बात अच्छी न लगी।

फिर से मित्रता-भावना तथा प्रेम 1825-1830 ई० (Cordiality and friendliness Restored, 1825-1830 A.D.) : 1825 ई० के बाद महाराजा तथा अंग्रेज़ों के संबंधों में फिर से मित्रता दिखाई देने लगी। 1827 ई० में डॉक्टर मर्रे के यत्नों से अंग्रेज़ों ने बधनी पर फिर से रणजीत सिंह का अधिकार मान लिया। दूसरी तरफ 1825-26 ई० में भरतपुर के राजा के प्रतिनिधि अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता मांगने आए। पर रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों की मित्रता को सामने रखते हुए उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया।

नवम्बर, 1826 ई० में महाराजा बीमार हो गया। उसका इलाज डॉक्टर मर्रे की देखरेख में हुआ।

अप्रैल, 1827 ई० में जब गवर्नर जनरल लार्ड ऐमहरसट शिमला में आया तो दीवान मोतीराम ने उसका स्वागत किया। अगले मास (मई, 1827 ई०) जब डेविड अमृतसर आया तो वह गवर्नर जनरल की तरफ से महाराजा के लिए उपहार तथा एक पत्र लाया।

खींचतान, तनाव तथा विमुखता (Tension and Entrangement) : 1831 ई० के बाद सिंध तथा शिकापुर आदि के प्रश्नों पर अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह पर छल या बल की नीति से रोक लगाने की कोशिशें की। परिणामस्वरूप उन दोनों पक्षों में दरार पड़नी शुरू हो गई। इस तनाव के काल का वर्णन इस प्रकार है :-

सिंध का प्रश्न, 18 अप्रैल, 1832 ई० (Question of Sindh, 18 April, 1832 A.D. : सिंध पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में सिंध नदी के दोनों ओर स्थित अति महत्त्वपूर्ण प्रदेश है. सिंध के निकटवर्ती प्रदेशों को जीतने के बाद 1830-31 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध को जीतने का फैसला किया। पर भारत के गर्वनर-जनरल ने महाराजा पर रोक लगाने के लिए रोपड़ (रुपनगर) में उसके साथ मुलाकात रखी, जो 26अक्तूबर, 1831 ई० में हुई। दूसरी तरफ गर्वनर जनरल ने कर्नल पोटिंजर (Col. Pottinger) को सिंध के अमीरों से व्यापारिक संधि करने के लिए भेज दिया। जब रणजीत सिंह को पता चला कि अंग्रेज़ों ने सिंध के अमीरों से व्यापारिक समझौता कर लिया है तो उसे बड़ा दु:ख हुआ।

शिकारपुर का प्रश्न, 1836 ई० (Question of Shikarpur, 1836 A.D.) : सिंध पर तीन अमीरों का सांझा अधिकार था। 1834 ई० में महाराज रणजीत सिंह ने वहाँ के मजारी कबीले के खिलाफ एक मुहिम भेजी, क्योंकि उस कबीले ने सिक्ख इलाकों में लूट मार की थी। 1836 ई० में महाराजा ने फिर राजकुमार खड़क सिंह के

नेतृत्व में मजारी कबीलों के खिलाफ सेना, भेजी क्योंकि वह अभी भी सिक्ख इलाकों में से लूटमार करने से बाज नहीं आए थे। सिक्ख सेना ने मजारियों के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। जब संधि की शर्तों को पूरा करवाने के लिए महाराजा ने दोबारा खड़क सिंह का वहाँ भेजना चाहा तो गवर्नर लार्ड ऑकलैंड (Lord Auckland) ने महाराजा को रोक दिया। इस तरह से महाराजा को न शिकारपुर मिल सका तथा न ही वार्षिक कर। परिणामस्वरूप महाराजा तथा अंग्रेज़ों के सम्बन्ध बिगड़ गए।

फिरोज़पुर का सवाल, 1835 ई०-1838 ई० (Question of Ferozpur, 1835-1838 A.D.) : सतलुज तथा ब्यास के संगम के पास स्थित फिरोजपुर एक विशेष महत्वपूर्ण शहर था। अंग्रेज़ों ने पहले ही सोच रखा था कि वे उस पर महाराजा को कब्जा नहीं करने देंगे। जब भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार हो गया तो अंग्रेज़ों ने उसकी रक्षा के लिए मई, 1835 ई० में फिरोजपुर पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह अंग्रेज़ों की इस कार्यवाही से गुस्से में भर उठा। उसके दरबारियों ने भी अंग्रेज़ों की कार्यवाही का खुले रूप में विरोध किया। 1838 ई० में अंग्रेज़ों ने फिरोजपुर को छावनी बनाकर उसमें अपनी सेना उतार दी।

त्रिपक्षीय संधि, 1838 ई० (Tripartite Treaty) : 1837 ई० में भारत का गवर्नर-जनरल लार्ड ऑकलैंड-अफगानिस्तान में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत हो गया। वह यह भी महसूस करता था कि दोस्त मुहम्मद अंग्रेज़ों के शत्रु रूस से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम कर रहा था। इन हालातों में लार्ड ऑकलैंड ने दोस्त मुहम्मद की जगह शाह शुजाह को (अफगानिस्तान का भूतपूर्व शासक जो अंग्रेज़ों की पैन्शन पर पलता था) अफगानिस्तान का शासक बनाना चाहा। इस उद्देश्य से 26 जून, 1838 ई० को अंगरेज़ सरकार की आज्ञा से अंग्रेज़ों, रणजीत सिंह तथा शाह शुजाह के दरम्यान, एक संधि हुई जिसे 'त्रिपक्षीय संधि' कहा जाता है। इसके अनुसार अफगानिस्तान के होने वाले शासक शाह शुजा ने अपनी तरफ से महाराजा के अफगानों से जीते गए सारे प्रदेश (कश्मीर, मुलतान, पेशावर, अटक, डेराजात आदि) पर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। महाराजा ने उस संधि की एक शर्त कि अफगान-युद्ध के समय वह अंग्रेज़ों को अपने इलाके में से होकर आगे जाने देगा, न मानी। इस पर अंग्रेज़ों तथा महाराजा के सम्बन्धों में बड़ी दरार पैदा हो गई। 29 जून, 1839 ई० को महाराजा का देहान्त हो गया।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखो :-

1. महाराज रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ ? उसके पिता का क्या नाम था ?
2. महताब कौर कौन थी ?
3. 'तिकड़ी की सरप्रस्ती' का काल किसे कहा जाता है ?
4. लाहौर के नागरिकों ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर पर आक्रमण करने का निमन्त्रण क्यों दिया ?
5. भसीन के युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ कौन-कौन से सरदार थे ?
6. अमृतसर तथा लोहगढ़ पर महाराजा रणजीत सिंह ने क्यों आक्रमण किया ?
7. तारा सिंह घेबा किस मिसल का नेता था ?

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में दें :-

1. महाराजा रणजीत सिंह के बचपन तथा शिक्षा के बारे में लिखो।
2. महाराजा रणजीत सिंह के बचपन की बहादुरी की घटनाओं का वर्णन करो।

3. महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर पर कब्जे का वर्णन करो।
4. अमृतसर की जीत का महत्व बतलाओ।
5. महाराजा रणजीत सिंह ने मित्र-मिसलों पर कब तथा कैसे अधिकार किया ?
6. मुलतान की विजय के परिणाम लिखो।
7. अटक की लड़ाई का वर्णन करो।
8. सिंध के प्रश्न के बारे में बताओ।
9. शिकारपुर का प्रश्न क्या था ?
10. फिरोजपुर का मामला क्या था ?

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में दें :-

1. महाराजा रणजीत सिंह ने कमज़ोर रियासतों को कैसे जीता ?
2. महाराजा रणजीत सिंह की कश्मीर की विजय का वर्णन करो।
3. महाराजा रणजीत सिंह की मुलतान की विजय का वर्णन करो।
4. महाराजा रणजीत सिंह की पेशावर की जीत का वर्णन करो।
5. किन-किन मसलों पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों की आपस में न बनी ?

******

अध्याय-8

अंग्रेज़ों और सिक्खों के युद्ध और पंजाब पर का आधिपत्य
(The Anglo-Sikh Wars and Annexation of the Punjab)

अंग्रेज़ों और सिक्खों का पहला युद्ध, 1845-46 ई०
(The First Anglo-Sikh war, 1845-46 A.D.)

महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर और अयोग्य प्रशासक सिद्ध हुए। उनकी कमज़ोरी के कारण लाहौर-राज्य में गुटबंदी ने जन्म लिया। अंग्रेजों ने लाहौर-राज्य की कमज़ोरी का लाभ उठाते हुए सिक्खों से दो युद्ध किए। पहला युद्ध 1845-46 ई० में हुआ।

कारण (Causes)

अंग्रेज़ों की लाहौर-राज्य को घेरने की नीति (British Policy of Siege of Ranjit Singh's Kingdom) : अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल से ही लाहौर-राज्य को घेरना आरम्भ कर दिया था। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने 1835 ई० में फिरोज़पुर पर कब्जा कर लिया। 1838 ई० में उन्होंने वहाँ एक सैनिक छावनी स्थापित की।

रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब में अराजकता और गड़बड़ (Lawlessness and anarchy in the Punjab after Ranjit Singh) : महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात् पंजाब में अशांति और अराजकता फैल गई। इसका कारण यह था कि उसके उत्तराधिकारी खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, रानी जिंद कौर और शेर सिंह-निर्बल और कमज़ोर प्रशासक सिद्ध हुए। उनकी कमज़ोरी के कारण दराबर में सरदारों ने एक दूसरे के विरुद्ध साजिश करनी शुरू कर दी थीं। इस अवस्था का लाभ अंग्रेज़ उठाना चाहते थे।

पहले अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों की कठिनाइयाँ और असफलताएं (Disastrous Failure of the British in First Afgan War) : पहले एंग्लो-अफगान युद्ध के समाप्त होते ही 1841 ई० में अफगानों के दोस्त खाँ के पुत्र मुहम्मद अकबर खां ने नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ विद्रोहियों को दबाने से असफल रहे। अंग्रेज़ सेनानायक बर्नज़ और माकनाटन की मौत के घाट उतार दिया गया। वापिस जा रहे अंग्रेज़ सैनिकों में से केवल बराइडन नामक सैनिक ही बच पाया। अंग्रेज़ों की इस असफलता के कारण सिक्खों का अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के प्रति उत्साह बढ़ गया।

अंग्रेज़ों का सिन्ध का अधिकार (Annexation of Sindh by British) : अफगान युद्ध की समाप्ति के बाद एलनबरो ने सिंध पर कब्जा करने का फैसला किया। यद्यपि सिंध के अमीर अंग्रेज़ों के प्रति सदा ही वफादार रहे थे, फिर भी लार्ड ऐलनबरो (Ellenborough) के आदेश के अनुसार चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों पर दोष लगा कर उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सिंध के अमीरों को हरा कर उसने 4 मार्च 1843 ई० को सिन्ध पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों की इस कार्यवाही से सिक्खों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अंग्रेज़ पंजाब पर कब्जा करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं।

ऐलनबरो की पंजाब पर कब्जा करने की योजना (Ellenborough's Plan to Conquer the Punjab) : सिन्ध और कैंथल को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लेने के तथा ग्वालियर राज्य की शक्ति को कमज़ोर कर देने के पश्चात् लार्ड ऐलनबरो ने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस योजना को वास्तविक रूप देने के लिए उसने सैनिक तैयारियाँ आरम्भ की दीं। पता चलने पर सिक्खों ने भी युद्ध की तैयारियाँ आरम्भ कर दीं।

लार्ड हार्डिंग की गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति (Appointment of Lord Hardinge as Governor General) : जुलाई 1844 ई० को लार्ड ऐलनबरो के स्थान पर लार्ड हार्डिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। हार्डिंग एक प्रसिद्ध सेनानायक था। उसकी नियुक्ति से सिक्खों के मन में यह शंका पैदा हो गई कि ऐलनबरो को जानबूझ कर लंदन वापिस बुला लिया गया है और उसके स्थान पर एक प्रसिद्ध सेनानायक को भारत भेजा गया है, ताकि वह सिक्खों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध कर सके।

अंग्रेज़ों की फौजी तैयारियाँ (Military Preparations of the British) : लार्ड ऐलनबरो की नीति पर चलते हुए लार्ड हार्डिंग ने सिक्खों के साथ युद्ध करने की तैयारियाँ जारी रखीं। उसने पंजाब की सीमाओं पर सैनिकों और तोपों की संख्या बढ़ा दी। सतलुज नदी पर नावों का पुल बनाने के लिए मुम्बई (बम्बई) में नावें तैयार की गई। अंग्रेज़ों की इन सैनिक तैयारियों से यह सिद्ध होता था कि वे सिक्खों के साथ रक्षात्मक युद्ध नहीं अपितु आक्रामक युद्ध करना चाहते थे।

सुचेत सिंह के खजाने का मामला (Question of Suchet Singh's Treasure) : डोगरा सरदार सुचेत सिंह लाहौर दरबार की सेवा में था। 1844 ई० में उसकी मृत्यु हो गई। वह 15 लाख रुपये की राशि फिरोजपुर में ही छोड़ गया। क्योंकि सुचेत सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर सरकार इस राशि पर अपना हक समझती थी। परन्तु अंग्रेज़ इस हक को अदालती रूप देना चाहते थे। इससे सिखों को अंग्रेज़ों की नीयत पर शक होने लगा।

मौड़ां गाँव के मामले पर मतभेद (Disagreement over the village Mowran) : मौड़ां नामक गाँव नाभा रियासत में स्थित था। यह गाँव नाभा के शासक जसवंत सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया था। महाराजा ने फिर यह गाँव धन्ना सिंह को दे दिया था। 1843 ई० में नाभा के राजा देवेन्द्र सिंह सरदार धन्ना सिंह से नाराज़ हो गया। उसने मौड़ां गाँव धन्ना सिंह से वापिस ले लिया। लाहौर-सरकार ने इसका विरोध किया। परन्तु अंग्रेज़ों ने नाभा के राजा, जोकि उनकी रक्षा अधीन थी, का पक्ष लिया। सिक्खों को यह बात भी अच्छी न लगी।

मेजर ब्राडफुट की सिक्ख विरोध गतिविधियाँ (Broadfoot's Measures against the Sikhs) : नवम्बर 1844 ई० में मेजर ब्राडफुट लुधियाना में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। यह सिक्खों के प्रति घृणा भाव रखता था। इसलिए उसने सिक्खों के विरुद्ध कुछ ऐसे कार्य किए, जिससे सिक्ख अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गये।

लाल सिंह और तेज सिंह का सिक्ख सेना को उकसाना (Incitement of the Sikh Army by Lal Singh and Tej Singh) : सितम्बर 1845 ई० में लाल सिंह लाहौर-राज्य का प्रधान मंत्री बना। उसी समय तेज सिंह को सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया। उस समय तक सिक्ख सेना की शक्ति में काफी वृद्धि हो चुकी थी। राज्य के सभी महत्वपूर्ण फैसले सेना द्वारा ही किए जाते थे। लाल सिंह और तेज़ सिंह सिक्ख-सेना से बहुत डरते थे। गुप्त रूप से ये दोनों सरदार अंग्रेज़ सरकार से मिल चुके थे। सिक्ख सेना को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने सिक्ख सेना को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काया।

गवर्नर जनरल द्वारा युद्ध की घोषणा (Declaration of War by Governor General) : उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि अंग्रेज़ सिक्खों से लड़ना चाहते थे। 13 दिसम्बर 1845 ई० को गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग ने सिक्खों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

1947 से पहले का पंजाब
अंग्रेज़ों और सिक्खों का प्रथम युद्ध (1845-46)

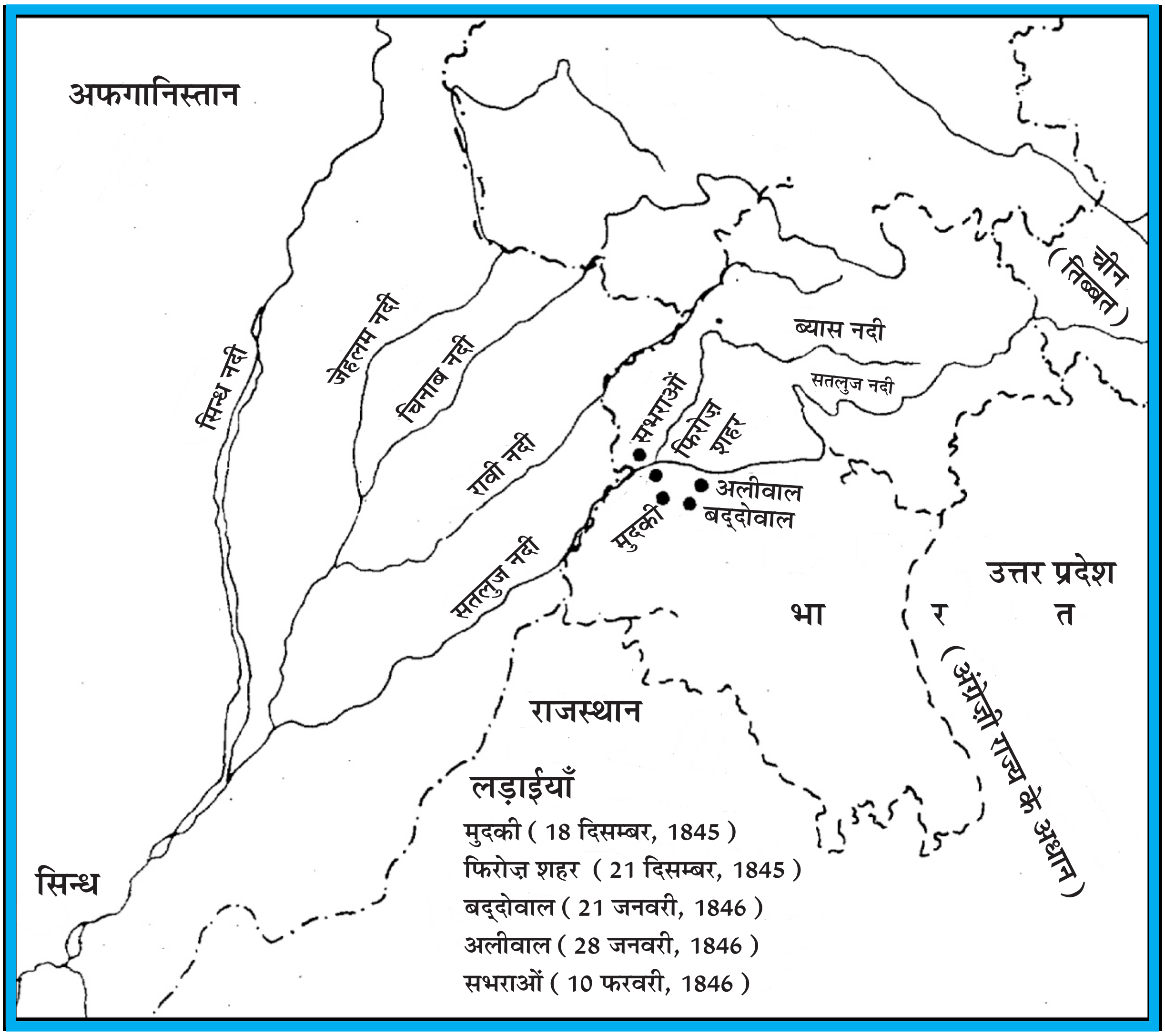

(ख) घटनाएं (Events)

11 दिसम्बर 1845 ई० को लगभग 60,000 सिक्ख सैनिकों ने लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में सतलुज नदी को पार किया। 13 दिसम्बर को लार्ड हार्डिंग ने सिक्खों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

मुदकी की लड़ाई, 18 दिसम्बर, 1845 ई० (Battle of Mudki, 18th December, 1845 A.D.) : सर ह्यू गफ्फ (Sir Hugh Gough) के नेतृत्व में अंग्रेज़ सेना फिरोजशाह से 15-16किलोमीटर दूर मुदकी नामक स्थान पर जा पहुँची। लाल सिंह छोटी-सी सिक्ख सेना को मुदकी ले आया। 18 दिसम्बर 1845 ई० को लड़ाई शुरू हो गई। परन्तु लड़ाई शुरू होते ही लाल सिंह पूर्व निश्चित योजना के अनुसार युद्ध के मैदान से भाग निकला। सिक्ख सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े। परन्तु कम संख्या और अपने सरदार की गद्दारी के कारण उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा।

फिरोजशाह या फिरोजशहर की लड़ाई, 21 दिसम्बर, 1845 ई० (Battle of Ferozshah or Feroshahar 21 December 1845 A.D.) : मुदकी की लड़ाई के पश्चात् 20 दिसम्बर 1845 ई० को फिरोज़पुर से जॉन लिटलर (John Littler) के अधीन अंग्रेज़ सेना ह्यू गफ्फ की सेना से जा मिली। 21 दिसम्बर को शाम के चार बजे ब्रिटिश सेना ने फिरोज़शाह या फिरोज शहर में डेरा डाले हुए सिक्ख सेना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में लाल सिंह और तेज सिंह सिक्ख सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सिक्ख सैनिकों ने असाधारण दिलेरी और बहादुरी से शत्रु का मुकाबला किया। सिक्खों की तोपों ने शत्रु की लगभग एक तिहाई तोपों को नष्ट कर दिया। परन्तु रात को लाल सिंह रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। दूसरी और तेज सिंह, जोकि सिक्खों की फौज की जीत नहीं चाहता था, सिक्खों के नये और ताज़ा दम दस्ते आने पर भी मैदान से भाग निकला। फलस्वरूप अंग्रेज़ हारते-हारते भी जीत गए।

बद्दोवाल की लड़ाई, 21 जनवरी, 1846 ई० (Battle of Baddowal, 21st January 1846 A.D.) : 21 जनवरी, 1846 ई० को सरदार रणजोध सिंह मजीठिया ने लाडवे के सरदार अजीत सिंह से मिलकर अपनी सेना सहित सतलुज नदी को पार किया। उन्होंने लुधियाना पर हमला करने की पूरी तैयारियाँ कर लीं। इस बात का पता लग जाने पर सर हैनरी स्मिथ (Sir Henery Smith) ने अपनी सेना सहित लुधियाना की रक्षा के लिए उस ओर कूच कर दिया। बद्दोवाल गाँव के पास दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सरदार रणजोध सिंह की जीत हुई। अंग्रेज़ों का काफी सामान और भोज्य पदार्थ सिक्खों के हाथ लगे।

अलीवाल की लड़ाई, 28 जनवरी 1846 ई० (Battle of Aliwal, 28th January, 1846 A.D.) : फिरोज़पुर से सहायक सेना आ जाने पर सर हैनरी स्मिथ ने 28जनवरी, 1846 ई० को अचानक ही अलीवाल में सरदार रणजोध सिंह के नेतृत्व में डेरा डाले हुए सिक्ख सेना पर आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप सिक्ख सेना भाग कर सतलुज नदी पार कर गई। अंग्रेज़ों की जीत हुई।

सभराओं की लड़ाई, 10 फरवरी, 1846 ई० (Battle of Sabhraon, 10th February, 1846 A.D.) : सिक्ख सेना ने तेज सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में सभराओं में डेरा डाला हुआ था। उन्होंने अंग्रेज़ों को संभलने के लिए 13 दिन तक का मौका दे दिया तथा उन पर कोई हमला नही किया। 10 फरवरी, 1846 ई० को जब अंग्रेज़ों और सिक्खों में युद्ध हुआ तो तेज सिंह और लाल सिंह युद्ध शुरू होते ही लड़ाई के मैदान से भाग गए। शाम सिंह अटारीवाला आखरी साँस तक शत्रु से युद्ध करता रहा। उसकी शहीदी के बाद तथा सेनापतियों की गद्‌दारी के कारण सिक्ख सेना की हार हुई।

सभराओं की जीत के पश्चात् अंग्रेज़ सेना ने सतलुज नदी को पार किया। लाहौर की ओर बढ़ रही सेना का सिक्खों ने कोई विरोध नहीं किया। अंग्रेज़ सेना 20 फरवरी, 1846 ई० को लाहौर पहुँच गए।

(ग) लाहौर की सन्धियाँ
(Treaties of Lahore)

लाहौर की पहली सन्धि, 9 मार्च, 1846ई० (First Treaty of Lahore, March 9, 1846 A.D.) : पहले एंग्लो-सिक्ख युद्ध के बाद गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग ने लाहौर सरकार के साथ सन्धि की। उस सन्धि की मुख्य धाराएं इस प्रकार थीं-

1. ब्रिटिश सरकार, महाराजा दलीप सिंह और उसके उत्तराधिकारियों से मित्रता बनाये रखेगी।
2. लाहौर के महाराजा ने अपने और अपने उत्तराधिकारियों की ओर से सतलुज के दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों से सदा के लिए अपना अधिकार हटा लेना स्वीकार कर लिया।
3. महाराजा ने सतलुज और ब्यास नदियों के मध्य क्षेत्र में स्थित सभी किले अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए।
4. अंग्रेज़ों ने युद्ध के हर्जाने के रूप में लाहौर सरकार से डेढ़ करोड़ रुपये की माँग की।
5. महाराजा ने लाहौर सेना के विद्रोही दस्तों को तोड़ने और उनसे हथियार छीन लेने का वचन दिया।
6. यह भी फैसला हुआ कि लौहार-राज्य की सेना में 20 हजार पैदल और 12 हजार घुड़सवार सैनिक होंगे।
7. महाराजा ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के बिना किसी अंग्रेज़, यूरोपियन या अमरीकी को अपनी सेवा में नहीं लेगा।
8. ब्रिटिश सरकार ने दलीप सिंह को लाहौर का महाराजा, रानी जिंदा को उसकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को प्रधान मंत्री स्वीकार कर लिया।
9. ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के बिना लाहौर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
10. ब्रिटिश सरकार लाहौर-राज्य के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
11. यदि ब्रिटिश सरकार गुलाब सिंह को कुछ पहाड़ी क्षेत्र दे तो महाराजा उन क्षेत्रों पर उसका प्रभुत्व स्वीकार करेगा।

लाहौर की दूसरी सन्धि 11 मार्च, 1846 ई० (Supplementary Articles of Agreement, 11 March 1846 A.D.) : लाल सिंह आदि की प्रार्थना पर 11 मार्च, 1846ई० में लाहौर की दूसरी सन्धि हुई। उस सन्धि की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं।

1. ब्रिटिश सरकार महाराजा दलीप सिंह और नगरवासियों की रक्षा के लिए लाहौर में 1846 ई० के अन्त तक बड़ी संख्या में सेना रखेगी।
2. लाहौर का किला और शहर अंग्रेज़ सेना के अधिकार में रहेगा।
3. लाहौर-सरकार 9 मार्च, 1846 ई० की सन्धि के अन्तर्गत अंग्रेज़ों को दिए गये क्षेत्रों के जागीरदारों और अधिकारियों का सम्मान करेगी।
4. लाहौर-सरकार को अंग्रेज़ों को दिए क्षेत्रों के किलों में से तोपों के अतिरिक्त खजाना और सम्पत्ति लाने का अधिकार होगा।

लाहौर की सन्धियों का महत्व (Significance of Treaties of Lahore) : यद्यपि लार्ड हार्डिंग ने सिक्खों को हराकर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, पर लाहौर सरकार को कमज़ोर अवश्य कर दिया। अंग्रेज़ों ने लाहौर राज्य के सतलुज के दक्षिण स्थित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दोआबा बिस्त जालन्धर के उपजाऊ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। कश्मीर, कांगड़ा और हजारा के पहाड़ी राज्य लाहौर राज्य से स्वतंत्र कर

दिए गए। लाहौर राज्य की सेना कम कर दी गई। लाहौर राज्य से बहुत बड़ी धनराशि वसूल की गई। पंजाब को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से इतना कमज़ोर कर दिया गया कि अंग्रेज़ जब भी चाहें उस पर कब्जा कर सकते थे।

भैरोवाल की सन्धि, 16 दिसम्बर, 1846 ई०
(Treaty of Bhairowal 16th December, 1846 A.D.)

लाहौर की सन्धि के बाद भैरोवाल की सन्धि हुई। इसके निम्नलिखित कारण थे-

कारण (Cause) : लाहौर की सन्धि के अनुसार महाराजा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाहौर में एक वर्ष के लिए अंग्रेज़ी सेना ने रहना था। जब वर्ष समाप्त होने को हुआ तो हार्डिंग ने सोचा कि भविष्य में भी किसी तरह अंग्रेज़ी सेना लाहौर राज्य में रहे और वहां पर एक ब्रिटिश रैजीडैट भी नियुक्त किया जाये। महारानी जिंदा ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए 15 दिसम्बर, 1846 ई० को लाहौर दरबार के मंत्रियों और सरदारों की एक विशेष सभा बुलाई गई। उस सभा में गवर्नर जनरल की केवल उन्हीं शर्तों की घोषणा की गई, जिनके आधार पर वे 1846 ई० के बाद लाहौर में अंग्रेज़ी सेना रखने के लिए सहमत हुए थे। महारानी जिंदा के अतिरिक्त प्रमुख सरदारों ने 16 दिसम्बर को सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उस सन्धि की धाराएं इस प्रकार हैं :-

धाराएँ (Terms) :

1. लाहौर में गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया गया एक ब्रिटिश रैजीडेंट रहेगा।
2. महाराजा दलीप सिंह के नाबालिग काल में राज्य का शासन प्रबन्ध आठ सरदारों की कौंसल आफ रीजैंसी द्वारा चलाया जाएगा। उन सरदारों के नाम भी सन्धि में दिए गए।
3. कौंसिल आफ रीजैंसी ब्रिटिश रैजीडैंट की सलाह से प्रशासन का कार्य करेगी।
4. महारानी जिंदा को राज्य से अलग कर दिया गया उसे डेढ़ लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई।
5. महाराजा की सुरक्षा के लिए और शांति कायम रखने के लिए ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी।
6. यदि गवर्नर जनरल आवश्यक समझे तो उसके आदेश द्वारा ब्रिटिश सैनिक लाहौर राज्य के किसी भी किले या सैनिक छावनी पर कब्जा कर सकेंगे।
7. ब्रिटिश सेना के व्यय के लिए लाहौर राज्य ब्रिटिश सरकार को 22 लाख रुपये वार्षिक देगा।
8. इस सन्धि की शर्तें महाराजा दलीप सिंह के बालिग होने (4 सितम्बर, 1854 ई०) तक लागू रहेंगी।

महत्त्व (Significance) : भैरोवाल की सन्धि पंजाब और भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखती है।

1. इस सन्धि द्वारा अंग्रेज़ पंजाब के मालिक बन गए। लाहौर राज्य के प्रशासनिक मामलों में ब्रिटिश रैजींडैंट को असीमित अधिकार और शक्तियां प्रदान की गईं। हैनरी लारेंस (Henery Lawrenc) को पंजाब में पहाल रैजीडैंट नियुक्त किया गया।
2. इस सन्धि द्वारा महारानी जिंदा को राज्य प्रबन्ध से अलग कर दिया गया,कुछ समय बाद उसे शेखुपुरा भेज दिया गया। फिर उसे देश निकाला देकर बनारस भेज दिया गया।

(घ) पंजाब को 1846 ई० में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल न करने के कारण
(Reasons for not annexing the Punjab by the British in 1846 A.D.)

पहले एंग्लो सिक्ख युद्ध में सिक्खों को मात देने के बाद भी लार्ड हार्डिंग ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया। इसके निम्नलिखित कारण थे:-

1. मुदकी, फिरोजशाह और सभराओं के युद्ध में चाहे सिक्खों की हार हुई थी, पर अभी भी लाहौर, अमृतसर, पेशावर आदि स्थानों पर सिक्ख सैनिक बैठे थे। यदि अंग्रेज़ उस समय पंजाब पर कब्जा करते तो उन्हें उन सैनिकों का भी मुकाबला करना पड़ा।

2. पंजाब में शांति-व्यवस्था स्थापित करने के लिए आय से अधिक व्यय करना पड़ता। इसीलिए हार्डिंग पंजाब को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिल कर अभी खर्च को बढ़ाना नहीं चाहता था।

3. अफगानिस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य सिक्ख राज्य का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए भी अंग्रेज़ पंजाब पर कब्जा नहीं करना चाहते थे।

4. लार्ड हार्डिंग पंजाबियों के साथ एक ऐसी संधि करना चाहता था, जिससे पंजाब कमज़ोर हो जाए, ताकि फिर जब जी चाहे वे पंजाब पर कब्जा कर लें। इसलिए उन्होंने लाहौर सरकार के साथ केवल सन्धि ही की, पंजाब पर कब्जा नहीं किया।

अंग्रेज़ों और सिक्खों का दूसरा युद्ध, 1848-1849 ई०
(The Second Anglo-Sikh War, 1848-1849 A.D.)

1848-49 ई० में अंग्रेज़ों और सिक्खों के मध्य दूसरा युद्ध शुरू हो गया। उसके निम्नलिखित कारण थे-

पहले एंग्लो-सिक्ख युद्ध के पश्चात् सिक्खों में असंतोष (Dissatisfaction among the Sikhs after the first Anglo-Sikh War) : पहले आंग्ल-सिक्ख युद्ध में लाल सिंह और तेज सिंह जैसे विश्वासघाती लोगों के नेतृत्व के कारण सिक्ख हार गए थे। युद्ध के बाद हुई लाहौर की सन्धियों के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने जम्मू-कश्मीर, हज़ारा, कांगड़ा आदि पहाड़ी क्षेत्रों को लाहौर राज्य से अलग कर दिया था। सिक्ख सेना की संख्या कम कर दी गई। एक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहने लगी थी। महारानी जिन्दा को राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। रैज़ीडैंट ने अंग्रेज़ों को ऊँची पदवियाँ देनी शुरू कर दीं। देश भक्त सिक्ख भैरोवाल सन्धि की अपमानजनक शर्तों को सहन न कर सके।

गाय संबंधी झगड़ा (The Cow Row) : 21 अप्रैल, 1846 ई० को एक यूरोपियन तोपची का रास्ता गायों के झुण्ड के रोक लिया। उस सैनिक ने गायों पर तलवार चला दी। यह खबर सुनकर हिन्दू और सिक्ख भड़क उठे। ब्रिटिश रैजीडैंट, हैनरी लारेंस लोगों को समझाने के लिए शहर में गया। लोगों ने घर की छतों से उस पर ईंटें बरसाईं। परिणामस्वरूप लारेंस ने एक ब्राह्मण को मौत की सजा सुना दी। दो व्यक्तियों को देश निकाला दे दिया गया। जिन घरों की छतों से ईंटें बरसाई गई थीं, उन्हें तहस-नहस कर दिया गया। इससे स्वाभाविक ही था कि पंजाब के लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गये।

सिक्ख सैनिकों की संख्या और वेतन में कमी करना (Retrenchment in the Sikh Army) : पहले आंग्ल-सिक्ख युद्ध के बाद लाहौर की सन्धि (पहली) के अनुसार सिक्ख सेना की संख्या 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार निश्चित कर दी गई थी। लाहौर सरकार ने लाहौर में रहने वाली अंग्रेज़ सेना के खर्च के लिए 22 लाख रुपए वार्षिक ब्रिटिश सरकार को देने थे। इस खर्च को पूरा करने के लिए सैनिकों के वेतन कम कर दिए गये। इसलिए सिक्ख सैनिक अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़क उठे।

महारानी जिंदा के साथ बुरा व्यवहार (Maltreatment with Maharani Jindan) : भैरोवाल की सन्धि के अनुसार महारानी जिन्दा को राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उसे गलत विधि अपनाकर कैद कर लिया गया और 20 अगस्त, 1847 ई० को उसे शेखूपुरा के किले में भेज दिया गया। उसकी पेंशन 1,50,000 रु० से कम करके 48,000 रु० कर दी गई। फिर उसे देश निकाला देकर बनारस भेज दिया गया। परिणामस्वरूप पंजाब के देशभक्त सरदारों की भावनाएं अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़क उठीं।

डलहौजी और करीं की पंजाब कर कब्जा करने की योजना (Plan of Dalhousie and Currie to annex the Punjab) : जनवरी 1848 ई० में लार्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने सबसे पहले पंजाब पर अधिकार करने की योजना बनाई. उस समय फ्रैड्रिक करीं लाहौर में ब्रिटिश रैजीडैंट नियुक्ति हो चुका था। वह एक अनुभवी और निपुण कूटनीतिज्ञ था। डलहौजी और करीं दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि सिक्खों के साथ किसी बहाने युद्ध छेड़ लिया जाए.

मुलतान के दीवान मूलराज का विद्रोह (Revolt of Mulraj of Multan) : मुलतान के नाज़िम दीवान सावन मल की मौत के पश्चात् उसके पुत्र दीवान मूल राज को मुलतान की नाज़िम नियुक्त किया गया। ब्रिटिश रैज़ीडैंट ने मूलराज को मुलतान का नाज़िम स्वीकर कर लिया। उसकी वार्षिक धन राशि 20 लाख से बढ़ा कर 30 लाख कर दी। उसने ब्रिटिश रैजीडैंट के पास धनराशि कम करने के लिए प्रार्थना की। जब उसकी प्रार्थना रद्द कर दी गई तो उसने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश रैजीडैंट फ्रैडिरक करीं ने उसके स्थान पर काहन सिंहमान को मुलतान का नाज़िम नियुक्ति कर दिया।

दीवान मूलराज से चार्ज लेने के लिए काहन सिंह, एग्न्यू और एंडरसन मुलतान गए। वे ईदगाह में ठहरे। जब वे मूलराज से चार्ज लेने के बाद पुन: ईदगाह जा रहे थे तो मुलतान के सैनिकों ने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। उन्होंने अपने हरमन प्यारे दीवान मूलराज को अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत के लिए उकसाया। इस बगावत ने अंग्रेज़ों को सिक्खों से लड़ाई करने का मौका दिया।

महारानी जिंदा का देश निकाला (Exile of Maharani Jindan) : अगस्त 1847 ई० में महारानी जिंदा को लाहौर से शेखूपुरा भेज दिया गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने का दोष लगाकर फिर उसे बनारस भेज दिया गया। उसकी वार्षिक पेंशन कम करके 12,000 रु० कर दी गई। इस कारण भी पंजाब के लोग अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हो गए।

भाई महाराज सिंह की बगावत (Revolt of Bhai Maharaj Singh) : भाई महाराज सिंह नौरंगाबाद के संत भाई वीर सिंह का चेला था। उसने सरकार-ए खालसा को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दी। पता चलने पर ब्रिटिश रैजीडैंट हेनरी लारेंस ने उसे कैद करने के आदेश दे दिए। पर महाराज सिंह को पकड़ा न जा सका। मूलराज की बगावत और महारानी जिंदा के देश निकाले के बाद उसने अपने अधीन सैंकड़ों लोग इकट्ठे कर लिए। मूलराज की प्रार्थना पर वह उसकी सहायता के लिए 400 घुड़सवारों सहित मुलतान की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद ही किसी अनबन के कारण वह मूलराज को छोड़ कर चतर सिंह अटारीवाला और उसके पुत्र शेर सिंह से जा मिला।

हज़ारा के चतर सिंह की बगावत (Revolt of Chattar Singh of Hazara) : चतर सिंह अटारीवाला को हज़ारा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसकी सहायता के लिए कैप्टन ऐबट को नियुक्त किया गया था। ऐबट के अभिमानपूर्ण व्यवहार के कारण चतर सिंह को अंग्रेज़ों के प्रति शक हो गया था। शीघ्र ही कैप्टन ऐबट ने चतर सिंह के विरुद्ध दोष लगाया कि उसकी सेनाएं मुलतान के विद्रोहियों से जा मिली हैं इस पर चतर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुले रूप से बगावत कर दी।

शेर सिंह की बगावत (Revolt of Sher Singh) : जब शेर सिंह को पता चला कि उसके पिता को हजारा के नाज़िम की पदवी से हटा दिया गया है और उसने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दी है, तो वह भी अपने सैनिकों सहित मूलराज के साथ विद्रोहियों से जा मिला। शेर सिंह ने एक घोषणा के अनुसार 'सब अच्छे सिक्खों' से अपील की कि "अत्याचारी और धोखेबाज फिरंगियों" को पंजाब से बाहर निकाल दिया जाए। इस अपील के फलस्वरूप बहुत से पुराने सैनिक अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत में शामिल हो गए।

पंजाब पर अंग्रेज़ों का हमला (British Invasion on Punjab) : मूलराज, चतर सिंह और शेर

सिंह द्वारा बगावत कर देने के बाद लार्ड डजहौडी ने अपनी पूर्व निश्चित योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। डलहौजी के आदेश पर ह्यू गफ्फ (Hugh Gough) के नेतृत्व में अंग्रेज़ सेना ने 9 नवम्बर 1848 ई० को सतलुज नदीं पार की। 13 नवम्बर को यह सेना लाहौर पहुँच गई और साथ ही विद्रोहियों से उलझ गई।

घटनाएँ (Events)

रामनगर की लड़ाई, 22 नवम्बर, 1848 ई० (The Battle of Ram Nagar 22, November 1848) : शेर सिंह अटारीवाला की सेना चिनाब नदी के दाएं किनारे पर डेरा जमाए बैठी थी। 6 नवम्बर, 1848 ई० को ब्रिटिश सेना ने लार्ड गफ़ के नेतृत्व में रावी नदी को पार किया। 22 नवम्बर को रामनगर के स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की हार हुई। उनके दो प्रसिद्ध सेनानायक भी मारे गए।

चिल्लियाँ वाला की लड़ाई, 13 जनवरी, 1849 ई० (Battle of Chillawala, 13 January, 1849 A.D.) : जनवरी 1849 ई० के पहले सप्ताह में लार्ड गफ़ को समाचार मिला कि चतर सिंह ने अटक पर कब्ज़ा कर लिया है। इसलिए वह 12 जनवरी को अपनी सेना सहित सिक्खों के मोर्चे से 12-13 किलोमीटर दूर डिंघी (Dinghi) नामक स्थान पर पहुंच गया। 13 जनवरी को गफ्फ के आदेश से अंग्रेजो ने सिक्ख सेना पर धावा बोल दिया। शाम के समय तीन घण्टों तक घमासान की लड़ाई हुई। सिक्खों ने अंग्रेज़ों को बहुत हानि पहुँचाई। परिणामस्वरूप सेनापति गफ्फ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर (Sir Charles Napier) को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया।

अंग्रेज़ों का मुलतान पर कब्ज़ा, 22 जनवरी, 1849 ई० : मूलराज के नेतृत्व में मुलतान के विद्रोहियों ने अंग्रेज़ सेना का मुकाबला किया। 30 दिसम्बर को अंग्रेज़ सेना द्वारा किले में फैंका गया एक गोला विद्रोहियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। उस गोले के कारण मूलराज का चार लाख पौंड की बारूद फट कर नष्ट हो गया। उससे विद्रोहियों के 500 से अधिक सैनिक भी मारे गए। इसलिए मज़बूर होकर मूलराज ने 22 जनवरी को जनरल विश (General Whish) के आगे आत्म समर्पण कर दिया।

गुजरात की लड़ाई, 21 फरवरी, 1849 ई० (Battle of Gujrat, 21 February, 1849 A.D.) : अंग्रेज़ों और सिक्खों के बीच निर्णायक युद्ध गुजरात में हुआ। इस युद्ध से पहले चतर सिंह और शेर सिंह इकट्ठे हुए। भाई महाराजा सिंह ने भी अटारीवाले सरदारों का साथ दिया। अफगानिस्तान के हाकिम दोस्त मुहम्मद ने भी सिक्खों का साथ दिया।

21 फरवरी, 1849 ई० को सवेरे साढ़े सात बजे चिनाब नदी के किनारे गुजरात नामक स्थान पर दोनों गुटों में लड़ाई शुरू हुई। एक घण्टे की गोलाबारी के बाद सिक्खों का गोलाबारूद समाप्त हो गया। परन्तु फिर भी सिक्खों ने बड़ी बहादुरी से शत्रु का सामना किया। शत्रुओं की भारी संख्या के कारण सिक्खों को हार का मुँह देखना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहास में 'तोपों की लड़ाई' के नाम से जाना जाता है।

(ग) परिणाम (Results)

पंजाब की ब्रिटिश सामराज्य में शामिल करना, 29 मार्च, 1849 ई० (Annexation of the Punjab, 29 March, 1849 A.D.) : दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध में सिक्खों की हार के बाद 29 मार्च, 1849 ई० को गर्वनर जनरल लार्ड डलहौजी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पंजाब के राज्य को समाप्त कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से उतार दिया गया। पंजाब की सारी सम्पत्ति, समेत कोहिनूर हीरे पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। दलीप सिंह की चार से पाँच लाख के मध्य पेंशन निश्चित् कर दी गई।

दीवान मूलराज और महाराज सिंह को काले पानी की सजा (Banishment of Mulraj and Maharaj Singh) : मूलराज को एग्न्यू और ऐंडरसन नामक अंग्रेज़ अफसरों के कत्ल के जुर्म में हाथ होने के

1947 से पहले का पंजाब

अंग्रेज़ों और सिक्खों का द्वितीय युद्ध (1848-49)

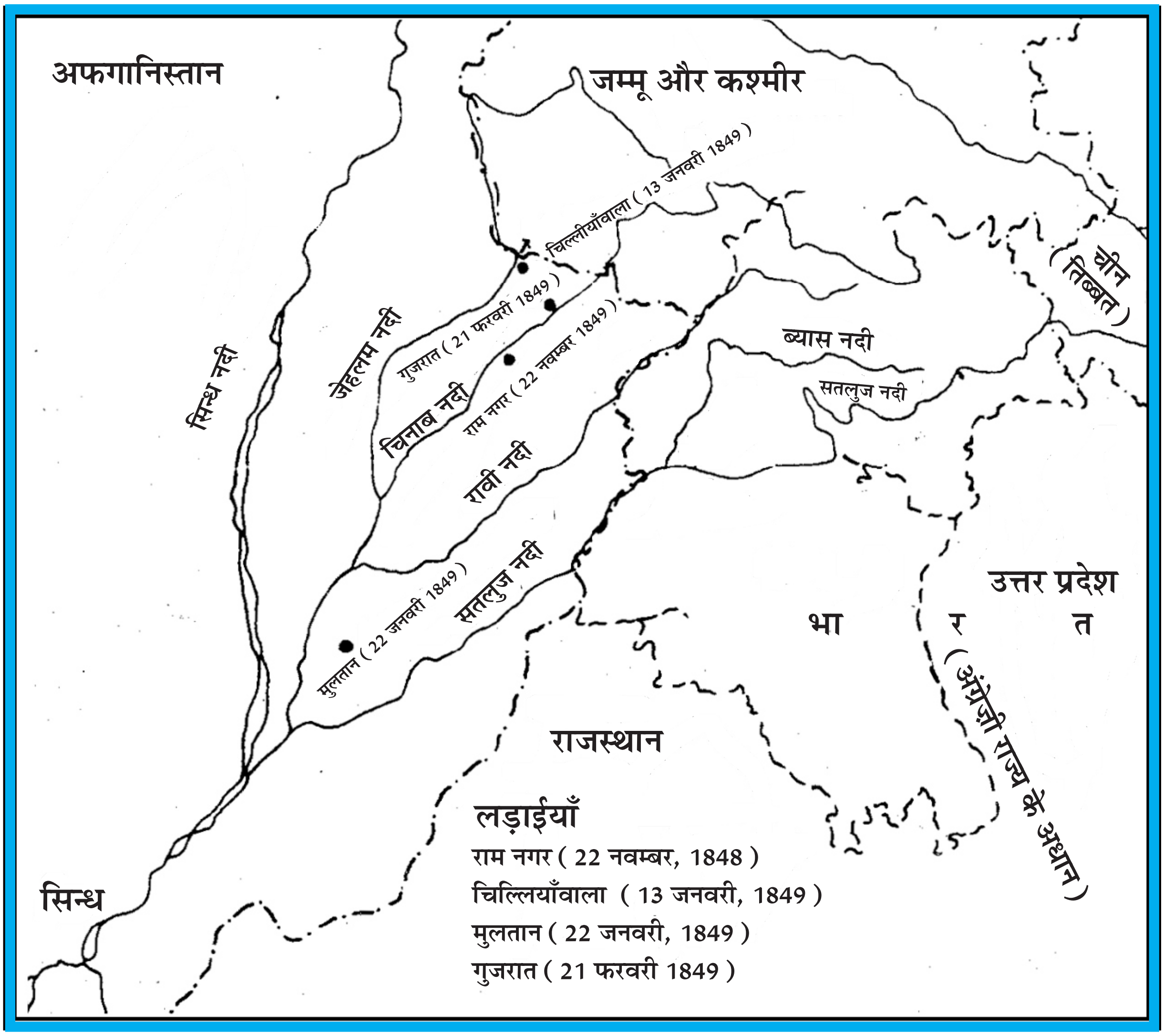

कारण काले पानी की सजा दे दी गई। 29 दिसम्बर 1849 ई० में महाराज सिंह को भी कैद कर लिया गया। उसे भी उम्र कैद की सजा देकर सिंगापुर भेज दिया गया।

खालसा सेना को भंग करना (Disbandment of the Khalsa Army) : पहले एंग्लो-सिक्ख युद्ध के परिणामस्वरूप सिक्ख सेना की संख्या कम की दी गई थी। दूसरे आंग्ल-सिक्ख युद्ध में सिक्खों की हार के पश्चात् खालसा सेना को तोड़ दिया गया। सिक्ख सेना को हथियार रहित कर दिया गया। नौकरी से हटे सिक्ख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कर लिया गया।

प्रमुख सरदारों की शक्ति को दबाना (Superessin of the Nobility) : पंजाब राज्य के समापन के बाद लार्ड डलहौजी के आदेश से जॉन लारेंस ने पंजाब के चीफ कमिश्नर के रूप में प्रमुख सरदारों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए कार्यवाही की। फलस्वरूप वे सरदार जो पहले धनी जमींदार थे और सरकार में ऊंची पदवियों पर थे, अब साधारण लोगों के समान हो गए।

पंजाब में अंग्रेज़ अफसरों की नियुक्ति (Appointment of British officers in the Punjab) : दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध के परिणामस्वरूप राज्य प्रबन्ध की उच्च पदवियों पर सिक्खों, हिन्दुओं या मुसलमानों के स्थान पर अंग्रेज़ों और यूरोपियनों को नियुक्त किया गया। उनको भारी वेतन व भत्ते भी दिए गए।

उत्तर-पश्चिमी सीमा को शक्तिशाली बनाने के लिए कार्यवाही (Strenthening of North-West Frontier) : पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के बाद अंग्रेज़ों ने उत्तर-पश्चिमी सीमा को शक्तिशाली बनाने के लिए सड़कों और छावनियों का निर्माण किया गया। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किलों की मुरम्मत की गई। कई नए किले भी बनाए गए। उत्तर-पश्चिमी कबीलों को काबू करने के लिए विशेष सैनिक दस्ते भी बनाए गए।

पंजाब के राज्य प्रबन्ध की पुनर्व्यवस्था (Reorgansation of Administration of the Punjab) : पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने के बाद प्रशासन समिति (Board of Administration) की स्थापना की गई। उसका प्रधान हैनरी लारेंस था। प्रबन्धकीय ढाँचे को पुन: संगठित किया गया। न्याय-प्रणाली, पुलिस प्रबन्ध और भूमि कर प्रणाली में सुधार किए गए। सड़कों और नहरों का निर्माण किया गया। डाक का समुचित प्रबन्ध किया गया।

पंजाब की देशी रियासतों के साथ अंग्रेज़ों के मित्रतापूर्ण संबंध (Friendly Relations of British with the Native States of the Punjab) : दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध के दौरान पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला और फरीदकोट के राजाओं और बहावलपुर और मलेरकोटला के नवाबों ने अंग्रेज़ों की सहायता की। अंग्रेज़ों ने खुश होकर इनमें से कई देशी शासकों को इनाम दिए। उन्होंने देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल न करने का निर्णय भी किया।

(घ) पंजाब पर अंग्रेज़ों का कब्जा
(Annexation of the Punjab by British)

पहले एंग्लो-सिक्ख युद्ध के बाद लार्ड हार्डिंग ने जानबूझ कर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। मार्च, 1846 ई० को लाहौर की सन्धियों द्वारा अंग्रेज़ों ने लाहौर राज्य से दोआबा बिस्त-जालन्धर के उपजाऊ क्षेत्र छीन लिए। खालसा सेना की संख्या कम कर दी गई। लाहौर में एक ब्रिटिश सेना रख दी गई।

दिसम्बर 1846 ई० में लार्ड हार्डिंग ने लाहौर राज्य के साथ भैरोवाल की सन्धि की। इस सन्धि के अनुसार महारानी जिन्दा को राज्य प्रबन्ध से अलग कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह के नाबालिग होने के कारण राज्य-प्रबन्ध का काम चलाने के लिए आठ सदस्यों की कौंसिल आफ रीजैंसी बना दी गई। उस कौंसिल पर एक ब्रिटिश

रैजीडैंट लगा दिया। उसे अनेक प्रबन्धकीय अधिकार दिए गए। इस संधि में कहा गया कि यह सन्धि महाराजा दलीप सिंह के बालिग होने तक कायम रहेगी।

जनवरी 1848 ई० में लार्ड हार्डिंग के स्थान पर लार्ड डजहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में विश्वास रखता था। सबसे पहले उसने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया। मुलतान के मूलराज और हजारा के चतर सिंह और उसके पुत्र शेर सिंह द्वारा विद्रोह कर देने पर उन्हें सिक्खों के साथ युद्ध करने का बहाना मिल गया। दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध में सिक्खों की हार के बाद पहले से ही निश्चित नीति को वास्तविक रूप देने का काम विदेश सचिव हैनरी इलियट (Henry Elliot) को सौंपा गया। इलियट ने कौंसिल आफ रीजैंसी के सदस्यों को और महाराजा दलीप सिंह को 29 मार्च 1849 ई० एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। उस सन्धि के अनुसार महाराजा दलीप सिंह को राजगद्दी से उतार दिया गया। पंजाब की सारी सम्पत्ति पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। कोहेनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी (विक्टोरिया) के पास भेज दिया गया। महाराजा दलीप सिंह की 4 लाख और 5 लाख के बीच पेंशन निश्चित कर दी गई। उसी दिन हैनरी इलियट ने लाहौर दरबार में लार्ड डलहौजी की ओर से घोषणा-पत्र पढ़ कर सुनाया गया। इस घोषणा-पत्र में पंजाब को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाने को उचित ठहराया गया।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखो :-

1. महाराजा रणजीत सिंह के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना ?
2. मुदकी की लड़ाई में सिक्खों की हार क्यों हुई ?
3. सभराओं की लड़ाई कब हुई और इसका परिणाम क्या निकला ?
4. सुचेत सिंह के खजाने का मामला क्या था ?
5. गायों से संबंधित झगड़े के बारे में जानकारी दो।
6. पंजाब को अंग्रेज़ी साम्राज्य में कब शामिल किया गया ? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ?
7. चतर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से कदम उठाए ?

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में लिखो।

1. भैरोवाल की सन्धि क्यों की गई ?
2. भैरोवाल की सन्धि की कोई चार धाराएं बताओ।
3. भैरोवाल की सन्धि का क्या महत्त्व है ?
4. पहले एंग्लो-सिक्ख युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने कब्जे में क्यों नहीं किया ?
5. भैरोवाल की सन्धि के पश्चात अंग्रेज़ों ने रानी जिन्दा के साथ कैसा व्यवहार किया ?
6. महाराजा दलीप सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं ?

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखो।

1. अंग्रेज़ों और सिक्खों की पहली लड़ाई के कारण लिखो।

2. पहले एंग्लो-सिक्ख युद्ध की घटनाएं लिखो।
3. लाहौर की पहली सन्धि की धाराएं लिखो।
4. भैरोवाल की सन्धि के बारे में जानकारी दो।
5. दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध के कारण बताओ।
6. दूसरे एंगलो-सिक्ख युद्ध की घटनाएं बताओ।
7. दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध के परिणाम लिखो।
8. अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कैसे किया ?

(घ) मानचित्र संबंधी प्रश्न

1. मुदकी, फिरोजशाह, बद्दोवाल, अलीवाल और सभराओं को पंजाब के मानचित्र में अंकित करो (पहला एंग्लो-सिक्ख युद्ध)।
2. पंजाब के मानचित्र में दूसरे एंग्लो-सिक्ख युद्ध की लड़ाइयों के स्थानों को प्रदर्शित करो।

******

अध्याय-9

स्वतंत्रता संघर्ष में पंजाब का योगदान

(Punjab'S Contribution Towards Struggle For Freedom)

अंग्रेज़ 1600 ई० मे व्यापारियों के रूप में भारत में आए। धीरे-धीरे उन्होंने भारत के दक्षिणी और पूर्वी भारत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों और सिक्खों की दूसरी लड़ाई (1848-49) के पश्चात् भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेज़ी साम्राज्य में शामिल कर लिया। अंग्रेज़ सरकार द्वारा खालसा सेना भंग कर दी गई। परन्तु इसके आठ वर्ष पश्चात् ही पंजाबियों को फिर से हथियार उठाने का मौका मिल गया। 1857 ई० के भारतीय स्वतन्त्रता के पहले संग्राम में पंजाबियों का योगदान निम्नलिखित अनुसार है-

1. 1857 ई० के विद्रोह में पंजाब का योगदान

(Contribution of Punjab in the First Battle of Independence in 1857 A.D.)

(क) सैनिकों की बगावत (Revolt of Soldiers) : 10 मई 1857 ई० को मेरठ से शुरूआत हुई। जब 12 मई, 1857 को उस लड़ाई की खबर लाहौर पहुँची तो पंजाब में विद्रोह के भय से मियां मीर की छावनी के भारतीय और पंजाबी सिपाहियों को हथियार रहित कर दिया गया। फिर लाहौर, पेशावर, नवाँशहर, मुलतान, अम्बाला, जालन्धर, रावलपिंडी, अमृतसर, होशियारपुर और डेराजात के पंजाबी और भारतीय सिपाहियों को हथियार रहित कर दिया गया।

फिर भी पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में पंजाबी और भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। जालन्धर, फिल्लौर, जेहलम, स्यालकोट, थानेश्वर में सैनिक विद्रोह हुए। लाहौर, फिरोजपुर, पेशावर, अम्बाला और मियाँ वाली छावनियों में कुछ भारतीय और कुछ पंजाबी सिपाहियों ने विद्रोह किया। कई सैनिकों ने अपने ही कमाण्डरों की हत्या कर दी।

(ख) लोगों का विद्रोह (Revolt of the People) : अंग्रेज़ों की नाजुक स्थिति को देखते हुए कई स्थानों पर लोगों ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। लुधियाना और फिरोजपुर के लोगों ने कई स्थानों पर विद्रोह किए। उन विद्रोहों में स्यालकोट के सिपाहियों, सिरसा के लोगों ने भी भाग लिया। मिंटगुमरी, मुलतान, बहावलपुर आदि कई क्षेत्रों के मुस्लिम कबीले अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए।

दिल्ली और रोहेल खंड के निकटवर्ती लोगों ने भी विद्रोहियों के पक्ष में विद्रोह किया। करनाल के कई जाट गाँवों ने सरकार को ज़मीन का लगान देने से इन्कार कर दिया। रोहतक और रिवाड़ी में भी कहीं-कहीं पंजाबियों ने विद्रोह किये।

(ग) सरदार अहमद खाँ खरल का विद्रोह (Revolt of Sardar Ahmad Khan Kharal) : अंग्रेज़ सरकार को भूमि कर न देने के लिए खरल कबीले के सरदार अहमद खाँ खरल ने विद्रोह किया। रावी नदी के किनारे बसे बहुत से कबीलों ने भी उसका साथ दिया। उसने कई स्थानों पर अंग्रेज़ों से टक्कर ली। उन्होंने एक अंग्रेज़ अफसर और कई अंग्रेज़ फौजियों का कत्ल किया। इसलिए अंग्रेज़ों को सरदार अहमद खाँ खरल के सिर पर इनाम तय करना पड़ा। अंत में पंजाब की पहली सामूहिक हथियार बंद लहर का यह नेता अपने बीस घुड़सवारों सहित अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए पाकपटन के निकट शहीद हो गया।

पंजाब में 1857 ई० का विद्रोह इसलिए सफल न हो सका क्योंकि पंजाब के विद्रोहियों के पास कोई उच्चकोटि का नेता न था। पंजाब की रियासतों के राजाओं ने अंग्रेज़ों की विरोध करने के स्थान पर उनका साथ दिया।

2. नामधारी या कूका आन्दोलन
(Namdhari or Kuka Movement)

नामघारी या कूका लहर एक ऐसी लहर थी, जो सत्गुरु बालक सिंह जी के पश्चात् सत्गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में महान कार्य कर रही थी। 12 अप्रैल, 1857 ई० में (वैशाखी वाले दिन) सत्गुरु राम सिंह जी ने लोगों को अमृत छकाकर एक नये आन्दोलन की नींव रखी जिसे नामधारी या कूका लहर कहा जाता है। उनका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने के साथ-साथ देश को आज़ाद कराना था। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने सरकारी डाक सुविधाओं, विदेशी वस्त्रों सरकारी अदालतों, स्कूलों तथा कॉलजों का बहिष्कार किया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी सरकार बनाई। उन्होंने डाक का भी अपना प्रबन्ध कर लिया था।

गुरु जी ने लड़कियों को पैदा होते ही मारने, बेचने, अदला-बदली करने, बाल-विवाह और सती-प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। विधवा विवाह का समर्थन किया और समाज में स्त्री को समान अधिकार देने पर बल दिया। उन्होंने बिना दहेज सवा रुपए में अन्तर्जातीय विवाह की नवीन रीति चलाई जिसे आनन्द कारज कहा जाता है। उन्होंने 3 जून 1863 ई० में पहली बार गाँव खोटे ज़िला फिरोज़पुर में छ: अन्तर्जातीय विवाह करवाकर समाज में क्रांति ला दी। सत्गुरु जी ने गाँव सियाड़ ज़िला लुधियाना में स्त्रियों को अमृत छकाकर समानता का अधिकार दिया।

सत्गुरु रामसिंह जी जहाँ भी जाते उनके साथ घुड़सवारों का समूह साथ जाता। इस पर अंग्रेज़ों को धीरे-धीरे यह लगने लगा कि नामधारी किसी विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। उनके डाक प्रबन्ध से भी अंग्रेज़ों को यही संदेह था।

सत्गुरु रामसिंह जी ने प्रचार की सुविधा का ध्यान रखते हुए पंजाब को 22 सूबों में बाँटा हुआ था। प्रत्येक सूबे का एक मुखिया होता था। उसे सूबा कहा जाता था। नामधारियों की यह कार्यवाही भी अंग्रेज़ों को डरा रही थी। 1869 ई० में नामधारी कूकों ने अपने सम्बन्ध कश्मीर, नेपाल, रूस, अफगानिस्तान के शासकों से बना लिये। उन्होंने कूकों को फौजी प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया। उनकी दो कंपनियाँ बना ली गईं जिन्हें कूका पलटन कहा जाता है।

अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया था कि नामधारी सिक्ख एक दिन उनके विरुद्ध आन्दोलन अवश्य करेंगे। इस असहयोग कूका लहर को दबाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने एक अन्य चाल चली। लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर एक दूसरे के विरुद्ध कर दिया और भारतीय लोगों को गुलामी का अहसास करवाने के लिए हिन्दू और मुसलमानों में "फूट डालो और राज्य करो" की नीति के अधीन अंग्रेज़ों ने स्थान-स्थान पर बूचड़खाने (कसाईखाने) खोल दिए। नामधारी सिक्खों ने गऊ रक्षा करनी शुरू कर दी। वे गऊ रक्षा भी करते और बूचड़ों को मार देते। 1871 ई० में उन्होंने अमृतसर और रायकोट के बूचड़खाने पर आक्रमण करके कई बूचड़ों को मार दिया। कूकों को सबके सामने फांसी की सज़ा दी जाती परन्तु वे अपने मनोरथ से पीछे न हटते। जनवरी 1872 में 150 कूकों का जत्था बूचड़ों (कसाईयों) को सज़ा देने के लिए मलेरकोटला पहुँचा। 15 जनवरी, 1872 को कूकों और मलेरकोटला की सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के अनेक व्यक्ति मारे गये। अंग्रेज़ सरकार ने कूकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अपनी सेना मलेरकोटला भेजी। 65 कूकों ने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। उनमें से 49 कूकों को 17 जनवरी 1872 ई० में तोपों से उड़ा दिया गया। सरकारी मुकद्दमें के पश्चात् 16 कूकों को भी 18 जनवरी, 1872 ई० में तोपों से उड़ा दिया। सत्गुरु राम सिंह जी को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कई नामधारी सूबों को काले पानी भेज दिया। कइयों को समुद्र के पानी में डुबोकर मार दिया गया और कई कूकों की जायदाद ज़ब्त कर ली गई। इस प्रकार अंग्रेज़ सरकार ने हर प्रकार से जुल्म ढाये परन्तु लहर तब तक चलती रही जब तक 15 अगसत, 1947 ई० को देश आज़ाद नहीं हो गया।

3. आर्य समाज
(Arya Samaj)

जिन सामाजिक और धार्मिक लहरों ने सम्पूर्ण भारतीयों को राजनैतिक दृष्टि से प्रभावित किया, उनमें से एक लहर आर्य समाज की भी है। इस लहर ने पंजाबियों को भी बहुत प्रभावित किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883 ई०) आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने 1875 ई० को आर्य समाज स्थापित किया। 1877 ई० में उन्होंने इस समाज की एक महत्त्वपूर्ण शाखा लाहौर में खोली।

मार्च 1877 ई० में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार पंजाब का दौरा किया। वे पंजाब में लगभग दो महीने ठहरे। उन्होंने अपना पहला भाषण लाहौर स्थित अनारकली बाज़ार के ब्रह्म समाज मंदिर में दिया।

आर्य समाज ने जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दिया, वहीं उसने स्वतंत्रता लहर में भी बहुमूल्य भूमिका निभाई। इस संस्था ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने स्कूल व कॉलेज खोलकर स्वदेशी लहर को जन्म दिया।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने केवल विद्या प्रसार द्वारा ही अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया अपितु उन्होंने पंजाब में पंजाबियों की राष्ट्रीय भावना को भी जागृत किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों को अपने देश और सभ्यता पर गर्व करने की शिक्षा दी। इस दृष्टि से उनका प्रभाव पंजाबियों पर भी पड़ा। लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह और श्रद्धांनद जैसे देशभक्त आर्य समाज की ही देन थे। भाई परमानंद और लाला हरदयाल भी प्रसिद्ध आर्य समाजी थे।

आर्य समाजियों की राजनौतिक गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज़ सरकार ने पंजाब में उन पर कड़ी नज़र रखनी आरंभ कर दी। जो आर्य समाजी सरकारी नौकरी में थे, उनको शक की निगाह से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि उनको वांछित तरक्कियाँ भी न दी गईं।

1892 ई० में आर्य समाज कालेज पार्टी और गुरुकुल पार्टी में विभाजित हो गया। कालेज पार्टी सर्मथक लाला लाजपतराय और महात्मा हंसराज वेदों की शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेज़ी साहित्य और पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा देने के भी हक में थे। इस कारण अंग्रेज़ों और आर्य समाजियों के बीच की दूरी शीघ्र ही समाप्त हो गई। पर फिर भी आर्य समाजी देश की स्वतंत्रता संग्रामियों के सहायक रहे। आर्य समाजियों के अखबार भी पंजाब की स्वतंत्रता लहर में पूरी तरह सक्रिय रहे।

4. किसान लहरों का उत्थान
(Rise of Peasant Movements)

अंग्रेज़ सरकार की आर्थिक नीति प्रशंसा योग्य नहीं थी। सरकार ने भूमि कर और सिंचाई कर में वृद्धि कर दी। इससे किसानों में असंतुष्टता की लहर दौड़ गई।

अंग्रेज़ सरकार की माल नीति भी बड़ी कठोर थी। सूखे या अकाल के समय भी ज़मीन का मालिया (कर) लेते समय कोई छूट न दी जाती थी। किसानों को अपनी ज़मीन गिरवी रख कर या पशु आदि बेच कर मालिया देना पड़ता था। 1875-78 ई० में पंजाब के किसानों की गिरवी पड़ी कुल जमीन 1,65,000 एकड़ थी। 1884-85 ई० में यह क्षेत्र 3,85,000 एकड़ हो गया। परिणामस्वरूप पंजाब में किसान लहर ने जन्म लिया। उन लहरों का नेतृत्व स. अजीत सिंह, लाला लाजपतराय, सूफी अम्बा प्रसाद और सैय्यद हैदर अली जैसे नेताओं ने किया। 1905-07 ई० के दौरान नहरी पानी के बढ़े हुए मालिए के विरुद्ध नहरी कालोनियों में बड़े स्तर पर विरोध प्रकट किया गया। बाँके दयाल द्वारा लिखित गीत "पगड़ी संभाल जट्टा" घर-घर में गूँजने लगा।

5. ग़दर आन्दोलन
(The Ghadar Movement)

आर्थिक संकट से घिरे पंजाब के किसानों के अनेक नवयुवकों को रोज़ी-रोटी की खोज में 1905 ई० को फिज़ी, घाना, मलाया, केनेडा, अमरीका आदि देशों में जाना पड़ा। भारत से बाहर गए इन पंजाबियों ने विदेश में रह कर भी देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। इन प्रयासों में से एक महत्त्वपूर्ण प्रयास गदर आन्दोलन था। इन आन्दोलन का केन्द्र अमरीका महाद्वीप था।

बाहरी देशों में भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इस घृणा का कारण यह था कि भारतीय गुलाम देश के वासी थे। इसीलिए उनके मन में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और पुस्तकों को पढ़ कर भी अमरीका में बसे भारतीयों ने अपने देश को आज़ाद करवाने का बीड़ा उठाया।

गदर पार्टी का जन्म 1913 ई० में सॉन फ्रांसिस्को (अमरीका) में हुआ। इसका प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना को बनाया गया। लाला हरदयाल को मुख्य सचिव, काँशी राम को सचिव और कोषाध्यक्ष, केसर सिंह को उपप्रधान और करीम बख़्श और मुन्शी राम को प्रबन्ध सचिव बनाया गया।

इस संस्था ने सॉन फ्रांसिस्को से उर्दू में एक साप्ताहिक पत्र 'गदर' निकालना शुरू किया। सम्पादन का काम करतार सिंह सराभा को सौंपा गया। उसके परिश्रम के फलस्वरूप ही यह अखबार हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, पश्तो और नेपाली भाषा में भी प्रकाशित होने लगा। इस अखबार के कारण ही इस संस्था का नाम गदर पार्टी रखा गया।

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हथियार बंद विद्रोह द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाना था। इसलिए इस पार्टी ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(i) सेना में विद्रोह का प्रचार।

(ii) अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं की हत्या।

(iii) जेलें तोड़ना।

(iv) सरकारी खजाने और थाने लूटना।

(v) क्रान्तिकारी साहित्य छापना और बांटना।

(vi) अंग्रेज़ों के शत्रुओं की सहायता करना।

(vii) हथियार इकट्ठे करना।

(viii) बम बनाना।

(ix) रेलवे, डाक-तार को काटना और तोड़-फोड़ करना।

(x) क्रांतिकारियों का झंडा लहराना।

(xi) क्रांतिकारी नवयुवकों की सूची तैयार करना।

कामगाटामारू की घटना के पश्चात् काफी संख्या में भारतीय अपने देश वापिस आ गए। वे भी गदर द्वारा अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकलना चाहते थे। अंग्रेज़ सरकार बहुत चौकसी से काम कर रही थी। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की छान-बीन होती थी। शक होने पर उस व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया जाता था। जो व्यक्ति बच जाता था, वह गदरियों से मिल जाता है।

गदर पार्टी और विदेश से लौटे क्रान्तिकारियों के नेतृत्व की बागडोर रास बिहारी बोस ने संभाली। अमरीका

से वापिस आए करतार सिंह सराभा ने भी भाई परमानंद जी के साथ संबंध स्थापित किए और बनारस में श्री रास बिहारी बोस के गुप्त अड्डे का पता करके उनसे भी सम्पर्क स्थापित किया। रास बिहारी बोस ने लाहौर, फिरोज़पुर, मेरठ, अम्बाला, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, मुलतान, जेहलम, कोहाट, रावलपिंडी, पेशावर, मरदान आदि छावनियों में प्रचारक भेजे। उन प्रचारकों ने फौजियों को विद्रोह के लिए तैयार किया। इसके साथ ही करतार सिंह सराभा और भाई निधान सिंह चुग ने इस्लामिया हाई स्कूल लुधियाना के विद्यार्थियों के साथ भी बहुत काम किया। सराभा ने लाला राम सरन दास कपूरथला के साथ मिल कर 'गदर' निकालने के लिए प्रैस चालू करनी चाही, पर असफल रहे। परन्तु फिर भी वह लुधियाना और लाहौर से साइक्लोस्टाइल करवा कर 'गदर-गूँज' निकालता रहा। झाबेवाल (लुधियाना) और लोहटबद्दी (नाभा) में बम बनाने का काम भी शुरू किया। इस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक झंडा तैयार किया गया, जिसे सभी स्थानों पर करतार सिंह सराभा ने ही बांटा।

21 फरवरी, 1915 ई० का दिन बगावत के लिए निश्चित किया गया। करतार सिंह सराभा ने फिरोज़पुर पर हमला करना था। वह 19 फरवरी को अपने साथियों सहित, कीर्तनी जत्थे के रूप में फिरोज़पुर पहुँच गया, पर अमृतसर के एक सिपाही कृपाल सिंह ने धोखा दे दिया। परिणामस्वरूप गदरियों की पोल समय से पहले ही खुल गई। अंग्रेज़ सरकार तुरन्त सक्रिय हो गई। संबंधित सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और उनको कैदी बना लिया गया। अनेक क्रान्तिकारी और गदरी नेता पकड़े गए। करतार सिंह सराभा ने राम बिहारी बोस को पंजाबी पोशाक पहना कर गाड़ी में बैठा कर बनारस रवाना कर दिया। लाहौर साजिश केस चला। 46 क्रान्तिकारियों को फांसी दी गई। इनमें करतार सिंह सराभा 16 नवम्बर, 1915) भी एक था। 194 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जो सैनिक विद्रोही हो गए थे, उनको गोली से उड़ा दिया गया। अंत में यह लहर असफल रही।

6. कामागाटा मारू घटना
(Kamagata Maru Incident)

अंग्रेज़ सरकार के आर्थिक कानूनों ने पंजाबियों को कमज़ोर कर दिया था। परिणाम स्वरूप 1905 ई० में कुछ लोग रोज़ी-रोटी की खोज में विदेशों में जाने लग पड़े थे। 1910 ई० तक लगभग 10,000 भारतीय, जिसमें से 90% पंजाबी थे, अमरीका पहुँच चुके थे। पंजाबी लोग केनेडा भी पहुँच रहे थे, पर केनेडा सरकार ने 1910 ई० में एक कानून पास किया कि भविष्य में वही भारतीय केनेडा आ सकेंगे जो अपने देश की किसी बंदरगाह से बैठकर सीधे केनेडा आएंगे।

24 जनवरी, 1913 ई० को केनेडा की हाई कोर्ट ने भारतीयों पर लगी पाबंदियों वाला कानून रद्द कर दिया। यह खबर पढ़कर पंजाब के बहुत से लोग केनेडा जाने के लिए कलकत्ता, सिंगापुर और हांगकांग की बंदरगाहों पर पहुँच गए। परन्तु कोई भी जहाज़-कम्पनी केनेडा के व्यवहार से डर के कारण पंजाबी यात्रियों को केनेडा उतारने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी।

गाँव सरहाली, ज़िला अमृतसर के बाबा गुरदित्त सिंह सिंगापुर और मलाया में ठेकेदारी करता था। उसने 1913 ई० में 'गुरु नानक नेवीगेशन कम्पनी' कायम की। 24 मार्च, 1914 ई० को उस कम्पनी ने जापान से कामागाटामारू नामक जहाज किराये पर ले लिया। जिसका नाम 'गुरु नानक जहाज' रखा गया। उसे 500 यात्री हांगकांग से भी मिल गए। हांगकांग की अंग्रेज़ी सरकार इस बात को सहन न कर सकी। उसने बाबा गुरदित्त सिंह को कैदी बना लिया। चाहे उसे अगले दिन ही रिहा कर दिया गया, फिर भी विघ्न पड़ जाने के कारण यात्रियों की संख्या केवल 135 रह गई।

रास्ते में शंघाई और कोबे की बंदरगाहों से और यात्री लेता हुआ गुरु नानक जहाज 23 मई 1914 ई० को वेनकूवर की बंदरगाह के किनारे जा लगा, परन्तु यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने न दिया गया। चाहे बाबा गुरदित्त सिंह प्रीवी कौंसिल में अपील करना चाहता था, परन्तु अंत में भारतीयों ने वापिस जाना ही मान लिया।

23 जुलाई, 1914 ई० को कामागाटा मारू जहाज वेनकूवर से भारत की ओर वापिस चल दिया। जब जहाज़ हुगली नदी में पहुँचा तो लाहौर का अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर और उसके 20 पंजाबी पुलिस वाले मोटर बोट द्वारा वहाँ पहुँच गए। यात्रियों की तलाशी लेने के बाद जहाज को 27 किलोमीटर दूर बजबज घाट पर खड़ा कर दिया गया। यात्रियों को यह आदेश दिया गया कि उनको वहाँ से रेलगाड़ी द्वारा पंजाब ले जाया जाएगा। परन्तु वे यात्री कलकत्ता (कोलकत्ता) में ही कोई कारोबार करना चाहते ते। परन्तु उनकी किसी ने एक न सुनी और उनको जहाज़ में से नीचे उतार दिया गया।

शाम के समय रेलवे स्टेशन पर बैठे पंजाबियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गोली चला दी। परिणामस्वरूप 40 व्यक्ति शहीद हो गए तथा बहुत से जख्मी हो गए।

बाबा गुरदित्त सिंह बचकर पंजाब पहुँच गया। अंत में उसने 1920 ई० को गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर ननकाना साहिब में स्वयं को पुलिस के सामने पेश कर दिया। उसे 5 वर्ष जेल की सज़ा हुई। रिहा होने के बाद वह कलकत्ता (कोलकत्ता) रहने लगा। 24 जुलाई 1954 ई० को उसकी मृत्यु हो गई.

7. जलियाँवाला बाग काँड, 13 अप्रैल, 1919
(Jallianwala Bagh Incident 13 April 1919)

केन्द्रीय विधान परिषद् में दो बिल पास किए गए, जिन्हें रौल्ट बिल (Rowlatt Bill) कहते हैं। इन बिलों द्वारा पुलिस और मैजिस्ट्रेट को साजिश आदि को दबाने के लिए अधिक शक्तियाँ दी गईं। इसके विरुद्ध 13 मार्च, 1919 ई० को महात्मा गाँधी ने रोल्ट बिलों को असफल करने के लिए हड़ताल कर दी। परिणामस्वरूप अहमद नगर, दिल्ली और पंजाब के कुछ नगरों में दंगे हो गए। बिगड़ रही इस हालत को संभालने के लिए पंजाब सरकार के आदेश से अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने प्रांत के प्रसिद्ध नेताओं डा. सत्यपाल और डा. किचलू को पकड़ लिया। जब नगरवासियों को इन गिरफ्तारियों का पता चला तो उन्होंने नगर में हड़ताल कर दी। उनका एक संगठन बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से डिप्टी कमिश्नर की कोठी की ओर चल दिया। उन लोगों को हाल दरवाज़े के बाहर रोक लिया गया। सैनिकों ने उस पर भी गोली चला दी। परिणामस्वरूप कुछ लोग वहीं पर मारे गए। बहुत से लोग जख्मी हो गए। परन्तु देशभक्तों ने जख्मी हुए व्यक्तियों को अपने कन्धों पर उठाकर उनका जुलूस निकाला। नगरवासियों ने गुस्से में आकर पाँच अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने तीन स्थानीय बैंकों को लूट कर उनको आग लगा दी। एक अंग्रेज़ स्त्री, कुमारी शेर वुड भी उनके क्रोध का शिकार हो गई। इस पर सरकार ने शहर का प्रबंध जनरल डायर को सौंप दिया।

अशांति और क्रोध के इस वातावरण में अमृतसर और गाँवों के लगभग 25,000 लोग 13 अपरैल, 1919 ई० को वैशाखी वाले दिन जलियाँवाला बाग में जलसा करने के लिए इकट्ठे हुए। जनरल डायर ने उसी दिन साढ़े नौ बजे ऐसे जलसों को गैर कानूनी करार दे दिया, परन्तु लोगों को उस घोषणा का पता नहीं था। इसी कारण जलियांवाला बाग में जलसा हो रहा था। जनरल डायर को अंग्रेज़ों के कत्ल का बदला लेने का मौका मिल गया। वह अपने 150 सैनिकों समेत जलियाँवाला बाग के दरवाज़े के आगे पहुँच गया। बाग में आने-जाने के लिए एक ही तंग रास्ता था। जनरल डायर ने उसी रास्ते के आगे खड़े होकर लोगों को तीन मिनट के अन्दर-अन्दर तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया परन्तु ऐसा करना असम्भव था। तीन मिनट के बाद जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1000 लोग मारे गए और 3000 से भी अधिक जख्मी हो गए। जलियाँवाला बाग की घटना के बाद देश की स्वतंत्रता की लहर को एक नया रूप मिला। इस घटना का बदला सरदार ऊधम सिंह ने 21 वर्ष पश्चात् ईंग्लैंड में सर माइकल ओ डायर (जो घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था) को गोली मारकर लिया।

8. खिलाफत लहर
(Khilafat Movement)

जलियाँवाला बाग घटना के बाद मुसलमान भाइयों में स्वतंत्रता की आकांक्षा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने खिलाफत का झंडा बुलन्द करते हुए 1920 ई० में पंजाब में अंग्रेज़ों को सहयोग न देने का प्रण लिया। पंजाब में इस लहर का नेतृत्व करते हुए डा० किचलू, न्याज़ हुसैन तथा मौलवी दाऊद ने अंग्रेज़ी हकूमत के विरोध नारे बुलन्द दिए। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के तुर्की के सुल्तान के प्रति व्यवहार का भी विरोध किया।

9. अकाली लहर (गुरुद्वारा सुधार लहर)
(Akali Movement)

पंजाब में अकाली लहर के अस्तित्व में आने का मूल कारण यह था कि पहले समय में तो गुरुद्वारों के ग्रन्थी मनी सिंह जैसे सच्चे और महान बलिदानी हुआ करते थे। पर 1920 ई० तक पंजाब के गुरुद्वारे अंग्रेज़ों का पक्ष लेने वाले चरित्रहीन महन्तों के अधिकार में आ चुके थे। महन्तों की अनैतिक कार्यवाहियों से तंग आकर सिक्ख लोग गुरुद्वारों के प्रबन्ध में सुधार करना चाहते थे। उन्होंने उस काम के लिए अंग्रेज़ सरकार की सहायता लेनी चाही, परन्तु असफल रहे। नवम्बर, 1920 ई० को सिक्खों ने यह निर्णय लिया कि समूह गुरुद्वारों की देखभाल के लिए सिक्खों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाये। सिक्खों के प्रयास स्वरूप 16 नवम्बर, 1920 ई० को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अस्तित्व में आई और 14 दिसम्बर, 1920 ई० को शिरोमणि अकाली दल अस्तित्व में आया।

अकाली जत्थों ने चरित्रहीन महन्तों के अधिकार से गुरुद्वारों को खाली करवाने का काम आरम्भ किया। उन्होंने हसन अब्दास स्थित गुरुद्वारा, पंजा साहिब, ज़िला शेख़ूपुरा का गुरुद्वारा सच्चा सौदा तथा अमृतसर ज़िले का गुरुद्वारा चोला साहिब महन्तों से खाली करवा लिए। तरनतारन में अकालियों की महन्तों से मुठभेड़ हो गई। स्यालकोट स्थित गुरुद्वारा बाबा की बेर और लायलपुर (फैसलाबाद) ज़िला के गुरुद्वारे गोजरां में भी ऐसे ही हुआ। अकाली दल फिर भी गुरुद्वारों को स्वतंत्र करवाने में जुटा रहा। 20 फरवरी, 1921 ई० को ननकाना साहिब गुरुद्वारा में एक बड़ी दुर्घटना घटी। जब अकाली जत्था शांतिपूर्वक ढंग से गुरुद्वारा पहुँचा तो वहाँ के महन्त नारायण दास ने 130 अकालियों का कत्ल करवा दिया। अंग्रेज़ सरकार ने अकालियों के प्रति कोई भी सहानुभूति प्रदर्शित न की। पर सारे प्रांत के मुसलमानों और हिन्दुओं ने अकालियों के प्रति सहानुभूति दिखाई।

(क) चाबियों का मामला (The Keys Affairs)

दरबार साहिब अमृतसर पर सिक्खों का कब्जा था, पर अंग्रेज़ सरकार यह नहीं चाहती थी कि गुरुद्वारे की गोलक की चाबियाँ सिक्खों के कब्जे में रहें। अंत में अंग्रेज़ों ने चाबियाँ अपने कब्जे में कर लीं। सिक्खों ने इस बात का घोर विरोध किया। इस पर सभी सिक्ख नेताओं को बंदी बना लिया गया और उन्हें कठोर दण्ड दिए गए। इस प्रकार सिक्खों का विरोध और भी तीव्र हो गया। इस विरोध का कांग्रेस और खिलाफत कमेटी ने भी साथ दिया। अंत में अंग्रेज़ों को सिक्खों के आगे झुकना पड़ा। गुरुद्वारे की गोलक की चाबियाँ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को सौंप दी गई। कैदी सिक्खों को भी रिहा कर दिया गया।

(ख) गुरु का बाग (Guru Ka Bagh)

जिस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी तथा शिरोमणि अकाली दल अस्तित्व में आये, तो इस समय गुरुद्वारा गुरु का बाग (ज़िला अमृतसर) महन्त सुन्दर दास के कब्जे में था, जोकि एक चरित्रहीन व्यक्ति था। अकालियों ने महन्त को सुधरने के लिए कहा, पर उसने इस बात की ओर कोई ध्यान दिया।

23 अगस्त, 1921 ई० को शिरोमणि अकाली दल के दान सिंह के नेतृत्व में एक जत्था भेजा गया। उसने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया, परन्तु महन्त ने गुरुद्वारे की जायदाद पर अपना हक जमाते हुए पुलिस बुला ली।

परिणामस्वरूप सारे जत्थे को बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही अकाली दल की ओर से एक और जत्था भेजा गया। उस जत्थे के सिक्खों पर भी पुलिस ने अत्याचार किए। परन्तु अकाली दल ने जत्थे भेजने जारी रखे। उन जत्थों के साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार किया गया। इस दुर्व्यवहार की देश भर ने निन्दा की गई। अंत में अकालियों ने गुरु का बाग का मोर्चा शांतिपूर्ण ढंग से जीत लिया।

(ग) बब्बर अकाली लहर (Babbar Akali Movement)

बब्बर अकाली लहर का जन्म गुरुद्वारों में बैठे महन्तों और पुलिस का मुकाबला करने के लिए हुआ। बब्बर अकालियों ने सरकार और उस के पिट्ठुओं से टक्कर लेने के लिए पहले 'चक्रवर्ती' जत्था बनाया। जब इन्होंने 'बब्बर अकाली' नामक अखबार निकाला तो इनका नाम बब्बर अकाली जत्था पड़ गया। इस जत्थे की स्थापना अगस्त 1922 ई० को हुई।

बब्बर अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुप्तचरों और सरकारी पिट्ठुओं का अंत करना था। बब्बरों की भाषा में इसे 'सुधार करना' कहते थे। बब्बरों को यह भरोसा था कि यदि सरकारी गुप्तचरों का सफाया कर दिया जाये तो अंग्रेज़ी सरकार फेल ही जायेगी और भारत छोड़ कर चली जायेगी।

बब्बर अकाली अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हथियार प्राप्त करना चाहते थे। उनके अपने सिक्ख भी हथियार बनाने का यत्न कर रहे ते। हथियारों के लिए धन की आवश्यकता थी। धन इकट्ठा करने के लिए बब्बरों ने डाले मारे। उन्होंने लोगों से हथियार भी छीने। उन्होंने पंजाबी फौजियों को अपील की कि वे अपने हथियार लेकर फौज में स्वतंत्रता प्राप्ति का कार्य करें।

बब्बरों ने साइक्लोस्टाइल मशीन की सहायता से अपना अखबार 'बब्बर अकाली दुआबा' भी निकाला। उस अखबार का चंदा यह था कि उस अखबार को पढ़ने वाला, उस अखबार को आगे पाँच व्यक्तियों को पढ़ाये। उन्होंने अखबार में उन 179 व्यक्तियों की सूची भी प्रकाशित की जिनका उन्होंने 'सुधार करना' था। जिनका अंतिम समय आ गया होता इसके बारे में वे इस अखबार द्वारा ही उसको सूचित कर देते। दो-तीन बब्बर उस व्यक्ति के गांव जाते और पिट्ठुओं का कत्ल कर देते। वे गांव में खुलेआम कत्ल करने की जिम्मेवारी भी लेते। इस प्रकार उन्होंने कइयों को 'सोध' दिया। उन्होंने पुलिस से भी कई मुकाबले किए।

सरकार ने भी बब्बरों को समाप्त करने की ठानी। उनका पीछा किया जाने लगा। उनमें से कुछ को पकड़ लिया गया और कुछ मारे गए। सौ से भी अधिक बब्बरों पर मुकद्दमा चलाया गया। 27 फरवरी, 1926 ई० को जत्थेदार किशन सिंह, बाबू संता सिंह, धर्म सिंह हयातपुरा, करम सिंह मानके, नंद सिंह घुड़ियाल और दलीप सिंह धामीया को फांसी की सजा सुना दी गई।

यद्यपि बब्बर लहर अपने उद्देश्य में सफल ना हो सकी, फिर भी इस लहर में पंजाबियों को देश की आज़ादी के लिए जान न्यौछावर करना सिखा दिया।

(घ) जैतो का मोर्चा (Morchan of Jaito)

महाराजा नाभा स. रिपुदमन सिंह ने गवर्नर जनरल की कौंसिल का मैंबर बनते ही आनंद मैरिज बिल पास करवाया। उसने गुरुद्वारा रकाबगंज के मोर्चे के समय भी सिक्खों का साथ दिया। इससे देश और कौम में उसका आदर सत्कार बढ़ गया। महाराजा के सम्मान और सत्कार में वृद्धि अंग्रेज़ सरकार को अच्छी न लगी। अब अंग्रेज़ सरकार उसे किसी न किसी बहाने अपमानित करना चाहती थी। विश्व के पहले युद्ध के समय अंग्रेज़ों को यह मौका मिल गया क्योंकि महाराजा नाभा ने अपनी फौज युद्ध में भेजने से इन्कार कर दिया था। उधर पटियाला के महाराजा भूपेन्द्र सिंह और नाभा के महाराजा रिपुदमन सिंह के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अंग्रेज़ों ने महाराजा पटियाला की सहायता से महाराजा नाभा पर अनेक मुकद्दमे दायर कर दिए। परिणामस्वरूप महाराजा रिपुदमन सिंह को गद्दी से उतार दिया गया।

महाराजा नाभा को गद्दी से उतारने पर सिक्खों को बहुत क्रोध आया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी ने यह मामला अपने हाथों में ले लिया। सिक्खों ने रोष दिवस मनाने का फैसला किया। इन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए स्थान-स्थान पर दीवान सजाए गए। जैतो में भी ऐसा ही दीवान सजाया गया। पुलिस ने बहुत से लोगों को बंदी बना लिया और 13 सितम्बर, 1923 ई० को जैतो के गुरुद्वारे गंगसर पर कब्जा कर लिया गया। उस समय उस गुरुद्वारे में अखण्ड पाठ चल रहा था। परिणामस्वरूप वह पाठ खंडित हो गया। तब सिक्खों ने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर ही अपना मोर्चा लगा लिया।

15 सितम्बर, 1923 ई० को सिक्खों ने 25 सिक्खों का एक जत्था जैतो भेजा छ: महीने तक 25-25 सिक्खों के जत्थे जैतो जाते रहे। सरकार उन जत्थों पर अत्याचार करती रही। मोर्च लम्बा होता देखकर शिरोमणि कमेटी ने 500-500 के जत्थे भेजने का कार्यक्रम बनाया। 500 सिक्खों का पहला जत्था जत्थेदार उधम सिंह नागोके के नेतृत्व में अकाल तख्त से रवाना हुआ। जत्थे के साथ हज़ारों लोग माझे और मालवे से होते हुए नाभा रियासत की सीमा में जा पहुँचे। तब लोगों को वापिस जाने की प्रार्थना की गई। कोई भी सिक्ख वापिस न गया। जब यह जत्था गुरुद्वारा गंगसर से एक फर्लांग दूर था तो अंग्रेज़ सरकार की मशीनगनों ने गोलियों के बरसात शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से घबरा कर भी सिक्ख पीछे न हटे। इस तरह अनेक सिक्ख शहीद हो गए।

जैतो का मोर्चा दो साल तक चलता रहा। 500-500 के जत्थे आते रहे। वे देश और कौम के लिए कुर्बानी करते रहे। पंजाब से बाहर कलकत्ता, केनेडा, शंघाई और हांगकांग से भी जत्थे जैतो पहुँचे, अंत में गुरुद्वारे से पुलिस ने पहरा हटा लिया और 1925 ई० में सरकार को गुरुद्वारा एक्ट पास करना पड़ा। तब अकालियों ने जैतो का मोर्चा समाप्त कर दिया।

10. साइमन कमीशन
(Simon Commission)

1928 ई० के आरम्भ में अंग्रेज़ सरकार का सात सदस्यीय एक कमीशन भारत में आया। इसका प्रधान इंग्लैंड का प्रसिद्ध वकील, सर जॉन साइमन (Sir John Simon) था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इस का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

30 अक्तूबर, 1928 ई० को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा। उसका विरोध करने के लिए, पंजाबियों ने, जिनके नेता लाला लाजपत राय थे, जबरदस्त विरोध प्रकट किया। पंजाबी देशभक्तों द्वारा 'साइमन कमीशन वापिस जाओ' और 'वन्दे मातरम्' के नारे लगाए गए। इस समय लाहौर रेलवे स्टेशन के पास अंग्रेज़ पुलिस अफसर मिस्टर सांड्रस ने लाला लाजपत राय की छाती पर लाठी के वार किए। अन्य देश भक्तों पर भी लाठियाँ बरसाई गईं। इस लाठी चार्ज में कई बूढ़े, जवान, बच्चे और औरतें भी जख्मी हुईं। लाठियों की इस बरसात में लाला लाजपत राय ने यह घोषणा की ''मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का एक-एक वार बर्तानवी सरकार के कफन में एक-एक कील सिद्ध होगा।''

अंग्रेज़ी लाठियों के भयानक ज़ख्मों के कारण लाला जी 17 नवम्बर, 1928 ई० को शहीद हो गए।

11. नौजवान भारत सभा
(Naujwan India Sabha)

सरदार भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, प्रिंसीपल छबील दास और यशपाल आदि ने 1926ई० में लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' की स्थापना की। सरदार भगत सिंह स्वयं उसका जनरल सचिव नियुक्त हुआ। इस संस्था को गर्म गुट के कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। यह संस्था शीघ्र ही क्रांतिकारियों का केन्द्र बन गई.

इस संस्था का उद्देश्य नौजवानों में जागृति उत्पन्न करना था। इसलिए समय-समय पर यह संस्था लाहौर

मीटिंग करके मार्क्स और लेनिन के विचारों पर चर्चा करती थी। इस सबा में अन्य देशों में आए इन्कलाब पर विचार किया जाता था। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ई० में असैम्बली बम केस में भाग लिया और पुलिस के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। 23 मार्च 1931 ई० को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फाँसी दे दी गई।

12. पूर्ण स्वराज प्रस्ताव
(Complete Independence Resolution)

कांग्रेस ने अपने कलकत्ता (कोलकत्ता) अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस (Dominon States) के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपना राजनैतिक उद्देश्य घोषित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार 31 दिसम्बर, 1929 ई० को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। उस ऐतिहासिक अधिवेशन के प्रधान जवाहर लाल नेहरू थे। उस दिन आधी रात के समय रावी के किनारे पूर्ण आज़ादी का मत पास किया गया। नेहरू ने 'इन्कलाब-जिन्दाबाद' के नारों के बीच राष्ट्रीय झण्डा लहराया। बाद में वहाँ इकट्ठे हुए देशभक्तों ने 'आज़ादी की प्रतिज्ञा' पढ़ी। कुछ दिन बाद कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने यह आदेश भी जारी किया कि 26 जनवरी, 1930 वाले दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाये।

13. प्रजामंडल लहर
(Praja Mandal Movement)

पंजाब में पटियाला रियासत पढ़ाई और उद्योग के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई थी। उन लोगों में राजनैतिक जागृति भी नहीं थी। 1928-38 ई० तक मध्यम वर्गीय किसान ही राजनैतिक दृष्टि से जागृत थे। सेवा सिंह ठीकरीवाला ने पटियाला रियासती दल की स्थापना की। 9 जुलाई, 1923 ई० को उसे बंदी बनाया गया। जैतो के मोर्चे के समय पटियाला के महाराजा भूपेन्द्र सिंह ने ठीकरावाला को अपने पक्ष में करना चाहा, पर वह किसी भी कीमत पर न माना। महाराजा पटियाला ने उसे बंदी बनाकर लाहौर जेल में भेज दिया। परन्तु उसकी अनुपस्थिति में भी उसे पटियाला रियासती अकाली दल का जत्थेदार और मालवा प्रतिनिधि खालसा दीवान का प्रधान चुन लिया गया।

1925 ई० में गुरुद्वारा एक्ट के अनुसार सिक्खों के रिहा कर दिया गया, पर सेवा सिंह ठीकरीवाला न रिहा होने वाले व्यक्तियों में से एक था। जब वह लाहौर से रिहा हुआ तो उस पर चोरी का मुकद्दमा बनाकर उसे फिर सितम्बर, 1926 ई० में तीन वर्षों के लिए पटियाला जेल में धकेल दिया गया।

सेवा सिंह ठीकरीवाला को किसी न किसी बहाने पटियाला सरकार अंग्रेज़ सरकार के निर्देश पर गिरफ्तार करती रही। 24 अगस्त, 1928 ई० को पटियाला जेल से रिहा होने के बाद ठीकरावाला को पंजाब प्रजा मंडल और रियासती प्रजा मंडल का प्रधान चुन लिया गया। उसने किसानों और आम लोगों की समस्याओं के बारे में कान्फ्रैंसें कीं। उसने रियासत पटियाला में हो रहे जुल्मों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। उसका साथ बाबा हीरा सिंह भट्ठल, हरनाम सिंह चमक, सम्पूर्ण सिंह धौला, तेजा सिंह स्वतंत्र, हरदित्त सिंह भट्ठल, बाबा सुन्दर सिंह आदि ने दिया। इन्होंने ने रियासती हुकूमत और अंग्रेज़ी साम्राज्य का डटकर विरोध किया।

14. आज़ाद हिन्द-फौद
(Indian National Army)

नेता जी सुभाष चन्दर बोस ने 1920 ई० में आई. सी. एस. परीक्षा पास की। वे उच्च सरकारी पदवी पर नियुक्त भी हो गए। परन्तु देशभक्ति की भावना ने उन्हें सरकार नौकरी छोड़ने पर मज़बूर कर दिया। वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए देश के अन्य नेताओं का पूरा-पूरा साथ दिया।

दूसरे विश्व युद्ध के समय सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। परन्तु वे वहाँ से बच कर निकल गए और बर्मा (मानमार) जा पहुँचे। 1943 ई० को सुभाष चन्द्र बोस ने

सिंगापुर में भारतीयों के इकट्ठा करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें जनरल शाहनवाज़, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और जनरल मोहन सिंह जैसे पंजाबी देशभक्त भी थे। इस फौज का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। इसीलिए नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय नौजवानों से बलिदान की माँग करते हुए कहा था- 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आज़ादी दूँगा'।

जापान ने आज़ाद हिन्द फौज को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। 21 अक्तूबर, 1943 ई० को नेता जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की।

1 मार्च, 1944 ई० को आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक बर्मा (मानमार) होते हुए असाम आ पहुँचे। उन्होंने इम्फाल को घेर लिया। परन्तु उधर दूसरे विश्व युद्ध में जापान की स्थिति कमज़ोर ही गई। अंग्रेज़ी सेना ने मई 1945 ई० को रंगून पर कब्जा कर लिया। मज़बूर होकर आज़ाद हिन्दी फौज के सैनिकों को भी आत्म समर्पण करना पड़ा। जनरल शाह नवाज़, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर देश-द्रोह का मुकद्दमा चलाया गया।

नवम्बर, 1945 ई० को दिल्ली के लाल किले में उपरोक्त तीनों अधिकारियों के मुकद्दमे की सुनवाई हुई। जवाहर लाल नेहरू, तेज बहादुर सपरू, भूला भाई देसाई आदि प्रसिद्ध वकीलों ने उनके मुकद्दमे की पैरवी की। इन तीनों अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। फिर भी देश में रोष प्रदर्शन हुए। सैनिकों में विद्रोह की लहर फैल गई। इससे ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि अब भारतीयों को और अधिक देर तक अपने अधीन नहीं रखा जा सकता।

1947 ई० को जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय सबसे अधिक कष्ट पंजाबियों ने ही झेले। पंजाब पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बंट गया। हज़ारों पुरुष स्त्रियों और बच्चे स्वतंत्रता प्राप्ति का आनन्द ना ले सके। उन्होंने तो अपना जीवन और धन दौलत सब आज़ादी को समर्पित कर दिया था।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द / एक पंक्ति (1-15 शब्दों) में लिखो :-

1. 1857 ई० के स्वतंत्रता के समय पंजाब की किन-किन छावनियों में विद्रोह हुआ ?
2. सरकार अहमद खां खरल ने आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया ?
3. श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेज़ सरकार का असहयोग क्यों किया ?
4. किन कारणों से गदर लहर आस्तित्व में आई ?
5. अकाली लहर के अस्तित्व में आने के दो कारण बताओ।
6. चाबियाँ वाला मोर्चा क्यों लगाया गया ?
7. गुरु का बाग मोर्चे के कारण बताओ।
8. साइमन कमीशन कब भारत आया और इसका बहिष्कार क्यों किया गया ?

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-50 शब्दों में दो :-

1. श्री सतगुरु राम सिंह जी की किन गतिविधियों से अंग्रेज़ों को डर लगता था ?
2. नामधारियों और अंग्रेजों के मध्य मलेरकोटला में हुई दुर्घटना का वर्णन करो।
3. पंजाब में आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करो।
4. गदर पार्टी ने पंजाब में आज़ादी के लिए क्या-क्या यत्न किए ?

5. बाबा गुरदित्त सिंह ने केनेडा जाने वाले लोगों के लिए क्या-क्या कार्य किए ?
6. जलियाँवाला बाग़ की दुर्घटना के क्या कारण थे ?
7. सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग दुर्घटना का बदला कैसे लिया ?
8. खिलाफत लहर पर नोट लिखो।
9. बब्बरों की गतिविधियों का वर्णन करो।
10. नौजवान भारत सभा पर एक नोट लिखो।
11. साइमन कमीशन पर एक नोट लिखो।
12. प्रजा मंडल के कार्यों का वर्णन करो।

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-120 शब्दों में लिखो :-

1. श्री सत्गुरु राम सिंह जी ने भारत की आज़ादी के लिए क्या-क्या यत्न किए ?
2. आर्य समाज ने पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया ?
3. गदर पार्टी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या यत्न किए ?
4. कामागाटा मारू दुर्घटना का वर्णन करो।
5. जलियांवाला बाग दुर्घटना का वर्णन करो।
6. अकाली लहर ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया ?
7. जैतो के मोर्चे का वर्णन करो।
8. 'आज़ाद हिन्द फौज' पर विस्तारपूर्वक नोट लिखो।

******

नागरिक शास्त्र

पाठ-1

लोकतंत्र: गतिविधि और कार्य संचालन

(Democracy : Activity and Conduct)

भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही भाषा, धर्म, रंग, आर्थिक भेदभाव आदि के आधार पर समाज में मनुष्य की अलग पहचान बनाना प्रचलित है। इतना ही नहीं बल्कि जातिवाद, संप्रदायवाद, गरीबी आदि जैसी नकारात्मक प्रथाएं मानव समानता का विरोध करती रही हैं। इस सामाजिक समानता के मुकाबले के लिए राजनीतिक रूप से चुनी गई लोकतांत्रिक धारा का उद्देश्य ही यह है कि लोकतंत्र के प्रबंधन में सामाजिक और आर्थिक मतभेदों को राजनीतिक और कानूनी प्रबंधन की मदद से समाज में अधिकतम सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किए जाएं। ऐसे प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ही राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक धार्मिक-आर्थिक संगठन आदि की होती है। किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का आधार बनने वाले नियम और कानून प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संस्थाओं की ही देन हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पर किसी दल या गुट या संगठन का एकमात्र अधिकार नहीं होता, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी ैर विभिन्न दलों द्वारा सत्ता की सांझेदारी ही राजनीतिक ताकत का आधार होती है।

राजनीतिक सत्ता साझा करने वाली इन पार्टियों के माध्यम से ही लोकतांत्रिक समाज के निर्धारित किए गए उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। इन प्रयासों में सियासी या राजनीतिक दलों का आपसी प्रतियोगिता और कभी-कभी टकराव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टकराव केवल (महज) हितों के टकराव होते हैं जिनका उद्देश्य हर तरफ से निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पराप्त करना ही होता है। लोकतांत्रिक माहौल में यह टकराव कभी भी आपसी दुश्मनी में नहीं बदल सकता। लोकतांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में ही समाज का विकास भी छिपा है क्योंकि ये प्रयास ही देश में राजनीतिक चेतना, मानवीय निरंतरता और एकता, कमजोर वर्गों आदि का पूर्ण संमर्थन आदि जैसे वातावरण का निर्माण करके ही देश में एकता और अखंडता जैसी विशेषताओं का निर्माण करते हैं।

लोकतंत्र की कार्यप्रणाली एवं संचालन को समझे के लिए हम निम्नलिखित प्रश्नवाचक उद्देश्यों का सहारा लेते हैं :

1. लोकतंत्र क्या है ? इसकी आवश्यकता क्यों है ?
2. लोकतंत्र में जाति की भूमिका ?
3. लिंगवाद का लोकतंत्र के साथ क्या संबंध है ?
4. सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है ?

लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए ही काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजनों को नज़र अंदाज या ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक मतभेदों के आधार पर ही राजनीतिक सत्ता का विभाजन किया जाता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाओं, पिछड़े वर्गों आदि के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक पहलू से भी आरक्षण का प्रबंध किया गया है। विधान निर्माताओं ने प्रयास किया कि

लोकतांत्रिक संस्थाओं में विभिन्न वर्गों को विशेष आवश्यक्ताओं के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

भारत में भाषाई, क्षेत्रीय, जाति, लिंग, धार्मिक बहुरूपता और आर्थिक स्थिति आदि के मामले में भारी असमानताएं/मतभेद हैं। इन मतभेदों को एकता की माला में पिरोने के लिए, विभिन्न वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है ताकि लिए गए निर्णयों में सभी (प्रत्येक वर्ग) की सहमति दिखाई दे। जनविरोधी सोच एवं गतिविधियों का और लोकतंत्र का एक-दूसरे से कोई मेल नहीं है, अत: मतभेद होते हुए भी इस अनेकता में एकता स्थापित करने के प्रयास भी लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होते हैं।

लोकतंत्र में राजनीति (Politics in Democracy)

देश बड़ा हो या छोटा, हर देश का समाज विभिन्न समूहों का मिश्रण होता है। सामाजिक समूह राजनीति पर प्रभाव डालते हैं और प्रभाव प्राप्त भी करते हैं। जब राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के आधार पर राजनीति करना शुरू कर दें तो यह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जायेगा। यहां हम उत्तरी-आयरलैंड का उदाहरण ले सकते हैं:

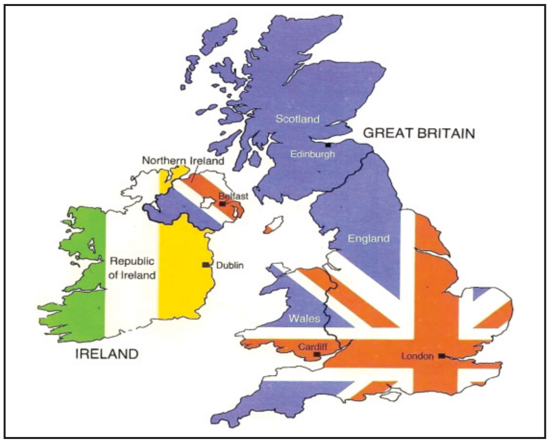

ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की भूगोलिक स्थिति

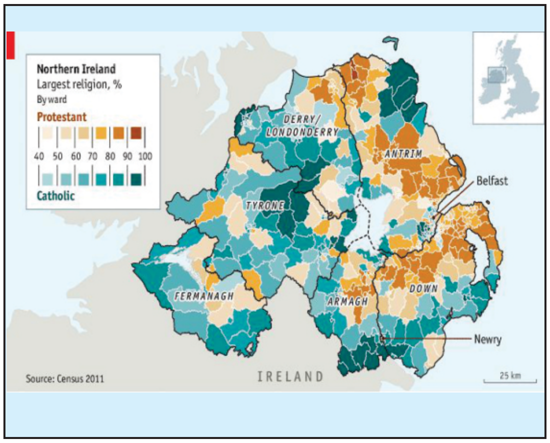

आयरलैंड में रोमन कैथोलिक और प्रटैस्टैंट मानता वाली जनसंख्या का प्रगटावा

उत्तरी-आयरलैंड ब्रिटिश का हिस्सा है और लंबे समय से हिंसा और राजनीतिक संघर्ष के माहौल में रहा है। गौरतलब है कि उत्तरी आयरलैंड ईसाई धर्म के दो संप्रदायों में बंटा हुआ है। इनमें से 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और 47% आबादी रोमन कैथोलिक है। धर्म में खेमेबाजी के आधार पर ही उनका प्रतिनिधित्व दिखाई देने लगता है। कैथोलिक आबादी का प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी दल कर रहें हैं, जो मांग करते हैं कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल किया जाए। आयरलैंड गणराज्य मुख्य रूप से कैथोलिक बहुसंख्यक देश है। प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व संघवादी दल कर रहे हैं, जो उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ रखना चाहते हैं क्योंकि ब्रिटेन मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट आबादी वाला देश है। संघवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अनगिनत नागिरकों ने अपनी जान गंवाई। 1998में, ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रवादियों के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसे गुड प्राइडे समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के माध्यम से, दोनों खेमों ने हिंसक आंदोलन को रोकने की सहमति जताई और उत्तरी-आयरलैंड विधानसबा की स्थापना की गई जो प्रदान की गई शक्तियों (Devolved Powers) के संबंध में नीतियां बनाने में सक्षम होगी। इसी के साथ यह भी उद्द्श्य था कि उत्तरी आयरलैंड की सरकार विभिन्न मामलों में आयरलैंड गणराज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखेगी। गूड प्राइड समझौते के परिणामस्वरूप बातचीत और चर्चा के माध्यम से उत्तवरी आयरलैंड की समस्या का समाधान निकाला गया।

दूसरी उदाहरण यूगोस्लाविया की है। यूगोस्लाविया एक बहु जातीय देश था। जातीय आधार पर शुरू हुई राजनीति ने यूगोस्लाविया को कई हिस्सों में बांट दिया।

सर्बिया कोसवो और अलबानिया की भूगोलिक स्थिती

कोस्वो (Kosvo) :

साल 1998-99 में अल्बानियाई जाति और सर्बियाई जाति के लोगों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष यूगोस्लाविया के कोस्वो क्षेत्र में हुआ। सन् 1999 में नाटो (North Atlantic Treaty Organisation) की मदद से एक समझौता हुआ। इस शांति समझौते के साथ, 1999 में संघर्ष (झगड़ा) समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना/सैनिकों के माध्यम से कोस्वो के क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। अल्बानियाई और सर्बियाई जाति के लोगों के बीच तनाव जारी रहा और अंतत: 2005 में कोस्वो ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की।

उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया में संघं, को हल करने के लिए अपनाए गए तरीके अलग अलग थे। उत्तरी आयरलैंड में दो गुटों के कारण शांति समझौता संभव हो सका, जिसने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के आपसी संघर्ष को बातचीत के माध्यम से हल किया। युगोस्लाविया में अनेक नस्लीय वर्गों का अस्तित्व एकाधिक परतों में हिंसा को बढ़ावा देता रहा। जिसने यूगोस्लाविया को तोड़ कर कई नये देशों को जन्म दिया। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि लोगों के क्षेत्रीय, जातीय आदि भिन्नताओं को शक्ति और दमन के साथ नहीं बल्कि आपसी विशिष्टता की सराहना करते हुए समेटा जाना चाहिए।

अब हम लोकतंत्र और राजनीति के दूसरे पक्ष को लेते हैं जिसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मतभेद या सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति दरार का कारण नहीं है बल्कि कभी-कभी यह विभिन्वन वर्गों की आपसी राजनीति का रूप भी ले लेती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न समूहों/वर्गों से वादे करना एक सुभाविक बात है। विभिन्न समूहों को राजनीतिक सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व देना और समूहों की मांगों और जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां तय करना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। मतदान व्यवहार और समूहों के बीच संबंध स्पष्ट है। जिस कारण से लोगों के एक समूह का किसी विशेष राजनीतिक दल की ओर झुकाव होना स्वाभाविक है। अलग-अलग समूहों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना और सामान्य नीतियां बनना, जो समाज में रहने वाले अलग-अलग समूहों में अपनेपन की भावना का करवाना ही किसी मुल्क को खुशहाल और मजबूत बनाने की बुनियादी

आवश्यकता है।

मतभेदों वाले समाज के तीन पहलू

बहुराष्ट्रीय देश में राजनीति तीन स्तंभों पर निर्भर करती है :-

1. लोगों में पहचान की प्रबल भावना
2. राजनेताओं द्वारा जनता की मांगों की प्रस्तुति
3. लोगों की मांगों के प्रति सरकार का रवैया

पहला पहलू यह कि लोगों के भीतर पहचान की प्रबल भावना के तहत लोग खुद को श्रेष्ठ या अलग समझतने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शक्तिसाली समूह दमन की राजनीति का सहारा ले सकता है। इसलिए, लोगों की आपसी विशिष्टता को बनाए रखते हुए, दूसरों की विशिष्टता की सराहना करना अनिवार्य हो जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजनीतिक दल किसी समुदाय के लोगों की मांगों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी मांगें जो संविधान के दायरे में हों और किसी अन्य समुदाय को नुकसान न पहुंचाती हों, आसानी से स्वीकार की जा सकती है। श्रीलंका में केवल सिंहली को विशेषाधिकार देना और तमिलों को नागरिक अधिकारी से वंचित करना तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ माना गया है। यूगोस्लाविया में भी, विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों के लिए ऐसी माँगें रख दी थी, जिन्हें केवल एक ही देश की सीमाओं के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए यूगोस्लाविया का विभाजन हो गया।

डच, फ्रांसीसी और जरमन भाषाई खितियों में बंटा बैल्जियम

तीसरा पहलू सरकार का रवैया है। सरकार किसी समुदाय की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, यह भी महत्वपूर्ण है। हम बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। बेल्जियम ने डच्च, फ्रांसीसियों और जर्मनी के बीच शक्ति का विभाजन करके, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अधिकार देकर एकता स्थापित की गई, लेकिन श्रीलंका ने तमिल अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। यदि सरकार सत्ता में सांझेदारी करने के लिए त्यार हो जाए और अल्पसंखक समुदाय की यदि उच्च्व मांगों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करे तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कोई समस्या नहीं होती। अगर सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी समुदाय की उच्च्व मागों को दबाने का प्रयास करने लगे तो उल्टा और हानिकारक प्रभाव हो सकता है। शक्ति के माध्यम से एकता स्थापित करने का प्रयास अकसर अलगाववाद की भावना पैदा कर देता है।

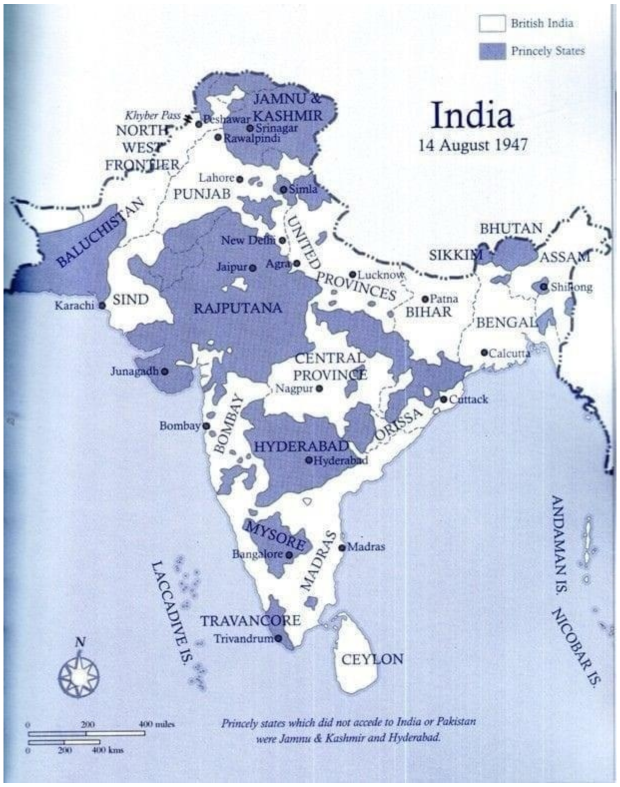

हिन्दुसतान का सन् 1947 से पूर्व का मानचित्र

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि सामाजिक मतभेद हमेशा ही देश के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का प्रकट होना सामान्य बात है। यह स्तस्थ राजनीति की एक विशेषता भी हो सकती है। ऐसा करके ही विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी नजर अंदाज हुई मांगों और समस्याओं को व्यक्त कर सकते हैं और सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर दिला सकते हैं। राजनीतिक में विबिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे मतभेदों को संतुलित करने का काम करती है। किसी भी देश का लोकतंत्र अपनी विशेष भाषाई, जातीय, क्षेत्रीय आदि मांगों का समाधान जिस पद्धति से करता है वही लोकतंत्र की परिपक्वता बताता है।

विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और सभी सामाजिक वर्गों में संतुलन बनाने की इच्छा रखना कोई आसान बात नहीं है। जो समूह/वर्ग स्वयं को वंचित, नजर अंदाज और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा संघर्ष लोकतांत्रिक तरीकों के तहत ही होना चाहिए। लोकतंत्र में लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप से स्वीकृत तरीकों से अपनी मांगें व्यक्त करते हैं और चुनावों के माध्यम से इन मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाता है। कभी-कभी सामाजिक असमानताएँ इतनी असमान और अन्यायपूर्ण होती हैं कि उन्हें स्वाकीर करना असंभव होता है। ऐसी असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कभी-कभी हिंसा का रूप ले लेता है और देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल देता है। इतिहास ग्वाह है कि ऐसी सामान्य समस्याओं की पहचान करने और मतभेदों के बीच संतुलन बनाने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है।

सामाजिक मतभेदों का लोकतंत्र पर प्रभाव

लोगों के समूह/वर्ग लोकतंत्र के कामकाज में योगदान करते हैं, लोकतंत्र के कामकाज को प्रभावित करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि जाति का राजनीति पर और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है ? भारत में जाति

ही सामाजिक वर्गीकरण का मूल आधार है। जाति और राजनीति के परस्पर रिश्ते के भी दो पहलू हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक।

वर्ण प्रणाली (Varna System)

वर्ण प्रणाली किसी विशेष जाति समूह के साथ भेदभाव करने और उन्हें अपने से अलग मानने की अवधारणा पर आदारित है। बारत का इतिहास ग्वाह है कि कुछ जातियों के साथ छुआ छूत का व्यवहार किया जाता था। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिथा राव फुलो, महात्मा गांधी, डॉ. बी आर अम्बेदकर, प्रायर रामास्वामी नाइकर और काशी राम जी आदि कैसे बड़े नेताओं और समाज सुधारकों ने मोर्चा संभाला। इन समाज सुधारकों ने जाति-मुक्त सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया और समाज सुधार के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किए।

जाति व्यवस्था (छुआछूत प्रथा) के बारे में संवाद	
महात्मा गांधी	**बी आर अंबेडकर**
गांधी जी ने अछूतों को ''हरजिन'' कहा। वे जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानते थे लेकिन इसकी कमियों को दूर करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए गांधीजी ''क्षय का परस्पर'' करके अछूतों का भला करने की अवधारणा में विश्वास करते थे।	अम्बेडकर जी अछूतों को दलित अनुसूचित जाति कहते हैं। वे परंपराओं के धर्म की ''सिद्धांतों के धर्म'' में बदलने के इच्छुक थे। जाति व्यवस्था का खालस ही उनका लक्ष्य था। वे ऐसा करने के लिए कहते थे कि दलितों को अपनी हीनता की भावना को अपने मन से खत्म करना होगा, जो तर्कहीन धाराणाएं हैं तो उन्हें तर्क के आधार पर चुनौती देनी होगी।

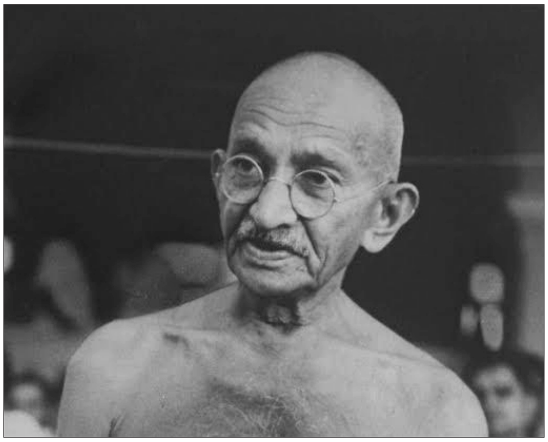

महात्मा गांधी

बी आर अंबेडकर

इन महान नेताओं के प्रयासों और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण आज भारत में जाति व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, स्पष्ट सा/रता, शिक्षा का विकास, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता के कारण जाति व्यवस्था का पुराना स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक मानसिकता में लगातार बहुत बदलाव आ रहा है। शहरी क्षेत्रों में अधिक बदलाव आया है। शहरों में लगातार ट्रेनों या बसों में यात्रा करते समय लोग यह नहीं देखते कि उनके साथ कौन बैठा है, या होटलों में एक ही टेबल पर खाना खाते समय कोई दूसरे मसे नहीं पूछता कि उसकी जाति क्या है। संविधान में सभी प्रकार के जातिगत

भेदभाव वर्जित है। संविधान उन नीतियों का आधार बनाता है जो जाति व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले अन्याय को समाप्त करती हैं।

संवैधानिक प्रावधानों तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद भारत से जाति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी जाति व्यवस्था के पुराने अनुयायी देखने को मिलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति या जनजाति में विपाह करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद छुआ छूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जातिगत प्रथा के तहत कुछ सामाजिक समूहों को लाभ की स्थिति में रखते हुए कुछ सामाजिक समूहों को दबा कर रखा गया था। इसका प्रभाव सदियों बाद भी दिखाई देता है। जिन जातियों में साक्षरता पहले से ही मौजूद थी और जिनका शिक्षा पर एकाधिकार था, आज भी ये जातियाँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सबसे आगे हैं। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, वे आज भी सहज रूप में पढ़ाई करते है। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में उच्च जातियों का अनुपात बहुत अधिक है। जाति और आर्थिक स्थिति का भी घनिष्ठ संबंध है।

भारत की सियासत (राजनीति) में जाति (Caste in Politics in India)

भारत की राजनीतिक में जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसे हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिखा सकते हैं-

- **जाति और राजनीतिक दल (Caste and Political Parties)**- हमारे देश का संविधान जाति के आधार पर पार्टियों के गठन पर रोक लगाता है, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई राजनीतिक दल जाति पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में DMK (डेविड मुनेत्र कइगम) और AIADMK (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) जाति-आधारित दल हैं। ये दल तमिलनाडु में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में अस्तित्व में आए हैं। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वह भी एक जाति आधारित पार्टी है।
- **राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का जाति आदारित नामांकन (Caste based Nomination by Political Parties)**- चनावों के दौरान, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए किटक देते समय उम्मीदवार की जाति को ध्यान में रखते हैं। जिस हल्के में एक जाति के मतदाता अधिक होते हैं, उस हल्के में उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है ताकि मतदाता जातिगत भावना को ध्यान में रखते हुए उस उम्मीदवार को अधिक से अधिक वोट दे सकें। चुनाव के दौरान आमतौर पर सभी राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनकी जाति का उस हल्के में प्रभाव होता है।
- **जाति और मतदान व्यवहार (Caste and Voting Behaviour)**- हमारे देश में यह एक अटल सत्य है कि बहुत से मतदाता अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं। उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुणों और जनता के लिए काम करने के प्रदर्शन पर कम ध्यान दिया जाता है। भारतीय मतदाताओं का ऐसा रवैया लोकतंत्र पर प्रभाव डालता है।
- **जाति एवं मंत्रिपरिषद (Caste and Council of Ministers)**- संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी मं6पिरि,द बनाते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं, मंत्रिमंडल में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि भी शामल किए जाते हैं। यदि स्थिति राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी है। मुख्यमंत्रियों को भी राज्यों की प्रमुख जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल

करना ही पड़ता है।

- **जाति के आधार पर आरक्षण (Reservation on the Basis of Caste)**- भारत में समानता की व्यवस्था होते हुए भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विशेष सुवधाऐं दी गई है। संसद औ राज्य विधानमंडलों और स्थानीय स्तर के संस्थाओं आदि में सीटें आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार इन जातियों के दीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था करना आवश्यक था।
- **जाति के आधार पर आरक्षण की प्रतिक्रिया (Reaction on Reservation on the Basis of Caste)**- जाति के आधार पर सीटों के आरक्षण की प्रतिक्रिया के रूप में गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों में नाराजगी की भावना पैदा हुई है। चुनाव समय इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन होते हैं।

मंडल कमिशन का विरोध
(Anti-Mandal Protests)

मंडल आयोग का गठन जनवरी 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इस योग ने सरकार को सिफारिश की कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके लिए सीटें आरक्षित करने और नौकरियों में कोटा तय करने किया जाए, ताकि इन वर्गों को समाज में बेहतर स्थान दिया जा सके। यह आयोग बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद बोर्ड की अध्यक्षता में था। आयोग ने अपनी रिपर्टो 30 दिसंबर 1980 को तत्कालीन अध्यक्ष नीलम संजीवारेड्डी को सौंपी, इस रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा आपक्षित करने की एक महत्वपूर्ण सिफारिश (Recommendation) थी। जब पी.सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त, 1990 में इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की कोशिश की तो विरोध शुरू हो गया। यह विरोध कोटा निर्धारण और आरक्षण के विरोध में हुआ। प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार इस विरोध के मुद्दों को ठीक से हल नहीं कर सकी और जनता दल पार्टी के नेता वी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। परंतु हड़ताल, बंद, धरने के प्रभाव से मंडल कमीशन रिपोर्ट इतनी मशहूर हो गई कि पिछड़े वर्गों के बीच एकजुटता की भावना के कारण विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसके चलते कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए इन पार्टियों की जरूरत पड़ी।

- **जातिगत दबाव समूह** - भारतीय राजनीति में जाति के तथ्य ने जाति-आधारित दबाव समूहों के

श्री बिंदेशवरी प्रसाद मंडल ततकाली केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को रिर्पोट की कापियाँ भेंट करते हुए

विकास को प्रोत्साहित किया है। जाति-आदारित दबाव समूह वे समूह होते हैं जिनके समान हित होते हैं। ये समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित यूनियनों का गठन किया गया है। इनके मुकाबले में गैर-अनुसूचित यूनियनें भी अस्तित्व में आ गयी हैं। दोनों की तरह के संघ भारत की राजनीति का प्रभावित कर रहे हैं।

उपरोक्त तथ्य तस्वीर के एक पहलू का स्वरूप उजागर करते हैं अब हम उन तथ्यों का जिक्र करेंगे जो तस्वीर के दूसरे पक्ष का स्वरूप उाजगर करते हैं। बेशक भारत में जाति ने भारतीय राजनीतिक स्वास्थ्य करे जाति टूट एक प्रभावित किया है। इसके विपरीत, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया है। हम इस प्रभाव को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे।

- **जाति व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन** – भारतीय संविधान द्‌वारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआ छूत को समाप्त कर दिया गया है। छुआ छूट को अपनाना या इसको बढ़ावा देना कानूनी अपराध है। इन संवैधानिक प्रावधानों ने उन जातियों की गरिमा को बड़ाया है जो सदियों से छुआ छूत की शिकार रही हैं। तथाकथिक निचली जातियाँ के लोगों ने मंत्रिमंडलों, सरकारी सेवाओं, विधानमंडलों और आम जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बहुमत में प्रवेश किया है। ऐसा परिवर्तन तथाकथिक निचली जातियों के लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अन्य जातियों के समान अधिकार देने से ही संभव हो सका है। इन तथाकथिक निचली जातियों का जीवन स्तर विकसित हुआ है। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने जाति का स्वरूप बदल दिया है।
- **तथाकथिक निचली जातियों के राजनीतिक महत्व में वृद्‌धि** – भारत के संविधान द्‌वारा राजनीतिक समानता के अधिकार को लागू किया गया है। एक-व्यक्ति-एक-वोट-एक-मूल्य सिद्धांत को लागू किया गया है। भारत के किसी भी नागरिक को जाति के आधार पर राजनीतिक अधिकारों और सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। कथित निचली जातियों के लोगों के लिए विधानमंडलों, सरकारी सेवाओं और स्थानीय स्वभासन संस्थानों में सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था करके इन जातियों के लोगों को काफी संख्या में इन संस्थानों में प्रवेश दिया गया है। इन प्रावदानों के

कारण कथित निचली जातियों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है।

- **राजनीतिक जन भागीदारी में वृद्धि** – जाति के तथ्य के तथाकथिक निचली जातियों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि की है। इन जातियों के लोग जाति से प्रेरित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। इन जातियों के लोगों को यह एहसास हो गया है कि कोई भी राजनीतिक दल उनके समर्थन के बिना राजनीतिक सत्ता हासिल करने में सफल नहीं हो सकता है। जिस दल को इन जातियों के लोगों का समर्थन हासिल होगा, वही दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर पाएगा। कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने से पहले जाति समूहों से सौदेबाजी भी करते हैं।
- **जाति के मलाइदार वर्ग का विकास** – भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इन विशेष सुविधाओं का लाभ इन जातियों के सभी लोगों तक नहीं पहुँच सका। इन जातियों के कुछ लोगों ने इन विशेष सुविधाओं का लाभ उटाकर भारतीय राजनीति एवं प्रशासनिक क्षेत्र में अपना विशेष स्थान स्थापित कर लिया है। इसे उस जाति का मलाईदार वर्ग कहते है। भारतीय राजनीतिक दल इन विशिष्ट जाति समूहों के नेताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं ताकि इन जातियों के मतदाताओं को उनके पक्ष में किया जा सके।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नई राजनीतिक व्यवस्था ने समाज में समानता लाने का जो उद्देश्य तय किया था, उसमें काफी सफलता मिलती है। कथित निचली जातियों के जीवन स्तर में विकास हुआ है और उनकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आया है। हालाँकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों के कारण जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हो रहे हैं। जाति व्यवस्था से प्रभावित संबंधित लोग जातियों को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं न कि सामाजिक दर्जाबंदी के अनुसार।

लिंग भेदभाव और राजनीति :

भारतीय राजनीति में लिंग के संबंध पर चर्चा करते हुए हम लैंगिक असमानता से शुरुआत करें। सामाजिक असमानता का यह रुप हर जगह देखने को मिलता है। बहुत से लोग लिंग भेदभाव का आधार प्रकृति की तरफ से पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक अंतर को मान लेते हैं। उनका तर्क है कि महिलाओं को प्रकृति द्वारा पुरुषों की तुलना में अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उनका काम मुख्य रुप से गृहस्थी (घर/परिवार) चलाना और बच्चों का पालन–पोषण करना है लेकिन यह विचार रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित है। इसका एक और आधार है जो फिर से घर और बाहर के काम से संबंधित है। यह सोच भी पारंपरिक एवं रुढ़िवादी काम विभाजन पर ही आधारित है। काम विभाजन की एक प्रणाली जिसमें घर के अंदर का सारा काम घर की महिलाओं द्वारा या उनकी देखरेख में नौकरों या नौकरानियों द्वारा किया जाता है, जबकि घर के बाहर का काम पुरुषों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली के द्वार पे, किसान आँदोलन के दौरान शिरकत करती औरतें

व्यक्तिगत और सार्वजनिक मतभेद

दरअसल, लड़के-लड़कियों के पालन-पोषण से ही उनके मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना है। परिवारों में काम को लेकर लिंग भेद भी पाया जाता है। घर के अंदर सभी काम महिलाएं ही करती हैं जैसे खाना बनाना, साफ-सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना आदि। पुरुष सोचते बैं कि ये सब काम कनरा महिलाओं की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि पुरुष यह काम नहीं कर सकते। घर के बाहर, जब उन्हें इन नौकरियों के लिए पैसे मिलते हैं, तो पुरुष उन कामों को करने के लिए खुसी खुशी त्यार हो जाते हैं। जो वे घर पर नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए, घर के बाहर दर्जी, होटल में रसोइया और होटल में वेटर ज्यादातर पुरुष ही होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करती। बारत के कई हिस्सों में ग्रामीण महिलाएं घर संभालने के अलावा खेती का सारा काम भी करती हैं। शहरों में गरीब परिवारों की महिलाएँ मध्यमवर्गीय परिवारों के घरों में काम करती हैं, जबकि मध्यमवर्गीय परिवारों की कई महिलाएँ काम करे के लिए घर से बाहर जाती है। सच तो यह है कि ज्यादातर महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने के लिए घर के काम के अलावा और भी कई काम करती हैं लेकिन उनके काम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता।

काम के इस लिंग भेद का नतीजा यह है कि महिलाओं को सारे कार्य घर की चारदीवारी के भीतर ही करने पड़ते हैं। बाहर सार्वजनिक की अधिकतर-कार्य पुरुषों के अधिकार में हैं। महिलाएं मानव आबादी का लगभग आथा हिस्सा हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन विशेष तौर पर राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। अधिकतर देशों में यह स्थिति ऐसे ही है। कुछ समय पहले अधिकतर देशों में सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने, जैसे कि मतदान, चुाव लड़ने और सरकारी पद संभालने जैसे सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों को ही दिया गया था। धीरे-धीरे राजनीति में लिंग भेद उभरने लगा। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाए और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने (वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार) और महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसरों को बढ़ावा देने की मांग उठाई गई. समाज में बदलाव की मांग करते हुए, इन आंदोलनों ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी महिलाओं के लिए समानता की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया।

नारीवाद (Feminism) :

महिलाओं को समान अधिकार और विकास के अवसर देने की अवधारणा के साथ-साथ सभी व्यक्तियों को समान अवसर देने की अवधारणा को यह नाम दिया गया है।

लैंगिक भेदभाव की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस मुद्दे पर राजनीतिक लामबंदी ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने में मदद की है। आज हम देखते हैं कि महिलाएँ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक आदि पदों पर काम कर रही हैं, जबकि कुछ दशक पहले महिलाओं को इन कार्यों के लिए योग्य नहीं माना जाता था। विश्व के कुछ देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। यहीं नहीं, बल्कि तीसरे लिंग (किन्नर आदि) के लोगों ने भी खुद को उन सभी राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों में सक्षम होकर दिखाया है, जिनके बारे में पहले नकारात्मक सोचा जाता था।

स्वयं करें और सीखें

देश के छह राज्यों में समय उपयोग सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि एक महिला प्रतिदिन औसतन साढ़े सात से आठ घंटे से अधिक काम करती है, जबकि एक पुरुष प्रतिदिन औसतन साढ़े छह घंटे काम करते है, लेकिन फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया कार्य अधिक दिखाई देता है, क्योंकि पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों से नकद आय प्राप्त होती है। महिलाएं ऐसे सभी कार्य भी करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है। लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की चारदीवारी के भीतर ही होता है और इन कामों के लिए उन्हें नकद पैसे नहीं मिलते, इसलिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम दिखाई नहीं देता।

समय का दैनिक उपयोग (घंटों और मिनटों में)

गतिविधि	दिवस	पुरुष	महिला
1.	—	—	—
2.	—	—	—
3.	—	—	—
4.	—	—	—
5.	—	—	—
6.	—	—	—
7.	—	—	—

आप अपने परिवार या आस पड़ोस में समय के उपयोग का एक समान सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। एक सप्ताह तक निरीक्षण करें कि आपके परिवार या आस पड़ोस के परिवार के बालग पुरुष और महिलाएं क्या करते हैं। एक सारांश बनाएं और उसमें दर्ज करें कि पुरुष और महिलाएं निम्नलिखित कार्यों पर कितना समय व्यतीत करते हैं।

आय उत्पन्न करने वाले कार्य – दुकानदारी, फैक्ट्री का कार्य का कृषि कार्य।

घरेलू काम – खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि।

अन्य गतिविधियों – पढ़ना, मनोरंजन करना, गपशप करना, अपने शरीर की सफाई करना, आराम करना या सोना शामिल है। (यदि आवश्यक हो तो आप इन कार्यों में अपना कोई नया कार्य भी जोड़ सकते हैं।)

उपरोक्त प्रत्येक कार्य में जो भी समय लगेगा। इसे जोड़े। इसे सात से विभाजित करें और प्रत्येक व्यक्ति का दैनिक औसत समय निकाले। निष्कर्ष क्या आपके परिवार में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय काम करती हैं ?

हमारे देश में 1947 के बाद से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक शक्ति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं। हमारे देश का समाज आज भी पुरुष प्रधान है। कई जगहों पर आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन पर अत्याचार किया जाता है।

* महिला साक्षरता दर अभी भी केवल 65.46(2011) प्रतिशत है जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 (2011) प्रतिशत है। इसी तरह स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद बहुत कम लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। जब हम स्कूली परीक्षाओं के नतीजों पर नजर डालते हैं तो पता चलता हैं कि कभी-कभी लड़कियाँ प्रथम आती हैं लेकिन उनके लिए आगे की शिक्षा के रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि अधिकातर माता-पिता अपने संसाधनों को लड़कों और लड़कियों पर समान रूप से खर्च करने के बजाय लड़कों की शिक्षा पर अधिक खर्च करना पसंद करते हैं। इसी प्रवृत्ति

के कारण आज भी ऊंचे वेतन और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारती में एक महिला एक पुरुष की तुलना में औसतन एक घंटा अधिक काम करती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को अपने काम के लिए नकद भुगतान नहीं मिलता है। अक्सर उनके काम को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता।

पुरुष प्रधान समाज (Male Dominating Society)

इसका शाब्दिक अर्थ पिता या शासक है, लेकिन इस शब्द का परयोग ऐसी व्यवस्था के लिए भी किया जाता है जो महिलाओं की तुलना में पुरु,ों को अधिक महत्व या शक्ति देती हैं।

- समान काम के लिए समान वेतन अधिनियम में प्रावधान है कि समान काम के लिए लिंग को आधार ना मान कर समान मज़दूरी दी जाएगी, फिर भी काम के कई क्षेत्रों, खेल की दुनिया, सिनेमा उदव्योग, कारखानों और कृषि कार्यों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मज़दूरी दी जाती है।
- भारत के कई हिस्सों/क्षेत्रों के माता-पिता केवल बेटे ही पैदा करना चाहते हैं और ये बेटियों को जन्म से पहले ही मार डालने जैसी अमानवीय मानसिकता के प्रतीक हैं। देश में औसत लिंगानुपात (प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या) 914 रह गई है। निम्नलिखित 2011 की जनगणना के लिंगानुपात के आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में लिंगानुपात 850 से नीचे है और कई राज्यों में यह 800 से नीचे चला गया है।

भारत में ऐसे कई मौके आए हैं जब महिलाएं मुक्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों में ज्यादातर पुरुष ही होते हैं। इस समस्या का एक समाधान यह भी है कि प्रतिनिधि संस्थाओं में कानून द्वारा महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित कर दी जाए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी जो (1/3) निश्चित कर दी गई है। इससे ग्रामीण और शहरी स्थानीय संगठनों में महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

महिला संगठन मंग कर रहे हैं कि भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए (1/3) सीटें आरक्षित की जाएं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में एक विधेयक भी पेश किया गया था लेकिन अभी तक कानून में पारित नहीं किया गया है। सभी राजनीतिक दल इस विधेयक पर सहमत नहीं है और इसीलिए यह बिल पारित नहीं हो सका। लैंगिक असमानता इस बात की पुष्टि करती है कि कुछ विशेष प्रकार की असमानताओं को राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता है। इस से यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो अधिकारों से वंचित समूह को फायदा होता है। क्या आप महसूस करते हो कि अगर महिलाओं के साथ भेदभाव के व्यवहार का मामला राजनीतिक स्तर पर न उठाया जाता तो उन्हें लाभ होना संभव था।

प्रतिनिधि संस्थाओं में से महिलाओं का योगदान (Contribution of Women in representative institutions)

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि महिलाओं के कल्याण या उनके साथ सामान व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की भूमिका का भी विरोध किया जाता है। इस प्रवृत्ति ने नारीवादी समूहों और महिला-नेतृत्व वाले आंदोलनों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि जब तक कि महिलाओं को सत्ता में एक सामान हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक महिलाएं पुरुषों के सामान सम्मान और अधिकारों का आनंद नहीं ले पाएंगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक तरीका लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की

भागीदारी को बढ़ाना है। भारतीय विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। विधानसभाओं में यह संख्या लोकसभा से भी कम है। जब हम भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या की तुलना अन्य देशों की संसदों से करते हैं तो पाते हैं कि भारत इस मामले में बहुत पीछे है। यह निम्नलिखित ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है।

भारत में लोकसभा चुनावों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या

पहली लोकसभा	(1952–1957)	22
दूसरी लोकसभा	(1957–1962)	27
तीसरी लोकसभा	(1962–1967)	34
चौथी लोकसभा	(1967–1970)	31
पांचवी लोकसभा	(1971–1977)	22
छठी लोकसभा	(1977–1979)	19
सातवीं लोकसभा	(1980–1984)	28
आठवीं लोकसभा	(1984–1989)	44
नौवीं लोकसभा	(1989–1991)	27
दसवीं लोकसभा	(1991–1996)	39
ग्यारहवीं लोकसभा	(1996–1998)	39
बारहवीं लोकसभा	(1998–1999)	43
तेरहवीं लोकसभा	(1999–2004)	49
चौदवीं लोकसभा	(2004–2009)	45
पंद्रहवीं लोकसभा	(2009–2014)	59
सोलहवीं लोकसभा	(2014–2019)	62
सत्रहवीं लोकसभा	(2019–2024)	78
अठारवीं लोकसभा	(2024–2029)	74

गतिविधि

1 पहली से 16वीं लोकसभा तक किस लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है ?

2. 1–17 लोकसभा में महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिये ?

3. भारत में लोकसभा में महिलाओं की कम संख्या के कारणों का पता लगाएँ।

साम्प्रदायिक विभाजन (Religious Division)

राजनीति पर लैंगिक भेदभाव के प्रभाव और लैंगिक मुद्दों पर भारतीय राजनीति के प्रभाव पर चर्चा करने के बाद, अब हम समाज के एक और विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। आज के युग में विश्व का लगभग हर देश साम्प्रदायिकता की समस्या से जूझ रहा है क्योंकि हर देश में एक से अधिक धर्म के लोग रहते हैं। यदि हम साम्प्रदायिकता के अर्थ को विस्तार से देखें तो नस्ल और जाति को भी साम्प्रदायिकता के अर्थ को विस्तार से देखें तो

नस्ल और जाति को भी साम्प्रदायिकता का आधार माना जा सकता है। परन्तु संक्षेप में साम्पदायिकता की समस्या का आधार धर्म को ही माना जा सकता है। धर्म के नाम पर सामाजिक विभाजन कोई नई बात नहीं है। इतिहास बताता है कि भारत में प्राचीन काल से ही कई धर्मों के लोग रहते आए हैं और इतिहास में ऐसे विवरण हैं कि राजा स्वयं भले ही किसी भी धर्म का पालन करता हो, अन्य धर्मों का भी उतना ही सम्मान किया जाता रहा है। महाराज अशोक स्वयं तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गये लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों को मानने और प्रचार करने की पूरी छूट दे दी थी। अन्य धर्मों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक मिल जुल कर रहते थे। हालाँकि अकबर स्वयं इस्लाम को मनाता था, फिर भी उसने अन्य धर्मों को मानने और परचार करने की पूरी आज़ादी दी हुई थी। दीन-ए-इलाही, अकबर द्वारा प्रशासित एक धर्म, जिसमें कई धर्मों के कई बुनियादी सिद्धांतों को दर्ज किया था, अकबर के उदारवाद का गवाह है।

डा. बी.आर.अम्बेडकर: ''धर्म में भक्ति आत्मा ही मुक्ति का एक साधन हो सकती है लेकिन राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा विनाश के माध्यम से तानाशाही की ओर ले जाती है।''

पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह (1780 से 1839) के शासनकाल का उदाहरण दिलचस्प है क्योंकि महाराजा एक सिख शासक थे लेकिन उन्होंने जिस पंजाब पर शासन किया, उसमें केवल 19 से 12 प्रतिशत आबादी सिख थी और महाराजा का दरबार और सेना में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले उच्च पदों पर तैनात थे। सिर्फ यहीं तक ही नहीं, बल्कि यूरोपीय मार्शल आर्ट सिखाने के लिए यूरोपीय नस्ल के अधिकारियों को भी महाराजा की सेना में शामिल किया गया था और तत्कालीन 'सिखराज' में ऐसी कोई नकारात्मक सांप्रदायिक घटना नहीं हुई थी जिसे इतिहास में एक नकारात्मक घटना के रूप में दर्ज किया गया हो।

जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो उन्होंने भारत के मुख्य धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाना अपनी नीति बना ली। अंग्रेज़ों की इत कूटनीतिक नीति का परिणाम यह हुआ कि बाद में भारत दो भागों में विभाजित हो गया और न केवल भारत विभाजित हुआ बल्कि लाखों लोक धार्मिक कट्टरता का शिकार हुए, बेघर हुए और अनेक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आजादी के बाद भारत का संविधान तैयार किया गया, संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा ताकि भविष्य में भारत को सांप्रदायिकता की समस्या का सामना न करना पड़े। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने और अपनी इच्छानुसार पूजा-अर्चना और भक्त करने की आज़ादी दी गई।

इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी भारत अभी तक इस समस्या से उबर नहीं पाया है। धर्म के नाम पर भारतीय समाज का बंटवारा अपने आप में तो कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो यह स्थिति खतरा पैदा करती है। ऐसी स्थिति के कारण ही भारत के कई दंगे हो चुके हैं।

कभी-कभी राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक भागों को धार्मिक रंग दे दिया जाता है जिससे समाज में एक-दूसरे धर्म के प्रति नफरत और प्रतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि दिसंबर 1992 में एक धर्म के लोगों को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए एक धर्म के लोगों को उकसाया गया था। इसी परकार 1984 में सिख साम्प्रदायिकता का शिकार हो गये। 1998में जयपुर और अजमेर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए और 1998-99 में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में ईसाइयों का सांप्रदायिक दंगों में नुकसान उठाना पड़ा।

साम्प्रदायिकता की समस्या का एक और कारण यह है कि जब किसी विशेष धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा देने का प्रयास किया जाता है। राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण देने तथा अन्य धर्म के लोगों को उस विशेष

धर्म में शामिल होने के लिए मजबूर करने से समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म के विचारों पर संकट की प्रवृत्ति भी सांप्रदायिक समस्या को जन्म देती है। कभी–कभी एक धार्मिक समूह दूसरे धर्म कते विरूद्ध अपनी माँगें उठाने लगता है। इस प्रक्रिया में, जब राजनीतिक सत्ता किसी विशेष धर्म का पक्ष लेती है तब स्थिति और ख़राब हो जाती है।

सांपरदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस विचार के अनुसार, जो लोग किसी विशेष धर्म में विश्वास करते हैं वे एक ही समुदाय के होते हैं। उनके मूल हित भी एक सामान होते हैं। इस समुदाय के आपसी मतभेदों का इनके सामुदायिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। इस सोच में एक बात और शामिल है कि एक अलग धर्म के लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं होते। यदि विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कई समानता है तो वह केवल सतही हो होती है। विबिन्न धर्मों के लोगों के हितों का विरोद तो होता ही है, उनके हितों में टकराव भी होता है। जब साम्प्रदायिक सोच का दायरा बढ़ने लगता है तो यह विचार उत्पन्न होने लगता है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही राष्ट्र में समान स्तर पर नागरिक के रूप में नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार अन्य धर्मों के लोगों को तथाकथित बहुसंख्यक धर्म के अनुयायियों के अधीन रहना पड़ेगा।

यह मान लेना भी गलत है कि किसी धार्मिक समुदाय के लोगों के हित और अपेक्षाएँ सभी मामलों में समान हैं। यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में विभिन्न भूमिकाएँ निभाता हो और प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग व्यक्तित्व और पहचान होती है। हर समुदाय में अलग–अलग विचारों वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र में इन सभी को अपनी बात कहने का अदिकार होता है। इसलिए, किसी धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर–धार्मिक मामले पर एक ही राय रखते देखना उस समुदाय की अलग–अलग आवाज़ों को दबाना होगा।

राजनीति में साम्प्रदायिकता अनेक रूप धारण करती है। जैसे :

- **राजनीतिक दलों का धार्मिक आधार पर निर्माण (Religious Basis of Political Parties)** – भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भारत में कई राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर ही हुआ है। ये पार्टियों भी भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। एक धर्म विशेष पर आदारित ये पार्टियों केवल अपने धर्म के लोगों को कल्याण को ही महत्व देती हैं। ऐसी पार्टियों राष्ट्रीय मुख्यधारा से दूर हो जाती हैं। ये पार्टियों राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में असमर्थ हैं। ऐसी पार्टियों मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं। ऐसी पार्टियाँ चुनाव जीतने के लिए धार्मिक गुरुओं का समर्थन पाने की कोशिश करती हैं। कई धर्म गुरु भी ऐसी पार्टियों का समर्थन करते भी हैं, लेकिन ऐसी राजनीति समाज में संघर्ष और नफरत की भावना पैदा करती है। अधिकांश समय यह शिव सेना, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी जैसे भयानक परिणामों को जन्म देती है।
- **अल्पसंख्याकों की राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग होने की प्रवृत्ति** – भारत में अल्पसंख्यकों की हमेशा शिकायत रही है कि बहुसंख्यक धर्म द्वारा उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। भारत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें अल्पसंख्यक धर्मों से जुड़े धार्मिक स्थलों पर हमले हुए हैं

और अल्पसंख्यक लोगों की जान गई है। ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक लोग खुद को असुरक्षित मानकर राष्ट्रीय मुख्यदारा से अलग हो जाते हैं और अक्सर अपने लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगते हैं।

- **धार्मिक असहनशीलता में वृद्धि** – भारत में कुछ लोगों में धार्मिक कट्टरता इतनी अधिक है कि ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में छोटे से छोटे विषय को भी धार्मिक रंग दे देते हैं। राजनीतिक दलों के नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। इस कार्य के लिए भोले-भाले लोगों की धार्मिक भावनाएँ भड़काई जाती हैं। उनमें डर की भावना पैदा हो जाती है कि वे लोग और उनका धर्म खतरे में है और धर्म के कारण उन लोगों के साथ धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे विचार ही भारतीय लोगों में धार्मिक असहनशीलता बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। धार्मिक संकीर्णता लोगों को केवल हिंदू, मुस्लिम या सिख दृष्टिकोण से देखने पर मज़बूर करती है।

- **राजनीति का साम्प्रदायिकीकरण** – भारतीय राजनीति का एक हद तक साम्प्रदयिकीकरण हो चुका प्रतीत होता है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने देश के लिए नई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिल विवाद एक विदायी विवाद है लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरह से सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप दे दिया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता हावी हो गई है। धर्म आधारित राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलों का संकीर्ण एवं साम्प्रदायिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं तथा भारतीय राजनीति के साम्प्रदायिकीकरण के लिए उत्तरदायी हैं।

- **धार्मिक दबाव समूहों का गठन** – दबाव समूह से अर्थ उन लोगों के संगठन से है जिनके समान हित हों। इन समूहों के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। भारत में धर्म के आधार पर कई दबाव समूह अस्तित्व में आ गये हैं, जो सरकार की कार्यप्रणाली को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। कभी-कभी विभिन्न दर्मों से संबंधित ऐसे दबाव समूह संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं जिसमें सरकार को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। यदि सरकार एक धार्मिक समूह की मांग मान लेती है तो दूसरा धार्मिक समूह उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देता है। कभी-कभी इसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं जिससे राष्ट्रीय हित को भारी क्षति पहुँचती है। भारत में कुछ प्रमुख धार्मिक समूह इस प्रकार हैं – आर्य समाज, गौहत्या विरोधी दल, मुस्लिम लीग, जमीयत-ए-इस्लामी, सिख फोरम, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, एंग्लो भारतीय संघ।

- **मतदान व्यवहार को प्रभावित करना** – भारतीय राजनीति में धर्म मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक रुचि वाला है। धर्म भारतीय लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के बीच भावनात्मक संबंध होता है, भले ही उनकी जाति अलग-अलग हों। चुनाव के समय आमतौर पर एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म क`उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं। इसका फायदा राजनीतिक पार्टियां भी उठाती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जिस धर्म के लोग बहुसंख्यक रहते हैं।

राजनीतिक दल उस क्षेत्र में उसी धर्म के उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं।

भारत और पंजाब में विभिन्न धार्मिक समूहों की जनसंख्या-2011

भारत			पंजाब		
क्रम	**धर्म**	**फीसदी**	**क्रम**	**धर्म**	**फीसदी**
1.	सिख	1.72%	1.	सिख	57.7%
2.	बौद्ध	0.7%	2.	हिंदू	38.5%
3.	मुस्लिम	14.2%	3.	ईसाई	1.3%
4.	ईसाई	2.30%	4.	मुल्स्मि	1.9%
5.	हिंदू	79.8%	5.	अन्य	1.3%

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक बार में एक या दो शब्दों में दें-

(1) सामाजिक वर्गीकरण के कारक क्या हैं ?

(2) किस पड़ोसी देश के साथ अंग्रेज़ों को सामाजिक विबाजन की कठिनाई का सामना करना पड़ा ?

(3) यूगोस्लाविया के सामाजिक विभाजन का आधार कौन से दो कारक थे ?

(4) **महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 'सिख राज' में कौन सा तत्व गायब था ?**

(i) न्याय व्यवस्था (ii) सांपरदायिक विभाजन

(iii) सांस्कृतिक गतिविधियाँ (iv) यूरोपीय जाति के अधिकारी

(5) **दीन-ए-इलाही किस राजा की उदार नीति का प्रमाण है ?**

(i) औरंगजेब (ii) अशोक

(iii) सिराज-उद-डोला (iv) अकबर

(6) **निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकसभा चुनाव नहीं हुए ?**

(i) 2004 (ii) 2009

(iii) 2011 (iv) 2014

(7) **ईसाइयों के विरुद्ध सांप्रदायिक हिंसा किस राज्य में हुई ?**

(i) उड़ीसा (ii) केरल

(iii) राजस्थान (iv) मणिपुर

(8) समाज के सामाजिक विभाजन के आधार का कोई एक पहलू लिखिए।

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें-

(1) उन अन्य गतिविधियों के नाम बताइए जो एक सामान्य क्षात्र दिन भर में करता है।

(2) लोकतंत्र को समझने के लिए मन में उठने वाले कोई दो प्रश्न बताइए।

(3) जनता की मागों के प्रति सरकार का रवैया सामाजिक विभाजन को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

(4) जातिगत दबाव समूह क्या हैं ?

(5) नारीवाद क्या है ?

(6) क्या राजनीतिक दल भी धर्म के आधार पर बनते हैं ?

(ग) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें-

(1) पुरुष प्रधान समाज या नारीवाद के प्रति अत्यधिक झुकाव दोनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। कैसे ?

(2) भारतीय राजनीति का एक पहलू यह भी है कि सियासत जाति पर आधारित है, आप सहमत है या नहीं, कारण बतायें।

(3) सामाजिक रूप से विभाजित समाज के किन्हीं तीन पहलुओं को विस्तार से लिखिे।

(घ) निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

भारतीय विधान मंडलों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। लोक सबा की तुलना में विधानसभाओं में यह संख्या और भी कम है। जब हम भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या की तुलना अन्य देशों की संसद से करते हैं तो पता चलता है कि भारत इस मामले में बहुत पीछे है। यह निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है।

भारत में कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होते हैं, जिनमें से पहली लोकसबा में 22 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गईं। इसी प्रकार, दूसरी लोकसभा में 27, तीसरी लोकसभा में 34, चौथी लोकसभा में 31, पांचवीं लोकसभा में 22, छठी लोकसभा में 19, सातवीं लोकसभा में 28, आठवीं लोकसभा में 44, नौवीं लोकसबा में 27, दसवीं लोकसभा में 38, ग्यारहवीं लोकसभा में 39, बारहवीं लोकसभा में 43, तेरहवीं लोकसभा में 49, चौदहवीं लोकसभा में 45, पंद्रहवीं लोकसभा में 59, सोलहवीं लोकसबा में 62 और सत्रहवीं लोकसभा में 79 महिलाएं इस सदन में निर्वाचित हुई।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) किस लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे कम थी ?

(ii) किस लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी ?

(iii) किस लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या समान है ?

(iv) किस लोकसभा से महिला सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ी है ?

(v) क्या आपके अपने लोकसभा क्षेत्र से कभी कोई महिला सदस्य जीते है ? यदि हां तो उनके नाम लें।

पाठ-2

लोकतंत्रः राजनीतिक सत्ता में भागीदारी/सत्ता में साझेदारी

(Democracy : Power Sharing/Formation)

कक्षा 9 में हमने लोकतंत्र के लिए सदियों से चले आ रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा शासन प्रमाली के रूप में उभरी है, लेकिन लोकतंत्र को हासिल करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा है।

नौवीं कक्षा में आपने चिली, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों में लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए संघर्ष को समझा है। मानवीय स्वतंत्रता, आत्म-सम्मान की भावना, अधिकारों का अस्तित्व, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक दमनकारी या मनमानी सरकार का शांतिपूर्ण प्रतिस्थापन है। लोकतंत्र की कुछ खास और अनोखी निशानियां हैं।

अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के प्रसिद्ध शब्द हैं ''लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए द्वारा और जनता द्वारा शासन है।''

प्रे सीले - ''लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है।''

लोकतंत्र की विशिष्टता इस तथ्य में है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को इसमें भागीदार मानता है। शक्ति या सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। यहां तक कि जो लोग शासन करते हैं वे भी बहुत लंबे समय तक सत्ता पर अपनी पकड़ कायम नहीं रख पाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में शासन की सभी शक्तियाँ एक ही अंग में निहित न होकर सरकार के विभिन्न अंगों में वितरित होती हैं। शक्तियों के विभाजन या पृथक्करण के सिद्धांत का प्रयोग लोकतंत्र की पहचान माना जाता है।

सरकार के तीन अंग - विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका-कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है जबकि न्यायपालिका-कानून की सही व्याख्या करने के साथ-साथ उसकी रक्षा भी करती है।

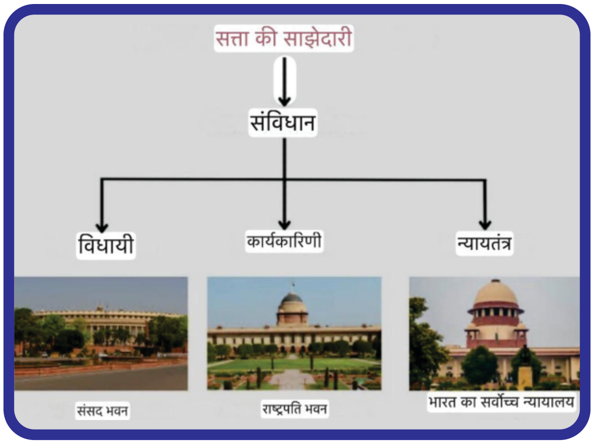

सत्ता (हुकूमत) की साँझेदारी में शामिल संसथाएं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्याये पालिका

आप जरा सोचो-

- **सरकार की सभी शक्तियाँ एक ही अंग (केंद्रीकृत) के पास क्यों नहीं होनी चाहिए ?**

बेल्जियम यूरोप महाद्वीप पर एक छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रपल शायद भारत के छोटे राज्य के बराबर है। सवा करोड़ की आबादी वाले इस देश में 59 प्रतिशत लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और वे डच (Dutch) भाषा बोलते हैं, जबकि 40% लोग विलोनियां में रहते हैं जो फ्रांसीसी (French) भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, लेकिन देश की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। बहुत कम लोग डच भाषा का प्रयोग करने वाले है। फ्रांसीसी भाषी अमीर और शक्तिशाली हैं और राजनीतिक शक्ति पर भी नियंत्रण रखते हैं। लेकिन देश में बहुसंख्यक होने के नाते डच भाषी लोग अपने विकास के लिए राजनीतिक साझेदारी की मांग करते हैं। भाषाई मतभेदों ने सामाजिक तनाव का रूप ले लिया। और दोनों के हितों के बीच तनाव रहने लगा।

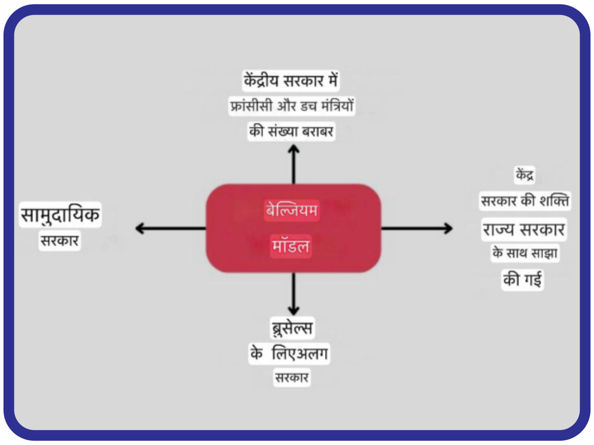

बैल्जियम में लागू किया सत्ता की साँझेदारी का मोडल

लेकिन बेल्जियम के नेताओं की सूझबूझ के कारण उन्होंने दोनों भाषाओं के बीच तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए संविधान में कई बार बदलाव किए और केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर करने के लिए कई नए बदलाव किए। ब्रुसेल्स में सरकार में दोनों पार्टियों की भागीदारी है। इसके अलावा, जहाँ भी डच और फ्रांसीसी भाषी लोग रहते थे, वे अपनी स्थानीय सरकार भी चुनते थे जो उनकी शिक्षा, संस्कृति और भाषाई मामलों पर निर्णय ले सकती थी। केंद्र सरकार की कुछ शक्तियाँ राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई. ये राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि बेल्जियम की बुद्धिमता और केंद्रीय संघीय सरकार द्वारा राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का वितरण और निर्णय लेने में दोनो भाषाओं के लोगों की भागीदारी ने देश को गृहयुद्ध से बचा लिया। यही कारण है कि देश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा।

आप जरा सोचो-

- **यदि बेल्जियम सरकार ने सत्ता साझेदारी के विचार को लागू नहीं किया होता तो क्या होता..... ?**

इसलिए किसी भी देश में शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के लोग किस हद तक राजनीतिक प्रणाली में भाग लेते है और संवैधानिक रूप से यह निर्धारित किया गया है कि विभिन्न भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद किसी भी समुदाय के मन में अलगाव की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। उच्च स्तर की जनभागीदारी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को उचित दिशा दे सकती है। जनभागीदारी के कुछ चरण इस प्रकार हो सकते हैं-

- वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना
- चुनाव में भाग लेना और प्रतिनिधि बनना
- सरकारी कार्यों में रुचि
- सरकार के अलोकतांत्रिक कार्यों की आलोचना की
- राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के सदस्य बनना

रैलियाँ, बैठकों और विभिन्न राजनीतिक मंचों पर विचार व्यक्त करना और विचार सुनना ये सभी तथ्य जनबागीदारी के संकेत हैं। जनभागीदारी से सत्ता में भागीदारी का एक और उदाहरण हम श्रीलंका से लेते हैं–

भारत के दक्षिणी तट पर स्थित पड़ोसी राज्य श्रीलंका, जिसकी आबादी मात्र 2 करोड़ है, हरियाणा राज्य के करीब है। दक्षिण एशियाई देश होने के नाते, मतभेद काफी स्पष्ट थे। यहां सबसे बड़ी संख्या लगभग 75% सिंहली और लगभग 18% तमिल लोगों की है। तमिल भी 2 प्रकार के होते हैं – एक श्रीलंका के मूल निवासी तमिल लोग और कुछ प्रतिशत भारतीय मूल और तमिल निवासी जो चाय बागान के काम के कारण लंबे समय तक वहां बस गे। अधिकांश सिंहली बौद्ध हैं जबकि तमिल मुस्लिम और हिंदू धर्म को मानते हैं। श्रीलंका में धार्मिक मतभेद और भाषाई मतभेद के कारण राजनीतिक प्रभुत्व (Dominance) के लिए संघर्ष शुरू हो गया।

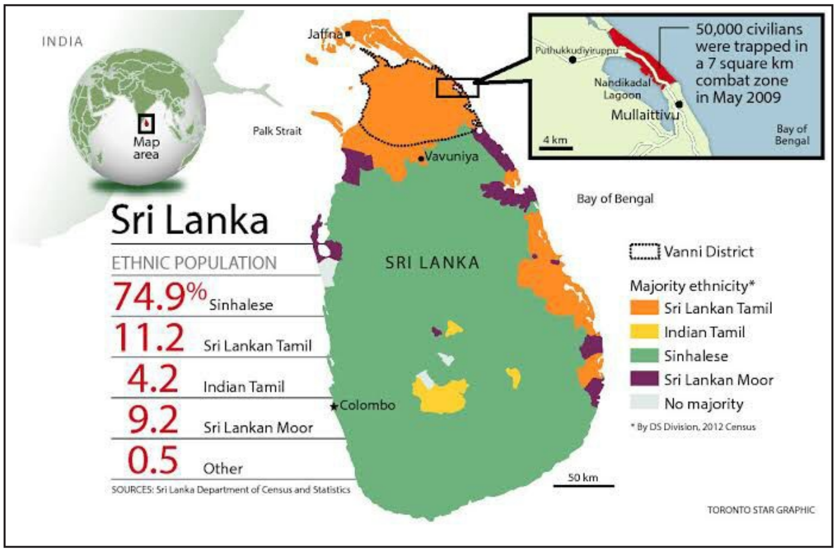

श्री लंका में अलग-अलग नसली भाईचारे की

1948में जब श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना, तो बहुसंख्यक होते हुए सिंहली लोगों ने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। परिणामस्वरूप, केवल सिंहली भाषा आधिकारिक तौर पर सरकारी भाषा घोषित की गई। महाविदव्यालयों, विश्वविद्यालयों में केवल सिंहली भाषा को ही प्राथमिकता दी गई, सरकारी नौकरियों में भी इसी आदार पर प्राथमिकता दी जाने लगी, क्योंकि सिंहल लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसीलिए देश का धर्म भी बौद्ध धर्म ऐलान दिया गया।

लिट्टे (LTTE) – लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को तलिम टाइगर्स (शेर) के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियारबंद संघर्ष वाला संगठन श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में 5 मई 1976से 18मई 2009 तक सक्रिय था। यह संगठन सिंहल द्वारा तमिलों के शेषण के विरुद्ध उभरा। लिट्टे के प्रमुख नेता वेल्हापलाई प्रभाकरन ते जो तमिलों के लिए एक अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ''सिंहली'' श्रीलंका में तमिलों को समान नागरिक नहीं माना जाता।

परिणामस्वरूप, तमिल लोगों में नौकरी पाने, धर्म को मान्यता देने और अपनी तमिल भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सिंहली के खिलाफ आंदोलन और संघर्ष शुरू हो गया। तमिल लोग एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग करने लगे, उन्होंने कई राजनीतिक दल बनाकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप देश में काफी हिंसक एवं हथियारबंद संघर्ष प्रारंभ हो गया। और देश की आंतरिक शांति भंग हो गई और गृहयुद्ध की स्थिति आ गई. कई लोग बेघर हो गए और कई लोग मारे गए। लोकतंत्र को बड़ा झटका पहुँचा।

- **श्रीलंका** - सार्क (SAARC-दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) संगठन का सदस्य है। श्रीलंका के अलावा, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान भी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यह देश भारत के दक्षिण में है और भारत का इसके साथ सदियों पुराना रिश्ता है। श्रीलंका भी गुटनिरपेक्ष देशों के समूह का सदस्य है।
- श्रीलंका में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत ने, Indian Peace Keeping Force - 1987 के समझौते के तहत भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा।
- श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन का नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) है।

इस प्रकार तमिल लोगों को अधिकार प्राप्त करने और शासन/सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हिंसक संघर्ष करना पड़ा।

यदि श्रीलंका के नेता बी बेल्जियम की तरह समझदारी और बुद्धिमता से काम लेते और सिंहली और तमिल लोगों को शासन में सामान भागीदारी सौंप देते तो देश में गृहयुद्ध नहीं होता और देश आतंकवादी गतिविधियों के भयानक परिणामों से बचाया जा सकता था। दोनों देशों ने सत्ता साझेदारी की समस्या को अलग-अलग तरीकों से हल किया। सरकार के विभिन्न स्तरों पर बेल्जियम शैली के संवाद (बातचीत) से तमिल लोगों को उनका उचित अधिकार दिलाकर वास्तविक भाईचारे का प्रमाण दिया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका।

सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है ?
(Why Power Sharing is Necessary)

1. शासन में शक्ति आवश्यक है, क्योंकि इससे विभिन्न वर्गों के बीच शक्ति का वितरण करता है।
2. टकराव/संघर्ष तनाव को जन्म देता है और हिंसा, अस्तिरता को जन्म देती है।
3. शासन में सभी की उचित भागीदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है।
4. शक्तियों का विभाजन सामूहिक निर्णय लेने का अधिकार देता है और बहुमत के अत्याचार को रोकता है।
5. राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से लोग, राजनीतिक प्रणाली और देश से जुड़ते हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में शासन में भागीदारी लागू करने के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। अलग-अलग देशों में इनका स्वरूप या विशेषताएं कुछ हद तक भिन्न हो सकती हैं, फिर भी इनमें कुछ बुनियादी तत्या या विशेषताएं समान हैं जो इस प्रकार हैं-

1. **मतदान के माध्यम से भागीदारी (Participation through Voting)**- विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार प्रचलित है। इसमें होने वाले नियमित चुनावों में लोग अपने वोट से

सरकार चुनते हैं। प्राचीन काल में राजा केवल राजतंत्र में ही शासन करता था जिसके कारण एक निस्चित अवधि के बाद सरकार को बदलना कठिन होता था। लेकिन लोकतंत्र में सरकारें एक निस्चित समय तक राज्य चलाती हैं। सरकार को अपनी वैधता (Legitimacy) प्राप्त करने के लिए लोगों के वोट प्राप्त करने होते हैं। बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी/दल नई सरकार बनाते हैं जो लोगों की भागीदारी से संभव है।

चुनाव के मौके कुछ वोटर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर गौरवित होते हुये

2. **विभिन्न जाति, संप्रदाय, भाषाई समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी** – शक्ति के वितरण और सत्ता के वितरण के लिए समाज में प्रचलित विभिन्न समूह, चाहे वे जाति, भाषा या किसी भी धर्म से संबंधित हों, उनकी शासन में हिस्सेदारी की जा सकती है। समाज में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करके उन्हें भी शासन में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि बेल्जियम में भाषा के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विधानपालिका में सीटें आरक्षित की जाती हैं ताकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में किया जा सके।
3. **राजनीतिक दलों, हित और दबाव समूहों के माध्यम से शक्ति की साझेदारी** – अलग-अलग विचारों के आधार पर बने राजनीतिक दल जहां एक-दूसरे की तानाशाही को रोकते हैं, वहीं लोगों को सरकार बदलने का विकल्प भी मिलता है। राजनीतिक दलों के साथ-साथ, हित और दबाव समूह चाहे वे श्रमिक के हों, छात्र के हों या उद्योगिपति के हों, महिलाएँ के हाँ या पेशेवर समूह हों अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शासन/सत्ता में अपना अधिकार चाहते हैं। समाज में चलने वाले विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी वा्तव में राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभाव डालकर निर्णयों को अपने पक्ष में बदलने का प्रयास करते हैं। चुनाव के माध्यम से शक्ति एक दल से दूसरे दल को हस्तांतरित की जाती है।
4. **पंचायती राज और शहरी (स्थानीय) लोकतंत्र** – स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र लाने के लिए 1992 में 73वां संवैधानिक संशोदन किया गया, जो ग्रामीण स्तर पर सरकार (पंचायत) बनाने के लिए एक बड़ा कदम था। संविदन के इस 73वें संशोधन के साथ ही 74वां संशोधन भी बनाया गया जो शहरी लोकतंत्र से संबंधित है।

- भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों का प्रावधान किया गया है।
- भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कई प्रावदान हैं।
- भारत में महिलाओं और अनुसूचित जातियों को शासन में भाग लेने के लिए सरकार में सभी स्तरों पर उनके लिए स्तान आरक्षित किये गये हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

- भारत में एक केंद्र सरकार और 28राज्य सरकारें हैं।
- भारत के केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी में भी अपनी विधान सभाएँ गठित की गई हैं।
- ग्राम स्तर पर पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषदें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्य करती हैं।
- परिवर्तनशील क्षेत्रों (गाँवों से शहरों में बदलते हुए) में नगर पंचायतें, सामान्य शहरों के लिए नगर पालिकाएँ और बहुत बड़े शहरों के लिए नगर निगम स्थापित किए गए हैं।
- सूचना का अधिकार (Right to information 2005), के अनुसार, सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी मामलों की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के माध्यम से शासन में भागीदार बनाया जाता है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के माध्यम से 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

गतिविधि (Activity) :

- अपने विद्यालय पर नज़र डालें और देखें कि विद्यालय में कार्य कैसे और किस स्तर पर विभाजित हैं। काम किस किस के पास है ?
- इसी प्रकार अपने गांव, शहर के प्रशासन पर चर्चा करें कि किस संगठन या अधिकारी के पास प्रशासन चलाने या निर्णय लेने की शक्ति है।
- क्या आपकी कक्षा का मॉनिटर हर महीने बदलता है ? क्या आप समय-समय पर मॉनिटर बनना चाहते हैं ? यदि हां, तो चर्चा करें कि क्या यह क्रिया कक्षा को व्यवस्थित करने की साझेदारी की उदाहरण है या नहीं ?

निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि लोकातंत्रिक संरचना की जीवनधारा लोग हैं। जितने अधिक लोग राजनीतिक दलों, हित समूहों और विभिन्न संगठनों के रूप में शासन में भाग लेंगे, या कहें कि जितनी अधिक शासन में भागीदारी और हिस्सेदारी होगी, उतना ही अधिक लोकतंत्र उभरेगा। शक्तियों का विभाजन ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकता है।

सत्ता का विकेंद्रीयकरण या संघवाद (Decentralisation/Federalism)

सत्ता की भागीदारी के इस अध्याय के अंतर्गत, हम पढ़ते हैं कि सत्ता में भागीदारी, या शासन में अधिक नागरिक भागीदारी का उद्देश्य मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों पर सरकार का गठन करना है और विभिन्न विपरीत भाषाई या क्षेत्रीय समूहों को उचित प्रतिनिधित्व देकर पूरा किया जा सकता है। हम सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियाँ के विभाजन के इस रूप को संघवाद कहते हैं।

इस अध्याय में हम संघवाद की आवश्यक विशेषताओं, शक्तियों के विभाजन, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा के दौरान हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि विकेंद्रीकरण किस हद तक राजनीतिक भागीदारी के उद्देश्य को पूरा करता है।

संघवाद क्या है (What is Federalism) ?

इस अध्याय के पिछले भाग में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के शासन के बीच अंतर देखा है। बेल्जियम ने बुद्धिमता से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। हालाँकि इससे पहले भी बेल्जियम में प्रांतीय सरकारें थीं लेकिन शक्तियां और अधिकार स्वतंत्र रूप से उनके पास नहीं थे। फिर भी, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से, शक्तियों को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया अर्थात बेल्जियम ने एक संघीय ढांचे को अपनाया।

इसके विपरीत, श्रीलंका में सभी शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार, यानी एकात्मक संरचना में निहित थीं। देश के तमिल लोग संघीय ढाँचा स्थापित करना चाहते थे।

संघीय शासन के तहत- देश की सर्वोच्च शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि देश का शासन प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश की संयुक्त सरकार होती है, इसलिए राष्ट्रीय महत्व के मामले इसके पास होते हैं, जबकि प्रांतीय सरकारें दिन-प्रतिनिद के कार्यों और अपने राज्य से संबंधित मामलों पर काम करती हैं।

इसके विपरीत, एकात्मक शासन में शासन का केवल एक ही स्तर होता है। अन्य इकाइयाँ उसके अधीन कार्य करती हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को निर्देश दे सकती हैं और राज्य सरकारें उनका पालन भी करती हैं।

- संघीय सरकार पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में शुरू की गई थी।
- संघवाद को अंग्रेज़ी में फ़ेडरलिज़्म (Federalism) कहा जाता है। जिसका जन्म लैटिन शब्द फ़ोइडस (Foedus) से हुआ है। लैटिन भाषा में फ़ॉइडस का अर्थ संधि या समजौता होता है।

मोंटेस्क्यू के शब्दों में "संघीय सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके तहत कई समान राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत होते हैं।"

प्रोफेसर डाइसी के अनुसार, संघीय राज्य एक राजनीतिक योजना का परिणाम है, जिसका कार्य राष्ट्रीय एकता और प्रांतीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है।

संघ निर्माण की विधियाँ अथवा संघ के प्रकार

1. **केंद्र मुखी (Coming together Federation)** - इस विधि को एकीकरण को विधि कहा जाता है। जिसके माध्यम से कुछ स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर अपने भीतर एक नया राज्य बनाते हैं और संप्रभुता शक्ति उस नए राज्य के पास आ जाती है। राज्यों के महत्व के विषय राज्य सरकारों के पास हैं और राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सत्ता के पास होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्डरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी संघीय संरचना है।
2. **विकेंद्र मुखी (Holding together Federation)** - जब कोई बड़ा देश अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से देश को इकाइयों में विभाजित करता है। संप्रभुता केंद्र और राज्यों दोनों के पास हों, लेकिन देश से संबंधित कानून बनाने की सक्ति केंद्र अपने पास रखें तथा स्थानीय और राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रांतीय या राज्य सरकारों के पास हो, तो

ऐसी व्यवस्था को विकेन्द्र मुखी कहा जाता है। भारत, कनाडा, बेल्जियम और स्पेन जैसे देश ऐसी व्यवस्था के उदाहरण हैं।

गतिविधि (Activity) :
अपने शिक्षक की सहायता से या इंटरनेट का उपयोग करके विश्व के संघीय देशों के नाम लिखिए और यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि उनमें उपरोक्त किस प्रकार की संघीय संरचना है।

संघीय सरकार को कैसे पहचानें ?

संघीय सरकार को जानने और पहचानने के लिए किसी देश की व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए–

1. संघीय शासन में, सरकार गठन दो स्तर पर होता है, अर्थात केंद्र और राज्य स्तर पर।
2. प्रशासन को अधिक सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से स्थानीय सरकारें भी स्थापित की जाती हैं।
3. विभिन्न स्तरों पर सरकारें संविधान में लिखे कानूनों के आधार पर शासन करती हैं और संविधान में लिखे नियमों के अनुसार वित्तीय शक्तियों का वितरण भी किया जाता है।
4. देश का संविधान लिखती होना चाहिए ताकि शक्तियों के वितरण को लेकर केंद्र और राजा के बीच संघर्ष की संभावना कम हो।
5. देश का संविधान सर्वोच्च होगा और सरकार के दोनों स्तर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन करेंगे।
6. देश की सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों के बीच आपसी सहमति और सहयोग होगा, तभी देश का प्रशासन सुचारू रूप से चल सकेगा।
7. संघीय सरकार में शक्तियों और विषयों का विभाजन होता है, अर्थात जहां राष्ट्रीय महत्व और सुरक्षा के विषय केंद्र सरकार के पास होते हैं, वहीं प्रांतीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों हो होता है।
8. देश में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है ताकि केंद्र और राजा के बीच होने वाले झगड़ों या विवादों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक नियमों के अनुसार किया जा सके।
9. संविधान में संशोधन करने की शक्ति – केंद्र और राज्यों की सहमति पर आधारित होनी चाहिए।
10. केंद्र और राज्यों के संविधान भी भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हैं। भारत में एक ही संविधान के तहत भी दोनों सरकारों की शक्तियों की शोमिल किया जा सकता है।
11. आमतौर पर संघीय राज्यों में नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। नागरिक पहले उस राज्य के नागरिक होते हैं जहां वे रहते हैं और फिर वे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं।

छात्रा कुलविंदर कौर (हैरान होकर)– मैडम, मुझे समझ नहीं आता कि भारत सचमुच में एक संघीय राज्य है?

शिक्षक, हां, इन विशेषताओं के आधार पर आपका दुभिधा सही है, लेकिन इनमें से उन विशेषताओं का पता लगाएं जो भारत के संघ राज्य में हैं।

भारत में संघवाद (Federalism in India)

भारत विभिनताओं का देश है। बेल्जियम या श्रीलंका जैसे देशों में भले ही दो या तीन जातीय या भाषाई समूहों का सवाल रहा हो, लेकिन भारत में कई धर्म, नस्लें, अलग-अलग भाषाएं और अलग-अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। भारत की आज़ादी भी देश के विभाजन के बाद ही हुई। आजादी के बाद कई देशी रियासतों को स्वायतता प्राप्त थी जो अपनी शक्ति और स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर एकता बनाये रखना अत्यंत कठिन कार्य था।

इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ऐसी संरचना का चयन किया जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखे और विशाल देश के प्रत्येक राज्य में भाषा, संस्कृति, जाति और धर्म की विभिन्नता को बनाए रखे। इसीलिए भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई। संविधान में कही भी 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी शासन उन नियमों के आधार पर हैं, जो संघ को तरफ़ इसारा करते हैं। भारत में एक केंद्रीय सरकार, विभिन्न 28राजाओं की सरकारों और 8केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई है।

1. भारत में राज्यों के पास केंद्र की तुलना में बहुत कम अधिकार और शक्तियों हैं। भारतीय संघीय क्षेत्रों के पास भी अधिक शक्तियाँ नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को प्रबंधन करने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास है।

- केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र हैं जिन्हें सांस्कृतिक या राजनीतिक रूप से या आकार के कारण स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जा सकता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8है।
- भारत में 8केंद्र शासित प्रदेश हैं-

1. अंडमान और निकोबार, 2. चंडीगढ़, 3. दादरा और नगर हवेली और दमन और देव, 4. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-NCT), 5. जम्मू और कश्मीर, 6. लद्दाख, 8. लक्षद्वीप, 8. पुडुचेरी।
2. केंदर और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण हमारे संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसलि इसमें परिवर्तन या संशोधन के लिए संसद के दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत (जो मतदान कर रहे हैं) और संघीय संरचना में संसद का पूर्ण बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यो की अनुमति आवश्यक है।

- याद रखने योग्य - भारत के संविधान में त्रिस्तरीय संशोधन प्रक्रिया है, वह अनुच्छेद 368में निहित है।

3. हमारी न्यायपालिका भी संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात केंद्र और राजा के बीच विवादों का फैसला और शक्तियों का सही वितरण उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।
4. केंद्र और राज्य सरकारें नियमानुसार अपना-अपना टैक्स वसूलती हैं। केंद्रीय सरकार को संघ सूची के विषयों पर कर लगाने का अधिकार है जबकि राज्य सरकारें राज्य सूची के विषयों पर कर लगा सकती हैं। राज्यों (प्रान्तों) की सरकारों के पास धन की कमी के कारण - केंद्र सरकार सहायता अर्थात अनुदान (Grant) भी देती है।

छात्रो

सन् 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए जस्टिस आर.एस. सरकारिया के तहत एक आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों की व्याख्या की गई:- लोकसभा; पूरे देश के जन का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहाँ राज्य सभा; राज्यों का प्रतिनिधित्व करके राज्यों के हितों की रक्षा करती है।

संवैधानिक सूचियाँ (Constitutional Lists):

1. **संविधान के तहत तीन सूचियों का वितरण** – भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार को, स्तानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को और सामान्य महत्व के विषय दोनों सरकारों को सौंपे जाते हैं–

   1. **संघ सूची (State List)** – संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व वाले 97 विष्य शामिल थे परन्तू 42 वीं शोध के उपरान्त विषियों की गण्ना 98 हो गई है। ऐसे विषियों में सारे देशों में एस जैसे कानूनों की ज़रूरत है। इन विषियों में कानून बनाने का अधिकार केंद्रिय सांसद के पास है जैसे: विदेशी मामसे, सुरक्षा, बैंकिंग, रेलवे, डाक सेवा, जहाज़रानी, अन्तराष्ट्रीय संबंधीत समझोते, युद्ध आदि।
   2. **राज्य सूची (State List)** – राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66विषय थे, लेकिन 42 में संशोधन के बाद 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब राज्य सूची में विषयों की संख्या 62 है। प्रत्येक राज्य सरकार नियमानुसार इन 61 विषयों पर कानून बना सकती है। जैसे जेलें, सिया, निचली अदालतें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि आदि।
   3. **समवर्ती सूची (Concurrent List)** – समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे लेकिन 42वें संशोधन के बाद विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। सरकार के दोनों स्तर यानी केंद्र और राज्य इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों सरकारों के बीच कानूनी मतभेद के हालात में केंद्र सरकार का कानून ही लागू होगा। जैसे-विवाह, तलाक, समाचार, पत्र, खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट, उत्तराधिकार मूल्य नियंत्रण आदि।

   - विद्यार्थियों, याद रखें कि इन तीन सूचियों के बाद जो शक्तियाँ बचती हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ (Residury Powers) कहा जाता है और उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 248के अनुसार अवसिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं।
   - न्याय प्रशासन, शिक्षा, वन्य जीवन और जीवन का संरक्षण, नाप तोल जनसंख्या नियंत्रण इन 5 विषयों को 42वें संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ये पहले राज्य (प्रांतीय) सूची में शामिल थे।
   - **संघ सूची में एक नया विषय**– 'संघ सरकार द्वारा सशस्त्र शक्ति का प्रयोग' जोड़ा गया है। इसके अलावा अन्य 22 राष्ट्रीय भाषाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। एक भाषा के रूप में हिंदी को राज्यों पर थोपे जाने से रोका गया है। राज्य सरकारें अपना काम-काज अपनी राज्य भाषा में कर सकती हैं।

स्वतंत्र भारत के आगमन के बाद 1989 तक केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार थी और अधिकतर राज्यों (प्रांतों) में भी केंद्र शासित कांग्रेस सरकारें थीं, इसलिए राज्यों के स्वतंत्रता अधिकारों/शक्तियों पर विवाद नहीं हुआ लेकिन बाद में जब केंद्र और राज्यों (प्रांतों) में विभिन्न दलों की सरकारें बनने लगीं, तो केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विरोधी राज्य सरकारों को भंग करना शुरू कर दिया। उस समय राज्यों के राज्यपालों ने भी पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई और केंद्र-राज्य संबंधों में काफी कड़वाहट आ गई।

गतिविधि Activity :

1. स्वतंत्रता के समय भारत के राज्यों की गिनती बताइये।
2. भारत में 22 से 25, 25 से 28तक नये प्रांत कब अस्तित्व में आये।
3. बारत के 22 प्रांतों के बाद नव निर्मित प्रांतों के नाम लिखिए।
4. यह भी लिखें कि नवगठित प्रांत किस प्रांत से बने हैं।
5. कुछ बड़े शहरों के नाम लिखिए जिनके नाम बदल दिए गए हैं और उनके नए नाम भी लिखिए ?

विद्यार्थियों, उपरोक्त गतिविधि आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। आप अपने शिक्षक और इंटरनेट की मदद ले सकते हैं।

भाषाई नीति एवं भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन

देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत में प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। 1950 के दशक में कई पुराने प्रांतों की सीमाएँ बदलकर नये प्रांत बनाये गये। कई प्रांतों का गठन उनकी संस्कृति, जाति और भूगोल के आधार पर भी किया गया, जिनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड आदि प्रांत शामिल थे। एक भाषा बोलने वाले लोगों को कम से कम एक राज्य में साथ लाने का प्रयास किया गया।

भारत एक बहुभाषी देश है। हिंदी को सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में मान्यता दी गई और अंग्रेज़ी को भी सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में मान्यता दी गई। 1990 के बाद जब केंद्र सरकार में राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय दलों की संख्या और महत्व बढ़ने लगा तो कई राज्यीय दल केंद्र सरकार में भागीदार बनने लगे। आम तौर पर 1990 से 2009 तक केंद्र में गठबंधन सरकारें ही बनीं, जिनमें राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ कई क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। इसलिए राजनीतिक सत्ता में प्रांतीय सरकारों या क्षेत्रीय दलों की भागीदारी का युग शुरू हुआ। इस प्रावधान के साथ, केंद्र सरकार के राज्य सरकारों को इच्छानुसार भंग करने पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में संघीय ढांचा बेहतर ढंग से काम कनरे लगा।

भारत का सृन 1951 का प्रशास्निक विभाजन दिखाता मानचित्र

भारत का सन् 2019 के बाद का प्रशास्निक विभाजन दिखाता मानचित्र

स्थानीय सरकारें

भारत जैसे विशाल देश में, जहां उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की जनसंख्या अकेले यूरोप के कई देशों की जनसंख्या से अधिक है, वहां केंद्र और राज्यों के बीच काम और शक्तियों का बंटवारा होने के बाद भी काम अच्छा और सुचारू नहीं हो पाया था।

स्थानीय मामले, स्थानीय जरूरतों को पूरा करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय समस्याओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए, इन उद्देश्यों को पूरा करना और एक बड़े और लोगों को व्यापक लोकतंत्र की शिक्षा प्रदान करना स्थानीय सरकारों का मुख्य उद्देश्य है। अपने आसपास की राजनीति में भाग लेने के लिए, स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर हल करने के उद्देश्य से, भारत के संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोशन ग्रामीण स्तानीय लोकतंत्र के लिए 73वां संशोधन और शहरी स्थानीय लोकतंत्र के लिए 74वां संशोधन किए गए। सन् 1992 में पारित इन संवैधानिक संशोदन विधेयकों ने भारतीय लोकतंत्र में सबी लोगों की भागीदारी को बढ़ाया।

व्यवस्था या प्रावधान-

1. ग्रामीण स्थानीय लोकतंत्र के अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत होगी। कई गावों को एक साथ मिलाकर सभी ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और पूरे जिले के ब्लॉक जिला परिषद के तहत काम करने का प्रावदान है। पंचायती राज की इस संरचना को तीन स्तरों में बनाया गया- पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद।
2. गांवों के जैसे ही शहरी स्थानीय स्वशासन में, बहुत छोटे शहरों (यदि गांवों से कस्बों में बदल रहे हैं)

या परिवर्तनी क्षेत्र के लिए नगर पंचायतें, निम्न श्रेणी के कस्बों के लिए नगर पालिका और बहुत बड़े शहरों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई है।

छात्रो- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचायती राज की स्थापना के लिए संविधान में भाग 9 और 1 वीं अनुसूची और शहरी लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाग-9-ए और 12वीं अनुसूची को लागू किया गया है।

गतिविधि Activity - आपके गांव या शहर में स्थानीय सरकारों का चुनाव कब हुआ ? पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम में कितने सदस्य होते हैं ? निर्वाचित सदस्यों में कितनी महिलाएँ हैं ? अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं ? आपके क्षेत्र से लोकसभा राज सभा और राज्य विधानसभा का सदस्य कौन है ?

यह पूरी सूची बनाकर अपनी नोट बुक में लगाएं।

3. लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित विधायक (MP) या राज्य विधानसभा के निर्वाचि विधायक (MLA) को ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिकाओं और नगर निगमों की बैठक के दिन सदस्य (पद के कारण) माना जाएगा और वह उस संगठन के काम में सहयोग करेंगे।

4. सभी प्रकार के ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।

5. प्रत्येक प्रकार के स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 18वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक बाल्ग मतदान कर सकता है।

6. सितंबर 2018में पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई।

किसी गाँव की पंचायत के मैंबर गैर-रसमी मुलाकात करते हुये

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों से एक समय में दें-

(1) श्रीलंका के मूल निवासियों की भाषा क्या है और वे किस धर्म का पालन करते हैं ?

(2) बेल्जियम के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ कौन सी हैं ?

(3) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) संघ निर्माण की कौन सी दो विधियाँ हो सकती हैं ?

(5) केंद्र और राज्यों के संबंधों पर कौन सा आयोग गठित किया गया और उसका प्रमुख कौन था ?

(6) भारत के दो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं ?

(7) **निम्नलिखित का मिलान करें-**

कालम-1	**कालम-2**
(i) संविधान का 42वाँ संशोधन।	(य) ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारें
(ii) संविधान की 8वीं अनुसूची	(र) पंचायती राज और शहरी लोकतंत्र
(iii) संविधान का 73वां और 74वाँ संशोधन	(ल) संवैधानिक सूचियों में संशोधन
(iv) संविधान के भाग 9, 9-ए और 11वीं, 12वीं अनुसूची	(व) 22 राष्ट्रीय भाषाओं को मान्यता

(8) **इस सदी में भारत के कौन से क्षेत्र 8वें और 9वें केंद्र शासित प्रदेश बने ?**

(i) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (ii) दादरा और नगर हवेली

(iii) गोवा दमन और देव (iv) पुडुचेरी और चंडीगढ़

(9) **कौन सा देश सार्क (SAARC) का सदस्य है ?**

(i) म्यांमार (ii) तिब्बत

(iii) मेडागास्कर (iv) अफगानिस्तान

(10) **बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस संगठन का मुख्यालय है ?**

(i) संयुक्त रेखापुंज (ii) गाड क्रॉस

(iii) यूरोपीय संघ (iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय

(11) **भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1948में स्वतंत्र हुआ ?**

(i) पाकिस्तान (ii) श्रीलंका

(iii) बांग्लादेश (iv) नेपाल

(12) **सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) कब पारित हुआ ?**

(i) सन् 2005 (ii) सन् 2004

(iii) सन् 2006 (iv) सन् 2003

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें-

(1) लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं ?

(2) सार्क का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है ? इसमें कौन से देश शामिल हैं ?

(3) संघीय शासन व्यवस्था में किस स्तर पर कितनी सरकारें होती हैं ?

(4) भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक सूचियाँ कितने प्रकार की और कौन सी है य

(5) केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं ?

(6) भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार कब बनी और उसके प्रधानमंत्री कौन थे ?

(7) 1990 से 2009 तक देश में बनी गठबंधन सरकारों में से किन्हीं चार प्रधानमंत्रियों के नाम के लिए।

(8) लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनबागीदारी के तीन चरण कौन से हैं ?

(ग) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें-

(1) लोकतंत्र में जनता की भागीदारी के सिद्धातों के तहत श्रीलंका में तमिल समस्या का परिचय दें।

(2) लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है ? इसकी विशेषताएँ भी लिखिए।

(3) भारत के किन्हीं आठ केंदर शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों के नाम लिखिे।

(4) संघवाद क्या है ? इसके प्रकार क्या है ? उदाहरण सहित समझाइए।

(5) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संवैधानिक सूचियों पर विस्तृत नोट्स लिखें।

(6) भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भाषाओं और भाषाई नीति के आधार पर राज्यों के गठन पर एक नोट लिखें।

(घ) निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

भारत के संविधान में बुनियादी स्तर पर भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था जबकि संविधान के अनुच्छेद 14 और 32 में मौलिक अदिकारों का विस्तृत प्रावधान था। इन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), फ्रांस और पूर्व सोवियत संघ (USSR, जो अब रुस है) के संविधान के सबंधित अनुच्छेदों की तर्ज पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारत की संसद ने 1942 में 42वें स्वैधनिक संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया। ये मौलिक कर्तव्य भी पूर्व सोवियत संघ (USSR) जो अब रूस (Russia) है, के संविदान की तर्ज पर बनाए गए थे, इस संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि संविधान के 86वें संशोधन में ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इन कर्तव्यों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है- 1. संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, 2. उन सभी आदर्शों का सम्मान करना और उन्हें कायम रखना, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित किया 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता में विश्वास करना और उसकी रक्षा करना, 4. देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना, 5. धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठना, भारत के सभी नागरिकों के बीच सहयोग और समान भाईचारे की भावना विकसित करना और ऐसे रीति-रिवाजों का त्याग करना, जो विशेष रूप से स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो, 6. हमारी मिश्रित संस्कृति और शानदार विरासत का सम्मान और संरक्षण करना, 7. जंगली, झीलों, नदियों और जंगली जीवन जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की

रक्षा करना और सुधारना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सौम्य व्यवहार रखना, 8. अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक, मानवतावादी, जांच और सुधार की भावनाओं को विकसित करना, 9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्रीय प्रगति और सफलता के शिकर को प्राप्त किया जा सके और 11. देश के नागरिक माता पिता और अभिभावक बच्चों को ऐसे हालात और अवसर प्रदान करें ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय नागरिकों का किस प्रकार कर्त्तव्य है ?

(ii) क्या अंधविश्वासों में पड़कर खुद को लूटने से बचाना हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य है ?

(iii) यू.एस.ए. और यू.एस.एस.आर. का पूरा नाम क्या है य

(iv) संविधान में दो बार मौलिक कर्त्तव्य शामिल किये जाने में कितना समय था ?

(v) भारत के संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था ?

पाठ-3

लोकतंत्र में मुकाबला और टकराव

(Democracy ; Competition and Confrontation)

लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है औ जनता के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्.क्ष रूप से उत्तरदाई होती है। विभिन्न वर्गों की माँगों और परिस्थितियों के आदार पर सरकार के चुनाव का कोई भी तरीका अपनाया जाता है, जिसमें जनता के एक दल को वोटों के बहुमत के आदार पर विजेता माना जाता है और सबसे कम वोटों वाले दल को विपक्षी पार्टी माना जाता है। कभी-कभी सरकार के कोई निर्णय लेने से समाज के विभिन्न वर्गों के हित एक-दूसरे के विरुद्ध उभर आते हैं, जिससे प्रत्येक वर्ग सरकार के माध्यम से या विपक्ष के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। सरकार या माध्यस्थ द्वारा इस संघर्ष को दोनों पक्षों के साथ बातचीत और समझौते से सुलझाने का प्रयास किया जाता है ताकि दोनों पक्षों के लोकतांत्रिक अधिकार और हित बरकरार रहें। इस पाठ को हम खेलों में प्रतियोगिताओं का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, आप कई खेलों के बारे में जानते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो आदि।'' हॉकी के खेल में कई स्तरों पर प्रतियोगिताएँ होती हैं। जैसे ज़ोन स्तर, राज्य स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक स्तर पर भी हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इन प्रत्येक स्तर की प्रतियोगिताओं में कई टीमें भाग लेती हैं, यदि अधिक टीमें हों तो समूह बनाए जाते हैं। समूहों में से जो टीमें पहले आती हैं, फिर उनकी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। अंत में, दो टीमें बच जाती हैं, उनमें फाइनल प्रतियोगिता होती है।

लोकतंत्र की विषेशताएं; स्वतंत्रता, समानता, विभिन्नता, अधिकारों की रक्षा, लोक आवाज़, भागीदारी आदि दिखाता चित्र

ऐसे ही चुनावी दंगल में राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारते हैं। फिर उनकी जीत के लिए जोरदार अभियान चलाते हैं। यह कार्य राजनीतिक दलों के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। पार्टी पदाधिकारी आगे पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों का समर्थ हासिल करने का प्रयास करते हैं।

लोकतंत्र में मुकाबला और टकराव को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पंजाब विधानसभी चुनाव का उदाहरण लें। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब विधानसभा में 117 निर्वाचन क्षेत्र हैं। मान लीजिए तीन पार्टियां ए.बी और सी चुनावी मैदान में हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां आपको यह भी याद रखना होगा कि निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं।

अब तीन पार्टियां, ए.बी और सी अपने-अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। प्रत्येक पार्टी अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता के सामने रखती है और दावा करती है कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ वहां पार्टी कर सकता है। प्रत्येक पार्टी जनता का समर्थन हासिल करने के लिए उनसे तरह-तरह के वादे भी करती है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाने की दावेदार होगी। स्पष्ट बहुमत का मतलब कुल सीटें के आधे से अधिक है, इसलिए जिस पार्टी को 117 सीटों में से कम से कम 59 सीटें मिलती हैं और पार्टी के विजेता घोषित किया जाता है। मान लीजिए पार्टी A के 35 उम्मीदवार जीतते हैं और पार्टी B के 20 उम्मीदवार जीतते हैं, C पार्टी के 62 उम्मीदवार जीतते हैं, तो पार्टी C को बहुमत मिलेगा। यह पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अन्य दोनों पार्टियाँ विपक्षी दलों की भूमिका निभायेंगी।

उम्मीदवारों के हार और जीत का निर्णय साधारण बहुमत के आधार पर यिा जाता है। यानी, जिसे दूसरों से ज्यादा वोट (मत) मिलते हैं, उसे विजेता घोषित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख वोट पड़े हैं। तीनों पार्टियों से तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। A पार्टी के उम्मीदवार को 70 हज़ार वोट मिले। B पार्टी के उम्मीदवार को 50 हज़ार वोट मिले, C पार्टी के उम्मीदवार को 80 हजार वोट मिले। इसलिए C पार्टी के उम्मीदवार क विजेता घोषित किया जाएगा। भले ही जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों के आधे से बी कम वोट मिले जिन्हें हमने 2 लाख माना है, फिर भी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। यह हमारी चुनाव प्रणाली पर एक दोष है क्योंकि कुल वोटों में से आधे से अधिक को जीतने वाला उम्मीदवार पसंद नहीं आया, लेकिन उसे अन्य दोनों उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिलें। तो उसे विजेता घोषित किया जाएगा लेकिन इसी तरह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की जीत का फैसला किया जाता है।

राजनीतिक दल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के आवश्यक संगठन हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रमाली में, राजनीतिक दल लोगों का समर्थन जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं।

राजनीतिक दल या सियासी पार्टी ऐसे लोगों का समूह है जो कुछ ठोस सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। सामूहिक रूप से, संवैधानिक तरीकों से, इन सिद्धातों के आधार पर राजनीतिक सत्ता हासिल कर सरकार बनाते हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करती है।

राजनीतिक दलों या पार्टियों के कार्य (Functions of Political Parties) :

राजनीतिक दल आम तौर पर निम्नलिखित कार्य करते हैं :-

- लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य लोकमत को संगठित करना होता है।
- राजनीतिक दल राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से देश की आर्थिक, सामजिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में लोगों को जागूरक करते हैं।
- लोगों की समस्याओं और इच्छाएं को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक दल या पार्टियाँ आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनाती हैं जो उन हितों को पूरा कर सकें।
- राजनीतिक दल या पार्टियां लोगों को भविष्य के लिए राजनीतिक नेता प्रदान करता है। वे राजनीतिक

नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण मंच प्रदान करते हैं।

- लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार बनाते हैं।
- एक राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

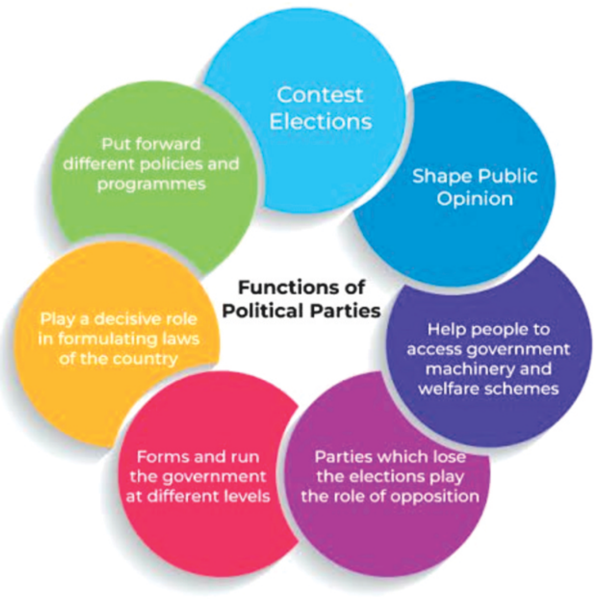

सियासी पार्टीयों के काम दर्शाता चित्र

राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है (Need of Political Parties) :

लोकतांत्रिक प्रणाली में यदि पार्टियाँ अस्तित्व में नहीं रहेगी तो चुनाव में स्वतंत्र व्यक्ति निर्वाचित होंगे और उनके लिए सद में बहुमत साबित करने के लिए एक साथ आना कठिन होगा क्योंकि उनके विचार बहुत अलग होंगे, जो सरकार की एकता के लिए एक ख़तरा होगा। अगर निर्दलीय उम्मीदवार सरकार बनाते भी हैं तो सरकार चलाने के लिए आम नीति बनाना मुश्किल होगा।

पार्टियों के अलावा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि केवल अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों के लिए काम करेंगे और राष्ट्रीय हितों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जिन समाजों में विबिन्न धर्मों, जातियों, नस्लों के लोग रहते हैं, वहां राजनीतिक दल और भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। जिससे समाज में एकता बनी रहती है और समाज की एकती ही राष्ट्रीय एकता का आधार बनती है।

दल प्रणाली के प्रकार (Types of Party System) :

किसी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों का प्रकार राजनीतिक दलों की संख्या और प्रकृति पर निर्भर करता हैं। राजनीतिक दल प्रणाली के मुख्यत: निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं-

एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली

भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

1. **बहुदलीय प्रणाली प्रबंधन** - भारत में बहुदलीय प्रमाली प्रचलित है। वर्तमान समय में भारत में

लगभग 50 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों हैं। 1952 में छोटे क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों की संख्या लगबग 74 थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 6समूहों और 39 राज्य दलों ने हिस्सा लिया था। भारत में राजनीतिक दलों का गठन व्यक्तित्व आधारित है। एक बात साफ तौर पर सामने आई है कि पार्टी के सदस्यों से ज्यादा नेता की राय को महत्व दिया जाता है।

2. **एकदलीय एकाधिकार प्रणाली** – भारतीय दल प्रणाली के इतिहास से हमें पता चलता है कि भारत में वैसे तो कई पर्टियाँ राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उन पर एक पार्टी का ही एकाधिकार रहा है। 1977 और 1989 के चुनावों को छोड़कर, 1952 से 1996तक कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है। 1996के बाद भारत में एक पार्टी के एकाधिकार की स्थिति बदल गई है। 1996के बाद गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ. 1996के चुनाव के बाद से 2014 तक किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी बाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह आदि प्रधानमंत्रियों ने गठबंधन सरकारों के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एन.डी.ए (राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठबंधन) को पूर्ण बहुमत मिला और श्री नरेंद्र मोदी दो कार्यकाल के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री बने। भारत में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एक ही पार्टी के एकाधिकार की स्थिति पैदा हो गई।

3. **सांप्रदायिक और जाति-आधारित दलों का अस्तित्व** – भारतीय राजनीति का दृश्य बताता है कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर जर्दा का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हिंदू महासभा, शिव सेना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस आदि धर्म पर आधारित दल हैं। कुछ निरोल राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके नाम से यह स्पष्ट नहीं होता कि वे धर्म पर आधारित हैं, परंतु उनके दल के संविधान और गतिविधियों से उनका सामाजिक पहलू स्पष्ट हो जाता है। इनमें भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, नोशनल कॉन्फ्रेंस आदि के नाम वर्णन योग्य उदाहरण हैं।

   पार्टियों पर आम जनता के हित के स्थान पर जातिगत और धार्मिक हित हावी हो जाते हैं। संप्रदाय और जाति पर आधारित पाटर्टियों ने समाज के भीतर विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच विभाजन पैदा किया है।

4. **क्षेत्रीय दलों का महत्व** – भारत विभिन्ताओं का देश है और इसके नागरिकों में संस्कृति और रीति-रिवाजों के आधार पर व्यापक स्तर पर विभिन्नताएं मिलती हैं। भारत में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और भारतीय नागरिकों की भाषा और क्षेत्र के आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान विकसित करने की इच्छा के कारण 1960 के दशक से राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ कई क्षेत्रीय दलों का भी गठन किया गया है। इन क्षेत्रीय दलों को संबंधित क्षेत्र की जनता से भारी समर्थन मिला है। आंध्र प्रदेश में तेलेगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ANA, DMK), असम में असम गण परिषद (AGP), पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) कुछ क्षेत्रीय दलों का एक उदाहरण है। भारत के दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियाँ अधिक सक्रिय हैं। 1990 के दशक तक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित था। लेकिन 1990 में इन क्षेत्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना पैर जमा लिया। अब इन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भारत की राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देने लगा है। यहां तक कि बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस नाम की क्षेत्रीय पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टियों को किनारे कर दिया है और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने तो आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य भी बनवा

लिया है। राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव और भूमिका ने भारतीय दल प्रणाली में कई नए रुझान पैदा किए हैं।

5. **दल-परिवर्तन और दलों में फूट** – भारत में लगबग सभी दलों में फूट और दल-परिवर्तन की प्रवृत्ति आम है। भारत के संविधान में 52वें और 91वें संशोधन द्वारा दल-परिवर्तन की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी भारत में राजनीतिक दलों के बीच विभाजन और दल-परिवर्तन की कुप्रता किसी न किसी रुप में प्रचलित है। पार्टी के कई नेता जिन्हें चुनाव से पहले टिक नहीं मिलता, वे या तो अपनी पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं।

6. **एक मज़बूत विपक्षी दल की कमी** – संसदीय लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक एक मज़बूत विपक्षी दल के अस्तित्व पर निर्भर करती है क्योंकि एक मजबूत विपक्षी दल शासक दल पर अंकुश लगाने का काम करता है और लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिस्चित करता है लेकिन भारत में विपक्ष दल सवरूप बहुदलीय है। इन पार्टियों में एकता की कमी के कारण ही कबी कोई मज़बूत विपक्षी दल नहीं बन पाया। ये बहुदलीय विपक्षी अपने विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। भारत की दल प्रणाली की विशेषताओं को जानने के बाद हमारे लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि भारत में पार्टियों का पंजीकरण कौन करता है और कैसे किया जाता है।

अपनी माँगो के पक्ष में एकता का प्रगटावा करते मुज़ाहराकारी

पार्टियों का पंजीकरण

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों या क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में पंजीकरण : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों का पंजीकरण भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। किसी पार्टी को चुनावों में उसके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों का प्रदर्शन मोटे तौर पर इस प्रकार है :-

1. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)** – इस पार्टी की स्थापना 1885 में उपनिवेशिक काल के दौरान लोगों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष वामेश चन्द्र बनर्जी थे। इसकी वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जबकी हाल ही में श्रीमति सोनिया गांधी पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं। इस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद इस पार्टी ने केंद्र और राज्यों में कई सरकारें बनाई। एक-दो

लोकसभा चुनावों को छोड़कर 1989 तक इस पार्टी का भारतीय राजनीति पर एकाधिकार रहा है। इसका वर्तमान चुनाव चिन्ह हाथ पंजा है। इस पार्टी को समाज के अधिकांश वर्गों का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 1991, 1996, 2004 और 2009 में पार्टी ने संयुक्त प्रतगिशील मोर्चा का नेतृत्व किया और केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को केवल 45 सीटें मिलीं, जो लोकसभा में इस पार्टी का सभ से ख़राब प्रदर्शन रहा। 2019 में कांगरेस पार्टी को लोकसभा में 52 सीटें मिलीं।

कांग्रस पार्टी का चिन्ह

2. **भारतीय जनता पार्टी (BJP)** – भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का परिणाम है। जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई थी। 1980 में जनसंघ का पुनर्गठन करके भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी, मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राजनीतिक शाखा माना जाती है। श्री अटल बिहारी वाजपेई इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने। इस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं। इस पार्टी ने 1996, 1998 और 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकारें बनाई हैं। इनमें से केवल 1999 में बनी सरकार ने ही पांच साल तक शासन करने की अवधि पूरी की। 2014 के 16वें लोकसभा सुनाव और फिर 2019 के आम चुनाव में इस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और दो बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस पार्टी का वर्तमान चुनाव चिन्ह कमल का फूल है।

भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह

3. **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया)** – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन और कार्ल मार्क्स के सिद्धांथों पर आधारित पार्टी है। इस पार्टी के स्थापना 1924 में बारत के उन युवाओं ने की थी जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों को पसंद करते थे। इस पार्टी को मज़दूर किसानों और औद्योगिक श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है। यह पार्टी श्रमिक वर्ग के अधिकारों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, श्रमिकों के लिए पेंशन का प्रावधान, बैंकों के निजीकरण का विरोध, पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने आदि के पक्ष में है। 1952 के लोकसबा चुनाव में इस पार्टी ने 23 सीटें जीतीं। तीसरे लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 29 सीटें जीतीं। तीसरा लोकसभा के बाद उसका उन आधार कम होता जा रहा है। 2019 में हुए लोकसभा में इस पार्टी को सिर्फ दो सीटें मिलीं। इसके वर्तमान प्रमुख और पार्टी महासचिव डी.राजा है और चुनाव चिन्ह गेहूँ की बल्लीयाँ

सी.पी.आई. का चिन्ह

और हॉसिया है। सन् 2024 के चुनाव में पार्टी ने लोकसभा की 02 सीटों पर सफलती हासिल की।

4. **भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)** – सन् 1964 में, सामवादी (कम्युनिस्ट) पार्टी नेताओं के बीच आंतरिक मतभेद के कारण सामवादी पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई, जिसमें एक नई पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का जन्म हुआ। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हॉसिया और सितारा है। इसके वर्तमान अध्यक्ष (संयोजक) प्रकाश करते हैं। यह पार्टी भी मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर विश्वास करती है। इस पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को पूरा कर सकता है। यह पार्टी विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी वस्तुओं के बिना बंदिश प्रवाह का विरोध करता है। इस पार्टी का आदार पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा राज्यों में है। इसके समर्थक गरीब, औद्योगिक श्रमिक, किसान, खेतिहर मज़दूर और बुद्धिजीवी हैं। अब इस पार्टी का जन आधार घट रहा है। 2014 में हुई 16वीं लोकसभा में उसे केवल 9 सीटें मिलीं, जो 2019 में घटकर 03 रह गईं तथा सन् 2024 में यह संख्या 04 हो गई।

सी.पी.आई. (ऐम) का चिन्ह

5. **बहुजन समाज पार्टी (BSP)** – इस पार्टी की स्थापना श्री कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दलित उत्पीड़ित समाज को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाना है। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। इस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष कुमारी मायावती हैं। यह पार्टी जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भारती समाज में किये जाने वाले भेदभाव का विरोध करती है तथा दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक शोषण को समाप्त करने, भूमिहीन किसानों एवं छोटे किसानों की स्थिति में सुदार लाने के लिए बड़े
पैमाने पर योजनाएं लागू करने आदि इसका मकसद है। वैसे तो यह पार्टी दलित शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली कही जाती है, लेकिन इसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है और केंद्र में भी सरकार बनाने में योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के अलावा इस पार्टी ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी अपना जन आधार बनाया है। 2004 में हुए 14वें लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 19 सीटें जीतीं। 2009 के 15वें लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 21 सीटें जीतीं, 2019 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 10 सीटें जीतीं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पार्टी ने समाज के उन लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा की है जिन्हें राजनीतिक सत्ता से दूर रखा जाता था।

बी.ऐस.पी. का चिन्ह

6. **राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)** – राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना 1999 में हुई थी। कांग्रेस के तीन प्रमुख नेता श्री शरद पवार, तारिक अनवर और पी.ए. संगमा कांगरेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यकाल में भारत के सर्वोच्च पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल पर विदेशी नागरिकों को नियुक्त करने के खिलाफ थे और अपने विचार पर अड़े रहे। कांग्रेस कार्यकारणी कमेटी ने इन नेताओं को 6साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। परिणामस्वरूप, उन्होंने एक नई पार्टी, राष्ट्रवादी कांगरे, का गठन किया। कई चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने इस पार्टी को राष्ट्री पार्टी के रूप में मान्यता दी। इस पार्टी के, वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। इस पार्टी का चुनाव निशान घड़ी है और इस पार्टी ने महाराष्ट्र में मुख्य पार्टी की भूमिका निभाई है। इसके अलावा इसका जनआधार मेघालय, मणिपुर और असम में भी है। महाराष्ट्र में इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई है। यह पार्टी 2004 से केंद्र में कांग्रेस ने नेतृत्व वाले संयुक्त प्रतगिशील मोर्चे की सहयोगी है। स्न 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 05 सीटें जीतीं तथा 2024 में पार्टी के लोक सभा स्दसयों की संख्या 08 हो गई।

एन.सी.पी. का चिन्ह

7. **तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC)** – इस पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1998को हुई थी। इस पार्टी का मुख्य आधार पश्चिम बंगाल में है। पूर्व युवा कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इसकी पहली अध्यक्ष थीं जो वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। इस पार्टी को 2 सितंबर 2016को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली। इस पार्टी ने मई 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में 34 सीटें और 2019 के चुनाव में 22 सीटें जीतीं। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह एक जोड़ी फूल तथा घास है। स्न 2024 के लोक सभा चुनाव में पार्टी ने 29 सीटें जीती है।

टी.ऐम.सी. का चिन्ह

8. **आम आदमी पार्टी** (AAP)– इस पार्टी की स्थापना 26नवंबर 2012 को अन्ना हजारे के आंदोलन के परिणामस्वरूप हुई थी। इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री अरविन्द केजरीवाल हैं। इस पार्टी ने फरवरी 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते और इस पार्टी ने दिल्ली (प्रांत) में अपनी सरकार का गठन किया। इस पार्टी ने पंजाब की राजनीति में भी हिस्सा लिया और
2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी और फिर 2022 में भारी बहुमत के साथ अपनी प्रांतीय सरकार बनाई। स्न 2024 के चुनाव में पंजाब से पार्टी के 03 लोक सभा स्दस्यों ने जीत दर्ज की है।

aap
AAM AADMI PARTY

आम आदमी पार्टी का चिन्ह

भारत की एक क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी

भारत के राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियों को लेकर लगभग तीन दशकों से भारत की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है कि 1990 केबाद कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अकेले दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सिलसिला टूटा, लेकिन उससे पहले डेढ़ दशक के दौरान जो घटनाएं घटीं, उससे क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टियों का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया। आमतौर पर क्षेत्रीय दलों का आधार एक या दो राज्यों तक ही सीमित रहा है, लेकिन ये दल केंद्र सरकार में भागीदार बन गये हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण ही हमारा संघीय ढांच मज़बूत हुआ है।

9. **शिरोमणी अकाली दल (SAD)** – यह पार्टी आज़ादी से पहले अस्तित्व में आई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में हुई थी और 1924-25 से सुधार आंदोलन में शामिल कार्यकर्त्ताओं ने सिख समुदाय के राजनीतिक अधिकारों के लिए और पंजाब को बेहतरी के लिए राजनीतिक संघर्ष में रुचि लेना शुरु कर दिया और पार्टी के संघर्ष की वजह से ही गुरद्वारा प्रबंधन शिरोमणी कमेटी के हाथों में आ गया। इस पार्टी ने पंजाब की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। 1966में पंजाबी प्रांत की स्थापना से पहले अकाली दल ने अन्य दलों के समर्थन से राजनीति में सत्ता हासिल की, लेकिन 1966के बाद इस पार्टी ने कई बार पंजाब में अपनी सरकार भी बनाई। यह पार्टी केंद्र में पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी ही है और राज्यों को अधिक अधिकार देने की वकालत करती है। अपने संविधान के अनुसार, शिरोमणि अकाली दल 1998 तक सिख धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल रहा है और 1996 के मोगा सम्मेलन में इस पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर गैर-सिखों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया है। अब यह पार्टी पंजाब और पंजाबियत के हितों की रक्षा का दावा करती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल हैं जो पंजाब के लंबे समय तक और कई बार मुख्यमंत्री रहे नेता और अब स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के पुत्र हैं।

अकाली दल का चिन्ह

10. **नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)** – इस पार्टी की स्थापना 1930 में हुई थी। इस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। शेख अब्दुल्ला परिवार का ही प्रभुत्व रहने के बावजूद यह पार्टी जम्मू-कश्मीर का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करती ही है। इस पार्टी ने कई बार जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार भी बनाई है। इसके वर्तमान अधयक्ष उमर अब्दुल्ला हैं जो शेख अब्दुल्ला के पोते और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के बेटे हैं। सन् 2019 में जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय शास्ति प्रदेश बनाये जाने से पार्टी का मान भी कम हुआ है।

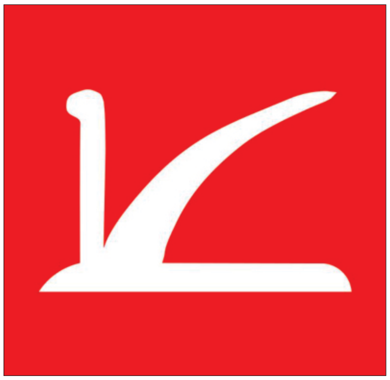

नैशनल कांफ्रेंस का चिन्ह

11. **राष्ट्रीय जनता दल (RJD)** – इस पार्टी की स्थापना 1997 में हुई थी। तब से इस पार्टी ने बिहार की राजनति में अहम भूमिका निभाई है और इस पार्टी ने कई बार बिहार में अपनी सरकार बनाई है। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव है और उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री रहे हैं। स्न 2024 के लोक सभा चुनाव में पार्टी के 04 स्दस्य विजयी रहे हैं।

आर.जे.डी. का चिन्ह

12. **द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)** – इस पार्टी की स्थापना 1940 में हुई। इस पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की आज़ादी से पहले स्थापित इस पार्टी के नाम का अर्थ ही द्रविड़ जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और यह तमिल भाषी लोगों का सपलतापूर्वक प्रतिनिधित्व कर रही है। श्रीलंका में तमिल और सिंहाल जातीय समूहों के बीच संघर्ष में भी यह पार्टी तमिलों का समर्थन करती रही है। इसके वर्तमान प्रमुख श्री एम.के. स्टालन हैं जो लंबे समय तक पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और अब स्वर्गीय स्री के. कुरणानिदि के पुत्र हैं। अठारवीं लोक सभा में पार्टी के 22 स्दस्य सदन के चुनकर गये हैं।

डी.ऐम.के.का चिन्ह

13. **ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIA DMK)** – यह तमिलनाडु की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1972 ई. को डी.एम.के. के विभाजन हो जाने के बाद हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष एम.जी. रामचन्द्रन ते और वर्तमान अध्यक्ष ई. मदु सुधानन हैं। 16वीं लोकसभा में इस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। पूर्व तमिल फिल्म कलाकर और कब स्वर्गीय कुमारी जे. जयललिता ने एसजी रामचंद्रन की मृत्यु के तुरंत बाद पार्टी की कमान संभाली और तमिलनाडु और पुड्डूचेरी में सरकारें बनाने के इलावा केंद्रीय सरकारें बनाने में भी योगदान दिया। कुमारी जे. जयललिता का दिसंबर, 2016 में निधन हो गया। वह इस पार्टी के सबसे सिरमौर नेता रहे हैं।

ए. आई. ए.डी.ऐम.के. का चिन्ह

14. **तेलुगु देशम पार्टी (TDP)** – इसकी स्थापना 1982 में आंध्र प्रदेश में हुई। इस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में कई बार सरकार का गठन किया है। तेलुगु देशम पार्टी मल रुप से पूर्व तेलुगु फिल्म निर्देशक और अभिनेता श्री एन.टी. रामाराव के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने पार्टी की स्थापना के सिर्फ 9 महीने

बाद आंध्र प्रदेश (तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश) में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई थी। श्री रामराव ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रहने वाले गरीब तेलुगु लोगों के मसीहा के रुप में आपने आप को स्थापित किया। वर्ष 1995 में पार्टी में विभाजन हो गया, एन चंद्र बाबू नायडू पार्टी के मुखिया बने, जो 1996में श्री राव की मृत्यु के बाद निर्विवाद नेता बनकर उभरे, लेकिन अब यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन कर रह गई है। अठारवीं लोकसभा में पार्टी के 16 स्दस्य, सदन में हैं।

टी.डी.पी. का चिन्ह

15. **असम गण परिषद (AGP)** – इस पार्टी की स्थापना 1985 में असम में छात्र आंदोलन के परिणामस्वरूप छात्र नेता प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व में की गई थी। इस पार्टी ने असम में कई बार सरकार का गठन किया है। यह पार्टी असम की राजनीति में अहम भूमिका निभा रही है। असम गण परिषद विदेशी मूल के शरणार्थियों और अन्य राज्यों के निवासियों के साथ अधिकारों के टकराव से पैदा हुई एक राजनीतिक पार्टी है, जो अब मौजूदा कठिनाइयों से जूझ रही है। पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अतुल बोहरा हैं।

ए.जी.पी. का चिन्ह

16. **इंडियन नेशनल लोक दल (INLD)** – इस पार्टी की स्थापना 1996में पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री देवीलाल ने की थी। यह पार्टी हरियाणा की राजनीति में सरगर्म भूमिका निभा रही है। इसके भूतपूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चोटाला का हाल ही में निधन हुआ है। यह पार्टी अब आगे दो खेमों में बंट गई है।

इण्डियन नैशनल लोक दल का चिन्ह

17. **समाजवादी पार्टी (SP)** – इस पार्टी की स्थापना 1 जुलाई 1973 को श्री मुलायम सिंह यादव ने की थी। यह पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुलायम सिंह के पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। अठारवीं लोक सभा में पार्टी ने 37 स्दस्यों का योगदान दिया है।

समाजवादी पार्टी का चिन्ह

18. **जनता दल यूनाइटेड (JDU)** – इस पार्टी की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। यह पार्टी भी बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नीतीश कुमार विभिन्न विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाकर लगभग एक दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अठारवीं लोक सभा में पार्टी के 12 स्दस्यों का योगदान है।

जनता दल (यू) का चिन्ह

19. **पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)** – इस पार्टी की स्थापना 1999 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने की थी। बेगम महबूबा मुफ़्ती, जो स्वगीर्य मुफ़्ती मुहम्मद सईद की बेटी हैं, अब इसकी अध्यक्ष हैं। यह पार्टी जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सक्रिया भूमिका निभा रही है। इस पार्टी ने बेगम महबूबा के नेतृत्व में भाजपा के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाई थी, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इस पार्टी को जम्मू-कश्मीर में गर्मपंथियों की हमदर्द पार्टी माना जाता रहा है।

पी.डी.पी. का चिन्ह

जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय या प्रांतीय पार्टियों की चर्चा के अलावा, देश में कुछ अन्य संगठन भी हैं जो भारत की राजनीति को काफी हद तक प्रबावित करते हैं। ये संगठन खुलकर राजनीति में भाग नहीं लेते और न ही इनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। लेकिन फिर भी ये संगठन सरकार की कार्यशीलता और सरकार की नीति निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करते हैं। ये संगठन अपने सदस्यों और सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए एक-दूसरे को विरोध भी करते हैं और सरकार की गतिविधियों में बाधा डालकर सरकार के प्रति अपना विरोध भी दर्शाते हैं। इन संगठनों को सामूहिक रूप से दबाव समूह कहा जाता है।

समाज में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर विभिन्न वर्ग होते हैं जबकि लोकतंत्र में सबी के लिए समान अधिकार, हालात और अवसर आवश्यक होते हैं। दूसरे ओर, किसी भी समाज में सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण किसी भाषाई, धार्मिक या सामाजिक वर्ग के हितों को दबाना संभव होता है, जिसके कारण उस वर्ग के लोग ऐसे कानून का विरोध करते हैं। लोकतंत्र में सरकार के लिए हर एक आवाज़ को सुनना जरुरी भी है। उदाहरण के लिए, भारत में लम्बे समय तक मानव द्वारा स्वयं निर्मित जातियों के आधार पर भेदभाव होता रहा, जिसके कारण जातियों के ब ीच की खाई इतनी बढ़ गयी कि तथाकथित निचली जातियों के अधिकार तथाकथिक स्वर्ण जातियों के अधिकारों की तुलना में बहुत कम रह गये। जिस वजह से संविधान में कुछ श्रेणियों को एक निश्चित अवधि के लिए रियायतें दी गईं ताकि पिछड़े सामाजिक वर्गों को उभरने का मौका मिल सके। लोकतंत्र में उचित प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखना बुनियादी गुण है। इसी प्रकार, भारत में भाषा या बोली के आधार पर विभिन्न वर्ग किसी एक भाषा के एकाधिकार के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं

क्योंकि लोकतंत्र में मातृभाषा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने और आगे बढ़ने के अवसर दि जाते हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और दबाअ गए वर्गों को ऐसे अवसर न देना लोकतंत्र की हत्या करना है। तर्क और न्याय के आधार पर लोकतांत्रिक भावनाओं को प्राथमिकता न देना या कटिनाइयों का समादान न करना ही लोगों के भीतर किसी देश से अलग होकर अपना अलग देश बनाने की भावना को जन्म देता है।

दबाव समूह का अर्थ

दबाव समूह कुछ या अनेक लोगों का एक संगठित समूह होता है जो अपने सदस्यों के हितों को पूर्ति के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने की क्रिया को प्रभावित करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। वे राजनीतिक दलों की तरह न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनकी गतिविधियाँ अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करने तक ही सीमित हैं। दबाव समूह सरकार द्वारा उच्च सरकारी पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति में भी अपना प्रभाव डालते हैं।

भारत में दबाव समूह

भारत में निम्न प्रकार के दबाव समूह पाये जाते हैं–

1. **व्यावसाहियक दबाव समूह** – भारत में उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों की पूर्ति के लिए कई दबाव समूह बनाए गए हैं। इनमें सबसे अहम दबाव समूह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (FICCI-Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry) है।
2. **जाति और धर्म पर आदारित दबाव समूह** – भारत में धर्मों और जातियों का राजनीतिकरण इस प्रकार हो गया है कि भारत में कई जाति और धार्मिक दबाव समूह सक्रिय हैं। हालांकि इनका संगठन ढीला ढाला है, लेकिन चुनाव के दौरान इनका प्रभाव साफ दिखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जातियों के आधार पर बने कई संघ इसके उदाहरण हैं।
3. **मज़दूर संघ** – भारत में मज़दूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कई मज़दूर संघ दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं। बारत में मज़दूर संघों की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। इंजिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), ऑल इंजिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), हिंदुस्तान मज़दूर सभा (HMS) आदि कुछ प्रमुख मज़दूर संघ दबाव समूह के रूप में सक्रिय हैं।

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड संघ कांग्रेस का पहचान चिन्ह

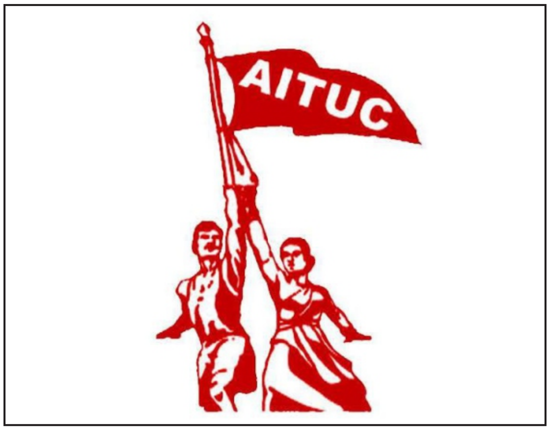

सर्व भारतीय ट्रेड संघ कांग्रेस का पहचान चिन्ह

4. **किसान एवं कृषकों के दबाव समूह** – भारत में किसान एवं कृषकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक दबाव समूह सक्रिय हैं। भारतीय किसान यूनियन, भारती किसान सभा, भारती किसान संघ राष्ट्रीय स्तर के दबाव समूह हैं जो किसानों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं।

5. **बौद्धिक एवं पेशेवर दबाव समूह** – विभिन्न पेशे जैसे शिक्षण, वकालत, चिकित्सा एवं पत्रकारिता आदि में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह बने हुए हैं, जो भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ, अखिल भारतीय मेडिल काउंसिल, अखिल भारतीय बार काउंसिल और संघ कुछ प्रमुख पेशेवर दबाव समूह हैं।

6. **छात्र दबाव समूह** – भारत में छात्रों के हितों की पूर्ति के लिए कई दबाव समूह बनाए गए हैं। ये दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से बी जुड़े हुए हैं। भारत राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) भारतीय छात्र संघ (SFI) कुछ महत्वपूर्ण छात्र दबाव समूह हैं।

भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ का चिन्ह

भारतीय विद्यार्थी संघ का चिन्ह

भारतीय दबाव समूहों की विशेषताएँ :

भारत में सक्रिया विभिन्न दबाव समूहों की उपरोक्त चर्चा के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले इन दबाव समूहों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. भारत में जाति, धर्म, समुदाय और एक विशेष क्षेत्र पर आधारित दबाव समूह भारतीय राजनीति में प्रमुख नायक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
2. भारत में ज्यादातर दबाव समूह राजनीतिक दलों के आदेश के तहत काम करते हैं लेकिन पेशेवर दबाव समूहों पर सरकार का नियंत्रण अन्य दबाव समूहों की तुलना में कम हैं।
3. भारत के दबाव समूह नीति निर्माण प्रक्रिया में सीमित भूमिका निभाते हैं।
4. भारत के विभिन्न राज्य भी दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। भारत के राज्य अपनी हितों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
5. विदेशी दबाव समूह भी कुछ हद तक भारत सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

6. भारत में कुछ दबाव समूह अपनी हितों को पूरा करने के लिए हिंसा, हडॉताल और तोड़ फोड़ की क्रियाओं में भी शामिल होते हैं।
7. सार्वजनिक मामलों में नौकरशाही की अधिक भूमिका निभाने के कारण दबाव समूह की गतिविधियाँ प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित रहती हैं। इस कारण ये दबाव समूह सरकार की नीति निर्माण गतिविधियों पर कम ध्यान देते हैं।

भारत में दबाव समूहों की भूमिका और कार्य

भारत को आज़ाद हुए भले ही काफी समय बीत गया हो। लेकिन भारत की राजनीतिक प्रणाली अभी तक एक विकसित लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अच्छी परंपराएं विकसित नहीं कर पाई। इसीलिए भारत में काम करने वाले दबाव समूह भी अपने संगठन और कार्य पद्दति में अच्छी परंपराएँ स्थापित करने में असफल रहे हैं।

भारत में काम करने वाले बहुत से दबाव समूह स्वतंत्र तौर पर स्थापित नहीं किए हुए, वे किसी राजनीतिक दल द्वारा बनाए गए हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य इन दबाव समूहों के माध्यम से पार्टी के एजेंडे और कार्यक्रम को पूरा करना होता है। परिणामस्वरूप, दबाव समूहों के अपने सदस्यों के हित पीछे ही रह जाते है और दबाव समूह राजनीतिक दलों के मोहरे ब नकर रह जाते हैं। भारत में दबाव समूह अफनी मांगों के पूरा कराने के लिए संवैधानिक तरीकों में कम ही विश्वास करते हैं। कभी कभी तो यह अपने हितों को पूरा करने की लिए हिंसात्मक और अनुचित तरीकों का भी सहारा लेते हैं। भारत में दबाव समूह कभी-कभी सरकार से ऐसी असंगत और जन विरोधी मांगें कर देते हैं जिन्हें मौजूदा कानूनी ढांचे में पूरा नहीं किया जा सकता है। बारत में दबाव समूहों की नकारात्मक भूमिका के कारण उनकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता में कमी आई है। लेकिन कुछ दबाव समूहों ने सकारात्मक और रचनात्मक तरीकों से संविधान के दायरे में रहते हुए अपने सदस्यों के हितों को पूरा करवाया है जैसे FICCI आदि दबाव समूहों को भूमिका के बाद यह प्रश्न उठता है कि इन दबाव समूहों की जरूरत क्या है या वे कौन से कार्य हैं जिनके द्वारा वे समाज के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने का हिस्सा बन गए हैं। इन कार्यों का अध्ययन निम्नलिकित अनुभागों के अंतर्गत किया जा सकता है-

दबाव समूह की कार्य-विधि दर्शाता चित्र

1. **जनमत को प्रभावित करना** – दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए ना सिर्फ सरकारी नीतियों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, बल्कि जनमत को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। जनमत को अपनी ओर करने के लिए अपने समाचार पत्र निकालना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य मीडिया इकाइयाँ चलाना, पोस्टर और विज्ञापन छापना, समाचार पत्रों के संपादकों को पत्र लिखना और रेडियो टी.वी. के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में करने के प्रयास किए जाते हैं।
2. **छात्रों को राजनीतिक प्रशिक्षण** – कॉलेजों और विश्वविद्यालयों स्तर के छात्रों में नेतृत्व के गुण पैदा होते हैं और भविष्य में देश का नेतृत्व करने के लिए सियासत में भाग लेने का प्रशिक्षण मिलता है। जिस वजह से योग्य नेताओं के नेत–त्व में देश का भविष्य उज्ज्वल हो। छात्रों की युवा सक्ति ऐसे दबाव समूहों के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभरती है। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों के बीच ऐसा सामाजिक, धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक राजनीतिक साहित्य वितरित किया जाता है, जिसे पड़कर युवा विद्यार्थी दबाव समूहों के पक्ष में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा उनके अन्य हितों की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होते हैं।
3. **दान एकत्र एवं भुगतान** – हमारे समाज ने मनुष्य की भौतिक जरूरतों और उनकी पूर्ति के लिए धन के ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए कई दबाव समूह विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में लगी संस्थाओं को दान देकर सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में कर अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए, दान एकत्र करना और भुगतान करना दबाव समूहों का मुख्य कार्य बन जाता है। बड़े व्यापारिक संगठनों के दबाव समूह इसकी मिसाल हैं।
4. **चुनाव के दौरान राजनीतिक मदद देना** – दबाव समूह सीधे तौर पर खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन सरकार में अपने हितों की रक्षा के लिए चुनाव में उम्मीदवारों की मदद करके वे निश्चित रुप से भविष्य में अपने हितों के लिए भुगतान करने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं।
5. **विधायी समितियों को सूचित करना** – दबाव समूह भी ज्ञान के स्रोत भी होते हैं जो विधायी समितियों को जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं। कानून बनाने के लिए विधेयक पारित करने के लिए संसद और विधान सभाओं द्वारा विधायी समितियों की स्थापना की जाती है। इस कार्य के लिए सलाहकार समूह भी समितियों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। जो विधायी समितियों के समक्ष सही जानकारी रखकर अपना पक्ष मज़बूत करते हैं।
6. **विधायकों के साथ पत्राचार** – दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विधायकों पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास है विधायकों से पत्राचार करना। यह कार्य सामान्य पत्राचार जैसा ही होता है और उन्नत भी। दबाव समूहों का कार्य विशिष्ट एवं प्रभावशाली मुद्दों पर याचिकाएँ या मांग पत्र तैयार करना होता है जिन पर बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर हों। इससे कानून का विरोध या समर्थन हो सकता है। आजकल यह कार्य सोशल मीडिया की मदद से भी किया जाता है।
7. **अदालती कार्रवाई** – दबाव समूह सरकारों द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों और नियमों से

बचाव के लिए अदालती कार्रवाई भी करते हैं। इस तरह नियमों, कानूनों की कानूनी जांच होती है। जिसके बाद उसका लागू होना, निलंबन या रद्दीकरण तय होता है।

8. **हड़तालों और प्रदर्शनों का उपयोग** – उपरोक्त तरीकों के अलावा, दबाव समूह अफने हितों के खिलाफ नियमों, कानूनों, निर्णयों और गतिविधियों के विरोध में हड़ताल, प्रदर्शन और रोश प्रदर्शन करते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिलता है तो सरकारें भी काफी हद तक दबाव के आगे झुक जाती हैं। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के कारण हमारे समाज में बेरोजगारी के संघ, जो दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं, ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का भी सहारा लिया है।

9. **नियुक्तियों को प्रभावित करना** – उद्योगपति, निजी कंपनियों के मालिक, बड़े कर्मचारी संघ आदि, जिनमें विधायक और उनके रिश्तेदार और मित्र भी शामिल होते हैं, अपने रिश्तेदारों को मंत्रालयों में उच्च सरकारी पदों और ऐसे अन्य उच्च स्थानों पर नियुक्ति पाने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा करके वे सरकारी नीतियों का रुख अपने पक्ष में करने में सफल हो सकते हैं। इन कार्यों के लिए जाति एवं धर्म के आधार पर स्थापित सामाजिक समूह भी तत्परता से कार्य करते हैं। यह देखना आम बात है कि कैबिनेट और उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ जातिय आधार पर की जाती हैं।

10. **समाचार पत्र, सोशल मीजिया एवं अन्य मीडिया इकाइयों से संपर्क** – मीडिया का अर्थ है संचार माध्यम किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रिंट संचार प्रिंट मीडिया के बीच समाचार पत्रों का इस क्षेत्र में अहम स्थान है। दबाव समूह मीडिया के साथ बहुत निकट संपर्क रखते हैं क्योंकि उन्हें न केवल जनता की राय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए जनमत भी बनाना होता है। समाचार पत्र के संपादकों, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू करने वाले और सोशल मीडिया के ब्लॉग लेखकों के साथ संपर्क बना कर उन्हें प्रभावित करना तथा उनसे संपर्क बनाये रखना दबाव समूहों का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। 21वीं सदी में सोशल मीडिया भी दबाव समूहों के लिए एक प्रमुख प्रचार साधन है।

दबाव समूहों के कार्य इतने प्रभावी होते है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि दबाव समूह ही सरकार को अंदर से चला रहे हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि दबाव समूहों में कमियाँ हैं लेकिन कमियों के बावजूद, भारत में सक्रिय दबाव समूहों ने कुछ हद तक सरकार के नीति निर्माण क्रिया और हमारी सामूहिक राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित किया है। कभी-कभी ये दबाव समूह सरकार से अपनी जायज़ माँगें मनवाने और समस्याओं का समाधान कराने में सफल रहे हैं। ये दबाव समूह सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगाम के रूप में कार्य कर रहे हैं। समाज कल्याण, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए दबाव समूह लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, जैसे: नशा विरोधी दबाव समूह, भ्रूणहत्या विरोधी दबाव समूह, महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बनाए गए दबाव समूह आदि। जैसे-जैसे नागरिकों में राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ेगा, वैसी ही हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली और दबाव समूहों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। आदर्श नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों एवं कर्त्तयों के प्रति निरन्तर जागरूक रहना होगा, तभी हम अपने देश एवं समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकेंगे।

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक बार में दें-

(1) उन्नीसवीं सदी में किस वर्तमान राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी ? स्थापना वर्ष भी बताएं।

(2) संविधान में किन दो संशोधन द्वारा दल प्रीवर्तन की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया ?

(3) अकाली दल ने किस वर्ष किस सम्मेलन के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के खाके में बदलाव किया ?

(4) असम गण परिषद की स्थापना किस नेता ने कब की थी ?

(5) एक छात्र दबाव समूह का नाम बताएं।

(6) **निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह मज़दूरों से संबंधित नहीं है ?**

(i) INTUC (ii) AITUC

(iii) NSUI (iv) HMS

(7) **कौन सा संचार माध्यम आमतौर पर सार्वजनिक माध्यम नहीं है ?**

(i) रेडियो (ii) समाचार पत्र

(iii) टेलीविजन (iv) टेलीफोन

(8) **कौन सा समूह वैध दबाव समूह नहीं है ?**

(i) संघ लोक सेवा आयोग (ii) कर्मचारी संघ

(iii) मेडिकल काउंसिल (iv) बार काउंसिल

(9) **निम्नलिखित में से कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे ?**

(i) ओम प्रकाश चोटाला (ii) रूबीना मुफ्ती

(iii) प्रफुल्ल कुमार मोहंता (iv) जानकी रामचन्द्रन

(10) **इनमें से कौन सी महिला भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी ?**

(i) राजिंदर कौर भठल (ii) राबड़ी देवी

(iii) सुचेता कृपलानी (iv) जानकी रामचन्द्रन

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप से दें-

(1) बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कौन थे और पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है ?

(2) पंजाब विधान सभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं तथा लोक सभा में कितनी सीटें हैं ?

(3) स्कूली खेल प्रतियोगिताएँ मुख्यत: किन चार स्तरों पर आयोजित की जाती हैं ?

(4) भारत में गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले दो प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए।

(5) किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे कम और कितनी सीटें मिलीं ?

(6) पवार, अनवर और संगमा ने किस वर्ष में किस नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया ?

(7) बिहार और मध्य प्रदेश को विभाजित करके कौन से राज्य बना गए जो खनिजों से भरपूर हैं।

(8) भाषा और सांस्कृतिक वर्ग लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं ?

(ग) इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें-

(1) भारत में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है और इन दलों के क्या कार्य हैं ?

(2) दल प्रमाली के मुख्य कितने प्रकार हो सकते हैं ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

(3) दल प्रणाली की विशेषताएँ को व्याख्या कीजिए।

(4) भारत में किसी दो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के प्रदर्शन पर एक नोट लिखें।

(5) भारत में किसी दो क्षेत्रीय या राज्य (प्रांत) स्तर की पार्टियों के प्रदर्शन पर नोट्स लिखें।

(6) भारत में दबाव समूहों के कार्यों की व्याख्या करें।

(घ) निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

सन् 1951 में भारत में आम चुनाव शुरू होने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती रहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी नियमित रूप से निर्वाचित प्रधान मंत्री बने, जबकि गुलज़ारी लाल नंदा के अधीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए 1975 में देशव्यापी आपातकाल लगा कर लोगों और विपक्षी राजनीतिक नेताओं पर किए अत्याचार के कारण 1977 के आम चुनावों के बाद पहली बार गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार मुरार जी देसाई के नेतृत्व में बनी। मुरारजी देसाई पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन पद नहीं मिलने पर वह जनता पार्टी के नेता के रूप में कम करने लगे। वह प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले पहले गुजराती नेता भी थे। इसी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करके सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए जनवरी, 1979 में बिंदेश्वी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में एक समीशन का गठन किया और दिसंबर, 1980 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुकी थी और रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिसंबर, 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद दिसंबर, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में फिर से ग़ैर-कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 की तरह यह सरकार भी कई पार्टियों का गठबंधन थी। हालाँकि इस सरकार के मंत्रिमंडल में काफी संतुलन देखने को मिला, लेकिन नेशनल फ्रंट की इस सरकार को वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। जल्द ही वामपंथी और दक्षिणपंथी मोर्चे ने सरकार की खिंचाई शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरु कर दी, जिसके मुकाबले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तुरंत अगस्त 1990 में मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू का, जिसके माध्यम से अन्य पिछड़ी वर्ग (Other Backward) को 27% आरक्षण दिया गया। रिपोर्ट लागू होते ही सामान्य वर्ग द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। रिपोर्ट लागू हुई लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई और एक बार फिर चन्द्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उभरे। इससे पहले 1977 में चौधरी चरण सिंह भी थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर भारत की केंद्र सरकार अस्थिर हो गई थी।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

(i) भारत के प्रधानमंत्री रहे दो गुजराती नेताओं के नाम लिखें।

(ii) मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद अनुसूचित जाति से संबंधित पार्टियों ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई ?

(iii) ऐसे किन्हीं तीन नेताओं के नाम लिखिए जो अंशकालिक या कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थे ?

(iv) जब मंडल आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे ?

(v) भारत में पहली दो गैर कांग्रेसी सरकारे किस वर्ष स्थापित हुई ?

पाठ-4

लोकतंत्रः परिणाम/प्रापतियां (उपलब्धियां)

(Democracy ; Competition and Confrontation)

लोकतंत्र के इतिहास और विकास के माध्यम से लोकतंत्र के अर्थ को जानने के बाद अब हम इस पाठ में यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाकर देश दी जन से क्या वादा किया जाता है। लोकतन्त्र को अपनाने के क्या परिणाम है? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के सबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे।

- लोकतंत्री राज से क्या परिणाम की उम्मीद की जा सकती है ?
- क्या भारतीय लोकतंत्र लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है ?
- क्या लोकतंत्र अपनाने से आर्थिक प्रगति में वृद्धि और विकास हुआ है ?
- क्या लोकतंत्र व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चत करता हैं ?
- भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन-कौन से कारण सहायक माने जा सकते है ?

मानव सभ्यता के इतिहास की जानने के बाद हमें यह पता चला है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, निरंकुश शासन व्यवस्था या किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर मानी जा सकती है। इसके निम्नलिखित कारण है जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणाम जानने का मापदण्ड भी कहा जा सकता है।

- लोकतंत्र नागरिकों की समानता पर विशेष ध्यान देता है।
- यह व्यवस्था व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है।
- यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।
- मतभेद को शांत करने का तरीका प्रदान करता है।
- त्रुटियों (गल्ती) को सुधारने के लिए एक संगठन प्रणाली स्थापित करती है।

इसी अपेक्षा के आधार पर बहुत से लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को राजशाही, तानाशाही की धार्मिक व्यवस्था से बेहतर मानती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जो लोकतंत्र से परिचित (जानना) नहीं है। उनका मानना है कि लोकतंत्र सिद्धान्त रूप में अच्छा है लेकिन व्यवहार में यह भारत में अपनी नीतियों पर खरा नहीं उतर पाया। इस कारण हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भम्रित उलझ हो जाते है। इस भ्रम को दूर करने के लिए लोकतंत्र की मूल बाते जानना हमारे लिए उपयोगी होगा।

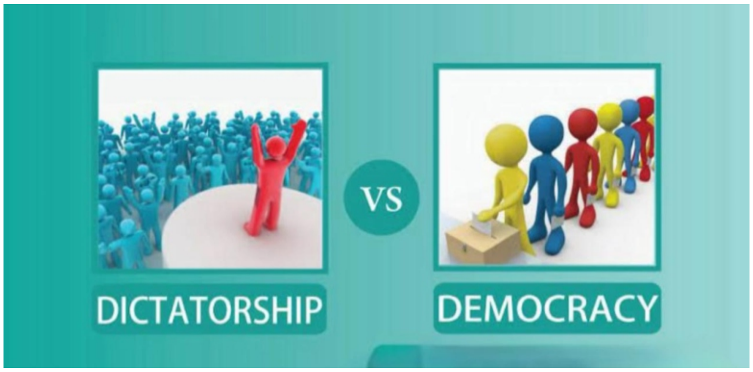

तानाशाही बनाम लोकतंत्र की विषेशता की तस्वीर के द्वारा पेशकश

आज के समय में 100 से अधिक देशों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। इन देशों का अपना संविधान भी है। इन देशों में राजनीतिक दल है और समय-समय पर चुनाव होते रहते हैं। ये देश नागरिकों के अधिकारों की मारिमा बनाए हुए है। लोकतंत्र की ये विशेषताएँ लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में समान है, लेकिन अर्थव्यवस्था और संस्कृति की नज़र से इन देशों की सामाजिक परिस्थितियाँ एक-दूसरे से बहुत अलग है। जाहिर है, लोकतंत्र के कारण इन देशों की उपलब्धियाँ काफी अलग-अलग है।

हमारी जिज्ञासा (रूचि) यह जानने में है कि क्या लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीति समस्याओं का हल है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत (कारण) इतनी सारी समस्याओं का हल नहीं मिल पाता तो हम इस व्यवस्था को भ्रष्ट या दोषी (कसूरवार) कहते हैं। लोकतंत्र के परिणामों को जानने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है। यह शासन प्रणाली ऐसे हालात बना सकती है जिसके तहत हम कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त (हासिल) कर सकते हैं। नागरिकों को इन अवसरों का लाभ उठाना होगा तभी लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

आओ उन परिणामों की जाँच करें जिनकी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपेक्षा की जा सकती है-

I. जवाबदेही, उत्तरदायित्व और संवैधानिक सरकार :

लोकतंत्र प्रणाली के लोग को अपने शासकों को चुनने का अदिकार है। इन शासकों को जनता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए और जब भी संभव और आवश्यक हो, जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए। इसलिए, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य लोगों की एक ऐसी सरकार देना है जो लोगों के प्रति जवाबदेह ही और लोगों की उम्मीदों और जरूरतों को पूरा कर सके। जब हम लोकतंत्र की बात करते है तो हमारे मन में एक और विचार उठता है कि लोकतांत्रिक सरकार एक सक्षम सरकार होती लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग सोचते है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों (जैसे तानाशाही और राजशाही) की तुलना में कम सक्षम होती है। यह भी सच है कि बिना लोकतंत्र वाली सरकारों के शासक जनता के बहुमत और जनमत पर विचार किस बिना निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में जल्दबाजी करते है। लोकतंत्र विचार-विर्मश और बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से निर्णय लेने पर आधारित है। यही कारण है कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लेने में देरी जो जाती है। क्या निर्णय लेने में देरी को हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक अक्षमता कह सकते हैं।

आइए अब निर्णयों के असरदार (प्रभावशीलता) पर विचार करें। मान लेते है कोई भी सरकार बहुत जल्दी कोई फैसला लेती है परन्तु वो फैसला जनता को मंजूर (स्वीकार्य) नहीं है। ऐसे निर्णय भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। हम यह मानते है कि लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने में समय लगता है क्योंकि निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निर्णय विधिपूर्वक लेने के कारण अधिक प्रभावी और अधिक लोगों के लिए स्वीकार्य होती है। इसलिए फैसले लेने में लगाया गया समय खराब नहीं जाता। लोकतंत्र का तकाजा है कि फैसले व्यवस्थित और नियमों के मुताबिक हो।

लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करना। प्रत्येक नागरिक का अधिक है। इससे सरकार की पारदर्शिता का भी पता चलता है। ग़ैर-लोकतांत्रिक सरकारी में यह तत्व नहीं पाया जाता। इसलिए जब भी हम लोकतंत्र के परिणामों के बारे में बात करते है तो यह कहना बिल्कुल सही है कि लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय व्यवस्थित तरीके से लिए जाते है ताकि सरकार लिए गए निर्णयों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह हो। हम लोकतंत्र से यह भी उम्मीद करते है कि वह एक ऐसी तकनीक विकसित करें जो सरकार की जवाबदेह बनाए और दूसरी तरफ नागरिकों के बीच एक ऐसी तकनीक का निर्माण करे जो नागरिक को सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया और किसी विशेष सार्वजनिक मामले में भागीदार बनाए, उनकी राय ले। सरकार की जवाब देह बनाने के लिए हमें यह निश्चित

करना होगा कि सरकार के कामकाज के समय पर स्वतंत्र व पारदर्शी (सादा-सुधरा) चुनाव, देश के राष्ट्रीय और प्रमुख मामलों पर सार्वजनिक बहस का अदिकार और देश के नागरिकों के किसी भी मामले (मुद्दे) पर खुली बहस करने का अधिकार हो। सरकार और सराकर के काम के बारे में जानने के लिए सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक सरकार के उपरोक्त तत्वों की मिली-जुली पृष्ठभूमि (पिछली भूमि) है।

खुली सार्वजनिक बहस के समय पर नियमित और पारदर्शी चुनाव करार लोकतांत्रिक देशों की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कुछ लोकतांत्रिक देश उप दिए गए नतीजों पर खरे नहीं उतरे हैं। लोकतांत्रिक सरकारों ने जनता के साथ जानकारी सांझा करने के मामले में कोई अच्छा काम (प्रदर्शन) नहीं किया है; परन्तु दुसरी तरय अगर देखा जाए लोगों के साथ जानकारी सांसा करने के मामले में लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर काम करके एक लोकतांत्रिक सरकार से यह उम्मीद करना कुछ हद तक सही है कि सरकारें जनता की जरूरतों और चाहतों के प्रति ईमानदार हो और कानूनी तौर से भ्रष्टाचार से मुक्त ही लेकिन जब हम लोकतांत्रिक सरकारों को जायजा (लेखा-जोखा) लेते है, तो हमें पता चलता है कि ये सरकारें भी माँगों पर खरी नहीं उतरती। लोकतांत्रिक सरकारें जनता की मांगो की नज़रअंदाज कर देती है। भ्रष्टाचार की रोजमर्रा की कहानियां हमें यह अहसास कराती है कि लोकतांत्रिक सरकारें भी इस बुराई से दूर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार और लोगों की मांगों की अनदेखी के मामले में गैर-लोकतांत्रिक सरकारें भी पिचे नहीं है।

लोकतांत्रिक सरकार की एक विशेषता यह भी है कि यदि किसी लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार (घूसखोरी) या बदमाशी के मामले सामने आते है, तो सरतार और नागरिकों की कानूनी भागीदारी और ज़िम्मेदारी साफ -साफ दिखाई देती है। लोकतंत्र की सिर्फ मतदान तक ही सीमित नहीं कर सकते। इस तरह अगर कोई सरकार लोगों की और लोगों के लिए नहीं है, वो वह व्यवस्था किसी देश के नागरिकों को काबू करना चाहती है।

एक लोकतांत्रिक सरकार धीरे चलने वाली, कम काम करने वाली, कम पारदर्शी और कम ज़िम्मेदार हो सकती है, लेकिन इस सरकार को लोगों ने खुद अपने लिए चुना होता है, यही कारण है कि पूरे संसार के लोगों का लोकतांत्रिक सरकार के प्रति लगाव (रूझान) ज्यादा दिखाई देता है। आज के समय में गैर-लोकतांत्रिक सरकारों वाले देश की जनता लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की मांग कर रही है। लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होना चाहिते हैं। लोगों की मानन है कि लोकतांत्रिक सरकार उनके देश के लिए बेहतर साबित हो सकती है। एक लोकतंत्रवादी को लोगों से समर्थन मिलना लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है।

II. आर्थिक प्रगति और विकास :

अगर लोकतंत्र अच्छी सरकार दे सकता है तो लोकतंत्र से अच्छे विकास की उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर हम 1950 और 2000 की बीच के समय में लोकतांत्रिक और सत्तावादी सरकारी के काम की तुलना करते है तो हम यह पाते है कि आर्थिक विकास सत्तावादी सरकारी ने ज्यादा किया है लोकतांत्रिक सरकारों के मुकाबले यह लोकतांत्रिक सरकारों के लिए चिंता की बात है कि ये सरकारे उच्च (ऊँची) विकास दर हासिल करने में नाकाम रही है, लेकिन हम सिर्फ आर्थिक विकास के पहलू की देख कर लोकतंत्र के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। हम यह अच्छे से जानते है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत से कारक (तत्तव) ज़िम्मेदार होते है जैसे देश की जनसंख्या का आकार, देश की भौगोलिक स्थिति, दूसरे देशों का किसी देश को दिया जाने वाला समर्थन (विश्वास) देश का आर्थिक ढ़ाया सुझारने के लिए सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसले और वहां के नागरिकों की शारीरिक और मानसिक गुणवत्ता भी जरूरी है। कम विकसित देश जहां सत्तावादी और गैर लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित है, वहाँ के आर्थिक विकास के कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। इन सब बातों से हम यह नहीं कह सकते कि लोकतंत्र आर्थिक विकास को आधार देता है। लेकिन हम यह उम्मीद कर सकते है कि आर्थिक विकास के मामले में लोकतंत्र

तानाशाही से पीछे नहीं रहेगा।

जब हम आर्थिक विकास के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाही सरकार के बीच अंतर करते है तो हम लोकतंत्र सरकार को हमेशा बेहतर ही बेहतर पाएगे क्योंकि लोकतंत्र में कई आर्थिक पहलु हमारे सामने आए है। अगर लोकतंत्र की नितियां असरदार हो तो देश का आर्थिक पहलू अपने आप बेहतर हो जाता है। दूसरी तरफ लोकतंत्र में यह गुण बी है कि नागरिक चाहे किसी भी क्षेत्र (जगह में रहते हो, उनका बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा (वितरण) करने से अमीर नागरिकों के पक्ष में राष्ट्रीय आय के वितरण की टाला जा सकता है।

लोकतांत्रिक शासन के आर्थिक परिणाम

हम निम्नलिखित आकड़ों से लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों का पता लगा सकते हैं :

- तानाशाही शासन में आर्थिक विकास की दर लोकतांत्रिक समाज की तुलना में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जबह अमीर देशों की प्रणालियों के आर्थिक विकास के दर की तुलना गरीब देशों की प्रणालियों से करते हैं तो हमें दोनों के ब ीच कोई खास अंतर नज़र नहीं आता।
- कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारी असमानता पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देशों में 20% अमीर लोग अपनी आय का 60% घर ले जाते है। देश की आमदनी का सिर्फ और सिर्फ 3% ही देश की पिछड़ी श्रेणी के 20% लोग ही हिस्सा ले पाते है। गरीब देशों के नागरिकों के लिए सुविधाएं की उपलब्धता में भी असमानता पाई जाती है।

III. आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करना :

आर्थिक विकास के साथ-साथ लोकतंत्र से यह उम्मीद की जाती है कि यह लोगों की आर्थिक असमानता को भी कम करेगी। किसी भी देश में अगर आर्थिक विकास होता है तो उसका लाभ देश के हर नागरिक को होता है? सभी लोगों के आम जीवन में क्या सुधार बदला आया है ? क्या लोकतांत्रिक देशों में हुए आर्थिक विकास ने आर्थिख असमानता को बढ़ाया है ? क्या लोकतंत्र संसाधनी का सही बंटवारा और विकास के लिए समान मौके देने में सफल हुआ है ? उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने का पूरा अदिकार है परन्तु दूसरी तरफ राजनीतिक समानता आर्थिख समानता के बिना निरर्थक साबित होती है। लोकतांत्रिकक शासन प्रणाली भी आर्थिक असमानता को दूर करने में सफल नहीं हो सकी। लोकतंत्र समाज में अमीर लोग जो संख्या में बहुत थोड़े होते हुए भी देश के धन व संसाधनों का पूरा-पूरा आनंद उठा रहे है। समाज का पिछड़ा वर्ग राष्ट्र की आमदनी का बहुत कम हिस्सा प्रयोग में ला पाते हैं। कई बार तो यह निम्न वर्ग अपनी ज़िन्दगी की बुनियादी जरूरतों जैसे-मकान, भोजन, कपड़े, शिक्षा और सेहत को भी पूरा हासिल नहीं कर पातें।

उदारवादी लोकतंत्र से भाव है कि व्यक्ति को अधिकार और आज़ादी प्रदान करना जिससे वक्ति अपना आर्थिक विकास बिना रोक-टोक से सही प्रकार से कर सकता है।

सही तरीके से देखा जाए तो हम पायेंगे की उदारवादी लोकतंत्र भी समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में सफल नहीं हो सका। हमारे देश भारत में भी बहुत ज्याजा गरीबी दर है। गरीब व्यक्ति देश के मतदान का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े हिस्से को अपने हाथी से गवाना नहीं चाहता, परन्तु लोकतंत्री तरीके से चुनी हुए सरकारें गरीबी को दूर करने से दिलचस्पी नहीं लेती, जैसे कि आम व्यक्ति उनसे उम्मीद करता है जब वो मतदान करके अपने लिए लोकतांत्रिक सरकार चुनता है। कई देशों में हालात भारत से भी बुरे है। हमारे पड़ेसी देश बांग्लादेश में आंधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहते है। बहुत सारे गरीब देश

अपनी जनता की भोजन की कमी को पूरा करने के लिए अमीर देशों पर आश्रित (निर्भर) है।

विश्व का धन कुछ व्यक्तियों के पास

IV. नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना:

लोकतंत्र शासन में यह उम्मीद की जाती है यह दूसरी शासन प्रणालियों की तुलना में सम्मान, आज़ादी और सुरक्षा को यकीनी बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति खुद का सम्मान करता है। व्यक्तियों के बीच संघर्ष की भावना आम रहती है क्योंकि कुछ व्यक्तियों को लगता है उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता इसलिए सम्मान और आज़ादी लोकतंत्र की नींव है।

सभी लोकतांत्रिक देशों ने कम से कम आंशिक कूप से इन अवधारणाओं को मान्यता दी है। व्यक्ति की आज़ादी और स्मान को अलग-अलग देशों में अलग-अलग पैमानों पर रखा गया है। संमतवादी सोच और सदियों पहले स्थापित हो चुकी सामूहिक सोच के व्यक्तियों के लिए सम्मान और समानता लाने में काफी समय लगेगा। जब भी हम औरत के सम्मान और अधिकार की बात करते है तो हमें पता लगता है आज का समाज पुरूष प्रधान समाज है। औरतों द्वारा किए गए लंबे संघर्ष ने यह अहसास दिलाया की महिलाएं भी पुरूषों के बराबर है। इसलिए उनके साथ भी पुरूषों की तरह अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में औरतों को पुरूषों की तरह सब अदिकार दिए गए है परन्तु दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक देशों में अभी भी औरतों को कानूनी और नैतिक तौर पर पुरूषों के मुकाबले कम माना जाता है। यह बात जातिगत असमनता पर भी लागू होती है।

भारत के लोकतंत्र में सदियों से मताधिकार से दूर और भेदभाव से पीड़ित लोगों की गरिमा को बचाया है और इन जातियों के लिए विकास के नए अवसर प्रदान किए है लेकिन अभी भी जाति आधारित भेदभाव, असमानता, और उत्पीडन के मामले सामने आते है इसका कारण समाज की नैतिकता और कानूनी सुरक्षा के अधीन बनाए गए कानूनों की कमियां सामने आ जाती है। भारतीय लोकतंत्र ने नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में काफी अहम भूमिका अदा की है। लोकतन्त्र प्रणाली में लोगों को इस प्रणाली पर किया गया विश्वास हि इस प्रणाली को आधार प्रदान करती है। लोकतांत्रिक प्रणाम को गैर लोकतांत्रिक प्रणाली से जो तत्व जुदा करता है वह लोकतांत्रिक प्रणाली की कभी ना खत्म होने वाली परीक्षा है लोकतंत्र में एक परीक्षा खत्म होते ही दूसरी परीक्षा पैदा हो जाती है। लोकतंत्र में बनाई गई नीतियाँ से जब आम नागरिकों को लाभ पहुँचता है तो लोग लोकतंत्र पर नई नीतियाँ बनाने की माँग करता है। इसी कारण जब नागरिकों से लोकतंत्र की कार्यशीलता के बारे में पूछा जाता है तो

उनकी बढ़ती उम्मीदों के कारण वे लोकतंत्र की सिर्फ कमियाँ ही बताते है। ऐसा माना जाता है लोकतंत्र की कमियाँ जानकर हम लोगों का लोकतंत्र के प्रति लगाव (रूझान) पता लगा सकते हैं। इससे यह भी पता लगता है लोग लोकतंत्र के प्रति कितने जागूरक हुए है। लोग अपने ऊपर शासन कर रहे, प्रतिनिधियों को समय-समय पर परख रहे है। लोगों को अपने मत दान की कीमत का पता लग गया है। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ता ही जा रहा है।

विपरीत परिस्थितयाँ होने के बावजूद भारत का लोकतंत्र सपालत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र ने कई अच्छे परिणाम हासिल किए है जिनकी चर्चा हम निम्नलिखित शीर्षको के अंतर्गत कर सकते है-

* जनभागीदारी एक राजनीतिक चेतना का विकास

विकसित लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत के लोगों में सार्वजनिक भागीदारी और राजनीतिक चेतना की हमेशा ही कमी (अभाव) दिखाई दिया है, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीयों में यह पहलू लगातार विकास कर रहा है। लोग अब राजनीतिक मामलों में ज्यादा रूचि ले रहे है। भारत में अब तक 17 लोक सभा चुनाव ही चुके है और यह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जनता की भागीदारी के बिना लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। भारत में सांझेदारी का स्तर लगातार बड़ रहा है। निम्नलिखित तथ्य यह स्पष्ट करते है कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1. लोग अपने अधिकारों के लिए पहले से अधिक जागरूक हो गए है। अब लोग अधिकारों का हनन सहन नहीं करे यदि उनके अधिकारों का हनन होता है लोग जरूरत पड़ने पर आवश्यक कानूनी कदम उठाने में पिछे नहीं हटते।
2. भ्रष्टाचार व्याप्त (फैलना) चूका है और अब लोग भ्रष्टाचारी व्यक्ति की गतिविधियों का पर्दाफाश (उजागर) करने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करते।
3. हर चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ लोगों की राजनीतिक भागीदारी और चुनावी ज़िम्मेदारी बढ़ती जा रही है। लोग गुणात्मक दृष्टि से चुनावी में अधिक रूचि लेने लगे है।
4. जिन राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली जनता की इच्छा ने अनु नहीं होती, ऐसे दलों को जनता नकार देती है।
5. एक समय था जब केन्द्र सरकार अपने दम पर राज्यों विपक्षी दलों की सरकारें स्थापित करती थी, इसे पूरा करने के लिए वे धारा-356का इस्तेमाल कर तोड़ देती थी, लेकिन अब ऐसा करना संभव ही नहीं नामुमकिन है।
6. दल-बदल की जघन्य बुराई भारतीय लोकतन्त्र को कमज़ोर कर रही थी लेकिन 1985 से 52वें संशोधन के माध्यम से दल-बदल विरोधी अधिनियम पारित होने से यह बुराई काफी हद तक समाप्त हो गई है। लोगों में दलबदलुओं और अवसरवादी नेताओं के प्रति घृणा (नफ़रत) पैदा हो गई है। इस बात से यह स्पष्ट है कि भारत में लोगों में साझेदारी और राजनीतिक चेतना बढ़ी।

* भारतीय महिलाओं को सम्मान का स्थान मिलना

भारत के संविधान निर्माताओं ने महिलां को पुरूषों के बराबर अदिकार देकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के काफी समय बाद अमेरिका, कनाड़ा, इंग्लैंड, स्विज़रलैंड जैसे दुनिया के विकसित देशों ने महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार दिए, लेकिन भारत में 26जनवरी 1950 की संविधान लागू होने के साथ ही महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक दर्जा दिया गया और महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, अब महिलाए जीवन के हर क्षेत्र

(जगह) अपना पूरा योगदान दे रही है। राजनीतिक संस्कृति में भी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। भारतीय लोकतंत्र ने सदियों से महिल और पुरूषों के बीच आई दरार को कम करते हुए नारी जाति के मान-सम्मान में बढ़ोतरी की है।

* तथाकथिक निचली जातिओं को सार्थक स्थान प्रदान करना

भारत में जातिप्रथा सदियों से चली आ रही है। जो भारत के सुन्दर मस्तक पर कलंक की तरह इसे दागदार बना रही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इन तथाकथिक निचली जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए संविधान में कई तरह के प्रावधान करे एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकारी संस्थाओं और प्रतिनिधि संगठनों द्वारा इन लोगों के लिए वित्तिय सीटें आरक्षित करने के कारण इन लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है, इनका मान-सम्मान बढ़ रहा है और भारत में जाति प्रथा का अंत हो रहा है। निम्न जाति के लोग उच्च प्रशासनिक व राजनीतिक पदों पर आसीन हो रहे है। आशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में भारतीय लोकतंत्र जाति व्यवस्था के कलंक को पूरी तरह मिटा देगा।

* राष्ट्रीय जीवन के ग्रेक क्षेत्र का विकास

मानव जीवन के कई पहलू है जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि। ये सभी पहलू भारतीय लोकतंत्र की स्थापना के साथ विकसित हुए है। अशिक्षा, गरीबी की कुछ हद तक कम किया जा रहा है। लोगों का जीवन स्तर काफी ऊँचा हुआ है। लोगों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है। आर्थिक दृष्टि से भी काफी विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का मान-सम्मान काफी बढ़ा है। भारत में शिल्प व प्रौद्योगिकी लगातार विकसित हो रही है। ये उपलब्धिय भारत में लोकतंत्र की स्थापना के कारण ही संभाव हो सकी है।

* विविधता में एकता बनाना

भारत में भिन्न-भिन्न धर्म जाति और नस्लों के लोग रहते है। इन सबकी भाषा और रीति-रिवाज़ भी अलग-अलग है। इन सब विभिन्नताओं के हीते हुए भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेकता में एकता बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। भारतीय संविधान ने हर नस्ल, धर्म, जाति के लोगों को अपनी-अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए समान अवसर प्रदान किया है। भारत विश्व के ऐसे देशों के लिए उदाहरण बनकर सामने आया है जहां विबिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृति के लोग रहते है। भारतीय लोकतंत्र ने इन विदेशियों के डर को दूर कर दिया जिन्होंने कभी सोचा था कि भारतीय लोगों के बीच की भिन्नताएं भारत को कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं होने देगें।

* भारत की राष्ट्रीय एकता

भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है पर भारत के सभी राज्यों में एक ही संविधान लागू किया गया है। पूरे भारत में चुनाव करवाने के लिए एक ही चुनाव कमीश्न है और सभी भारतीयों के लिए समान कानून बनाए गए है। भारत में भिन्न-भिन्न जाति, धर्म, नस्ल के लोग रहते है परन्तु भारत में एक संविधान लागू होने के कारण भारत अनेकता में एकता का बड़ा अच्छा उदाहरण पूरे विश्व के सामने पेश करता जो बारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

(ii). लोकतंत्र चुनौतियां (Democracy: Challenges)

लोकतांत्रिक राजनीति के इस पाठ में हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली केसंबंध में उठने वाले कुछ मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे वो कौन सी चुनौतियाँ है जो भारत या दुनिया के किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश में लोकतन्त्र होने के कारण पेश हो रही है ? क्या लोकतंत्र के विचार की महानता कम हो रही है? लोकतांत्रिक राजनीति में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है ? लोकतांत्रिक राजनीति की ओर अधिक मज़बूत व व्यवहार्य कैसे बनाया जा सकता है? लोकतन्त्र की मज़बूत करने के लिए आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है ? लोकतंत्र के बारे में ऊपर पूछे गए प्रश्नों (उपरोक्त) प्रश्नों का कोई सटीक (परिपक्व) उत्तर तो नहीं मिल सकता लेकिन कुछ सुझाव जरूर प्रस्तुत किए जा सकते है। जिनके आधार पर हम इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपना दृष्टिकोण (नज़रिया) बना सकते हैं।

विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध तो बाद जो भी देश औपनिवेशिक दासता से पूर्ण रूप में आज़ाद होने के बाद अपने देश में लोकतांत्रिक शासन लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे परन्तु जब हम इन देशों की लोकतांत्रिक प्रणाली के कामकाज पर नज़र डालते है, तो हमें लगता है कि इन लोकतांत्रिक देशों के प्रतिनिधि अपने लोगों से किए गए वादों को लागू करने में विफल/असफल बड़े है।

अब तक लोकतंत्र ने अपना रास्ता तय किया है उससे हमें लोग के उन गंभीर पहलुओं का पता चलता है जिनका सामना दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश कर रहे है। लोकतंत्र में आने वाली चुनौति हमें आगे बढ़ने के मौके देती है। यदि हम चूनौतियों पर काबू (नियंत्रण) पा लेते है तो हम पहले से भी ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते है।

विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की चनौतियों का सामना करना है। नौवीं श्रेणी में दिए गए विश्व के मानचित्र (नक्शे) से हमें पता चलता है कि वर्ष 2000 तक विश्व के लगभग एक चौथाई भाग में लोकतांत्रिक सरकारे स्थापित नहीं सके दुनिया के इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना एक गंभीर मामला है। इन देशों की गैर लोकतांत्रिक सरकारों को खत्म करना, इन देशों की सरकारों पर सेना का नियंत्रण कम करना और इन देशों के लोगो के लिए लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों वाली संप्रभु सरकार की स्थापना करना एक गंभीर चुनौती है।

जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वो देश भी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे है और दूसरी तरफ कुछ देश विभिन्न सामाजिक समूहों और देश के कुछ हिस्सों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सके है। जैसे भारत में माओवादी और आदिवासी लोगों को भारतीय लोकतंत्र में विश्वास ना रखते हुए सरकार विरोधी गतिविधियां करते रहते है जिस कारण हमारे पड़ोसी देशों में नेपाल के तराई क्षेत्र वाले लोगों की और पाकिस्तान के अर्ध-पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल करना मुश्किल हो रहा है। कई देश स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अधिक प्रशासनिक शक्तियां देने में सफल नहीं हुए है। संघवाद के सिद्धान्त के तहत कई देश की इकाईयों को प्रशासन चलाने के लिए स्वतंत्र अधिक नहीं दे सकते। कई देशों में, केन्द्र सरकार अकसर इन इकायों के प्रशासनिक मामलों में दकलअंदाजी कती करती रहती है। उदाहरण के लिए 1967 तक भारत में बनी केन्द्रीय सरकार राज्यों में बनी गैर कांग्रेसी सरकारों के नाम में दकलदाजी (हस्तक्षेप) करती रहती थी। कई देश महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने में सफल नहीं हुए है। लोकतंत्र आर्थिक और राजनीतिक विक्रेंद्रीकरण की मांग करता है लेकिन भारत और दुनिया के कई अन्य लोकतांत्रिक देश इस सिद्धान्त को पूरी तरह से लागू नहीं कर सके।

तीसरा पहलू लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूत करने से जुड़ा है जो हर लोकतांत्रिक देश में किसी नाकिसी रूप में हो रही है। इसमें लोकतंत्र की संस्थाओं को मज़बूत करना भी शामिल है। लोकतंत्र की जड़े तभी मज़बूत हो सकती है जब लोग अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके या लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतर

सके। भिन्न-भिन्न समाजों में लोग लोकतंत्र से अलग-अलग उम्मीद करते है।

इसलिए अलग-अलग देशों में लोकतंत्र के मायने भी अलग-अलग है। इसका साफ मतलब है कि लोकसभा, पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं में, उसी तरह विधानसभा, नगरनिगमों आदि शहरी स्थानीय निकायों में भी जनता की भागीदारी और जनता का नियंत्रण सुनिश्चिल किया जाना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में अमीरों और शक्तिशाली लोगों का प्रबाव कम से कम किया जाए।

अलग-अलग हालातों में अलग-अलग चुनौतियां-

निम्नलिखित कार्टून लोकतंत्र की विशेषताओं को दिखा रहे है। कार्टून की देखे और बताए कि यह किस प्रकार की शैली है।

लोकलंत्र के वास्तविक स्तंभों के स्थान पर समाज में कुछ और नाकारात्मक पक्षों को आधार बनाकर सत्ता में बैठने वाले राजनीतिज्ञ की एक कार्टून द्वारा पेशकश।

विद्यार्थियों के कुछ करने के लिए

कालम-1 में दिए गए देश एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध में अपनी टिप्पणी कालम-2 में लिखो। लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियाँ है ? यह कार्य शिक्षक के मार्गदर्शन एवं देखरेख में किया जाना चाहिए।

कालम-1	कालम-2
हालात- • **चिली :-** चिली के जरनल पिनास की सरकार ने चुनाव हार जाने के बावजूद प्रशासन पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा। • **पोलैंड :-** पोलैंड में सालिडैरिटी यूनियन की सफल हड़ताल के बाद देश की सत्तवा सेना को सौंप दी गई और सालिडैरिटी यूनियन पर प्रतिबन्ध पाबंदी लगा दी गई। • **म्यांमार :-** लोकतंत्र के समर्थक नेता आंग सांग सू की को हिरासत में लिया गया। वहां की सैन्य तानाशाही को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया। • **अंतराष्ट्रीय संगठन :-** विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र का सम्मान कम कर दिया। अमरीका संयुक्त राष्ट्र को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है। • **मेक्सिको :-** मेक्सिको में 2000 में दूसरी बार स्वतंत्र चुनाव हुए और पी.आर.आई पार्टी की हार हुई, घरे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। • **चीन :-** चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी आर्थिक सुधार किए परन्तु इस पार्टी ने चीन की राजनीतिक सत्ता पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। • **पाकिस्तान :-** जरनल मुशर्रफ ने बन्दूक के साये में जनमत करवाया। मतदाताओं को अपनी मुट्ठी में पकड़कर चुनावी घांधली (गड़बड़ी) को अंजाम दिया गया। • **इराक :-** सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद इराक में धार्मिक और राजनीतिक समूही के बीच बड़े पैमाने पर विभाजन हुआ क्योंकि नव स्थापित सरकार की वहाँ के लोग वैध नहीं मानते थे।	**टिप्पणी-** • देश की प्रशासनिक संस्थाओं पर जनता द्वारा चुने गए नेताओं का नियंत्रण सुनिश्यित करना, बहुदलीय प्रणाली के तहत पारदर्शी चुनाव करवाना, जेल में बंद नेताओं को रिहा करवाना।

- **दक्षिण अफ्रीका :-** नेल्सन मंडेला ने राज नीति से सन्यास ले लिया। उसके उत्तराधिकारी पर अल्पसंख्यक गोरों को दिए गए विशेषाधिकारों की वापिस लेने पर ज़ोर डाला गया।
- **सऊदी अरब :-** यहां महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की मनाही (प्रतिबंध) है। अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है।
- **यूगोस्लाविया :-** कोसोवा प्रांत में सर्व और अल्बानियाई नस्लो बीच का तनाव यूगोस्लाविया के पतन का कारण बना।
- **बेल्जियम :-** संविधान में कई बार बदलाव करने के बावजूद वहाँ के डच नेता सहमत नहीं हुए, वे अधिक आत्म निर्णय की माँग कर रहे है।
- **श्रीलंका :-** अल.टी.टी.ई. और श्रीलंका सरकार ने शांति वार्ता तोड़ दी और हिंसा का दौर जारी है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका :-** काले नागरिकों को गोरे नागरिकों के समान अदिकार मिल गए है परन्तु अभी भी काले नागरिक कम पढ़े लिखे, और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे है।
- **उत्तरी आयरलैंड :-** यहाँ पर घरेलू युद्ध खतम हो गया है पर आज भी ( ) विकसित करने में सफल नहीं हो सके है।
- **नेपाल :-** यहाँ नया संविधान लागू हो चुका है लेकिन तराई क्षेत्र के लोग इस संविधान से खुश नहीं है। वे संविधान के तहत अधिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
- **बोलीविया :-** मोरेल, जिन्होंने वहां के लोगों को सस्ती दरो पर पानी उपलब्ध करवाने के लिए आंदोलन चलाया था, आंदोलन की सफलता के बाद वे बोलीविया के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो वहाँ के लोगों को पानी मँहगे दामी पर बेच रही थी देश से बाहर निकाल दिया।

पिछले पन्नी में हमने विभिन्न देशों के संबंध में लोकतांत्रिक राजनीति के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को देखा है। अब नीचे कुछ लोकतांत्रिक राजनीति के क्षेत्र में पेश आ रही चुनौतियों के प्रकार लिखे गए हैं। उनके सामने उन देशों के नाम लिखे हुए है जिन देशों ने उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर किसी देश की एक से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस देश का नाम एक से ज़दा बार लिखा हुआ है।

अ. चुनौती का प्रकार **ब. प्रभावित देशों के नाम**

- संविधानिक आपदा के संबंध में
- लोकतांत्रिक अदिकारों के संबंध में
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली के संबंध में
- संघीय सरकारों के मामले में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के संबंध में
- विविधता में एकता बनाने के बारे में
- बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार

आओ अब जरा उन चुनौतियों के बारे में चर्चा करे जो भारत के लोकतंत्र को पेश आ रही है। नीचे दिए गए बक्से में भारतीय लोकतंत्र के सामने आ रही चुनौतियों की किस्मे बताई गई है। इन चुनौतियों की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार लिखें। भारतीय लोकतंत्र के संबंध में इन चुनौतियों का ब्यौरा कारण सहित लिखिए।

अशिक्षा पहला (क्रम) चुनौति	उदाहरण (घटना)	वरीयता का कारण
1. साम्प्रदायिकता	1947 में पंजाब और बंगाल की विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुईष मुजफ्फरपुर दंगे, 1984 दिल्ली नरसंहार आदि।	सामाजिक समुदाय टूटता है और बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। जान-माल की हानि से लोकतंत्र की जड़े कम होती है। पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार को काफी आर्थिक, सामजिक और राजनीतिक प्रयास करने पड़ते है।
2. भ्रष्टाचार		
3. गरीबी		
4. जातिवाद		
5. बड़ी आबादी		
6. हिंसा		
7. अनपढ़ता		

लोकतांत्रिक सुधार (Democratic Reforms)**:** भारतीय लोकतंत्र के उपरोक्त पहलुओं या समस्याओं पर विचार करने के बाद अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। भारत लंबे समय से लोकतंत्र का अभ्यास कर रहा है। भारतीय नागरिकों ने लोकतंत्र में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे है। भारतीय लोकतंत्र पर भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, गरीबी, अशिक्षा और साम्प्रदायिक मूल्यों का बुरा असर पड़ा है।

भ्रष्टाचार की प्रवृति ने लोगों के मन में नफरत पैदा कर दी है सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री और यहां तक कि आम लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे है। इसलिए भारतीय नागरिकों का लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। कभी-कभी लोग सुनते है कि भारतीय लोकतंत्र अब जनता की व्यवस्था नहीं रह गई, बल्कि बहुसंखयकों की व्यवस्था बन गई है; जिसमें अल्पसंख्यक लोग असुरक्षित महसूस कर रहे है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की कार्यशैली का प्रदर्शन को देखते हुए कई लोगों की राय है कि भारत में तानाशाही व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे देश की बार-बार चुनाव जैसे खर्चों से राहत मिलेगी और वही पैसा विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा और देश की गरीबी से राहत मिलेगी। चुनावों में होने वाली धांधली से छुटकारा मिलेगा। अगर देखा जाए तो भारत में चुनाव तो होते है पर वो सच्चे जनमत की अभिव्यक्ति नहीं करते। ऊपरी तौर पर तो भारत में लोकतंत्र दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे इसे अमीर लोग चला रहे है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुनाव लड़ना आम नागरिकों का काम नहीं रह गया। राजनीतिक दल केवल अमीर लोगों को चुनाव टिकट देते है। देश के बड़े व्यापारिक घराने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए भारी मात्रा में धन देते है। चुनाव जीतने केबाद ये राजनीतिक दल व्यापारिक घरानों के पक्ष में नीतियां बनाते है और उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचाते है जिसके कारण देश में आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लए संघर्ष करना पड़ता है। इससे आम नागरिक का लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हुआ है, लेकिन यदि स्वयालित वाहन में कोई दोष हो तो उसे छोड़कर बैलगाड़ी अपनाना सही नहीं है, बल्कि आवश्यकता स्वचालित वाहन के दोष की दूर करने की है। भारतीय व्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप में हने वाले सभी वर्गों के लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है ताकि धर्म, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी वर्ग प्रगति करें। भारत के संघीय ढांचे को भी मज़बूत किया जाना चाहिए ताकि नागरिक में क्षेत्रीय स्वशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल हो, जो अनेकता में एकता का सही रूप में दर्शाती है।

लोकतंत्र में सुधार की मांग करने वाले कुछ लोगों की राय है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सखत कानून बनाना चाहिए। कानून बनाने वाली पार्टी में लोकतांत्रिक सोच की गिनती नहीं की जा सकती। ना ही उस पर शक किया जा सता है। भारत देश में कानून की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार की खतम करने के लिए दिन बर दिन कानून बनते रहते है। लोकपाल कानून पारित हो चुका है। सवाल यह उठता है कि इन कानूनों को लागू करने के लिए ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। कानून का मकसद किसी भी वर्ग का नुकसान करना नहीं होता। यह तो पूरे समाज के हित में होना चाहिए। कई बर निषेधात्मक कानून पारित किए जाते है जिन कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है। देश की संसद और लोग प्रतिनिधि ऐसा कानून ना बनाए जिससे जनता उनके खिलाफ हो जाए। भारत के कई राज्यों में यह कानून बनाया गया है जिससे दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति का चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं है, ऐसा कानून जनता के एक बड़े वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित कर देगा, प्रभावित लोगों में देश के प्रति क्रोध की भावना का विकास होगा। क्रोध की भावना आंदोलन को जन्म देगी और लोकतंत्र कमज़ोर होगा। सन् 2020 में केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कानून पारित किए जो कई राज्यों के किसानों को मंजूर नहीं थे।

संक्षेप में हम इतना ही कह सकते है कि जब तक देश के नागरिकों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ना संभव नहीं होगा। लोकतंत्र में सुधार सिर्फ और सिर्फ

जनता कर कती है। भारतीय लोकतंत्र में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे है। हालाँकि सुझावी की कोई विस्तृत सूचि तैयार नहीं की जा सकती है। हमारा मानना है कि ये सुझाव लोकतंत्र में सुधार कर सकते है पर इन सुझावों को लागू करके लोकतंत्र में सुधार की संभावना से इंकार नही किया जा कता। इन सुझावों के अलावा आप अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत बनाने एवं उसमें सुधार हेतु सुझाव

1. **नेताओं और लोगों का उच्च नैतिक स्तर :** उच्च नैतिक स्तर रखने वाले लोग ही लोकतंत्र को सफल और मज़बूत बना सकते है। यदि देश के लोग, राजनीतिक नेता और शासक भ्रष्ट होंगे तो लोकतंत्र ध्वस्त (विनाश, नष्ट) हो जायेगा।
2. **शिक्षित नागरिक :** शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को सफल कर सकते है। केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही देश की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को समझ कर उन्हें हल कर सकते है। शिक्षा लोगों के मन में समसामयिक अवधारणाएँ पैदा करती है और उन्हें जागरूक बनाती है।
3. **राजनीतिक स्वतंत्रता :** लोगों को भाषण, संघ या समूदाय, सभा और प्रेम की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नागरिकों की सरकार की खराब नीतियों को खुल कर आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए।
4. **आर्थिक समानता :** आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है। बड़े पैमाने पर आर्थिक समानता क्रांति को जन्म देती है। यह सच है कि पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है लेकिन देश के नागरिकों की बुनियादी जरूरते पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कम से कम प्रत्येक नागरिक के पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। सामाजिक घटनाओं के बारे में सोचना तभी संभव है जब वह दूसरों पर निर्भर ना हो।
5. **सामाजिक समानता :** लोकतंत्र को मज़बूत करने में सामाजिक समानता की प्रमुख भूमिका है। जाति नस्ल, रंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता और मज़बूती के लिए उच्च वर्ग के विशेषताधिकारी को खत्म करना ज़रूरी है और दूसरी और, एक सार्थक लोकतंत्र केवल कर्ज में डूबे देश में ही स्थापित किया जा सकता है।
6. **जागरूक नागरिक :** जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को सशक्त बनाकर उसे बेहतर बना सकते है। नागरिकों की अपने अधिकारों के हनन के प्रति सुचेत रहना चाहिए और दूसरी और अपना कर्त्तव्य भी ईमानदारी से निभाना चाहिए।
7. **शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके :** लोकतंत्र को सफल व मज़बूत बनाने के लिए शक्तियों का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। शक्तियों का विकेन्द्रीकरण लोगों को प्रशासन की कला में निपुण बनाता है जो सफल लोकतंत्र के आधार बनता है।
8. **सिद्धान्तों पर आधारित राजनीतिक दल :** राजनीतिक दलों को लोकतन्त्र की रीढ़ कहा जाता है। सिद्धान्त आधारित राजनीतिक दल लोकतन्त्र की स्थिरता प्रदान करता है। धर्म और जाति पर आधारित अन्य सभी राजनीतिक दल लोकतन्त्र की जड़ों की कमज़ोर कर सकते है। आर्थिक राजनीतिक विचारधारा पर आधारित पार्टियाँ होने से एक स्वस्थ राजनीति वातावरण बनती है।
9. **योग्य नेता :** लोकतंत्र में सुधार लाने और उसे मज़बूत बनाने के लिए बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं का होना ज़रूरी है। नेताओं में सही निर्णय लेने और पहल करने की क्षमता होनी चाहिए एसे नेता ही लोकतंत्र को सही दिशा में ले जा सकते है।

10. **स्वतंत्र व्यायपालिका :** लोकतंत्र को सफल और मज़बूत बनाने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र, ईमानदार और निडर होना ज़रूरी न्यायपालिका की सत्तारूढ़ दल का पक्ष नहीं लेना चाहिए बल्कि न भावना के आधार पर मामली का निर्णय करना चाहिए।

क्या लोकतंत्र को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है ?

ऊपर वर्णित सुझावों के अलावा, छात्र लोकतंत्र की मज़बूत करने और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं ऐसा करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों का विषयानुसार मार्गदर्शन करना चाहिए।

अब हम लोकतन्त्र के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और छात्रों को सुझाव देंगे।

इन परिभाषाओं के मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अच्छे लोकतंत्र की अपनी परिभाषा दीजिए। समय के साथ हर प्रक्रिया और विचार बदलते रहते है, लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए लोकतंत्र के अच्छे भविष्य के लिए शायद कुछ अन्य परिभाषा भी दी जा सकती है। जिस प्रकार मानव विकास एर चरण से दूसरे चरण की ओर बढ़ रहा है, उसी प्रकार विकास भी लोकतंत्र के रूप में होना चाहिए यह प्राकृतिक है।

नौवीं कक्षा में लोकतंत्र की परिभाषाओं एवं लोकतंत्र की विशेषताओं से हम लोकतंत्र की विशेषताओं से हम लोकतंत्र के लिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

- लोकतांत्रिक प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जो देश को चलाने के लिए सभी निर्णय लेते है।

- चुनाव लोगों को अपने शासकों को बदलने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते है।
- लोगों को समानता के आधार पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनने का अवसर प्रदान करता है।
- लोकतंत्र सभी लोगों को बोलने का अधिकार प्रदान करता है। आलोचना के अलावा एक-दूसरे से सैद्धांतिक रूप से असहमत होने का अधिकार प्रदान करता है।
- लोकतंत्र विभिन्न विचारों और विचारधाराओं की अनुमति देता है लेकिन इसके लिए आपसी सहिष्णुता की भी आवश्यकता होती है।
- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मामलों की समझा-बुझाकर हल करने पर ज़ोर देता है।
- लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है।

पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में हम लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य विषयों पर भी विचार करते है जो निम्नलिखित है :-

- सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। हमने इस बात पर भी विचार किया है कि सरकार और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है।
- हमने यह भी माना है कि लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है। अल्पसंख के हितो की रक्षा करना, तथा उनका सम्मान करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है।
- जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव की खत्म करने ही लोकतंत्र को मज़बूत और सफल बनाया जा सकता है।
- अंत में, हमने लोकतंत्र के कुछ परिणामों पर चर्चा की जो आम नागरिक लोकतंत्र से उम्मीद रखते है। उपरोक्त तथ्यों से हम यह अनुमान लगा सकते है कि एक लोकतांत्रिक देश में न्यूनतम शर्ते क्या होनी चाहिए ?

लोकतंत्र की परिभाषा के आगे अब हम एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा देंगे। हम एक अच्छे लोकतंत्र की कैसे परिभाषित कर सकते है ? एक सच्चे लोकतंत्र की क्या विशेषता है ? एक अच्छे लोकतंत्र में किन बातों को खारिज किया जाता था। छात्र-स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगें।

नीचे दिए गए स्थान पर विद्यार्थी एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा लगभग 50 शब्दों में लिखेंगे।

....

....

....

....

....

अभ्यास

क. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों या एक वाक्य में दें :-

(1) भारतीय नागरिकों को लिंग के आधार पर समानता का अधिक किस दस्तावेज़ के अनुसार और कब मिला ?

(2) कौन सी राजनीतिक व्यवस्था नागरिकों की समानता पर आधारित है ?

(3) वर्तमान में किनते देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है ?

(4) वर्ष 2000 तक विश्व के कितने भागों में लोकतांत्रिक व्यस्थ लागू नहीं थी ?

(5) **भारतीय लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ?**

(i) भारतीय लोकतंत्र ने प्रत्येक नागरिक की गरिमा को बढ़ाया है ?

(ii) भारत ने लोकतंत्र की अपनाकर कथित जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया है ?

(iii) लोकतंत्र ने भारीतयों में समुदाय की भावना को बढ़ाया है ?

(iv) लोकतंत्र में दोषों की मुरम्मत नहीं की जा सकती ?

(6) **लोकतंत्र एक धीमी गति से चलने वाली व्यवस्था क्यों है ?**

(i) निर्णय लोगों की इच्छा अनुसार लिए जाते है।

(ii) निर्णय तुरंत लिए जाते है।

(iii) लंबे विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते है।

(iv) निर्णय एक ही नेता द्वारा लिए जाते है।

(7) **लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन असत्य है ?**

(i) स्वतन्त्र और पारदर्शी चुनाव (ii) व्यक्तिगत गौरव

(iii) बहुमत का नियम (iv) कानून के समक्ष समानता

(8) **लोकतंत्र की मज़बूती के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है ?**

(i) उच्च नैतिक मानक (ii) सामाजिक समानता

(iii) स्वतंत्र न्यायपालिका (iv) आर्थिक समानता

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें :-

(1) लोकतंत्र की मज़बूती के लिए नेताओं और लोगों (नागरिकों) का उच्च नौतिक स्तर सबसे आवश्यक तत्व कैसे है ?

(2) लोकतन्त्र के सामने आने वाली दो प्रकार दी समस्याएँ बताइए ?

(3) क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की आर्थिक असमानता की दूर कर कती है ?

(4) क्या यह सत्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधता में एकता प्राप्त होती है ?

(5) लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के मूल्यांकन के लिए कोई दो प्रश्न सुझाएँ।

(6) लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य आर्थिक परिणाम क्या है ?

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दे :-

(1) भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रति सम्मान कैसे स्थापित हुआ ?

(2) भारतीय नगारिकों में राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ ?

(3) भारतीय लोकतंत्र ने राष्ट्रीय जीवन को हर दृष्टि से विकसित कि है ? कैसे ?

(4) भारतीय. लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए किन्हीं चार तत्वों की व्याख्या करें।

(5) भारतीय लोकतंत्र के सामने आने वाले किन्हीं तीन प्रमुख पहलु की व्याख्या करें।

घ. निम्नलिखित गद्यांश को पड़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

कैबिनट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946में भारतीय संबंध का चुनाव किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश-भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 04 सदस्य मुख्य आयुक्तों का प्रतिनिधित्व करते थे और 93 सदस्य देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये प्रतिनिधि प्रातीय सभाओं द्वारा चुने जाते थे। अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 324 रह गई। भारतीय संविधान का वास्तविक इतिहास 9 नवंबर, 1946से 26नवंबर 1949 तक शुरू होता है जब संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद ने नए संविधान पर हस्ताक्षर किये। भारत का संविधान तैयार कर में 2 साल 11 महीने और 18दिन लगे। 9 नवंबर 1946को जब संविधान सभा की पहली बैठक की प्रधानगी सबसे बड़े सदस्य डा. सचिदानंद सिन्हा ने किया। इस बैठक से 210 मैमबर मौजूद थे। संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई जिनमें विभिन्न धाराओं पर बहस हुई और 26नवंबर, 1948की तैयार किए गए, संविधान पर संबंधित पक्षों ने हस्ताक्षर किए और 26जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और भारत गणराज्य का निर्माण हुआ ऊपर इस दिन को संविधान लागू करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रिटिश-भारतीय लोग 26जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज की मांग के दिन कीहर साल 'स्वतन्त्रता दिवस' के रूप में मनाते आ रहे थे। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहस की मुख्य विशेषताएँ को स्पष्ट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे मोटे तौर पर भारतीय संविधान का दर्णन कहा जा सकता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

(i) संविधान सभा की प्रथम बैठक से कितने सदस्य अनुपस्थित थे ?

(ii) क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी ?

(iii) भारत रियास्तों में से पूर्वीय पंजाब से सम्बंधित कौन-कौन सी रियास्तें थी ?

(iv) पैप्सू (PEPSU) से क्या तात्पर्य है ? क्या उनसे जुड़ी कोई संस्था अब भी कार्यरत है ?

(v) संविधान सभा की बैठकें अपने कार्यकाल के दौरान औसतन कितने महीनों के पश्चात होती थी ?

(vi) पघांश में उल्लिखित नामों में से कौन भारत गणराज्य की राजनीति में किस-किस पद पर बना था ?

पाठ-5

अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्थाएँ: भारत की भूमिका

(Democracy ; Competition and Confrontation)

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अच्छे मानव जीवन की बनाए रखने और अंतराष्ट्रीय सहयोग और एकीकरण के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन है जो राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करता है और आपसी सहयोग की भावना पैदा करके सामान्य लक्ष्यों के लिए काम करता है।

आजकल संचार और परिवहन के साधनों ने विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया है और पूरे विश्व की ( ) गांव बना दिया गया। जिस प्रकार एक व्यक्ति समाज के बिना विकास नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक राज्य अपने आर्थिक विकार राजनीतिक कूटनीति की स्थापना के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहता है। ऐसे संबंधों की स्थापना के लिए राज्यों में कुछ नियम स्थापित किए जाते है जो अंतराष्ट्रीय कानून कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र और भारत :

प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध से बचने और मानवता की रक्षा के लिए 1919-20 ई. में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई परन्तु 1939 ई. में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इस दौरान जात-पात की क्षति हुई। इसके बाद विश्व शांति के लिए एक संगठन की स्थापना करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

संयुक्त राष्ट्र महाँसभा की बैठक का एक दृष्य

राष्ट्रीय संघ पहिला अंतरराष्ट्रीय संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की बनाए रखना था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 की प्रथम विश्व युद्धव समाप्त हुए 'पेरिस' शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी।

25 अप्रैल 1945 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का उद्देश्य और विश्व भर के युद्ध समापन हेतु संयुक्त राज्य अमेरीका के शहर सैन फ्रांसिस्की में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 51 देशों ने भाग लिया। यह सम्मेलन 26जून 1945 तक चला और इस सम्मेलन के बाद सभी सदस्यों ने एक चार्टर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अंतत: 24 अक्तूबर 1945 की संयुक्त राज्य अमेरिका रूस, (तब सोवियत संघ) चीन, फ्रांस और ब्रिटेन की मंजूरी के साथ नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। अब हर साल 24 अक्तूबर की संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए।
- 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना 24 अक्तूबर 1945 की हुई।
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कुल 193 सदस्य देश और 02 निरिक्षण करने वाले देश है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य :

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों से हमें निम्नलिखित उद्देश्यों का पता चलता है–

1. भावी पीढ़ियों को खतरे से बचाना।
2. समाज का विकास करना और एक बेहतर जीवर स्तर विकसित करना।
3. अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखना।
4. किसी भी तरह के खतरे जैसे आतंकवाद, पर्यारण परिवर्तन आदि से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना।
5. अंतराष्ट्रीय सहयोग और देशों के बीच मित्रतापूर्वक संबंधों का विकास।

इन उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्ट के अनुच्छेद–2 में कुछ सिद्धान्तों का वर्णन कया है जो निम्नलिखित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त :

1. संयुक्त राष्ट्र संघ देश की सप्रभुता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित है।
2. इसके सभी सदस्य विश्व शांति बनाए रखने के लिए, आपसी विवादों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करते है।
3. सभी सदस्य किसी भी राज्य की अखड़ता और स्वतन्त्रता के खिलाफ धमकी नहीं देगें या बल का प्रयोग नहीं करेंगे।
4. सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार कार्य करने पर सहमत होंगे।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों के देशीय कामों में दखलदांजी नहीं करता जिससे उन देशों की प्रभुसत्ता की ठेस नहीं पहुंची।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता

प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र के अध्याय के अनुच्छेद 3 अनुासर संयुक्त राष्ट्र संघ के दो तरह के सदस्य हो सकते हैं–

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य–

* **आधारभूत सदस्य :** अधारभूत सदस्य संयुक्त राष्र्ट संघ के वो सदस्य है जिन्होंने सां फ्रांसिसको सम्मेलन में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के मूल रूप में 51 सदस्य थे।
* **नए सदस्य :** ऐसा सदस्य जो UNO के उद्देश्यों, सिद्धान्तों आदि का समर्थक हो और यू एन ओ में शामिल होना चाहता हो। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देश है।

यहां यह याद रखना चाहिए कि UNO के उपरोक्त सदस्यों के अलावा जो राष्ट्र इसके सदस्य नहीं है, उन्हें

महासभा के माध्यम से UNO की बैठक में पर्यवेक्षक के पद पर भाग लेने की अनुमति है लेकिन पर्यवेक्षक की महासभा में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) को अब संयुक्त राष्ट्र (U.N.) के नाम से जाना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

1. महाँसभा
2. सुरक्षा परिषद या सलामती कौंसिल
3. आर्थिक एवं सामजिक परिषद
4. अंतराष्ट्रीय न्यायालय
5. सचिवालय

इन अंगों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

1. **महाँसभा :** महाँसभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है यदि हम महाँसभा को संयुक्त राष्ट्र की विधायिका कहे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा। इसके अलावा इसे संपूर्ण विश्व की नगर बैठक भी कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महाँसभा में अधिकतम पाँच प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक वोट मिलता है। इसके अलावा कोई भी देश महाँसभा का सदस्य बन सकता है। 14 जुलाई 2011 को दक्षिण सुडान के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के साथ ही इसके सदस्यों की संख्या 193 से बढ़ गयी है। महाँसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। उनका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। वर्ष में कम से कम एक बार महाँसभा की बैठत आवश्यक है। आमतौर पर यह आयोजन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार होता है। इसके अलावा आपातकालीन सत्र भी बुलाया जा सकता है। महाँसभा के सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते है। महाँसभा को 'विश्व पंचायत' भी कहा जाता है। महाँसभा के साथ पहले सभापति बैल्जियम के श्री. पॉल हैनन सप्प थे।

2. **सुरक्षा परिषद या सलामती कौंसिल :** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद-क्रियात्मक अंग है। चार्टर के अनुच्छेद 23 सुरक्षा परि,द की संरचन का प्रावधान करता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होंगे-5 स्थायी और 10 अस्थायी। इसके 5 स्थानीय सदस्य इस प्रकार है।

   1. R-रूस (Russia)
   2. E-इंग्लैंड (England)
   3. C-चीन (China)
   4. A-अमरीका (America)
   5. F-फ्रांस (Fance)

उपरोक्त पांच स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्यों को महान द्वारा 2/3 बहुमत से एक वर्ष के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर इन 5 स्थायी सदस्यों के सहमति होनी चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र के स्थायी कामकाजी सुरक्षा परिषद की बैठक के कुछ सप्ताह बाद आपीजित किया जाता है इसके अलावा वह सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष है। चार्टर के अनुच्छेद-30 के अनुसार सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य वर्णमाला क्रम के अनुसार बारी-बारी से एक माह के लिए अध्यक्ष होगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के फैसलों को लागु करता है।

3. **आर्थिक और सामाजिक परिषद :** संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्यों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण और उनके विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि ऐसै माना जाता है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 10 के अनुच्छेद 61 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। मूल रूप में इसके 18सदस्य थे, अगस्त 1966में इसके 27 सदस्य हो गए और 1973 में यह संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इसके सदस्यों की महासभा द्वारा 3 वर्ष लिए चुना जाता है। इनमें से 1/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत होते है, उनकी जमा राशि से नये सदस्य चुने जाते है। आर्तिख और सामाजिक परिषद: विभिन्न देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती है।

4. **अमानती परिषद :** संयुक्त राष्ट्र कुछ पिछड़े गैर–स्वशासी क्षेत्रोंकी ज़िम्मेदारी भी रखता है। आमाती परिषद इन क्षेत्रों की देखभाल करती है आंमती परिषद के सदस्य इस प्रकार है :-
   अ. अमांती परिषद के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करने वाले यूएनओ के सदस्य।
   आ. सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य
   ब. वे सदस्य जो महासभा द्वारा 03 वर्षों के लिए चुने जाते है।
   आंमती परिषद की साल में दी बैठके होती है। एक बैठक जनवरी और दूसरी जून में होती है। अमांती परिषद अंतराष्ट्रीय शांति बनाए रखने, ट्रस्टीशिप क्षेत्रों का दौरान करने, याचिकाएं प्राप्त करने और गुलाम समुदायों या मुक्त किए जाने वाले क्षेत्रों की जांच करने के लिए ज़िम्मेदार है।

5. **अंतराष्ट्रीय न्यायलय :** संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय 14 अनुच्छेद 93 से 96तक अंतराष्ट्रीय न्यायलय का प्रावधान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायकि अंग है। इसकी स्थापना का मुखय उद्देश्य अंतराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना है। इसके तहत 1899 में पहली स्थायी मध्यस्थता न्यायलय फिर अंतरराष्ट्रीय स्था न्यायलिक अदालत स्थाजित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य इसने 15 न्यायधीश होते हैं। जिन्हें सुरक्षा परिषद की सिफारिस पर महासभा द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष के बाद सेवानिवृत हो जाते है। देशों की आपसी सहमति से अंतराष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत विवादों का निपटारा किया जाता है। अंतराष्ट्रीय न्यायलय को विस्व का सर्वोच्य न्यायलय भी कहा जाता है। यह अदालत नीदरलैंड के हेंग में स्थित है।

6. **सचिवालय :** सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंगों से एक है। इसके संयुक्त राष्ट्र का प्रशानिक अंग भी कहा जाता है। इस अंग का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों द्वारा बन गई नीतियों का प्रशासन/कार्यन्यन और समन्वय करना है। महासचिव सचिवालय का प्रभारी होता है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के रिकार्ड रखना और उत्कृष्ठ कार्यो को अंजाम देना है। यहां यह विशेष उल्लेख है कि अवशिष्ट कार्य वे कार्य है जिन्हें चार्टर द्वारा किसी अंग को सौया नहीं गया है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश और स्थायी सदस्यों की मंजूरी से महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव की सहायता के लिए 9 सहायक महासचिव होते है। श्री एंटीनियो गाटरस वर्तमान महासचिव है।

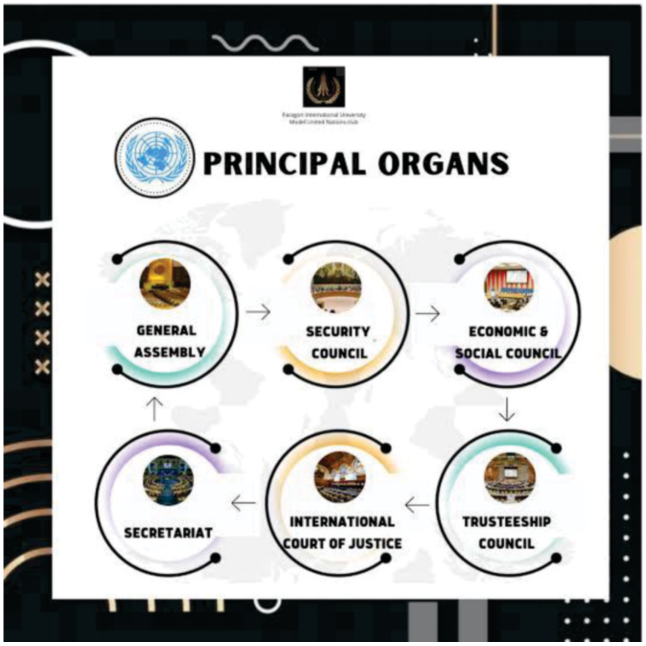

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्थाएं :

अंतराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की नीतियं और कार्यक्रमों को लागू तकरना और उनके साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं इसके विकास में भूमिका निभा रही है–

1. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation- UNESCO)
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO)
3. खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agricultural Organisation -F.A.D.)
4. अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation -I.L.D.)
5. अंतराष्ट्रीय पुनर्निमान और विकास (International Bank of Reconstruction and Development -I.B.R.D.)
6. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund -I.M.F.)
7. अंतराष्ट्रीय डाक संघ (Universal Postal Union -U.P.U.)

भारत और संयुक्त राष्ट्र :

भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से एक है जिसने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए। भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों का समर्थक है। भारत समय-समय पर इस संगठन को पूरा समर्थन देता रहा है। 1948में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ''इस महासभा में, मैं अपने देश के लोगों और अपनी सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि हम सिद्धान्तों पर कायम है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूर्ण तौर से पालन करने के लिए और उनकी पूर्ति के लिए पूरा यत्न करूंगा। भारत 07 बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता का दावा

करता रहा है और इसके क्रायक्रमों ने लगातार सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत ने 1958-1961 तक अमांती परिषद सक्रिय भूमिका निभाई।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों पर आस्था व्यक्त करते हुए इसे अपना लिया है। इसे विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भी संयुक्त है। राष्ट्र की तरह विश्व में भी शांति स्थापित करती है। भारत में कोरिया समस्या गाजा और कागो में, ईराक-ईरान युद्ध की समाप्त करने में, संयुक्त राष्ट्र की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के साथ, भारत संयुक्त राष्ट्र के कुल व्यय में 2.5त्न का योगदान देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का ना केवल सदस्य है, बल्कि एक सक्रिय सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की सभी प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत द्वारा पहल की गई है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग का भविष्य उज्जवल है।

सार्क (SAARC) :

20वीं सदी के मध्य तक यद्यपि दक्षिण एशिया के देशों ने विदेशी दासता और साम्राज्यवाद से मुक्त प्राप्त कर ली थी, परंतु इस उपमहाद्वीप के देश अभी भी बेरोज़गारी, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी और अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों ने अपने स्तर पर प्रयास से अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल पाई है।

सार्क (SAARC) अर्थ एवं गठन : सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। स्त्रष्ट का पूरा नाम साउथ एशियन एसीयिएशन फॉर रीजनल को ऑपरेशन। सार्क की स्थापना 9 दिसंबर 1985 की हुई थी, उस समय इसके 7 सदस्य थे। भारत, पकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालद्वीव बाद में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया।

सारक का चिन्ह

पृष्ठभूमि : दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संघ स्थापित करने का विचार सबसे पहले नेपाल के राजा बरिदर ने दिया था। इसके बाद 1980 के अंत में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर-रहमान ने इसका सुझाव दिया। उनके पास दक्षिण एशिया के देशों की आम समस्याओं का समाधान के एक संयुक्त सहकारी संगठन की स्थापना का विचार व्यक्त किया गया। सार्क की स्थापना के लिए पहली बैठक अप्रैल 1981 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुई थी। इसे भारी समर्थन मिला। अंतत 1985 में सात देशों के प्रमुखों का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ और घोषणापत्र की अपनाया गया तथा सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया। पहला सार्क शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका (बांग्लादेश में आयोजित किया गया था और अब तक 18शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके है।

सार्क देशों का मानचित्र

सार्क (महत्वपूर्ण तथ्य)

सार्क का पूरा नाम	:	क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ।
स्थापना	:	8 दिसंबर, 1985 (ढ़ाका, बांग्लादेश)
प्रधान कार्यालय	:	काठमांडू , नेपाल
कार्यालय की भाषा	:	अंग्रेजी

सार्क के सदस्य देश

1. भारत
2. पकिस्तान
3. बांग्लादेश
4. नेपाल
5. मालदीव
6. श्रीलंका
7. भूटान
8. अफगानिस्तान

सार्क के उद्देश्य इस प्रकार है : (Objectives of SAARC)

1. दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करना।
2. दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाना।
3. दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास।

4. आपसी विश्वास बढ़ाना।
5. अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।

सार्क के सिद्धान्त : (Principles of SAARC)

1. एक दूसरे की प्रभुसत्ता, अखड़ता का सम्मान करना।
2. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
3. आपसी सहयोग बढ़ाना।
4. सभी निर्णय आम सहमति से लेना।

सार्क की संगठनात्मक सरचना : (Organisational Structure of SAARC)

सार्क के राष्ट्रध्यक्षो की बैठक की शिखर सम्मेलन कहा जाता है। सार्क शिखर सम्मेलन हल साल होना चाहिए। सार्क सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की पषिद को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। मंत्रि-परिषद की बैठक छह मास में एक बार अवश्य होनी चाहिए। सार्क सदस्य देशों के विदेश सचिवी की एक समिति होती है, इसे स्थायी समिति कहा जाता है। इसके अलावा काम-काज के लिए एक कार्य समिति और किए गए कार्यों की समक्षिा लेने के लिए एक तकनीकी समिति होती है। सार्क में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सचिवाल्य की है। सचिवालय का मुख्य प्रभारी महासचिव होता है। इसका कार्य काल 2 वर्ष होता है। महासचिव की नियुक्ति सदस्य देशों के बीच चक्राकर आधार पर की जाती है। महासचिव का मुख्य कार्य सार्क कार्यक्रम में समन्वय बनाना है, सार्क बैठकों का प्रस्ताव रखना, रिकार्ड रखना आदि।

सार्क की महत्ता

सार्क का महत्व इस प्रकार है:

1. **साझा मंच (Common Platform) :** सार्क भूख, गरीबी, अशिक्षा आदि समस्याओं के समाधान के लिए सांझा मंच प्रदान करता है।
2. **आर्थिक विकास (Economic Development) :** सार्क अपने सदस्य देशों के बीच संयुक्त व्यापार के माध्यम से आर्थिख विकास के अवसर भी प्रदान करता है, 1 जनवरी 2006 को सार्क देशों द्वारा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA) लागू किया गया।
3. **सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) :** सार्क सदस्य देश मुश्किल समय में सहयोग करते है, इसके माध्यम से पीड़ित देश की समस्याएं को सुलझाने का प्रयास करते है।
4. **सांस्कृतिक एकता (Cultural Unity) :** सार्क सदस्य देश कलाकारों के आदान-प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता बनाने का प्रयास करते है।
5. **पर्यवरण में सुधार (Grading of Environment) :** सार्क द्वारा वातावरण में सुधार लाने के लिए, और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बैठके आयोजित की जाती है।

साफ्टा (SAFTA) (South Asian Free Trade Area): दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र-साफ्टा-सार्क के सदस्यों द्वारा 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में 12 वे शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सार्क देशों में व्यापार के विकास के लिए मुक्त व्यापार या खुला व्यापार यह समझौता 1 जनवरी 2006 की लागू हुआ।

सार्क की समस्याएँ / बाधाएँ

1. **अलग-थलग राजनीतिक व्यवस्थाएँ :** सार्क में सभी सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएँ अलग-अलग है, जैसे भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक गणराज्य, भूटान में राजशाही, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीप में लोकतांत्रिक राज्य।
2. **आपसी अविश्वास :** सार्क में शामिल आरोपियों के बीच कोई आपसी विश्वास नहीं है। यदि हम अन्य देशों की बजाए केवल भारत और पाकिस्तान को ही ले तो भी संदेह बना रहता है।
3. **भारत की स्थिती :** हम जानते है कि भारत की जनसंख्या, सैन्य शक्ति और आकार में यह अपने पड़ोसी देश आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे है, लेकिन भारत के प्रति उनका नजरिया अब भी वही है। सार्क सदस्य देशों के कुल क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी 72त्न है।
4. **शिखर सम्मेलन का समय निश्चित नहीं :** सार्क चार्टर में शिखर सम्मेलन इसे सलाना आयोजित करने की बात कही गई है, लेकिन ये सम्मेलन सलाना नहीं हो रहे हैं।
5. **अपने हितों की प्राथमिकता :** सार्क सदस्य देश का उद्देश्य सांझी समस्याओं, सांझे हल करने की बजाए अपने-अपने देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते रहते है।
6. **बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप :** सार्क की स्थिति को देखते हुए चीन, अमेरिका, जापान जैसी बड़ी (शक्तियां) सार्क पर अपना प्रभाव डालने के लिए सक्रिय है।

सार्क में भारत की भूमिका

सार्क में शामिल देशों में भारत सार्क का सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 77 % और सार्क क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 72 % हिस्सा है। भारत सर्क कीस्थापना से ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा सार्क शिखर सम्मेलन 16-17 नवंबर 1986 को बैंगलौर (भारत) में आयोजित किया गया था। भारत में अब तक 3 सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके है। 2-4 मई 1995 की सार्क का आठवां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे साफ्टा जैसे महत्वपूर्ण समझौते पर सदस्य देशों की सहमति बनी। भारत ने हमेशा सार्क शिखर सम्मेलनीं में इस मंच का उपयोग आतंकवाद पर अंकुश (रोकथाम) लगाने के लिए किया है।

अंतराष्ट्रीय संगठन :

संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण अंतरष्ट्रीय समीक्षा पत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इस संगठनों का विवरण इस प्रकार है :

1. **विश्व व्यापार संगठन (WTO-World Trade Organisation) :** विश्व व्यापार संगठन एक अंतरसरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय वपार के लिए नियम निर्धारित करता है, निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए नियम स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विटजरलैंड) में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसके अलावा 23 देश इसके पर्यवेक्षक देथ है इसकी कुछ 11 समितियाँ है।

WTO

विश्व व्यापार संघ का चिन्ह

विश्व व्यापार संगठन का निर्माण (GAT) के उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया था। विश्व व्यापार संगठन विश्व का सबसे बड़ा अंतराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। यह विभिन्न देशों के बीच व्यापार विवादों के समाधान के लिए मंच प्रदान करता है।

2. **अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Moneary Fund IMF) :** अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतराष्ट्रीय वित्तिय संस्था है। इशका निर्माण 27 दिसम्बर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्तित है। इसकी अधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, अंतराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और स्थायी आर्थिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

केंद्रिय मुद्रा कोष का चिन्ह

3. **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development UNCTE) :** यह एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा (स्विटरलैंड) है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौपता है। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य व्यारा, सहायता, परिवहन और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियां बनाना है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र सार्यवालय का एक हिस्सा है। वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य है। इसकी बैठक हर चार साल में होती है। इसकी दूसरी बैठक 1968में 31 जनवरी से 29 मार्च तक नई दिल्ली (भारत) में हुई।

UNCTAD *का पहचान चिन्ह (लोगो)*

4. **विश्व बैंक :** विश्व बैंक एक अंतराष्ट्रीय वित्तीय (धन से संबंधित संस्था है। इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। यह संगठन अपने सदस्य देशों को त्रण (उधार पैसे) और अनदास प्रदान करता है। ये मानव विकास (शिक्षा और सेहत), कृषि और ग्रामीण विकास (सिंचाई) पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है।

आलमी बैंक चिन्ह (लोगो)

अभ्यास

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों के एक वाक्य में दें :-

(1) प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई ?

(2) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ ?

(3) संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य कितने थे और अब कितने है ?

(4) अंतराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है ?

(5) सुरक्षा परिषद में विशेष मत के अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है ?

(6) सार्क का पूरा नाम लिखिए ?

(7) **निम्नलिखित में से सार्क स्थापना कब हुई थी ?**

(I) 08दिसंबर, 1985 (ii) 24 अक्तूबर, 1945

(iii) 15 अगस्त, 1947 (iv) 26जनवरी, 1987

(8) **विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ?**

(i) वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका) (ii) जिनेवा (स्विट्जरलैंड)

(iii) काठमांडू (नेपाल) (iv) ढाका (बांग्लादेश)

(9) **कौन सा शहर उस देश की राजधानी है जो सार्क का मूल सदस्य नहीं था ?**

(i) इस्लामाबाद (ii) कोलंबस

(iii) काबुल (iv) खिंडु

(10) **10 दिसंबर, 1945 में किस संस्था की स्थापना हुई ?**

(i) संयुक्त राष्ट्र (ii) विश्व बैंक

(iii) अंतराष्ट्रीय व्यापार संगठन (iv) अंतराष्ट्रीय मुद्रा फंड

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें :-

(1) व्यापार और विकास पर संयुकत राष्ट्र सम्मेलन का परिचय दें।

(2) विश्व व्यापार संगठन क्या है ? इसके कामों के बारे में बताएं।

(3) सार्क के सिद्धान्तों का परिचय दीजिए ?

(4) सार्क क्या है ? इसके सदस्यों के नाम लिखिए।

(5) संयुक्ता राष्ट्र की स्थापना की पृष्ठभूमि क्या है ?

(6) वीटो शक्ति प्राप्त देशों के नाम लिखो ?

(7) अमानती परिषद के क्या कार्य है ?

(ग)   निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दें :-

(1) संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन दें।

(2) संयुक्त राष्ट्र की महासभा की विस्तृत व्याख्या करो।

(3) सार्क की संगठनात्मक संरचना बताए और इसकी बाधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।

(4) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट सहयोगी एजेंसियों की सूची बनाएं और किन्हीं दो एजेंसियों की व्याख्या भी करें।